राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ४] विधान सभा के चतुर्थ सत्र का अठाहरवां दिवस [संख्या १२

गुरुवार, दिनांक १३ मार्च, १९६९

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

(कृषि, यातायात, नगर आयोजन, आयुर्वेद, स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, गृह, पुनर्वास, सहकारी, पशु-पालन, मुख्यमंत्री, जनस्वास्थ्य विभाग)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री देवीदत्त गाड़िया !

बारां कृषि उपज मंडी क्षेत्र में सुविधायें

२५१. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बारां कृषि उपज मंडी क्षेत्र में प्रकाश, पानी, छाया व सुरक्षा की उचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो किन कारणों से व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है और अब कब तक ये समस्यायें हल हो जायेंगी ?

(२) क्या सरकार ने बारां मंडी में किसानों का माल बेचने, माल तुलवाने व उसके लिए निश्चित समय की कोई व्यवस्था कर रखी है ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था है ?

(३) बारां मंडी क्षेत्र में सुरक्षा, बिजली, पानी व छाया की व्यवस्था में अब तक कुल कितना रुपया किस-किस मद में खर्च किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(४) क्या बारां के व्यापारी वर्ग व राजनैतिक पार्टियों ने बारां मंडी में व्यवस्था हेतु गत दो वर्षों में समय-समय पर कोई लिखित सुझाव दिए हैं ? यदि हां, तो किस-किस राजनैतिक पार्टी ने व व्यापारी वर्ग ने क्या-क्या सुझाव दिए और उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

(५) क्या यह सही है कि मंडी क्षेत्र में प्लॉट्स की नीलामी की कार्यवाही हुई थी ? यदि हां, तो क्या हुई ?

(६) क्या सरकार प्लॉट वितरण या नीलाम करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही हो जावेगी ?

उप-मंत्री कृषि (श्री हरिसिंह) :

(१) जी नहीं, बारां मंडी में प्रकाश, पानी, छाया व सुरक्षा की समुचित व्यवस्था है।

(२) जी हां, किसानों का माल खुली निलाम प्रणाली द्वारा बेचा जाता है, तोल अनुज्ञापत्रित तोलारों द्वारा किया जाता है। मंडी में व्यापार का समय प्रातः ६ बजे से १ बजे तक और सायं २ से ६ बजे तक निश्चित है।

(३) सुरक्षा, बिजली, पानी व छाया की व्यवस्था में व्यय की गई कुल धनराशि का मदवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(४) राजनैतिक पार्टियों से लिखित में कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। बारां व्यापार संघ से एक बार सुझाव प्राप्त हुए एवं तदनुसार मंडी समिति द्वारा कार्यवाही की गई।

(५) यह प्रश्न उपनिवेशन विभाग की मंडी कमेटी (चंबल प्रोजेक्ट) कोटा से संबंधित है।

(६) यह प्रश्न उपनिवेशन विभाग (चंबल प्रोजेक्ट) से सम्बन्धित है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, बारां मंडी राजस्थान की दो सबसे बड़ी मंडियों में से है। एक है गंगानगर और दूसरी बारां। मेरे प्रश्न का उद्देश्य यही था कि अभी तक सड़कें नहीं बनी हैं। और मंत्री महोदय ने कहा कि यह उपनिवेशन विभाग से संबंधित है। यह कृषि मंत्री से सम्बन्धित है जो कोटा के अधीन है और उसी के द्वारा ही उत्तर देना चाहिए था और उसी के कारण परेशानी है। प्रश्न ५ और ६ में जो जवाब दिया गया है, उसमें मेरे प्रश्न को टाला गया है। शीघ्र उत्तर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष (श्री देवीदत्त गाड़िया से) : क्या यह ठीक नहीं है कि यह उपनिवेशन विभाग से सम्बन्धित है ?

श्री देवीदत्त गाढिया : कोटा मंडी कमेटी के अधीन है।

श्री हरिसिंह : जहां तक प्लॉट्स का सम्बन्ध है, उपनिवेशन विभाग की मंडी कमेटी होती है, उसके अन्तर्गत आता है चंबल प्रोजेक्ट में।

श्री देवीदत्त गाडिया : कोटा मंडी कमेटी के अन्तर्गत कृषि उपज मंडी है। प्लॉट्स का रुपया ले लिया लेकिन कब्जा नहीं दिया, न सड़कें बनाई, अधूरी पड़ी हुई हैं।

श्री अध्यक्ष : यह इनसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कृषि उपज मंडी क्षेत्र के अन्दर मन्त्री महोदय ने कहा सिर्फ एक बार व्यापारियों का हमारे पास प्रार्थना-पत्र आया। व्यापारियों ने १२ सितम्बर, १९६४ को राजस्थान के मुख्य मन्त्री को और दूसरा ११ नवम्बर, १९६४ को दिया। इसी प्रकार लगातार प्रार्थना-पत्र देते आ रहे हैं। भारतीय जनसंघ ने कोटा मन्डी कमेटी और कलेक्टर को लिखा है। क्या यह सही है कि बारां मंडी के अन्दर जो किसान माल बेचने आते हैं, छाया न होने से उनका माल भीग जाता है, प्लेटफार्म न होने से माल मिट्टी में मिल जाता है जिससे हजारों रुपयों का नुक-

Page No 3

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सान किसान का होता है। किसानों ने भी शिकायतें की हैं, उन पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह : व्यापारियों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था और उस पर कार्यवाही उस समय की गई। जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है, १९६४ में यह बारां कृषि उपज मंडी स्थापित हुई और करीब १,०७,७९७.२५ अभी तक सुविधाओं पर खर्च किये जा चुके हैं। इसमें अगर मदवार चाहें तो बता सकता हूं। बिजली, पानी, छाया और सुरक्षा की सुविधाओं के मामले में एक लाख की रकम है और इस प्रकार आपका कहना कि इन सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, ऐसा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि प्लेटफार्म अभी नहीं बना है ? दूसरे जो विकास के काम होने वाले हैं उन पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : प्लेटफार्म पर ?

श्री हरिसिंह : जहां तक प्लेटफार्म और निर्माण कार्यों का सम्बन्ध है, कृषि विभाग का जो मार्केटिंग ऑफिसर है उन्होंने २१-७-६८ को कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। उन्होंने कुछ कमियां पाई और उसके अनुसार वहां के प्रधान से कहा गया। उन्होंने २४-९-६८ की बैठक में प्रस्ताव पास करके २-१०-६८ को अपना प्रार्थना-पत्र दिया। प्लेटफार्म वगैरह के लिये कुल धनराशि ४०,३३७) की जो मांग की गई है जो स्वीकार कर दी गई है और १.०८ लाख की जो रकम है उसमें सम्मिलित है। यह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा किया जायगा।

जहां तक आपकी तरफ से सुझावों का सम्बन्ध है, नहीं आये हैं आप भेज दें, कार्य किया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस वर्ष के अन्दर इस मण्डी कमेटी के निर्माण में किस-किस मद में कितना-कितना रुपया खर्च किया जाने वाला है ? किस प्रकार की योजना है ? ऐसी योजना यदि हो तो बताइये किस प्रकार खर्च किया जायगा ?

श्री हरिसिंह : सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : १९६९-७० में मंडी के विकास के लिए किस-किस मद में कितना-कितना रुपया खर्च किया जाने वाला है ?

श्री हरिसिंह : करीब ६ आइटम्स हैं:—

(१) कुओं पर	३२५६)
(२) कुओं पर पानी, पाइप लाइन	१६५८७)
(३) टिनशोट्स के नीचे सीमेंट का फर्श	९५९४)
(४) आइल एन्जिन	६०००)
(५) ट्यूब लाइट्स	३०००)
(६) कुओं को गहरा कराना	१९००)
कुल....	४०,३३७) रु०

दे दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक प्रश्न महत्वपूर्ण रह गया किसानों के सम्बन्ध में। आपने ९ बजे से १ बजे तक का समय निर्धारित किया है और २ से ६ किया है। वहां रात्रि

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

को ७ बजे तक नीलाम होता उसके बाद ८ बजे छूटता है। रुपया लेकर गांवों में जाते हैं, आये दिन डकैतियां होती हैं। इस सम्बन्ध में सरकार क्या इन्तजाम करेगी? किसानों की सुविधा के लिए ४-५ बजे तक नीलामी हो और किसी भी हालत में सूर्यास्त से पहले वह अपने घर पहुँच जायं।

श्री हरिसिंह : इसमें अधिक समय लगना स्वाभाविक है। अंधेरे की असुविधा को मिटाने के लिए ४-३-६८ को प्रार्थना-पत्र मंडी कमेटी को दिया था और उस पर १० ट्यूब-लाइट्स की व्यवस्था कर दी गई है। देर होना तो स्वाभाविक है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि मंडी कमेटी एक्ट के अन्तर्गत किसानों का माल नीलाम करने के लिए सरकार द्वारा दलाल नियुक्त किये जाते हैं और वे इस मंडी में नहीं हैं?

श्री अध्यक्ष : वह नहीं है। जिलाधीश या कलाधीश ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : दलाल। मंडी कमेटी के द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। मंडी में दलाल न सरकार के द्वारा न ही मंडी कमेटी के द्वारा नियुक्त किये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : समझ गये हैं माननीय मन्त्री महोदय।

श्री हरिसिंह : तोलने वालों के लिये पूछा था।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। नेक्स्ट।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में ध्यान देंगे और दलाल नियुक्त करायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सरदार शहर—सीकर मार्ग पर चलने वाली बस

२५७. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) :** क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरदार शहर-सीकर मार्ग पर गाड़ी नम्बर पी. एन. डब्ल्यू. ३४८७ चल रही थी? यदि हां, तो कब से कब तक और उसका मालिक कौन था?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त गाड़ी में यात्री कर की व रोड टैक्स की भारी राशि बकाया थी? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी रकम किस-किस टैक्स की थी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह भी सत्य है कि उक्त गाड़ी का इतना टैक्स बकाया होते हुए भी उसका नम्बर बदल कर उसके नये नम्बर आर. जे. बी. ११६७ दे दिये गये? यदि हां, तो कब और किस कारण से तथा बकाया राशि की वसूली किये बिना नये नम्बर कैसे दे दिये?

(४) गाड़ी के नम्बर बदल कर नये नम्बर देने के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हों तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) इस प्रकार की गलत कार्यवाही करने वाले अधिकारी के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की?

Page No 5

उप-मन्त्री (श्री समर्थलाल) : (१) जी हां, दिनांक २४-१०-६७ से १३-१०-६८ तक पी. एन. डब्ल्यू. ३४८७ नम्बर से चली है इसके बाद यही वाहन आर. जे. वी. ११६७ नम्बर पर चल रही है और वाहन श्री सुल्तान-खां के नाम पर रजिस्टर्ड है।

(२) इस गाड़ी में रोड टैक्स की राशि रु. १,३००.०० बकाया थी। यह टैक्स दिनांक १-४-६८ से १-९-६८ तक का बकाया था। टैक्स के जमा कराने सम्बन्धी वैरीफिकेशन रिपोर्ट पेश होने पर यह रकम बाकी पाई गयी जिसे १००.०० कम्पाउन्ड फीस सहित जमा कराया गया। यात्री कर का सम्बन्ध वाणिज्य कर विभाग से है।

(३) पंजीयन प्राधिकारी, सीकर द्वारा मालिक की ओर से तीन रुपये के स्टाम्प पर हायर परचेजर श्री बृजमोहन व इब्राहिम द्वारा यह अन्डरटेकिंग दिये जाने पर कि यदि कोई बकाया होगी तो देनदार रहेंगे नम्बर बदले गये थे।

(४) मोटर व्हीकल एक्ट, १९३९ (केन्द्रीय अधिनियम ४, १९३९) की धारा २९ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि नियमों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कोई गाड़ी चेन्ज करने के पहले रोड टैक्स का सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : दोनों में से कोई भी उत्तर दे दें माननीय मंत्री, उप-मंत्री।

यातायात मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : १,३०० की रकम बकाया थी वह वसूल कर ली और १००.०० कम्पाउन्ड फीस के ले लिये। वाणिज्य कर का इस विभाग से लेना देना नहीं है। फिर भी अन्डरटेकिंग ले ली है।

श्री हरजीराम बुरड़क : सर्टिफिकेट पेश करना पड़ता है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : नियमों की बात पूछी थी।

श्री अमृतलाल यादव : मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शन २९ के अन्तर्गत कोई भी ऑथोरिटी हायर पर्चेजिंग के लिये लिख कर देते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने पूछा है कि इस सम्बन्ध में नियम बने हुए हैं तो बतायें। सवाल था एक्ट की धारा की प्रति रखें।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष, वह तो सदन की मेज पर रख दी। एक कापी माननीय सदस्य को भी दे दी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरजीराम बुरड़क : सैन्ट्रल एक्ट की धारा को रखा है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। प्रश्न संख्या २५८ श्री सुमेरसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

Page No 6

श्री विजयसिंह (मकराना) : प्रश्न लेटर संख्या २५८।

श्री अध्यक्ष : I pass on. अथोरिटी लेटर नहीं है। प्रोक्सी मत कीजिये।

बाड़मेर नगर में आयुर्वेद चिकित्सालय

२५६. श्री वृद्धिचन्द्र जैन : (बाड़मेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान सरकार द्वारा गत दस सालों में बाड़मेर जिले में कितने आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोले गये? उनकी सूची श्रेणीवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) बाड़मेर नगर में किस श्रेणी का आयुर्वेद चिकित्सालय है?

(३) उक्त चिकित्सालय को अपग्रेड कब तक करा दिया जावेगा?

उप-मंत्री (समर्थलाल) : (१) गत १० वर्षों में बाड़मेर जिले में १७ औषधालय खोले गये हैं। श्रेणीवार सूची प्रस्तुत है।

(२) बाड़मेर नगर में "स" श्रेणी का औषधालय है।

(३) अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के औषधालय की जो सूची दी गई है उनमें सब ही "सी" श्रेणी औषधालय हैं पटोली के अलावा?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (श्री जयकिशन-शर्मा) : और भी हैं। समदड़ी भी है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरे पास लिस्ट प्राप्त नहीं हुई है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : दूसरी लिस्ट और है। आपका क्वेश्चन यह है कि दस साल में कितने खोले। उसमें बताया गया कि ३७ खोले हैं। ५८ से पहले दस खोले।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर नगर जो बाड़मेर जिले का हैडक्वाटर है वहां "स" श्रेणी का औषधालय होना आप उचित समझते हैं?

श्री जयकृष्ण शर्मा : नये पेटर्न में "बी" और "सी" में कोई खास फर्क नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर नगर की ४० हजार की आबादी है उसको "ए" श्रेणी का औषधालय बनाने में क्या दिक्कत है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : "ए" श्रेणी के औषधालय बहुत कम हैं और प्राथमिकता के अनुसार आते जा रहे हैं उनमें "ए" क्लास के बनाते जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सुवालाल चौधरी।

गोपालपुरा के खारड़े में ट्यूब वेल योजना का सर्वे

२६०. श्री सुवालाल चौधरी : (दूदू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जहां पानी जमीन में अधिक मात्रा में मिलता है वहां सरकार ट्यूब वेल स्कीम चालू कर सकती

(श्री सुवालाल चौधरी)

है ? अगर हां, तो वोवास, झरना, गोपालपुरा के खारड़े में जहां जमीन के ऊपर ही पानी बहता है, ट्यूब वैल योजना लागू करने का सरकार का विचार है ?

(२) क्या सरकार ने उक्त खारड़ों का ट्यूबवेल स्कीम हेतु कभी सर्वे कराया है ? अगर हां, तो उनकी सर्वे रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जावे, अगर नहीं तो सर्वे कब तक कराया जायगा ?

उप-मन्त्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : जी हां। जहां जमीन में पानी अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है वहां नलकूप द्वारा उस स्थान को विकसित किया जा सकता है उस स्थान से नलकूप बनाने की मांग आने पर नियमानुसार नलकूपों का निर्माण किया जा सकता है। उपरोक्त स्थानों से अभी तक इस प्रकार की मांग नहीं आई है। इसलिए उपरोक्त स्थानों पर नकूलप निर्माण करने की सरकार द्वारा योजना लागू करने का प्रश्न नहीं उठता।

(२) अभी तक उक्त खारड़ों का नलकूप योजना के लिये सर्वेक्षण नहीं किया गया। नलकूप बनाने के लिये पर्याप्त मांगें आने पर ही यह प्रश्न उठ सकता है।

श्री सुवालाल चौधरी : मांग किनकी तरफ से आनी चाहिये ?

श्री हरिसिंह : वहां की पंचायत समिति, जो सम्बन्धित है, से लिखित में सम्बन्धित विभाग में आने पर उसका सर्वे पहले होगा और उसके बाद ही आगे बताया जा सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या एम. एल. ए. काफी नहीं हैं ?

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : नलकूप योजना बनाई तो उसमें यह गांव शामिल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न।

नैक्स्ट।

श्री हरिवल्लभ !

श्री सुवालाल चौधरी : पंचायत समिति आपके विभाग को लिख कर दे तो कितने समय में आप कार्यवाही करवा सकेंगे और सर्वे करवा सकेंगे ?

श्री हरिसिंह : मांग आप दे दीजिये। जितना जल्दी हो सकेगा उसका अरेन्जमेन्ट कराने का प्रयत्न किया जावेगा। अभी मांग ही नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री हरिवल्लभ !

मान टाउन, सवाई माधोपुर के विकास की योजना

२६१. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) :** क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मान टाउन (सवाई माधोपुर) के विकास हेतु राज्य सरकार ने नोटिफाइड एरिया कमेटी का गठन किया है ? यदि हां, तो इस कमेटी का सर्व प्रथम गठन कब किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन हैं ?

(२) क्या इस नोटिफाइड एरिया के विकास के लिये कोई मास्टर प्लान राज्य सरकार ने अब तक स्वीकृत किया है ? यदि

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

हां, तो कब ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(३) नोटिफाइड एरिया कमेटी ने इस एरिया में विकास की कौन-कौन सी स्कीम अपनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) सन् १९६८ ई० के पूरे वर्ष में इस कमेटी की कुल कितनी मीटिंग हुई ?

(५) क्या इस कमेटी का अध्यक्ष नॉनऑफिशियल्स में से बनाया जाना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक ले लिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां, नोटिफिकेशन दिनांक १२-११-६५ द्वारा जिलाधीश, सवाई-माधोपुर।

(२) जी नहीं। मास्टर प्लान तैयार कराया जा रहा है।

(३) बाल मन्दिर स्कीम, अल्प आय वालों के लिये स्कीम व बजरिया स्कीम।

(४) सन् १९६८-६९ में अब तक पांच बैठकें हुई हैं।

(५) जी नहीं, प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या यह सही है कि नोटिफाइड एरिया में भी म्युनिसिपल एक्ट के प्रोविजन लागू हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : उसी के अन्तर्गत यह स्कीम बनी है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कितने महीने में एक मीटिंग बुलानी जरूरी है ? ६८ में कुल मिला कर पांच मीटिंगें हुईं। कलेक्टर नोटिफाइड एरिया का चेयरमेन होता है। म्युनिसिपल एक्ट के अन्तर्गत क्या यह लाजमी है कि एक महीने में एक मीटिंग बुलायें ही ?

श्रीमती सुमित्रा : एक महीने में सामान्यतः एक मीटिंग बुलाना अनिवार्य है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मुझे बता दें कि नोटिफाइड एरिया कमेटी के बाद सिवाय बाल मन्दिर और कुछ प्लॉट्स के अलावा, उसके बाद कौनसी स्कीम सन् १९५९ के पश्चात् इम्प्लीमेन्ट की है ? बाल मन्दिर, बजरिया थाना स्कीम आप बता रहे हैं यह तो पहले ही लागू हो चुकी थी और कम्पलीट भी कर दी गई थी इसके पश्चात् आज तक क्या काम वहां किया है ?

श्रीमती सुमित्रा : बाल मन्दिर, इसके प्लाट्स बेचे जा चुके हैं। बजरिया स्कीम टाउन प्लानर के पास अनुमोदन के लिये पड़ी हुई है। अल्प आय वालों की स्कीम है, इसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जिस प्रकार से इस क्षेत्र की प्रगति की गई है, उससे आपको सन्तोष है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह प्रगति सन्तोषप्रद मालूम पड़ती है, इस क्षेत्र के लिये ?

श्री अध्यक्ष : श्री बनवारीलाल ! प्रश्न संख्या २६२।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। सन् १९५३ से ही मान-

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

टाउन स्कीम, सवाई माधोपुर में बनी हुई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी वहां बनी हुई है। आज २१ वर्ष हो गये, इस क्षेत्र के विकास के लिये कुछ भी नहीं किया गया है। बल्कि पंचायत क्षेत्र में बजरिया के प्लाट बेचे गये हैं और बाल मन्दिर स्कीम पहले ही बन चुकी है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रश्न नहीं है, स्पष्टीकरण है।

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री भोखा भाई) : माननीय सदस्य की जो समस्या है, वह मैं जानता हूं। माननीय सदस्य स्वयं उस कमेटी के सदस्य हैं, और जो समस्या है, उसका हल करके इस क्षेत्र का तेजी के साथ विकास कर सकते थे। अब उन्होंने जो सुझाव रखे हैं, उस पर ध्यान रखा जायेगा। जहां तक नॉन-ऑफिशियल्स को अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया गया है, इस मामले को विचारार्थ लिया जाकर निर्णय लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

बाड़ी-सेपऊ सड़क की मरम्मत

२६२. **श्री बनवारीलाल (धौलपुर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को विदित है कि बाड़ी-सेपऊ सड़क की दशा बहुत ही खराब हो गई है यहां तक कि उस पर जगह-जगह पर २-२ फिट के गड्ढे हो गये हैं और कहीं कहीं तो गिट्टी व बोल्डर तक उखड़ गया है जिससे उस सड़क पर ट्राफिक का चलना असम्भव हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या उक्त सड़क के दो मील की मरम्मत के लिये राज्य सरकार द्वारा टेन्डर मन्जूर कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या उसके वर्क ऑर्डर जारी हो चुके हैं ? यदि हां, तो किस तारीख को ? और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(३) क्या उक्त सड़क का चार मील का हिस्सा जो अभी भी कच्चा है सरकार पक्का कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक कार्य शुरू करने का इरादा है ?

(४) क्या सरकार उक्त सड़क पर डामर बिछाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) :

(१) सड़क की दशा साधारण है।

(२) जी हां, दिनांक १४-८-६८ को ठेका दिया गया था ?

(३) जी हां, अर्थाभाव के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो सका।

(४) डामर कार्य स्वीकृत नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री बनवारीलाल : क्या मन्त्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह सड़क यू० पी० को कनेक्ट करती है ?

श्री माधोसिंह : जी हां।

श्री बनवारीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह एक इन्टरस्टेट सड़क है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी आप मरम्मत नहीं करते, इसका क्या कारण है ?

Page No 10

श्री माधोसिंह : अर्थाभाव है। चार मील का टुकड़ा है। वह चौथे प्लान में कर देंगे। यह टुकड़ा साधारण है।

श्री बनवारीलाल : आवाज साफ नहीं आरही है। इस साधारण से आप क्या मतलब लेते हैं ? क्या समझते हैं ?

श्री माधोसिंह : इसका मतलब यह है कि खराब है। पूर्णतया खराब नहीं है, चल सकते हैं।

श्री बनवारीलाल : आप बार-बार कहते हैं, प्रश्न नहीं उठता। क्यों नहीं प्रश्न उठता ?

श्री अध्यक्ष : नहीं उठता है, कहना पड़ता है। यह क्या करें ?

श्री बनवारीलाल : कौन कहता है इनका उठता है ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने भी कहा और मैंने भी कहा, नहीं उठता है ?

प्रश्न संख्या २६३

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २६४

श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया : !

श्री गंगासहाय : !

प्रश्न संख्या २६५। यातायात मन्त्री।

श्री जयनारायण सालोदिया : प्रश्न संख्या २६५।

सलाहकार समिति के सुझाव

२६५. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या स्टेट रोडवेज कारपोरेशन के लिये विधान सभा के सदस्यों की सलाहकार समितियां बनाई गई हैं ? यदि हां, तो उनका कार्य क्षेत्र क्या है और अब तक उनकी कितनी बैठकें हो गई हैं तथा उनमें क्या-क्या सुझाव दिये गये हैं ?

उप-मन्त्री, यातायात : श्री समर्थलाल।

पथ परिवहन निगम के लिये राजस्थान को तीन क्षेत्रों में विभाजित कर तीन उपयोगकर्त्ता सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। प्रत्येक समिति में सम्बद्ध क्षेत्रों से विधान सभा सदस्यों को भी मनोनीत किया गया है। समितियों के कार्य-क्षेत्र की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई हैं। इन समितियों की अब तक ५ बैठकें हुई हैं बैठक में दिये गये सुझावों व उन पर की गई कार्यवाही की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : जो भी समिति ने सुझाव दिये हैं, वे आपने मान लिये हैं, क्या यह आपकी जानकारी में हैं ? क्या निःशुल्क पोर्टरों को आपने स्वीकार किया है और क्या निःशुल्क पोर्टरों की आपने व्यवस्था की है ?

यातायात मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव): यह दूसरे प्रश्न के उत्तर में आपको बता दिया जायेगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसमें ही आप फर्मा दें। क्या निःशुल्क पोर्टरों की व्यवस्था है ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां, है। पोर्टरों की व्यवस्था है, बहुत से स्टेशनों पर है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जयपुर में निःशुल्क पोर्टरों की व्यवस्था है।

श्री अमृतलाल यादव : राजस्थान में सब जगह है।

श्री रामकिशन (वैर) : यह हटा ली गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री गंगासहाय।

श्री गंगासहाय : प्रश्न संख्या २२६।

विस्थापितों की जायदाद

२२६. श्री **गंगासहाय** (कठूमर सु०) : क्या पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान पुनर्वास विभाग केन्द्रीय पुनर्वास मन्त्रालय या सरकार से विस्थापितों की कितनी जायदाद खरीद रहा है व कहाँ कहां पर व कितनी कीमत में केन्द्रीय सरकार ने उस जायदाद की वास्तविक कीमत क्या लगा रखी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) क्या राजस्थान सरकार उक्त जायदादें विस्थापितों को इसी कीमत पर देगी ? क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उस निर्णय से सदन को अवगत कराया जावे ?

(३) क्या इन जायदादों में से अनुसूचित जातियों को भी अलवर में कुछ जायदादें दी जायेंगी ?

(४) क्या राजस्थान सरकार अपने उन कर्मचारियों को जो उसमें पुनर्वास कार्य हस्तांतरित करते समय केन्द्रीय सरकार को सौंपे थे, पुनर्वास कार्य वापिस लेते समय राज्य सरकार की सेवा में लेगी ?

राज्य मंत्री (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (१) अभी यह प्रश्न राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के मध्य विचाराधीन है।

(२) प्रश्न विचाराधीन है।

(३) विचाराधीन हैं।

(४) प्रश्न विचाराधीन है।

श्री गंगासहाय : कब से विचाराधीन है और कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : अक्टूबर के अंदर, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में बहुत कुछ विचार-विमर्श हो चुका है। अब फाइनेंस की तरफ से दोनों राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच में एग्रीमेन्ट होना बाकी है, जैसे ही एग्रीमेन्ट हो जायेगा, बहुत जल्दी ही प्रश्न हल हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! देवीलाल बुरासिया।

केकड़ी बघेरा सड़क

२६७. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी सु.) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) केकड़ी से बघेरा रोड का सर्वे कब हुआ ?

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(२) क्या इस रोड को पक्का बनवाने हेतु सरकार ने कभी विचार किया है ?

(३) अगर हां, तो कब ? और फिर नहीं बनने का क्या कारण है ?

(४) क्या यह सही है कि रोड पर बड़े-बड़े खड्ढे पड़ गये हैं तथा वह बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है ? अगर हां, तो इसको ठीक कराने का विचार है या नहीं ?

(५) अगर है, तो कब तक ठीक करवा कर डामर करवा दी जायेगी ?

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) :

(१) सर्वे १९६४ में हुआ था।

(२) जी हां।

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना में अर्थाभाव के कारण।

(४) सड़क की दशा अच्छी नहीं है।

(५) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि बरसात में इस सड़क पर आवागमन बन्द हो जाता है ?

श्री माधोसिंह : इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : फिर क्या है आपको ?

श्री अध्यक्ष : सड़क की दशा खराब है, इससे क्या इन्फरेंस लिया जाय ? खराब है।

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि कस्बा बघेरा की ५००० की आबादी है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। आबादी का प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय को यह भी जानकारी नहीं है कि यह कितना बड़ा गांव है, कस्बा है और इस गांव में आवागमन के साधन हैं या नहीं।

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि यह अजमेर जिले के कार्नर का गांव है और यह दो जिलों को मिलाता है, यहां दो जिलों की सड़क मिलती है ?

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है ? जानकारी है क्या आपको ?

श्री माधोसिंह : जानकारी करनी होगी।

श्री अध्यक्ष : तो क्या स्थगित करूं ?

श्री माधोसिंह : यह आपकी मर्जी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री देवीलाल बुरासिया : क्या यह सही है कि बघेरा गांव की सड़क निर्माण सन् ५४ से विचाराधीन है और अब तक नहीं बनाई गई है, इसका क्या कारण है ?

Page No 13

श्री माधोसिंह : अर्थाभाव के कारण। पैसा कम है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है वहां दो-दो फुट सड़क पर मिट्टी है। अगर आप जाते हैं इस गांव में तो आपके कोट पर दो-दो इंच मिट्टी लग जायेगी। इतनी बुरी हालत है इस सड़क की सन् ६२ में मैं गया था।

श्री अध्यक्ष : मैं और आप दोनों चलेंगे इस मिट्टी में।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : यह प्रश्न कई बार आया है। वहां के लोगों को बड़ी तकलीफ है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है।

श्री माधोसिंह : रोड बनी हुई है। और जानकारी हासिल करूंगा। फेयर वेदर रोड बनी हुई है। हो सकता है कि यह खराब हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बघेरा और भैंसवाड़ा में क्या फर्क है। थोड़ा ही अन्तर है।

श्री अध्यक्ष : शरीर का है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि इस गांव में तीन बसें रोज आती-जाती हैं ? यह जानकारी है आपको ?

श्री माधोसिंह : बसों की मुझे जानकारी नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर क्या जानकारी है आपको ? तीनों बसें रोज आती जाती हैं, फिर भी आपको मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री रामसिंह कुड़ी !

श्री देवीलाल बुरासिया : अध्यक्ष महोदय, यह अजमेर जिले का उपजाऊ गांव है। अनाज को लाने ले जाने में काफी दिक्कत किसानों को उठानी पड़ती है। हमारे यहां यह कहावत है कि अकेला बघेरा सारा अजमेरा। अजमेर जिले की उपज एक तरफ रख दो और इस कस्बे की एक तरफ रख दो। इतना धान यहां पैदा होता है। फिर भी यहां आवागमन के पूरे साधन नहीं है। इस तरफ ध्यान दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : वह समझ लिया मन्त्री महोदय ने।

श्री विजयसिंह (मकराना) : एक व्यवस्था का सवाल है। जब कभी भी अपोजीशन के मेम्बर्स किसी प्रकार का प्रश्न करते हैं तो हमेशा यही कह दिया जाता है कि धन का अभाव है। मुझे मन्त्री महोदय एक भी केस बतादें जहां अपोजीशन के किसी प्रश्न पर उन्होंने यह नहीं कहा हो कि धन का अभाव है।

श्री अध्यक्ष : कोई भी ऐसी बात न कहें कि धन का अभाव है। बजट के संदर्भ में भी।

नेक्स्ट, श्री रामसिंह कुड़ी।

श्री रामसिंह कुड़ी : प्रश्न संख्या २९८

Page No 14

खेतों में सिणियें लगाने सम्बन्धी मामले की जांच

२६८. (५६१कृ. म.) **रामसिंह कुड़ी:** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या वर्ष १९६६–६७ में नागौर तहसील के गांव बिरलोका में भूसंरक्षण के अकाल राहत कार्य में किसानों के खेतों में सिणियें लगा दिये जो उन्हीं खेतों में काट कर लगाये व बिल बनाकर पाइयों के रु० २६,०००) उठा लिये और खेतों में पाइयां नहीं लगाई ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि जिला परिषद् नागौर ने ता० १४–१५ अप्रेल, १९६७ की बैठक में प्रस्ताव संख्या ३६ इस सम्बन्ध में पास किया तथा तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, नागौर ने जिला परिषद् नागौर की बैठक दिनांक ३-१०-६७ में बताया कि विभागीय जांच हो रही है ? क्या अभी तक जांच पूरी नहीं हुई ? क्या काश्तकारों से वसूली चालू हो गई है ?

(३) यदि जांच पूरी हो गई है तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री कृषि (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाये।

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न पिछली विधान सभा में भी पूछा गया था, उसके बाद लास्ट बजट अधिवेशन में भी आया, उस समय भी जांच करने के लिये कहा गया था और स्थगित किया था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, स्थगित किया गया। इसी सत्र में इसको ले लीजियेगा।

प्रश्न संख्या २६९.

श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत।

सिसोदिया रानी महल का उपयोग

२७०. **श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत (भीम) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सिसोदिया रानी के महल का इस समय क्या उपयोग किया जा रहा है ? तथा उस पर कितना व्यय सालाना किया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि सैलानी लोग वहां देखने तथा पिकनिकें आदि करने को बड़े उत्सुक रहते हैं परन्तु पहले एग्जीक्युटिव इन्जीनियर से इजाजत लेने की प्रक्रिया होने के कारण उन्हें असुविधा होती है, इसलिये जितना उपयोग होना चाहिये कर नहीं पाते ?

(३) सरकार इस महल को टूरिज्म विभाग को क्यों नहीं सौंप देती ताकि वाजिब उपयोग हो सके ?

(४) इसे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत क्यों रखा जा रहा है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) दर्शनीय स्थान एवं पिकनिक पार्टियों के उपयोग में लिया जाता

(श्री माधोसिंह)

है, इस पर वार्षिक व्यय लगभग ३६,००० रुपये होता है।

(२) केवल पिकनिक एवं पार्टियों आदि के लिये इजाजत जरूरी है। सैलानियों को महल बिना एग्जीक्युटिव इन्जीनियर की इजाजत के दिखाया जाता है।

(३) महल का उचित उपयोग हो रहा है।

(४) यह सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पत्ति है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : क्या यह सही है कि एग्जीक्युटिव इन्जीनियर से मन्जूरी लेने करने में वहां पर पिकनिक करने वालों को दिक्कत होती है। आप क्यों नहीं इसकी मन्जूरी के लिये ऑन दी स्पॉट कोई इन्तजाम करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मंजूरी के लिये वहां ही कोई इन्तजाम हो।

श्री माधोसिंह : इसके लिये ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिये।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : जब भी कोई इजाजत मांगता है तो इजाजत दे दी जाती है, तो इसमें दिक्कत कहां आती है ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : दिक्कत कैसे नहीं होती ? एग्जीक्युटिव इन्जीनियर को लिखकर पूछने में जवाब आने में दो तीन दिन लग जाते हैं, इसलिये उस महल का पूरा उपयोग नहीं होता। सैलानियों को भी दिक्कत होती है।

श्री शिवचरण माथुर : सैलानियों के लिये कोई इजाजत की आवश्यकता नहीं है। जो मैन बिल्डिंग है उसके उपयोग के लिये अगर कोई मांगता है तो एग्जीक्युटिव इन्जीनियर की इजाजत आवश्यक हो जाती है।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैंने प्रश्न में स्पष्ट कहा है कि पिकनिक करने वालों को दिक्कत होती है।

श्री अध्यक्ष : कोई उदाहरण दीजिये किस-किस को दिक्कत आई।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : मैंने स्पष्ट बतलाया है कि एग्जीक्युटिव इन्जीनियर से पूछने में दिक्कत होती है। आपने कहा है कि महल का बराबर उपयोग हो रहा है। आप यह कैसे मानते हैं जब कि आपका सालाना खर्चा इस पर ३६,००० रु० होता है, तो आप इसको कैसे जस्टीफाई करते हैं ?

श्री शिवचरण माथुर : इस भवन के उपयोग के लिये जो भी सुझाव माननीय सदस्य देंगे उन पर विचार किया जायेगा।

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : पिछली असेम्बली में विचार किया था, उसके लिये एक समिति भी बनाई थी, लेकिन माननीय मन्त्री ने लिखा तक नहीं। और कल फिर कह दिया कि इतिहास के विशेषज्ञों की राय ले रहे हैं इसके परिचय के बारे में। तो क्या इस पर कोई शोध कार्य हो रहा है ?

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : शोध हो रहा है या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप चाहें तो जानकारी लेकर बता सकता हूं कि शोध हो रहा है या नहीं। मैं समझता हूं शोध का प्रश्न नहीं उठता। सैलानियों के लिये आपने पूछा है, और उसके लिये निश्चित नियम बनाने के लिये लिखा गया है, और नियम बनने के बाद जो दिक्कत माननीय सदस्या ने बताई हैं वे नहीं रहेंगी।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि वहां किसी प्रकार की कैटरिंग की व्यवस्था नहीं है और जो लोग वहां जाते हैं उनको चाय कॉफी वगैरह कुछ नहीं मिलता ?

श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत : कैटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां पर ३६ हजार का खर्चा है और आमदनी मुश्किल से दो तीन हजार होगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री विद्या सागर।

उदयपुर, डूंगरपुर व रतनपुर मार्ग पर चलने वाली बसों में सवारियों की अधिकता के कारण असुविधा

२७१. श्री विद्यासागर (खेरवाड़ा सु०) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि उदयपुर से डूंगरपुर व रतनपुर चलने वाली बसों में हमेंशा ओवर लिमिट सवारियां बैठाई जाती हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि इन रूटों पर कभी किसी बस को चैकिंग (निरीक्षण) नहीं किया जाता है ? यदि नहीं, तो १ जनवरी, १९६८ से २५ नवम्बर, १९६८ तक किन-किन अधिकारियों ने चैकिंग (निरीक्षण) किया व किन-किन बसों में ओवर लिमिट सवारियां कितनी-कितनी अधिक थीं, व कितने पैसेन्जरों को कन्डक्टरों द्वारा टिकिट नहीं दिये गये थे ?

(३) जिन बसों में ओवर लिमिट सवारियां थीं व टिकिट कटे नहीं थे, क्या उनका चालान किया गया है ? यदि हां, तो बस मालिकों के नामों की गाड़ी नम्बर की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या सरकार इन रूटों पर सवारियों की अधिकता होने की वजह से अधिक परमिट देने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो नये परमिट कब तक जारी कर दिये जायेंगे।

उप-मन्त्री, यातायात (श्री समर्थलाल) : (१) जी नहीं।

(२) यह सही नहीं है। चैकिंग निरन्तर किया जाता है। इस अवधि में यातायात निरीक्षकों व उप निरीक्षकों द्वारा चैकिंग किया है और जो बसें ओवरलोड पाई गईं उनके चालान हुए और उन पर दण्ड किया गया उनकी तालिका सलग्न हैं। और भी मामले आर० टी० ए० के विचाराधीन हैं। इन बसों के टिकिट नहीं काटने की शिकायत नहीं पाई गई थीं।

(३) जी हां, उनका चालान किया गया है। उन पर दण्ड भी किया गया है। बस मालिकों की सूची जिनका चालान हुआ संलग्न है। टिकिट नहीं काटने की शिकायत नहीं पाई गई।

(४) जी हां, उदयपुर से डूंगरपुर मार्ग पर १६ बसों के बजाय २०, उदयपुर से

(श्री समर्थलाल)

रतनपुर पर ८ बसों के बजाय १२ बसों का स्कोप निर्धारित कर दिया गया है और इन पर परमिट देने के मामले आगामी आर. टी. ए. की बैठक में प्रस्तुत किये जायेंगे।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

श्री विद्या सागर : किन-किन अधिकारियों ने कौन-कौन सी तारीख को निरीक्षण किया ?

श्री समर्थलाल : तारीख के बारे में प्रश्न में पूछा नहीं गया था।

श्री विद्या सागर : क्या यह सही है कि उदयपुर-रतनपुर और डूंगरपुर रूट पर बस परमिट बढ़ाने का सरकार कोई इरादा नहीं रखती ?

श्री समर्थलाल : रखती है। मैंने निवेदन किया न कि बसों की संख्या ज्यादा निर्धारित की गई है और यह विचाराधीन है।

श्री रतनलाल रोत (चौरासी सु०) : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि उदयपुर से डूंगरपुर को जाने वाला रास्ता निकट है और इस रास्ते को कम लागत से बनाया जा सकता है। बसों की संख्या बढ़ाने के लिये आप जल्दी से जल्दी क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री समर्थलाल : मैंने प्रश्न (४) के उत्तर में अर्ज किया है कि उदयपुर से डूंगरपुर मार्ग पर १६ बसों के बजाय २० बसों और उदयपुर से रतनपुर पर ८ बसों के बजाय १२ बसों की संख्या निर्धारित की गई है और उनको परमिट देने का मामला आर. टी. ए. के सामने है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री विद्या सागर : यह मामला कब तक तय हो जायेगा ? आपकी आर. टी. ए. की आगामी बैठक कब होगी ?

श्री समर्थलाल : वह तो आर० टी० ए० ही तय करेगा।

श्री अध्यक्ष : पी० के० चौधरी।

कृषि उपज मंडी कानून

२७२. **श्री पी० के० चौधरी** (फुलेरा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) कृषि उपज मंडी कानून राज्य की किन मंडियों पर अब तक लागू किया गया है ?

(२) जिन मंडियों में मंडी कानून लागू किया गया है वहां व्यापारियों ने नियमानुसार लाइसेंस प्राप्त कर लिया या नहीं ?

(३) जिन मंडियों में व्यापारियों ने लाइसेंस प्राप्त नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उपमंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) :

(१) कृषि उपज विपणि अधिनियम, १९६१ के अन्तर्गत ८९ कृषि उपज मंडी समितियों का गठन किया गया है, जिनके अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार कुल ८९ मंडी यार्ड व ४६ गौण मंडी यार्ड है।

(२) अब तक कुल ६८ मंडी समितियों से व्यापारियों ने अनुज्ञा-पत्र प्राप्त कर लिये हैं।

(३) सम्बन्धित मंडी समितियों द्वारा व्यापारियों के चालान किये जा रहे हैं।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय को भेजी गई)

श्री पी० के० चौधरी : कौन कौन सी मंडियों के व्यापारियों ने लाइसेन्स नहीं लिया इसकी आपके पास जानकारी है ?

श्री हरिसिंह : जिन्होंने लाइसेन्स नहीं लिया उनका चालान किया गया।

श्री पी० के० चौधरी : कौन कौन सी मंडियों के व्यापारियों ने लाइसेन्स नहीं लिया ?

श्री हरिसिंह : पांच मंडियां हैं—जयपुर, बीकानेर, दौसा, भीलवाड़ा और अलवर पांच मंडियों के व्यापारियों ने नहीं लिया।

श्री पी० के० चौधरी : आपने केवल पांच के नाम बताये, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि हिन्डौन, उदयपुर, कोटा कपासन और कोटपूतली के व्यापारियों ने भी नहीं लिया।

श्री हरिसिंह : मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार पांच मंडी समितियों ने चालान किये हैं। दूसरी मंडियां, जिनके नाम आपने बताए, उनकी सूचना मेरे पास नहीं हैं, उसकी जांच करा देंगे।

श्री पी० के० चौधरी : क्या यह सही है कि जिन मंडियों ने चालान भी किया है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता है ? और जिन मंडियों के नाम मैंने बताए उनमें चालान तक नहीं होता है। चीफ मिनिस्टर के होम टाउन उदयपुर और कृषि मंत्री के होम टाउन अलवर में भी यदि आप इसको इम्पलीमेंट नहीं कर सकते तो फिर कहां करेंगे ?

श्री हरिसिंह : जैसा मैंने निवेदन किया.

श्री पी० के० चौधरी : कैपीटल टाउन जयपुर, चीफ मिनिस्टर का होम टाउन उदयपुर और कृषि मंत्री का होम टाउन अलवर, इन तीनों शहरों में यह इम्पलीमेंट नहीं होता है, और चालान होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अगर एक्शन होता है तो आप बता दीजिए।

श्री हरिसिंह : ऐसा है, कोर्ट का स्टे है....

श्री पी० के० चौधरी : कोई स्टे नहीं है। स्टे खारिज हो चुका है। किसी व्यापारी ने लाइसेन्स नहीं लिया है। अगर लिया है तो बतायें कि किस व्यापारी ने कब लाइसेन्स लिया है ?

श्री हरिसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री पी. के. चौधरी : इसी से सम्बन्धित है, अलग से कैसे है। It is very important policy matter. वह कानून केपिटल शहर में लागू नहीं होता, चीफ मिनिस्टर के होम टाउन में लागू नहीं होता, कृषि मन्त्री के होम टाउन में लागू नही होता, तो फिर होता कहां है यह बताइये ?

श्री हरिसिंह : वहां पर स्टे मिला हुआ है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : स्टे हाईकोर्ट से खारिज हो चुका है। खारिज होकर चार महीने की अवधि भी समाप्त हो गई है।

श्री हरिसिंह : स्टे खारिज हो गया है, इसकी जानकारी कर लूंगा।

श्री पी० के० चौधरी : कृषि मन्त्री क्यों नहीं आये जवाब देने को ?

सरदार शहर में नेहरू पार्क के निर्माण में घोटाला.

२७३. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नगरपालिका, सरदारशहर द्वारा सरकारी सहयोग से बनाये गये नेहरू पार्क के निर्माण में बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया है ? यदि हां तो कब और किस के द्वारा और कितनी धनराशि का घोटाला है ?

(२) क्या यह सही है कि नेहरू पार्क के निर्माण में पच्चीस हजार मण भाटे का चुकारा किया गया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका के रेकार्ड में केवल २१ हजार मण भाटे का ही हिसाब उपलब्ध है ?

(४) इस घोटाले के लिये कौन जिम्मेदार है ?

(५) इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा):(१)नेहरू पार्क के निर्माण का भुगतान वर्ष १९६५-६६ में हुआ था। उसमें कुछ अनियमितताएं बरती गईं उस सम्बन्ध में कब किसके द्वारा या कितनी धनराशि की अनियमितता हुई है उसकी जांच जारी है।

(२) ४९६५० मण भाटे की कीमत का चुकारा किया गया है ?

(३) अभी तक नगरपालिका के रेकार्ड में २११०२ मण भाटे का हिसाब मिला है। शेष के लिये जांच जारी है।

(४) जिम्मेदारी ठहराने के सम्बन्ध में अभी जांच जारी है।

(५) जांच जारी है।

श्री दौलतराम सारण : जांच कब तक सम्पूर्ण कर ली जावेगी ?

श्रीमती सुमित्रा : जल्दी ही।

श्री दौलतराम सारण : जब यह मामला काफी अर्से पहले ध्यान में आया तो अभी तक पुलिस में मामला क्यों नहीं दिया गया ?

श्रीमती सुमित्रा : यह मामला पहले पहल सरकार के ध्यान में ११-१२-६८ को आया है। तो जांच तब से कराई जा रही है। तीन महीने के थोड़े अर्से में जांच कैसे पूरी हो सकती है।

श्री दौलतराम सारण : जब घोटाला आपने मालूम कर लिया तो पुलिस में क्यों नहीं दिया ?

श्रीमती सुमित्रा : जांच पूरी किये बिना पुलिस में कैसे दिया जा सकता है ?

श्री दौलतराम सारण : क्या इसके लिये आप कोई स्पेशल ऑडिट पार्टी की व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती सुमित्रा : अभी जांच हो रही है वह पूरी हो जावे उसकी रिपोर्ट आ जावे तो सोचेंगे।

श्री दौलतराम सारण : इसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है।

श्रीमती सुमित्रा : जिलाधीश को इसके लिये लिखा गया है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न। श्री हरिवल्लभ शर्मा !

श्री रघुनाथ विश्नोई : ७४ मेरा आ रहा है साहब अभी तो।

श्री अध्यक्ष : वह फिर देखेंगे।

(स्थगित प्रश्न)

(२७-२-६९)

कोटा जिले से मुख्य मन्त्री सहायता कोष के लिये एकत्रित राशि

६५. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्ष १९६८-६९ में कोटा नगर व जिले में अकाल सहायता हेतु कितनी रकम किस-किस के द्वारा मुख्य मन्त्री सहायता कोष में जमा की गई ?

(२) किन-किन संस्थाओं द्वारा मुख्य मन्त्री सहायता कोष में कितनी-कितनी रकम जमा करवाने की कब-कब घोषणा की गई थी और उनमें से कितनों ने कब-कब कितनी-कितनी जमा की ?

(३) क्या यह सही है कि इस हेतु कुछ संस्थाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर मनोरंजन कर से मुक्त किया गया था ? अगर हां, तो किन-किन को ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ संस्थाओं में उक्त रकम बकाया निकल रही है ? अगर, हां तो किन-किन में कितनी-कितनी ?

उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) वर्ष १९६८-६९ में कोटा नगर में चैक ड्राफ्ट व नकद के रूप में ५०,२१०.८४ रु० अकाल सहायता कोष में प्राप्त हुए इसके अतिरिक्त २८,८५२.१५ रु० की धनराशि जिले की तहसील, परगना एवं पंचायत समितियों के माध्यम से एकत्रित हुई। इस प्रकार जिले में कुल राशि ७९,०९२.९९ अकाल सहायता कोष में एकत्रित की गई। सूची संलग्न है।

(२) अध्यक्ष रोटरी क्लब कोटा ने दिनांक २१-२२ दिसम्बर, १९६८ को घोषणा की थी जिसके अनुसार १०००) रु० अकाल सहायता कोष में जिला कोटा में जमा कराये तथा ८०१) रु० जिलाधीश, अजमेर के यहां दिनांक २२-१-६९ को जमा कराये। अध्यक्ष खाद्यान्न व्यापार संघ द्वारा कोष में धनराशि देने की सूचना दी गई थी तदनुसार संघ की ओर से ११,१५१) रु. का चैक दि. ९-३-६९ को मुख्य मन्त्रीजी को कोटा में दे दिया गया है।

(३) जी हां, नागरिक अकाल सहायता समिति, कोटा को अकाल सहायता हेतु धनराशि एकत्र करने के लिये कार्यक्रम आयोजित करने को मनोरंजन कर से मुक्त किया गया था।

(४) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि प्रश्न पूछने के पश्चात् जब मुख्य मंत्रीजी

Page No 21

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

स्वयं कोटा गये तो इसी ६ मार्च को कुछ धनराशि उनको भेंट की गई है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : उस समय भी ऐसा बताया गया था कि यह प्रश्न पोस्टपोन हुआ था ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि लायन्स क्लब वालों ने इसी प्रकार मुख्य-मन्त्री कोष में पैसा जमा कराने की घोषणा की थी ? लायन्स क्लब कोटा ने पैसा इकट्ठा किया है पर न जमा कराया न भेंट किया ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं निवेदन करूं । अकाल सहायता हेतु कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया था । जो कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया था वह २-११-६८ को किया था जिसमें ७२००)रु० इकट्ठा किया था और इसमें से ५१००) रुपयों का ड्राफ्ट लायन्स क्लब के कमिश्नर वेदपाल त्यागी को भेज दिया गया है बाकी ११०० बच्चों को स्कॉलरशिप देने के लिये रखा था जिसको विद्यार्थियों पर खर्च कर दिया है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मुख्य-मन्त्रीजी ने यह भी जांच की है कि जो पत्र मैंने एडीशनल कलेक्टर कोटा को सेक्रेटरी नागरिक समिति के नाम से देने का जिक्र किया था और उसमें पैसा इकट्ठा करने का कहा गया है इसकी कलेक्टर कोटा को सूचना नहीं है ? क्या यह सही नहीं है कि नगर कांग्रेस समिति, कोटा ने भी इकट्ठा किया था और वह पैसा जमा नहीं किया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : कोटा नगर कांग्रेस कमेटी ने पैसा इकट्ठा नहीं किया । जो समिति बनाई गई थी उसके जरिये ही पैसा इकट्ठा हुआ । कांग्रेस कमेटी के जरिये नहीं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जैसा मैंने पत्र बताया है यह है लेटर कलेक्टर कोटा को ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह चिट्ठी गई थी उसके जवाब में यह लिख कर भेजा था कि कांग्रेस कमेटी ने नहीं किया, उस कमेटी ने किया ।

(स्थगित प्रश्न)

(२९-२-६९)

माध्यमिक शाला सवाई माधोपुर में वैज्ञानिक कक्ष का निर्माण

५०. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा उच्चतर माध्यमिक शाला, सवाई माधोपुर के वैज्ञानिक कक्ष भवन का निर्माण कराया गया ? यदि हां, तो किस वर्ष और किस ठेकेदार द्वारा ? इस भवन के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि यह भवन जब से इसका निर्माण हुआ है तब से ही बारिश में चूता है और पूरे भवन में पानी भर जाता है और इसकी दीवारों में दरारें पड़ गई हैं व किंवाड़ टूट गये हैं ?

(३) इस भवन के निर्माण में कुल कितना व्यय हुआ ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त खराबियों के कारण ही यह भवन जिस प्रयोजन के

Page No 22

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

लिये बनाया गया है उसके काम नहीं लिया जाता है ? यदि हां, तो इस भवन को ऐसा बनाने के बावजूद इसका पेमेन्ट ठेकेदार को क्यों कर दिया गया ?

(५) क्या यह सही है कि अन्तिम अदायगी के पूर्व सम्बन्धित प्राध्यापक की इस विषय की शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ?

(६) क्या भवन बन जाने के पश्चात् इसकी मरम्मत भी कराई गई है ? यदि हां, तो किस वर्ष और इसमें राज्य सरकार का क्या व्यय हुआ ?

(७) क्या राज्य सरकार इस भवन के त्रुटिपूर्ण निर्माण के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार समझती है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) जी हां, यह कार्य वर्ष ६६-६७ में श्री तुलसीराम कुमावत द्वारा कराया गया था। इस पर १४,८३७) व्यय हुआ है।

(२) जी नहीं।

(३) १४८३७) खर्च हुआ है।

(४) यह सही नहीं है।

(५) ध्यान दिया गया है।

(६) जी हां, सन् ६७ में ३८१) खर्च हुआ है।

(७) जी नहीं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह जांच किसके द्वारा करवाई ?

श्री माधोसिंह : विभाग द्वारा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : वैज्ञानिक कक्ष काम में आता है या नहीं क्या सम्बन्धित प्राध्यापक से पूछा गया ?

श्री माधोसिंह : काम में आता है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह गलत बात है। जब से बना है बराबर बेकार पड़ा है, बनने के बाद पहली ही बरसात में वह चारों तरफ से चूने लगा, वहां खड़ा नहीं रहा जा सकता मनफूलसिंहजी खुद भी होकर आये हैं वहां। उनको भी देख कर ताज्जुब हुआ था।

श्री अध्यक्ष : क्या चूता है ?

श्री माधोसिंह : ठीक कर दिया है यह। अगर अब भी चूता है तो देख लिया जावेगा।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : एक आश्वासन और चाहता हूं। आप प्राध्यापक से भी पूछ लें कि यह क्यों नहीं काम आता है ?

श्री अध्यक्ष : इसको भी पूछ लीजिये।

(स्थगित प्रश्न)

(२७-२-६९)

राज्य में पशु रोग

६८. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) क्या पशु-पालन मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(१) राजस्थान में सन् ६८ और चालू वर्ष में कहां-कहां कौन-कौन सा पशु रोग हुआ ?

(श्री दौलतराम सारण)

(२) उन रोगों की रोकथाम और चिकित्सा के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

(३) इन रोगों से कितने पशु मर गये ? जिलेवार संख्या देने का कष्ट करें ।

(४) क्या यह सही है कि चूरू जिले में डूंगरगढ़, सरदारशहर तहसीलों में पशु रोग मुंहपका, खुरपका और शीतला (रिण्डर-पेस्ट) व्यापक रूप से फैले और उनसे हजारों कीमती पशु मर गये ?

(५) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, सरदारशहर, डूंगरगढ़ जिला परिषद् और अकाल सहायता समिति तथा विधायकों ने समय पर राज्य सरकार और जिला अधिकारियों को प्रस्तावों और पत्रों द्वारा इस रोग की चिकित्सा व्यवस्था अविलम्ब करने और खतरे से अवगत कर दिया था, परन्तु समय पर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में हजारों पशु मर गये ?

(६) यदि हां, तो इसमें किसकी लापरवाही हुई और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मन्त्री, पशु-पालन (श्री हरिसिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के विषय में निवेदन करना चाहूंगा कि पहले भी सदन में इस प्रश्न का जो उत्तर हमारे पास उपलब्ध था वह पेश किया गया और उस पर आवेशपूर्ण वातावरण बना और इस बिना पर इसे फिर स्थगित किया गया। उस दिन भी निवेदन किया था कि जो सूचना उपलब्ध है उन रोगी पशुओं की मृत्यु के बारे में हैं जो अस्पताल में आकर मरे हैं अब आपका पूछना यह है कि कुल पशुओं की मृत्यु किस प्रकार हुई तो वह पूरा क्वैश्चन स्पेसिफिक है। तो इसके लिये कोई नया उत्तर उपलब्ध नहीं है हमारे पास, जो पहले दिया वही उत्तर है। अगर आप चाहें तो उसी में से पूछ सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : लाखों की तादाद में पशु मरे, वह भूख से मरे हैं ?

श्री हरिसिंह : यह अलग से पूछ सकते हैं। आपने केवल 'रोग से' पूछा है ?

श्री दौलतराम सारण : कौनसे-कौनसे रोग फैले हुये हैं, कहां-कहां फैले हुये हैं नाम पूछा है, रोग से मरने वालों की संख्या पूछी है। आपने केवल रोग से तीन हजार पशु मरे बताये हैं। यह कहां तक मानने योग्य बात है। आपने स्पेशल टुकड़ी लगा रखी है वह टीके लगा रही है और आपको मालूम नहीं कितने मरे हैं ?

श्री हरिसिंह : मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि जो हास्पिटल में डेथ हुई है और जिनका इलाज किया गया है उनकी लिस्ट बताई है।

श्री दौलतराम सारण : मैंने हॉस्पिटल डेथ का नहीं पूछा है। मैंने कुल रोग से मरने वाले पशुओं की जिलेवार सूची मांगी थी और यही प्रश्न पहले भी पूछा था और अब भी यही पूछ रहा हूं। चूरू और तारानगर तहसील का दौरा करके आया हूं। मैं जिन गांवों में गया उन गांवों की मेरे पास लिस्ट है वहां पर गाय, भैंस, ऊंट, बकरी सब मिलाकर डेढ़ हजार पशु रोग से मरे हैं। केवल १० गांवों की संख्या है। ऐसे काफी गांव थे। यह तो केवल १० गांवों की

Page No 24

(श्री दौलतराम सारण)

संख्या है जिसमें डेढ़ हजार पशु मरे हैं और आपने सारे राजस्थान में तीन हजार मरे बताये हैं।

श्री हरिसिंह : पशु पालन विभाग का सम्बन्ध तो केवल उनसे है जो हास्पिटल में एडमिट हुये हैं। वे ही बता सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : पशुओं के मरने की संख्या फिर कौनसा विभाग बतायेगा ? पशुओं के लिये तो पशु पालन विभाग ही अधिकृत है। मनुष्य रोगों से मरते हैं तो उसकी संख्या चिकित्सा विभाग बताता है फिर पशु रोग से मरते हैं तो पशु पालन विभाग को बताना चाहिये।

श्री पी० के० चौधरी : पशुओं में भी इस तरह........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर।

श्री हरिसिंह : यह अलग से पूछिये।

राज्य मंत्री, पशुपालन (श्री मनफूलसिंह) : मैं निवेदन करता हूं माननीय दौलतराम जी ने डूंगरगढ़ और तारानगर तहसील का विशेषकर पूछा है कि रोग से ग्रसित होकर कितने पशु मरे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं सरदार शहर में ५७२९१ टीके माता रोग के लगाये गये, डूंगरगढ़ में २९७७४ और इसी तरह से कुरपा-मुरपा में ७०५१ पशुओं का इलाज किया। जो मरे हैं उनकी रिपोर्ट है, इलाज की रिपोर्ट भी आपके सामने है। यह डिस्ट्रिक्ट एनीमल हस्बेन्डरी ऑफिसर की रिपोर्ट है।

श्री दौलतराम सारण : डूंगरगढ़ की ही आप बता दीजिये।

श्री मनफूलसिंह : इसकी लिस्ट मौजूद है। माननीय सदस्य उसको देख सकते हैं। इससे भी आपको सन्तोष न हो तो हम फिर जांच करवा सकते हैं।

श्री दौलतराम सारण : सारे राजस्थान की सूची नहीं दें, वहां की पूरी तहसीलों की सूची नहीं दें केवल दो तहसील की ......

श्री अध्यक्ष : हास्पिटल में मरे हैं उनके अलावा किसान के घर पर मरते हैं, उनकी कोई लिस्ट है क्या ?

श्री मनफूलसिंह : उनकी रिपोर्ट पशुपालन विभाग के पास नहीं रहती है रेवेन्यू विभाग के पास रहती है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : राजस्थान सरकार के पास यह भी नहीं तो फिर....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा !

श्री दौलतराम सारण : यह बुनियादी सवाल है। सरकार इस स्थिति में नहीं है कि कौनसा विभाग पशुओं की मृत्यु की सूचना देगा। पशु पालन विभाग के मंत्री सिर हिला रहे हैं कि हमारे पास सूचना नहीं रहती है आखिर राजस्थान के पशु धन मृत्यु के लिये किसको जिम्मेदार ठहरायें।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न किसको पूछा जाय ?

श्री दौलतराम सारण : मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं सरकार की तरफ से उनको जवाब देना चाहिये।

Page No 25

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : जहां तक पशुओं की मृत्यु के रेकार्ड को मेन्टेन करने का सम्बन्ध है, किसी विभाग द्वारा यह मेन्टेन नहीं किया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : तो कौनसा विभाग मेन्टेन करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जिस समय सेन्सेज होती है उस समय पशुओं की मर्दुमशुमारी होती है। जो हॉस्पिटल में आये उनका पता होता है। जैसे इन्सानों के मरने का रजिस्टर मेन्टेन होता है, पशुओं का नहीं होता है।

श्री दौलतराम सारण: पशुओं का रजिस्टर मेन्टेन नहीं किया जाता, बीमारी का इलाज किया नहीं जाता। राजस्थान का किसान लुट रहा है, बरबाद हो रहा है उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं, राज्य सरकार को इसकी कोई चिन्ता ही नहीं है कि राजस्थान का पशु-धन नष्ट हो रहा है। मैं निवेदन करता हूं तारानगर.......

श्री मनफूलसिंह : बहुत जोर से बोलने से क्या होता है.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, तारानगर तहसील में पशुओं के इलाज के लिये कोई व्यवस्था नहीं। मैंने स्वयं ने तहसीदार को दरख्वास्त दी, बी. डी. ओ. को दरख्वास्त दी लेकिन पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई भी इन्तजाम नहीं हो रहा है ...

श्री मनफूलसिंह : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, बेसलेस कह रहे हैं, कोई इस तरह का उनके पास रेकार्ड नहीं है। इस तरह बे बुनियादी बातें कहना चाहते हैं।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है इस बात पर, मैं जब स्पेसिफिक बात पूछना चाहता हूं। अगर मेरी बात बेसलेस है तो बतायें किस-किस तहसील में किस-किस जिले में कितने पशु किस-किस बीमारी से मरे हैं ?

श्री मनफूलसिंह : आपने अपने प्रश्न में दो तहसीलों का जिक्र किया है। इसमें हम टीका लगवा रहे हैं, उसको मैंने बता दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार किया है प्राइवेट लोगों के घर पर पशु मरे, उसकी व्यवस्था अभी तक नहीं है। माननीय मंत्री महोदय बता सकते हैं सिवाय हॉस्पिटल के घरों के जिनकी मृत्यु हुई है....

अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री दौलतराम सारण : तारानगर तहसील में हजारों की तादाद में पशु मर गये हैं। डूंगरगढ़ में हजारों की तादाद में पशु मर गये हैं। मैंने इस सम्बन्ध में चिट्ठियां लिखी हैं लेकिन समय पर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आपके टीके लगाने के बाद भी धड़ा-धड़ पशु मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री मूलचन्द डागा !

श्री दौलतराम सारण : फिर बड़ी बेशर्मी के साथ कहते हैं। किसानों के पशु मर रहे हैं, राज्य सरकार को कोई चिन्ता ही नहीं है...... बेशर्म तो तुम हो.......

श्री मनफूलसिंह : बिल्कुल बे बुनियादी बातें कहते हैं.......

श्री दौलतराम सारण : बेशर्मी की बात है.......

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है। श्री डागा !

स्थगित प्रश्न
(६-३-६९)

नगरपालिका, पाली द्वारा भूमि की नीलामी एवं आवंटन

१२८. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वर्त्तमान नगरपालिका, पाली ने अपने अवधिकाल में पाली नगर की किन-किन कालोनी की कितनी-कितनी भूमि-नीलाम की या भूखण्ड आवंटन किये या बेचे और कितनी-कितनी धनराशि कस-किस कालोनी से प्राप्त की ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि जिन कालोनी से भू-खण्ड की जो रकम आती है वह उस कालोनी के विकास हेतु खर्च होनी चाहिये ? यदि हां, तो कितनी धनराशि खर्च की गई और नहीं तो क्यों नहीं ?

(३) क्या यह सत्य है कि वर्त्तमान नगरपालिका पाली द्वारा कालोनीज के भू-खण्डों को नीलाम करके और बेचान करके या आवंटन करके जो रकम प्राप्त की वह उन कालोनीज के विकास में खर्च नहीं करके अन्य कामों में खर्च कर दी गई ? यदि हां, तो सरकार नगरपालिका पाली के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री (श्रीमती सुमित्रा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को मैं स्थगित किये जाने के लिये निवेदन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई !

प्रश्न संख्या २७४

जालोर जिले में सड़कों का विकास

२७४. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला जालोर में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अभी तक राजस्थान में माइलेज की दृष्टि से सबसे कम पक्की सड़कें बनाई गई हैं ? अगर हां, तो इसके क्या-क्या कारण थे ? अगर नहीं, तो कौनसा जिला इससे ज्यादा पिछड़ा हुआ है ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सड़कों का विकास न होने से जिला जालोर विकास एवं उत्पादन की दृष्टि से पिछड़ रहा है जबकि विकास की गुंजाइश अत्यधिक है। अगर हां, तो भविष्य में सड़कों के शीघ्र निर्माण के बारे में सरकार क्या सोच रही है ? क्या सरकार भविष्य में सड़क निर्माण के बजट एलॉटमेंट में इस जिले में प्रथम प्रायोरिटी देना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब से ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(३) क्या सरकार जिला जालोर में सिर्फ डामर व मेटिल सड़कें ही भविष्य में बनाना उचित समझेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(४) सांचोर—रानीवाड़ा सड़क पर दांता से सांचोर तक १० मील पक्की डामर सड़क कब तक बन जावेगी ?

(१२ मध्यान्ह)

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (१) जी हां। ग्रेवल रोड निर्माण कराये जाने के कारण।

(२) सड़क विकास क्रमश: हो रहा है। अर्थाभाव के कारण विशेष धनराशि दिया जाना सम्भव नहीं है।

(३) चतुर्थ योजना का अन्तिम रूप तय नहीं हुआ है अत: निश्चित नहीं कहा जा सकता।

(४ अर्थाभाव के कारण निश्चित अवधि तय करना सम्भव नहीं है। कार्य प्रगति पर है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : स्टेट के टाइम में तो बिल्कुल ही नहीं बनी है लेकिन पिछले २० सालों में सबसे कम रोड बनी हैं तो क्या कारण थे नहीं बनने के ?

श्री माधोसिंह : अर्थाभाव के कारण।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अर्थाभाव तो सारे राजस्थान के लिये हो सकता है। कहीं तो मीलों लम्बी पक्की सड़कें बनी हैं लेकिन यहां के लिये अर्थाभाव है। अर्थाभाव तो सारे राजस्थान के लिये है। एग्रीकल्चरल पोटेन्शल के लिये तो यह सबसे अच्छा जिला है। तो कारण तो होना चाहिये।

श्री माधोसिंह : चौथी प्लान में बराबर कर देंगे।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : जब मन्त्री महोदय यह बता रहे हैं कि यह जिला पिछड़ा हुआ है और अर्थाभाव के कारण ग्रेवल रोड बना रहे हैं तो मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि आपकी केबिनेट का यह डिसीजन हो गया है कि जालोर के अन्दर कोई ग्रेवल रोड नहीं बनेगी ?

श्री माधोसिंह : ऐसा डिसीजन पहले हुआ था लेकिन उसके बाद में फेमीन होने की वजह से काम करना जरूरी था। इसलिये ग्रेवल रोड का काम किया गया।

श्री आईदानसिंह : आपका डिसीजन इसलिये हुआ था कि वहां पर मुड़म उपलब्ध नहीं है और पत्थर उपलब्ध हैं इसलिये यह तय हुआ था कि मेटल्ड रोड्स बननी चाहियें और ग्रेवल रोड्स नहीं बननी चाहियें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह डिसीजन केबिनेट ने जालोर में किया था कि जालोर जिले में जितनी भी रोड्स बनेंगी वे मेटल्ड रोड्स बनेंगी क्योंकि इस जिले में नदी-नाले इतने अधिक हैं कि ग्रेवल रोड का पता नहीं लगता है, बिल्कुल ही बह जाती हैं और मेटल्ड रोड पर ग्रेवल रोड से ज्यादा खर्चा नहीं पड़ता है। इसलिये यह डिसीजन लिया गया कि जालोर में भविष्य में जितनी भी रोड्स बनेंगी वे मेटल्ड रोड्स बनेंगी। यह सरकार का डिसीजन था।

Page No 28

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : प्रश्न के भाग ४ में जो इसमें पूछा है कि रानीवाड़ा सड़क पर दांता से सांचोर तक जो १० मील बाकी है उसको पूरा कर दिया जाय ताकि कोई बात नहीं रहेगी।

श्री आईदानसिंह : लेकिन दूसरे हिस्सों के लिये मुख्य मन्त्रीजी का क्या कहना है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सांचोर से रानीवाड़ा तक जो सड़क है वह तहसील को जोड़ती है। उसको मैंने देखा है कि कुछ पोर्शन बाकी रह गया है और बहुत सा पोर्शन हो गया है, इसलिये इसको प्रायोरिटी देकर पूरा कर दिया जाय तो ट्रैफिक सांचोर के वास्ते जुड़ जाता है और हर रोड के लिये बजट के प्रोवीजन को देखकर किया जायगा।

श्री आईदानसिंह : जालोर से लेकर गुढ़ा और जसवन्तपुरा से लेकर सांचोर तक कम से कम ६० मील लम्बे और ६० मील चौड़े एरिया में एक इंच भी मेटल्ड रोड नहीं है तो क्या सरकार विचार रखती है उस एरिया में मेटल्ड रोड बनाने का जो कि जालोर जिले का सबसे अधिक फर्टाईल और एग्रीकल्चर पोटेन्शियल वाला एरिया है ?

श्री माधोसिंह : वहां का विचार है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री शिवचरण माथुर) : जालोर डिस्ट्रिक्ट में २७२ मील की रोड लिखी है जब कि १०० मील की रोड को चालू फेमीन सेशन में कम्पलीट कर दिया जायगा। मैं समझता हूं कि इतनी अधिक लम्बाई की सड़कों का प्रोग्राम किसी जिले के लिये नहीं है।

श्री आईदानसिंह : क्या यह सही है कि ग्रेवल रोड की कोस्ट मेटल्ड रोड से ज्यादा आती है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : इससे अगला प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल : २६९।

श्री अध्यक्ष : इसको काल कर लिया गया है आप नहीं थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दुबारा ले रहे हैं और इस वक्त मैं हूं।

श्री अध्यक्ष : दुबारा नहीं लिये गये हैं। जो अवशेष रहे गये हैं उनको लिया गया है।

नैक्स्ट। श्री कृष्णकुमार गोयल !

खाद कारखाना कोटा में मजदूरों की मृत्यु

२७५. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक ५-४-६८ को कोटा स्थित खाद के कारखाने में दुर्घटना स्वरूप कुछ मृत्यु हुई थीं ? अगर हां, तो कितनी ? कृपया संख्या व नामों की सूची देने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि ध्वस्त टावर पर दो कम्पनी कार्य कर रही थीं ? अगर हां, तो कौन-कौन सी ?

(३) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों कम्पनियों के पास मृतक व घायल मजदूरों से अधिक मजदूर कार्य करते थे ? अगर हां, तो कितने-कितने ?

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पुलिस ने केस रजिस्टर किया था ? अगर हां, तो किस धारा में व उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (१) जी हां । १३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी—मरने वालों की नाम-वाइज सूची संलग्न है।

(२) जी हां । फर्टीलाइजर कर्मचारियों के अलावा ३ कम्पनियां कार्य कर रही थीं—(१) गैमन इण्डिया लि०, (२) मैसर्स हिन्दुस्तान डेकोरेटर्स, नई दिल्ली व (३) मैसर्स टेस्ट स्टील है।

(३) जी हां, श्रीराम फर्टीलाइजर के सात, मेसर्स गैमन इण्डिया के ५८, मैसर्स हिन्दुस्तान डेकोरेटर्स के ७ व मैसर्स टेस्ट स्टील का एक कर्मचारी एक्सीडेन्ट के समय टावर पर कार्य कर रहे थे।

(४) मुकदमा नं० १०३ धारा ३०४-अ ता० हि० तारीख ५-४-६८ को थाना गुमानपुरा में कायम होकर तफतीश शुरू की गई । मुकदमा अनुसंधान में श्रीराम फर्टीलाइजर, गैमन इण्डिया व डेकोरेटर्स के आवश्यक पत्रादि जब्त किये गये किन्तु २०-४-६८ को राज्य सरकार द्वारा जांच आयोग नियुक्त करने की घोषणा हुई। अतः इस मुकदमें का आगे अनुसंधान रोक देना पड़ा। जांच आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि कमीशन की नियुक्ति के अन्दर टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में मृतकों की संख्या जानने के सम्बन्ध में इस प्रकार की कोई बात नहीं कही गई ?

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या कहा ? फिर से कहें। जितनी मृत्यु हुई हैं उसका मैंने बताया है कि १३ व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो कमीशन नियुक्त किया गया है उस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में जो लोग वहां मरे हैं दुर्घटना में या जख्मी हुए हैं उसके जानने के बारे कि इस प्रकार की घटना हुई है या नहीं वह नहीं है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : यह प्रश्न अलग से है। टर्म्स ऑफ रेफेरेन्स में क्या है इसके सम्बन्ध में डिटेल्स मेरे पास इस समय नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दौराने तफतीश उन्होंने फर्टीलाइज व दूसरी कम्पनियों के कागजात और टोकियो से उनकी कोरेसपोन्डेन्स थी उनको जब्त कर लिया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया है कि जो उस समय उनके पास कागजात थे वे ले लिये गये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो कमीशन नियुक्त किया गया है उसका परपज केवल यह था कि जो फौजदारी के मुकदमें इनके खिलाफ दर्ज किये गये हैं वे रोक दिये जायं और कमीशन के द्वारा उनकी जांच कराई जाय ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो कमीशन नियुक्त किया गया है उसके अन्दर वे सारे कागजात गायब हैं जो कि पुलिस ने जब्त किये थे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इसका इससे सम्बन्ध नहीं है। कमीशन जांच कर रहा है।

श्री अध्यक्ष : डिटेल्स का प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं, अध्यक्ष महोदय। मैंने बहुत ही स्पष्ट पहले भी निवेदन किया था कि इस सारे कमीशन को जो यह एक्सीडेन्ट इनकी नेग्लीजेन्स के कारण हुआ उसके खिलाफ पुलिस के मुकदमे में दर्ज किया गया है और दौराने तफतीश जो कागजात जब्त किये गये थे और जो टोकियो से उनकी कोरेसपोन्डेन्स थी उसको जब्त किया गया था वह गायब हो गये हैं और तफतीशकुनिन्दा था उसका ट्रान्सफर किया गया है तो कमीशन इसलिये नियुक्त किया गया है कि सारे मामले को टाल दिया जाय। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि दौसा चुनाव में दो लाख रुपया डी० सी० एम० ने कांग्रेस पार्टी को दिया है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अलग से तो है लेकिन बात तो सही है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से है।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : माननीय अध्यक्ष, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था जब अध्यक्ष पैरों पर हो तो नहीं उठती है।

श्री गंगासहाय : अध्यक्ष महोदय, मैंने गत वर्ष एक प्रश्न किया था जिसको राजस्व मन्त्रीजी के कहने पर स्थगित कर दिया गया था। उसको अब एक वर्ष हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : यह जानकारी का प्रश्न है व्यवस्था का नहीं है।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गृह निर्माण के लिए ऋण

२५८. **श्री सुमेरसिंह** (किशनगढ़) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान में प्रत्येक जिले में गृह निर्माण हेतु एल. आई. जी. एच. एवं एम. आई. जी. एच. योजना के अन्तर्गत कर्जा दिया जाता है ?

(२) यदि हां, तो सन् १९६८-६९ के लिये किस-किस जिले को कितना-कितना रुपया एलॉट किया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि अजमेर जिले को इस कार्य का रुपया हर वर्ष काफी मात्रा में एलॉट किया जाता रहा है ?

(४) यदि हां, तो इस वर्ष में कितना रुपया एलॉट किया गया व इस जिले की मांग कितनी है और पिछले वर्षों से कम रुपया किस कारण से एलॉट किया गया व इस

(श्री सुमेरसिंह)

कार्य हेतु जो प्रार्थना-पत्र अजमेर जिले में विचाराधीन हैं उनका निपटारा कब तक हो जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(३) चार वर्षों से जो धनराशि आवंटित की गई उसकी सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) इस वर्ष निम्नलिखित धनराशि एलॉट की गई:—

१. अल्प आय गृह निर्माण योजना २०,०००.००

२. मध्य आय गृह निर्माण योजना ४०,०००.००

इस जिले में पुराने ऋणियों को देने के लिए मांग १४,०००.०० की थी।

फन्ड्स की कमी के कारण कम धनराशि एलॉट की गई।

विचाराधीन प्रार्थना-पत्रों का निपटारा धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर है।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के मामले

२६३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि गत वर्ष मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने हेतु जोधपुर के श्री अमृतलाल तथा मिस गुलशन सोडी एवं नागौर के श्री ओमप्रकाश छंदानी ने जोधपुर विश्वविद्यालय के फर्जी प्रमाण-पत्र संलग्न किये थे ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया ?

(२) गत वर्ष इसी प्रकार फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के और कितने मामले सामने आये और उनमें से कितनों के खिलाफ मुकदमे पंजीकृत किये ? ऐसे सभी लड़कों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें जिसमें प्रमाण-पत्रों को सही नहीं माना जाकर उनको प्रवेश नहीं दिया गया तथा इसमें उन अधिकारियों के नाम भी अंकित किये जावें जिन्होंने प्रमाण-पत्र जारी किये।

(३) ऐसे अधिकारियों के और व्यक्तियों के विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी हां, श्री अमृतलाल, मिस गुलशन सोढ़ी व श्री ओमप्रकाश चन्दानी द्वारा जाली मार्क लिस्ट प्रथम वर्ष जोधपुर विश्वविद्यालय की सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रवेश पाने के लिये पेश कर प्रवेश लिया था इस वाके की रिपोर्ट श्री एल० एम० सिंघवी, प्रिन्सिपल, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर ने मारफत उप-महानिरीक्षक, आरक्षी, अजमेर खंड, जयपुर के थाना आदर्श-नगर, जयपुर सिटी पर प्राप्त होने पर मुकदमा नं० ८७ दिनांक, ४-९-६८ धारा ४२०/४६८/४६७ ता० हि० दर्ज होकर जेर तफतीश है।

(२) कोई नहीं।

(श्री गृह मंत्री)

(३) प्रश्न संख्या १ में बताये गये मामले के अतिरिक्त कोई मामला आरक्षी विभाग के समक्ष नहीं आया, उसमें तफतीश जारी है। अन्य व्यक्तियों अथवा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

नगरपालिका, गंगापुर में गबन का मामला

२६४. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गंगापुर नगरपालिका का कैशियर श्री मथुरालाल शर्मा कितना रुपया लेकर फरार हुआ है ?

(२) क्या उसके स्टोर का भी चैकिंग कराया गया है ? अगर हां, तो गबन कितना हुआ है ?

(३) क्या इस संबंध में ऑडिट कराया गया ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(४) नगरपालिका, गंगापुर सिटी के कौन-कौन कर्मचारी इस गबन से सम्बन्धित हैं और उनके खिलाफ क्या डिपार्टमेंटल कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट व विभागीय जांच के अनुसार वर्ष ६४ से ११-४-६८ तक रु. ७२५७.६७ पै० का गबन किया जाना बताया गया है।

(२) जी हां। गबन नहीं पाया गया है।

(३) जी हां। आडिट द्वारा गबन किया जाना बतलाया है। पुलिस में धारा ४०९, ४६५, ४६६ व ४७४ आई० पी० सी० के तहत रिपोर्ट कर दी है।

(४) स्पेशल आडिट रिपोर्ट व विभागीय जांच रिपोर्ट में बोर्ड के अन्य किसी कर्मचारी का सम्बन्ध नहीं पाया गया है। अतः अगला प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

कनिष्ठ लेखक के लिए विभागीय परीक्षाएं

२६९. श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में कनिष्ठ लेखकों की स्थायित्व, पदोन्नति एवं दक्षता अवरोध वृद्धि के लिये २३, २४ नवम्बर, सन् १९६४ को एक विभागीय परीक्षा ली गई थी ? यदि हां तो इस परीक्षा में कितने परीक्षार्थियों ने भाग लिया था ?

(२) क्या यह सही है कि इस परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ कनिष्ठ लेखकों के दक्षता अवरोध वृद्धि के लिये मामलों पर इस परीक्षा का परिणाम घोषित न होने के कारण विचार नहीं किया गया ?

(४) क्या यह सही है कि ऐसे कनिष्ठ लेखकों पर जो, विभागीय परीक्षा पास करलें

Page No 33

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और जिनकी नियुक्ति पहली सितम्बर, १९६१ से पूर्व हुई थी उनको दक्षता अवरोध वृद्धि के लिये किसी नये टैस्ट को पास करने की आवश्यकता नहीं है ?

(५) क्या यह सही है कि कुछ कनिष्ठ लेखकों को दक्षता अवरोध वृद्धि बिना विभागीय परीक्षा के परिणाम घोषित हुए दे दी गई है ? यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इन केसों में बिना परीक्षा परिणाम घोषित हुए यह वृद्धि देने के क्या कारण हैं ?

(६) अब कनिष्ठ लेखकों में जो सन् १९६४ में विभागीय परीक्षा में शामिल हुए थे कितने लोग दक्षता अवरोध वृद्धि से वंचित रह गये हैं और क्यों ?

उत्तर

(१) ६० परीक्षार्थियों ने भाग लिया था।

(२) जी नहीं, उक्त परीक्षा का परिणाम दिनांक १८-७-६८ को घोषित कर दिया गया है।

(३) प्रश्न नहीं उठता। अब १-९-६१ से पूर्व के नियुक्त समस्त कनिष्ठ लेखकों को दक्षता अवरोध पार करने की स्वीकृति दी जा चुकी है।

(४) हां, राज्य सरकार से इस प्रकार का स्पष्टीकरण दिनांक ३-९-६९ को प्राप्त हुआ है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) कोई नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु लोक आयुक्त की नियुक्ति

१८२. राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सार्वजनिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए लोक आयुक्त नियुक्त करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं।

मंत्रिमंडल के सदस्यों को निजी सचिव की नियुक्ति के अधिकार

१८३. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या मंत्री मंडल के सदस्यों को निजी सचिव की नियुक्ति स्वयं को करने का कोई अधिकार है ?

(२) ऐसे निजी सचिवों की नियुक्ति करते समय किस प्रकार की योग्यता को आधार बनाया जाता है ?

(३) किन-किन मंत्रियों ने गैर-सरकारी व्यक्तियों को निजी सचिव नियुक्त किया है तथा ऐसे निजी सचिवों की संख्या कुल कितनी है ?

(४) इन निजी सचिवों द्वारा उठाये गये यात्रा एवं दैनिक भत्ता व वेतन को मिलाकर अप्रेल, १९६७ से जुलाई, ६८ तक

(श्री विजयसिंह)

कुल कितना खर्चा हुआ ? अलग-अलग विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) मंत्रियों को अपने निजी सचिव चुनने का अधिकार है।

(२) (अ) सरकारी कर्मचारी राजपत्रित अधिकारी होना चाहिये। सचिवालय के प्रथम श्रेणी के स्थायी शीघ्र लिपिक (जिनका ५ वर्ष का कुल सेवा काल वरिष्ठ अथवा द्वितीय श्रेणी के शीघ्रलिपिक का हो) भी इन पदों पर नियुक्त किये जा सकते हैं।

(ब) गैर-सरकारी व्यक्ति के लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं है।

(३) निम्न लिखित मंत्री व उप-मंत्रियों ने गैर-सरकारी निजी सचिव रखे हैं:—

(१) मंत्री, विधि एवं न्याय तथा जेल विभाग।

(२) मंत्री, कृषि तथा सहकारिता विभाग।

(३) मंत्री, यातायात तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग।

(४) उप-मंत्री, शिक्षा विभाग।

(५) उप-मंत्री, निर्वाचन व सहकारिता।

(६) उप-मंत्री, उप-निवेशन व करारोपण विभाग।

(७) उप-मंत्री, आयोजना एवं विद्युत् विभाग।

(८) उप-मंत्री, कृषि एवं पशु-पालन विभाग।

इस तरह कुल आठ गैर-सरकारी निजी सचिव नियुक्त किये गये हैं।

(४) कुल २४,१२२.०३ रु० खर्च हुआ है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमैन के बंगले से वृक्षों की चोरी

१८४. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रेवेन्यू बोर्ड के चैयरमैन श्री राधाकृष्ण चतुर्वेदी के अजमेर स्थित सरकारी बंगले से हरे दरख्त काटे गये व चुराये गये, जिसका कोई केस पुलिस में रजिस्टर हुआ है ?

(२) क्या यह सही है कि हरे दरख्तों को काटने बाबत जो जांच हुई उसमें यह पाया गया है कि किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा यह किया गया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) गृह विभाग को ऐसी जांच बाबत कोई जानकारी नहीं है।

पी. एस. आईज. का सिलेक्शन

१८५. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) दिनांक २८-१-६९ को पी. एस. आईज. के इन्टरव्यूज हुए उनमें कितने उम्मीदवार उपस्थित हुए ? उपरोक्त उम्मीदवारों में से कितने एम ए., एलएल. बी. थे ?

(२) क्या यह सही है कि द्वितीय श्रेणी के एम. ए., एलएल. बी. पास उम्मीदवारों का सिलेक्शन नहीं हो सका और बी. ए., एलएल. बी. तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का इन पदों पर सिलेक्शन हो गया ? यदि हां, तो इस प्रकार के कितने उम्मीदवार थे ?

(३) उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के सिलेक्ट नहीं होने के क्या कारण थे ?

(४) क्या यह सही है कि सिलेक्शन बोर्ड ने उच्च योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को उनकी उच्च योग्यता के लिये कोई मार्क्स नहीं निर्धारित किये थे ? यदि हां, तो क्या यह उचित था ?

(५) क्या यह सही है कि सब-इन्सपेक्टर्स के इन्टरव्यू में भी सिलेक्शन बोर्ड ने उच्च परीक्षाओं के लिए कोई मार्क्स निर्धारित नहीं किये ? यदि हां, तो सिलेक्शन बोर्ड के पास १०० नम्बरों का विभाजन उन्होंने किस प्रकार कर रखा था ?

(६) क्या यह सही है कि उच्च योग्यता का साक्षात्कार के समय कोई ध्यान नहीं रखे जाने के कारण योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं हो सका तथा कम योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का चयन करने का अवसर सिलेक्शन बोर्ड को मिला ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में भविष्य के लिये कोई नया विचार किया जावेगा ?

उत्तर

(१) दिनांक २८-१-६९ को जो पी. एस. आईज. के इन्टरव्यूज हुए उनमें ४७ उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, उनमें से ४ एम. ए., एलएल. बी. थे।

(२) चूंकि अभी पी. एस. आईज. सिलेक्शन का नतीजा नहीं निकला है अतः इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है।

(३) नतीजा निकलने के पूर्व कुछ नहीं कहा जा सकता।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं। सिलेक्शन्स बोर्ड द्वारा इन्टरव्यू के १०० अंकों के विभाजन का प्रश्न नहीं उठता, प्रक्रिया गोपनीय होती है।

(६) इस प्रश्न का उत्तर सिलेक्शन का नतीजा निकलने के पूर्व नहीं दिया जा सकता।

ग्राम करौली में एक परिवार का कत्ल

१८६. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आबू रोड तहसील के करौली ग्राम में एक परिवार के नौ प्राणियों को कत्ल करके मकान में आग लगा कर जला दिया ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(२) गत वर्ष बड़े पैमाने पर व्यक्तियों को कत्ल किये जाने एवं जिन्दा जला देने की एवं अन्य प्रकार से बढ़ते हुए इन कुकृत्यों की रोक थाम के लिये राज्य सरकार ने क्या विशेष कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(१) जी हां । सही है। आबूरोड तहसील के करौली ग्राम में एक परिवार के ८ प्राणियों व एक भैंस को कत्ल करके मकान में आग लगा कर जला दिया जिस पर मु० नं० ५० दिनांक १०-९-६८ जुर्म जेर दफा ३०२, ४३६, १४८, १४९ ता० हि० क़ायम किया गया। बाद अनुसंधान मुकदमा का चालान पेश अदालत किया जा चुका है जो जेर ट्रायल है।

(२) यह वाका आपसी दुश्मनी के कारण हुआ है जो पारिवारिक किस्म का था। दूसरा कोई वाका इस प्रकार का नहीं हुआ। सरकार इस सम्बन्ध में पूर्णतया सजग व सक्रिय है।

अलवर में शूकर पालन केन्द्र

१८७. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर में जो शूकर पालन केन्द्र खोला गया है उसमें शूकरों की संख्या कितनी है ? उनकी कीमत क्या है ? प्रतिवर्ष कर्मचारियों पर कितना खर्च होता है और उनके पालने में कुल कितना ? आमदनी कितनी होती है ? गत वर्षों में हानि हुई है या लाभ और कितना ?

उत्तर

अलवर में शूकर पालन केन्द्र पर शूकरों की संख्या, कीमत, कर्मचारियों पर व्यय तथा पालन पर व्यय निम्न प्रकार किया गया है:—

वर्ष	शूकरों की संख्या	कीमत
१	२	३
६७-६८	४९६	९३,२००.००

पालन पर	कर्मचारियों पर व्यय	आमदनी
४	५	६
२,५०,०५८.००	५७,११४.००	५२,६१२.००

उक्त फार्म शूकरों की नस्ल सुधार हेतु एवं शूकर पालकों को शूकर अनुदानित दरों पर वितरण करने हेतु है। अतः इस फार्म पर होने वाले लाभ अथवा हानि का मूल्यांकन युक्तिसंगत नहीं है।

४४.९० पैसे प्रति माह प्रति शूकर खिलाने का आता है एवं साल भर खिलाने का खर्च प्रति शूकर ५३५.२० पैसे आता है।

राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधालय

१८८. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सत्य है कि राजस्थान में आयुर्वेद विभाग द्वारा जो औषधालय चलाये जाते हैं उनको तीन श्रेणियों में विभक्त किया गया है ? यदि हां, तो वे श्रेणियां कौन-कौन सी हैं और किस-किस श्रेणी के औषधालयों में

(श्री हरजीराम बुरड़क)

किस-किस योग्यता के वैद्य नियुक्त किये जाने का नियम है ?

उत्तर

जी हां। "अ" "ब" तथा "स" इन तीन श्रेणियों के औषधालय हैं। विभिन्न श्रेणी में योग्यता निम्न प्रकार है:—

वैद्य "अ" श्रेणी:—

न्यूनतम योग्यता :
भिषगाचार्य (राजस्थान)
अथवा तत्सम (द्वितीय श्रेणी)

वैद्य "ब" श्रेणी:—

भिषगाचार्य (राजस्थान)
अथवा तत्सम (द्वितीय श्रेणी)

वैद्य "स" श्रेणी:—

भिषगाचार्य (राजस्थान)
अथवा तत्सम
न्यूनतम–भिषग्वर (राजस्थान)

बाड़मेर-जोधपुर बस मार्ग के राष्ट्रीयकरण का मामला

१८९. श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार के पास बाड़-मेर-जोधपुर बस मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक हो जावेगा और नहीं तो क्यों ?

(२) बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में क्या नीति अपनाई जाती है ?

उत्तर

(१) अभी राज्य सरकार के पास इस मार्ग को राष्ट्रीयकरण करने का मामला विचाराधीन नहीं है। इसका कारण यह है कि निगम के पास पूंजीगत साधनों का अभाव है।

(२) राज्य के प्रथम श्रेणी के मार्ग, यथासम्भव जिलों के प्रधान कार्यालयों से जोड़ने वाले मार्ग और ओवरलैपिंग मार्गों को निगम की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुये मार्गों के राष्ट्रीयकरण पर विचार किया जाता है।

हाड़ौती आदिवासी छात्रावास भवन हेतु प्लाँट की माँग

१९०. श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (अकलेरा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कोटा नगर विकास क्षेत्र में आदिवासी समाज सुधार संघ द्वारा हाड़ौती आदिवासी छात्रावास भवन के लिए प्लाँट दिये जाने की मांग सरकार के विचाराधीन है ?

(२) यदि हां तो कब तक विचार किया जाकर प्लाँट दिये जाने की मांग पूरी की जा सकेगी ?

(३) क्या यह सही है कि हाड़ौती आदि-वासी छात्रावास भवन के लिए प्लाँट दिये जाने का आश्वासन १५ सितम्बर १९६६ को मंत्री महोदय ने सदन में दे दिया था ?

(४) यदि हां, तो अब प्लाँट की स्वीकृति कब तक हो जाने की आशा है ?

Page No 38

(श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा)

(५) क्या आदिवासियों के लिए सार्वजनिक उपयोग, स्कूल, धर्मशाला, छात्रावासों के लिए २ एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाने का कानूनी प्रावधान है ?

(२४-३-६९ तक के लिये स्थगित किया गया ।)

मकराना में फर्जी पट्टे बनाकर सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

१९१. श्री विजय सिंह (मकराना) :– क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मकराना में बहुतसे लोगों ने फर्जी पट्टे बनाकर सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको जल्द से जल्द बेदखल करने की कार्यवाही करेगी ?

(२) यदि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है तो क्या सरकार खुफिया पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में जानकारी करवायेगी ?

(२९-३-६९ तक के लिये स्थगित किया गया)

नैनवा नगरपालिका की सीमा में नाजायज कब्जा

१९२. श्री केसरी सिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला बून्दी में नैनवा नगरपालिका की सीमा में श्री नूरुद्दीन, सदस्य नगरपालिका ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा करके टाल लगा रखी है ?

(२) क्या इस विषय का एक प्रार्थना-पत्र जनता नैनवा की ओर से मंत्री महोदय को तारीख २८-९-६७ को दिया गया था ?

(३) क्या इसी प्रकार का एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, बून्दी को जनता नैनवा की ओर से दिया गया था ?

(४) सरकार ने इसकी जांच करा ली है अथवा नहीं ?

(५) यदि कराली है, तो जांच का नतीजा क्या निकला ?

उत्तर

(१) जी नहीं । श्री नुरुद्दीन ने किसी भूमि पर नाजायज कब्जा करके टाल नहीं लगा रखी है । जो टाल लगाई है वह मेसर्स महावीर कम्पनी व श्री कजोड़पुरी को किराये पर दी हुई भूमि पर लगा रखी है ।

(२) जी हां ।

(३) जी हां ।

(४) जी हां, जांच करवा ली ।

(५) मेसर्स महावीर कम्पनी को ३८"×९" व श्री कजोड़पुरी को १००"×१०" भूमि नगरपालिका द्वारा क्रमशः १.५० व १०.०० रुपये प्रतिमाह किराये पर देना पाया गया है । इस भूमि पर श्री नूरुद्दीन काबिज है एवं टाल व फ्लोर मिल लगा रखी है ।

रामगढ़-सीकरी सड़क निर्माण का का ठेका

१९३. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि रामगढ़ से सीकरी वाया गोविन्दगढ़ बनने वाली सड़क का ठेका हो चुका है ?

(२) यह ठेका कब छोड़ा गया ? किस ठेकेदार को छोड़ा गया ? कितने रुपये में छोड़ा गया ? कितने समय के लिये छोड़ा गया ?

(३) अब तक सड़क का निर्माण कितना हो चुका है और कितना बाकी है ?

उत्तर

(१) केवल ५ मील का ठेका दिया गया था।

(२) ०/० से २/० मील का दिनांक २७-९-६५ को श्री रामरतन ठेकेदार व ३/० से ५/० का ठेका दिनांक ९-९-६५ को श्री विष्णुदत्त भार्गव को क्रमशः ५१,०४९ रु० का ६ मास की अवधि तथा ७५,६४०) रु. का ९ मास की अवधि का दिया गया था।

(३) ५ मील में कार्य पूरा हो चुका है ५ मील में शेष है।

धौलपुर से मौरोली तक नई सड़क का निर्माण

१९४. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि धौलपुर से मौरोली तक नई सड़क बनाने का राज्य सरकार का इरादा है ?

(२) क्या इस सड़क की सर्वे भी हो चुकी है ? यदि हां, तो कब और क्या इसका एस्टीमेट भी बन कर सरकार के पास आ चुका है ? यदि हां, तो कितने रुपये का ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क के निकलने से इस सड़क से लगे जंगल में छिपे हुए डाकुओं को मार भगाने में यह सड़क पुलिस के लिये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी ?

(४) यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क को वित्तीय वर्ष १९६९-७० में बनवाने का विचार रखती है ?

(२२-३-६९ तक के लिये स्थगित किया गया)

जहाजपुर से त्रिवेणी सड़क का निर्माण

१९५. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जहाजपुर से त्रिवेणी (मांडलगढ़) तक सड़क के निर्माण होते कितने वर्ष हुए हैं ?

(२) सड़क कितने माइल तक बन चुकी है और इसके निर्माण में अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

(३) अब कितने माइल की सड़क बनना बकाया है ?

(४) क्या उक्त सड़क में आने वाली नदियों तथा नालों पर पुलिया का निर्माण हो चुका है ?

(५) क्या सड़क इस वर्ष पूरी हो जायेगी ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(६) क्या सरकार को विदित है कि यदि यह सड़क जल्दी ही पूरी नहीं होती है तो अब तक लगे लाखों रुपये का व्यय व्यर्थ हो जावेगा ?

उत्तर

(१) यह कार्य ६२ में स्वीकृत हुआ है।

(२) सड़क १५ मील मैटल्ड तथा ५ मील ग्रेवल बन चुकी है। जनवरी, ६९ तक ९,२५,०००) रु० खर्च हुआ है।

(३) १४ मील सड़क बनना शेष है।

(४) लगभग ५६ छोटे-बड़े कलवर्ट व कॉज-वे बन चुके हैं और कुछ बनना शेष है।

(५) जी नहीं।

(६) जी नहीं, व्यर्थ नहीं होगा।

छीपाबड़ोद से स्टेशन सालपुरा एवं इकलेरा जाने वाली सड़क का निर्माण

१९६. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद कस्बे से ३ मील स्टेशन सालपुरा की तरफ व तीन मील इकलेरा की तरफ की सड़क की हालत बहुत खराब है ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक सुधारने का विचार रखती है और नहीं तो क्यों ?

(२९-३-६९ तक के लिए स्थगित किया गया)

छबड़ा-कवाई सड़क का निर्माण कार्य

१९७. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि छबड़ा से कवाई तक जाने वाली सड़क का कार्य निर्माणाधीन चल रहा है ? यदि हां, तो कब शुरू हुआ था और अब तक कितना कार्य पूर्ण हुआ है ?

उत्तर

जी हां। यह कार्य २६-६-६५ को ठेकेदार द्वारा आरंभ किया था। अब यह कार्य विभागीय तौर पर किया जा रहा है और अब तक ७१,१९२) रु० का काम हुआ है।

मेड़ता-पुष्कर रोड पर डामर बिछाने का कार्य

१९८. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मेड़ता-पुष्कर रोड पर गत वर्ष के आश्वासन के बावजूद डामर रोड का कार्य नहीं शुरू कराया गया ?

(२) क्या यह सही है कि मेड़ता से पीपाड़ तक सन् ६३ में स्वीकृत बजट के अनुसार अभी तक डामर नहीं बिछाया गया जब कि यह एक महत्त्वपूर्ण रोड है ?

(३) क्या यह सही है कि मेड़ता-पुष्कर एवं मेड़ता-पीपाड़ रोड दोनों सड़कें बहुत खराब हैं तथा यातायात में लोगों को बड़ी तकलीफ होती है ?

(श्री गोरधन सोनी)

(४) क्या सरकार उपरोक्त दोनों सड़कों पर शीघ्र डामर करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) मेड़ता से पादू तक डामर करा दिया गया है शेष कार्य अर्थाभाव के कारण संभव नहीं हुआ है।

(२) ७ मील में डामर करा दिया गया है।

(३) सड़क यातायात योग्य है।

(४) जी नहीं।

टोडारायसिंह की सड़कों की मरम्मत

१९९. श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष की बरसात से टोडाराय सिंह निर्वाचन क्षेत्र की कितनी सड़कें टूट कर बेकार हो गईं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इस निर्वाचन क्षेत्र की टूटी हुई सड़कें कब तक दुरुस्त कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(१) कोई सड़क बेकार नहीं है। वर्षा के बाद सड़कों की मरम्मत करा दी गई है निर्वाचन क्षेत्र टोडारायसिंह में निम्न सड़कें आती हैं :

(१) टोडारायसिंह से मालपुरा

(२) टोडारायसिंह से झराना

(३) टोंक से देवली

(४) देवली से नसीराबाद

(५) टोडारायसिंह से नैनगड़िया।

(२) सड़कों को ठीक करा दिया गया है।

राजकीय भवनों का निर्माण कार्य

२००. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राजकीय भवनों के निर्माण का कार्य विभागीय स्तर पर कराया जायेगा ? यदि हां, तो इस नीति के अधीन विभाग द्वारा निर्माण का क्या २ कार्य कराया जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर ५० बैडेड अस्पताल का काम भी उक्त नीति के अधीन विभाग द्वारा ही कराया जा रहा है ? यदि हां, तो इस अस्पताल का कौन-कौन सा काम ठेके पर कराया जा रहा है और कौन-कौनसा कार्य विभाग द्वारा ?

उत्तर

(१) भवन संबंधी निर्माण सुधार आदि कार्य कराया जाना आरम्भ कराया गया है।

(२) जी हां, कार्य विभाग द्वारा ही कराया जा रहा है।

Page No 42

सहकारी प्रसार अधिकारी

२०१. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

सरकार ने किन-किन आधारों पर कितनी पंचायत समितियों में से सहकारी प्रसार अधिकारियों को विथ्ड्रा कर लिया है ?

उत्तर

(१) विकास विभाग की सिफारिश के अनुसार जिन ४६ पंचायत समितियों में काम कम था वहां से सहकारी प्रसार अधिकारियों को हटाया जाकर भूमि विकास बैंकों में ऋण वसूली के लिए बतौर सुपरवाइजर के लगाया गया है।

कृषि उपज मंडी समिति, भवानीमंडी

२०२. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कृषि उपज मंडी समिति, भवानी मंडी के कितने सदस्य हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। इनमें से कितने सदस्य चुनाव से व कितने संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में भेजे हुये हैं अलग अलग नाम बताने की कृपा करें।

(२) क्या निर्वाचन अधिकारी, कृषि उपज समिति, भवानी मंडी झालावाड़ द्वारा कृषि निर्वाचन क्षेत्र, व्यपारी निर्वाचन क्षेत्र एवं सहकारी निर्वाचन क्षेत्र को नोटिस देकर उनसे मतदाता सूची को १३ अगस्त, १९६८ तक पूरा कर देने का आदेश दिया गया था ? यदि हां, तो निर्वाचन अधिकारी के नोटिस दिनांक २७ अगस्त, १९६८ की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) निर्वाचन अधिकारी के उपरोक्त नोटिस के आधार पर अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों से किन-किन सदस्यों को मनोनीत किया गया था ? जो मतदाता-सूची तैयार की गई उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(४) क्या यह सही है कि झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट, कोऑपरेटिव सोसायटी लि०, भवानी मंडी द्वारा दिनांक २९-११-६८ को कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई गई थी ? यदि हां, तो बैठक का एजेन्डा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(५) क्या यह सही है कि उपरोक्त बैठक में कार्यकारिणी ने बिना एजेन्डा व बिना निर्वाचन अधिकारी की मांग के अपना प्रतिनिधि बदलने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्यों ? निर्णय की कॉपी सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। कार्यकारिणी के कितने सदस्य हैं और कितनों ने तथा किन-किन ने उक्त बैठक में भाग लिया ?

(६) कृषि उपज मंडी समिति, भवानी मंडी के सदस्यों की फाइनल लिस्ट क्या है ?

(४-४-६९ तक के लिये स्थगित किया गया)

विदेशों से ट्रेक्टर आयात की योजना

२०३. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान में विदेशों से ट्रेक्टर आयात की योजना का प्रस्ताव है ? यदि

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हां, तो कहां से कौन से ट्रैक्टर कब तक आयात होंगे और उनको यहां पर किस एजेन्सी के द्वारा वितरण किया जायेगा ?

(२) उक्त ट्रैक्टर किस प्रकार से किन किन को कितने-कितने मूल्य में दिये जायेंगे ?

उत्तर

१. जी हां। निम्न ट्रैक्टर आयात होंगे।

ट्रैक्टर का नाम	अश्व शक्ति	जगह जहां से आयात होंगे	आयातित ट्रैक्टर्स के प्राप्त होने का वर्ष	ऐजेन्सी जिसके द्वारा वितरण किये जायेंगे
१	२	३	४	५
१. यूटोज	५० अश्व शक्ति	रूमानिया	मार्च, १९६९	राजस्थान कृषि अभियांत्रिक मण्डल, जयपुर
२. डी. टी. १४	१४ अश्व शक्ति	रूस	१९६९-७०	राजस्थान कृषि उद्योग निगम
३. वेटर	२५ अश्व शक्ति	चैकोस्लेविकिया	१९६९-७०	राजस्थान कृषि उद्योग निगम
४. आर. एस. ०९ (इम्प-लीमेंट केरियर)	२५ अश्व शक्ति	जर्मनी	१९६९-७०	राजस्थान कृषि उद्योग निगम

फिलहाल वितरण कार्य कृषि अभियांत्रिक मण्डल द्वारा किया जावेगा।

(२) ट्रैक्टरों का वितरण राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर किया जायेगा। इसके लिये प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये जा चुके हैं। उपयुक्त ट्रैक्टर्स राज्य के ही कृषकों को उपलब्ध करवाये जायेंगे। ट्रैक्टरों का मूल्य निर्धारण, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन द्वारा प्रसारित निदेशों के अनुसार किये जायेंगे।

विकास अधिकारियों की एडहॉक बेसिस पर नियुक्ति

२०४. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राजस्थान में कृषि विभाग से कितने व्यक्तियों को एडहॉक बेसिस पर विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है ? इनकी नियुक्ति किस आधार पर की गई है ?

उत्तर

वर्तमान में विकास अधिकारियों के ११३ पद कृषि प्रसार अधिकारियों से तदर्थ पदोन्नत कर भरे हुए हैं। नियमानुसार विकास अधिकारियों के चयन होने तक कृषि प्रधान पंचायत समितियों में सम्बन्धित पंचायत समिति में कार्य कर रहे वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकारी को वहीं पर अस्थाई तौर पर विकास अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

जैतारण तहसील का सर्वे

२०५. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली जिले की जैतारण तहसील का भू-गर्भ जल-मण्डल राजस्थान द्वारा सर्वेक्षण कब-कब किया गया और उसका क्या नतीजा रहा ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इस क्षेत्र में ट्यूब-वैल कहां-कहां और कब-कब निर्माण किये जा सकेंगे ?

उत्तर

(१) इस तहसील का सर्वेक्षण राजस्थान भू-जल मण्डल द्वारा जून, १९६७ व १९६८ में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हुआ। प्रथम सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है तथा दूसरी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सर्वेक्षण के आधार पर नलकूप बनाने के लिये पश्चिमी एवं उत्तरी-पश्चिमी भाग अधिक उपयोगी हैं।

(२) विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही यह प्रश्न उठेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

जोधपुर में ट्यूब-वैल्स

२०६. श्री कालूराम आर्य (बिलाड़ा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर जिले में कहां-कहां केन्द्रीय सरकार द्वारा ट्यूब-वैल खोदे गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। ये ट्यूब-वैल कब-कब तैयार हुए व उनको राज्य सरकार को हस्तान्तर कब-कब किया गया ?

(२) राज्य सरकार उन ट्यूब-वैल्स का क्या उपयोग कर रही है व अब तक उनके पानी के उपयोग बाबत क्या-क्या कदम उठाये गये हैं ?

(३) क्या सरकार यह विचार रखती है कि इन कुओं से सिंचाई हेतु कृषकों को जल्दी ही पानी दिया जाय व इसकी एक योजना बना कर पानी का उपयोग जल्दी किया जा सके इस हेतु नियम बनाये जाकर कृषकों को इसके प्रति जानकारी दी जावे ?

(४) जिन-जिन कुओं पर बिजली की लाईन आ चुकी है वहां इस वर्ष अकाल की हालत में भी पानी का उपयोग न किया जाने का क्या कारण है ? ऐसे कुए कहां-कहां पर हैं ?

(५) क्या राज्य सरकार के ध्यान में है कि पिचीयाक व रणसी गांव के ट्यूब-वैल्स से पानी की मांग होते हुये भी उनके पानी का उपयोग नहीं किया जा रहा है ?

(६) क्या यह सही है कि रणसी गांव व पिचीयाक व उसके पश्चिम में बहुत बड़ा क्षेत्र पानी की कमी से बेकार रहता है जिसको यह पानी देने से उत्पादन की समस्या का समाधान होगा ?

(७) पिचीयाक व रणसी गांव के ट्यूब-वैल्स से पानी कृषि हेतु कब तक दे दिया जायगा ?

(श्री कालूराम आर्य)

(८) पिचीयाक व रणसी गांव के ट्यूब-वैल्स की प्रति घन्टे कितने गैलन पानी की क्षमता है ?

उत्तर

(१) जोधपुर जिले में केन्द्रीय सरकार द्वारा ३ नलकूप जुलाई व अगस्त, १९६६ में बनाये गये जिनमें से २ नलकूप रणसी गांव में एवं एक नलकूप पिचीयाके में बना कर जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग को दिये गये तथा उपरोक्त नलकूप भू-जल अभियन्ता को सितम्बर, १९६८ में हस्तांतरित किये गये। उपरोक्त नलकूपों को चालू करने के लिये कार्यवाही की गई है जिससे पिचीयाक नलकूप चालू कर दिया गया है तथा रणसी गांव वाले नलकूप जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग से मशीनरी (पम्प आदि) प्राप्त होने पर चालू कर दिये जावेंगे।

(२) जी हां।

३. पिचीयाक नलकूप चालू कर दिया गया है जिसकी सूचना जिलाधीश, जोधपुर को दे दी गई है तथा रणसी गांव वाले दोनों नलकूप जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग से मशीनरी प्राप्त होते ही शीघ्र चालू कर दिये जावेंगे।

(४) जी हां। रणसी गांव वाले नलकूप चालू होने के बाद पानी की कमी वाले क्षेत्र में उत्पादन की समस्या का समाधान हो सकेगा।

(५) इस प्रश्न के उत्तर के लिये प्रश्न ५ के उत्तर का अवलोकन करें।

(६) पिचीयाक नलकूप की जल क्षमता २१,८८० गैलन प्रति घन्टा है।

(७) रणसी गांव १ की जल क्षमता ४०,६६६ गैलन प्रति घन्टा है।

(८) रणसी गांव २ की जल क्षमता ४५,८८० गैलन प्रति घन्टा है।

स्थगित प्रश्न

(२७-२-६९)

भूमि बन्धक बैंक सीकर द्वारा ऋण

१२. श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भूमि बन्धक बैंक, सीकर द्वारा आज तक कितने लोन किस-किस को कितना-कितना व कब-कब व किस कार्य के वास्ते दिया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) उपरोक्त बैंक में कितने मामले कब-कब से लोन के लिये किस-किस के पेंडिंग हैं ?

(३) उपरोक्त बैंक में लोन के कितने-कितने कार्य पूर्ण हो गये व कितने नहीं हुये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या यह सही है कि उक्त बैंक द्वारा कुछ कार्यों के लिये सीधा कृषक को भुगतान नहीं दिया जाता ? यदि हां, तो किस-किस कार्यों के लिये ? यह लोन इस बैंक द्वारा आज तक किस किस कम्पनी को किस-किस का कब-कब कितना

(श्री हरसिंह खर्रा)

कितना दिया गया है ? क्या यह कम्पनियां राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं ?

उत्तर

(१) भूमि बन्धक बैंक द्वारा आज तक ३३,०३,८८५ रु० का लोन ७०५ सदस्यों को भूमि विकास के लिये दिया।

(२) इस बैंक में ६० लोन सम्बन्धी सदस्यों के मामले पेंडिंग हैं।

(३) अब तक बैंक में लोन के पांच मामले पूर्ण होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, बाकी मामलों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है।

(४) जी हाँ, मशीनरी क्रय करने हेतु लोन का १५,२४,६०० रु० १७५ सदस्यों के लिये ३८ कम्पनियों को दिया गया है। राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कम्पनियों का प्रतिबन्ध अब तक भूमि विकास बैंकों पर लागू नहीं है।

स्थगित प्रश्न
(५-३-६९)

सीकर जिले की नगरपालिकाओं में हरिजनों को पट्टे

५०. श्री नथमल चोहला (लक्ष्मनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सीकर जिले में नगरपालिका लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर व रामगढ़ में हरिजनों को सरकार द्वारा दी जाने वाली रियायत के अनुसार कितने पट्टे बनाये व कितने प्रार्थना पत्र पट्टा बनाने हेतु पेश हुये ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिकाओं में बहुत से हरिजनों के प्रार्थना-पत्र पट्टा बनाने के बाबत तीन-चार वर्ष पहले के बिना किसी कार्यवाही के पड़े हुये हैं ?

(३) क्या मन्त्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जिन हरिजनों के पट्टा बनाने के बाबत प्रार्थना-पत्र आये हुये हैं उनके पट्टे कब तक बना दिये जायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त नगरपालिकाओं ने हरिजनों को पट्टा बनाने के लिये जिलाधीश सीकर की स्वीकृति चाही है ? यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

उत्तर

(१)

नाम नगर पालिका	पट्टा बनाने की संख्या	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या
१. फतेहपुर	११	१७९
२. लक्ष्मणगढ़	२६	१४३
३. रामगढ़	५६	२२९

(२) जी नहीं।

(३) जी नहीं। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(४) केवल नगरपालिका, लक्ष्मणगढ़ में जिलाधीश से स्वीकृतियां चाही है। नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्थगित प्रश्न
(६-३-६९)

अलवर जिले में उत्तम खाद-बीजों का प्रदर्शन

७७. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अलवर जिले में उत्तम खाद-बीज के प्रदर्शन के लिये १९६७-६८ में कितना बजट

Page No 47

(श्री गंगा सहाय)

रखा गया था ? कुल खर्च कितना हुआ ? प्रदर्शन कितने स्थानों पर किन-किन व्यक्तियों के फार्मों पर किया गया तथा प्रत्येक फार्म पर प्रदर्शन में कितना-कितना खाद व बीज खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

अलवर जिले में उत्तम खाद-बीज के प्रदर्शन लगाने हेतु सन् ६७-६८ में ९९,३९६) रु० का बजट प्रावधान किया गया था। कुल खर्चा इस मद पर ६१,४७५) रु० का हुआ है। कुल प्रदर्शन ५२७ स्थानों पर लगाए गए। प्रत्येक प्रदर्शन क्षेत्र पर जो खाद-बीज की मात्रायें इस्तेमाल की गई उसकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्थगित प्रश्न
(६-३-६९)

खाद का वितरण एवं उसकी वसूली

७८. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सन् ५२ से लेकर पंचायत समितियों के निर्माण के पूर्व तक कितना खाद पंचायत अथवा अन्य एजेन्सियों को कितने मूल्य का वितरित किया गया ?

(२) उनके वितरण व वसूली की क्या स्थिति है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त खाद अतिरिक्त अवस्था में सड़ रहा है।

उत्तर

(१) अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सन् ५२ से लेकर पंचायत समितियों के निर्माण के पूर्व तक २७,३९१ टन १ हन्डरवेट १७ पौण्ड खाद रुपये १,०१,०८,०५८ रु० १५ पैसों का वितरित किया गया।

(२) इनमें से ९२,६४,४८२ रु० ७७ पैसों की वसूली हो चुकी है। बाकी वसूली की कार्यवाही जारी है।

(३) जी नहीं।

(१२.०८ म० प०)

श्री अध्यक्ष :

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री कृष्णकुमार गोयल, सदस्य, विधान सभा ने ग्राम कठमाना, तहसील टोंक के ग्रामवासियों का पुलिस की कार्यवाही से भयभीत हो जाने आदि से सम्बन्धित एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस स्थगन-प्रस्ताव को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त किये जाने हेतु पेंडिंग रखा गया था। यह मामला अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। अतः मैं इसे सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं किन्तु मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय गृह मन्त्रीजी इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करते हुए कल या परसों सुविधानुसार वक्तव्य देने की कृपा करें।

निम्नांकित चार स्थगन प्रस्तावों को राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

हेतु पेंडिग रखा गया था। ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं :—

(१) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त स्थगन प्रस्ताव जिसमें उन्होंने यह कहा है कि जिला गंगानगर की पांच तहसीलों के बारानी क्षेत्र में जहां पर अकाल पड़ा हुआ है, उन गांवों में बीमारी के कारण गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी आदि सैंकड़ों की संख्या में मर चुके हैं तथा इस इलाके में खेती व पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं है।

(२) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त लूणकरणसर तहसील में एक महीने से चारे के अभाव और नलकूप के खराब हो जाने से पीने के पानी की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव।

(३) श्री दौलतराम सारण, श्री मेघराज व श्री चुन्नीलाल इंदलिया, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त स्थगन-प्रस्ताव जिसमें उन्होंने बतलाया है कि चूरू जिले की तारानगर तहसील के कई गांवों में पशुओं में शिलवा रोग फैलने तथा बकरियों में शिलवा रोग के अलावा बोकणिया रोग के कारण पशु अधिक संख्या में मर गये हैं तथा राज्य सरकार द्वारा रोगी पशुओं की चिकित्सा और रोग निरोधक औषधियों की व्यवस्था नहीं की गई है।

(४) श्री गंगासहाय, श्री कन्हैयालाल व श्री लक्ष्मण तानीवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त अलेक्जेन्डर हॉस्पिटल, अलवर की चारों एक्सरे मशीनें कई महीनों से बेकार रहने के कारण रोगियों को होने वाली कठिनाइयों से सम्बन्धित एक स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त चारों स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। इसके अतिरिक्त इन मामलों को बजट पर होने वाले सामान्य वाद-विवाद के समय एवं अनुदानों की मांगों पर बहस के दौरान कटौती प्रस्तावों के जरिये उठाया जा सकता है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों के अलावा मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि कुछ अन्य स्थगन प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(१) जैसलमेर में मजदूरों की मजदूरी काटी जाने के कारण कुछ मजदूरों द्वारा भूख-हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(२) श्री रामसिंह कुड़ी, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें जोधपुर डिवीजन के अकाल राहत कार्य के संबंध में नियुक्त अधिशासी अभियंता, बी० एण्ड आर० जोधपुर के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं।

(३) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा ने जिला चित्तौड़ की प्रतापगढ़ नगरपालिका के निर्वाचित बोर्ड की गत दो वर्ष से बैठक न होने और न बोर्ड की बैठक बुलाकर बजट पास करवाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही

(श्री अध्यक्ष)

है। जानकारी मिलने पर उन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा द्वारा एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गई है जिसमें कि जिला गंगानगर में सड़कों की समय पर मरम्मत नहीं होने से बसों व अन्य गाड़ियों के चलने में रुकावट होने का उल्लेख किया गया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह कहा गया कि राजस्थान के जिन जिलों में अकाल है उन जिलों में शराब की दुकानों को तुरन्त बन्द कर दिया जायं।

श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान महाविद्यालय के एक छात्र को निलम्बित करने एवं परीक्षा से वंचित करने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने जिला गंगानगर के राजस्थान केनाल क्षेत्र में सैकड़ों भूमि हीन काश्तकारों की बेदखली के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व-निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाये। इसके अतिरिक्त इन मामलों को बजट पर चल रही बहस के दौरान तथा अनुदानों की मांगों पर होने वाले वाद-विवाद के समय उठाया जा सकता है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो स्थगन प्रस्ताव प्रतापगढ़ नगरपालिका के संबंध में था इस बारे में मेरा इतना सा निवेदन है कि नगरपालिका के अध्यक्ष को हाईकोर्ट द्वारा निलम्बित कर दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर स्वीकार नहीं किया।.....

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! आपके स्थगन प्रस्ताव को जानकारी में रखा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जानकारी के लिए आपने कहा है उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं....

श्री अध्यक्ष : अब आभार को आगे मत बढ़ाइये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाईकोट द्वारा अध्यक्ष को निलम्बित कर दिया गया है...

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिए भेज दिया गया है फिर बहस क्यों कर रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो मिनट के लिए....

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा। स्थान ग्रहण करें। जानकारी के लिए भेज दिया गया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय,:

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें। जब जानकारी नहीं है, इसको स्वीकार करने का प्रश्न मेरे सामने पड़ा हुआ है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसलिए निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा इतना सा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, नम्र शब्दों में निवेदन है कि वहां पर अध्यक्ष को हाईकोर्ट द्वारा निलम्बित कर दिया गया है और दो साल से बोर्ड काम नहीं कर रहा है और अगर बजट पास नहीं हुआ तो वहां का जो स्वायत्त....

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे क्या चाह रहे हैं ? इस बारे में जानकारी शीघ्र प्राप्त कर ली जाये और मैं प्रयत्न कर रहा हूं जानकारी लेने की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में आपने व्यवस्था दी है कि जब कटौती प्रस्ताव आयें उसके जरिये इसको उठाया जाये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस छात्र का प्रश्न है उसको १० तारीख से निलम्बित किया है उसके एग्जामिनेशन का सवाल है। कटौती प्रस्ताव बहुत देरी से आने वाले हैं इसलिए मैं इस बारे में जानकारी प्राप्त कर ली जाये यह चाहूंगा। प्रश्न केवल इतना सा है कि वह छात्र क्षमा याचना करे। उसने क्षमा याचना कर ली और कर लेने के बाद भी उसको निलम्बित कर दिया गया और वह एग्जामिनेशन में एपीयर नहीं हो सकेगा और इससे उसका एक साल चला जाता है.........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मैं समझ गया हूं इस बात को। आप मुझसे मिल लें, स्टुडेन्ट्स की लाइफ का कोई प्रश्न है तो देख लेंगे। मैं जानकारी करके फिर व्यवस्था दूंगा।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया था कि अलवर डिस्ट्रिक्ट के खेड़ली....

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य (नौहर) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : आपका भी अस्वीकार किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, अकाल के क्षेत्र में मजबूरन भूख हड़ताल कर रखी है उसके बारे में आपको वक्तव्य दिलाना चाहिए या रिपोर्ट मंगा कर पूरा संतोष दिलाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव पर माननीय सदस्य इस पर बोलें तो उस पर विशेष रूप से ध्यान दिलाऊंगा कि माननीय

Page No 51

(श्री अध्यक्ष)

मंत्री महोदय उस प्रश्न पर विशेष उत्तर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अलवर में बिजली घर के मजदूरों की भूख हड़ताल के सम्बन्ध में मैंने एडजर्नमेन्ट मोशन दिया था....

श्री अध्यक्ष : मैं इसकी प्रोप्राइटी के प्रश्न पर आज निर्णय ले लूंगा। मैं इस विषय को जल्दी ही लेलूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आज ही आखिरी समय में वक्तव्य दिला दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : मेरा विश्वास है मैं इसको शीघ्रातिशीघ्र लूंगा। कल भी हो सकता है नहीं तो परसों तो है हीं।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने मेरे स्थगन प्रस्ताव को स्थगित किया उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ...

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया है न मैंने।

श्री श्रवणलाल : वह तो ठीक है लेकिन वह हरिजनों का सवाल है। उनकी पुलिस के द्वारा पिटाई की जा रही है....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य के भाषण को अंकित नहीं किया जाये। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

आय-व्ययक १९६९–७० पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद

श्री रामकिशन !

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सामान्य बजट पर कल से वाद-विवाद हो रहा है और माननीय वित्त मंत्रीजी ने राजस्थान की जो तस्वीर पेश की है आर्थिक उसके बारे में सदन के सभी माननीय सदस्य बहुत गम्भीर हैं और गम्भीर इस माने में है कि निरन्तर सरकार के साधन घटते जा रहे हैं और जो उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की सम्भावना थी सन् ७१ तक वह सम्भावना धीरे-धीरे समाप्त होती चली जा रही है। राजस्थान सरकार लगातार कुछ ऐसे काम करती चली गयी जिसकी वजह से हमारे राज्य की आमदनी पर विपरीत असर पड़ा है और योजनाओं के चलते हुए भी आज सारा राजस्थान या तो अकाल के चक्कर में है या किसी इलाके में भूखमरी है और जो क्षेत्र इस अकाल और भुखमरी से बचे हुए हैं तो लाखों लोग आज राजस्थान में बेरोजगार घूम रहे हैं। इन सारी चीजों का क्या जवाब हो सकता है ? मुझे अफसोस है वित्त मन्त्रीजी के भाषण को पढ़कर कि वित्त मन्त्रीजी ने सारी समस्याओं के समाधान के लिए कोई इलाज नहीं किया। जहां तक रोग प्रकट करने का प्रश्न है उन्होंने रोग को तो प्रकट किया, राजस्थान के आर्थिक तंत्र की जो कमजोर थी उसको उन्होंने स्पष्ट रखा है लेकिन उन कमजोरियों को दूर करने के क्या इलाज हैं, किस प्रकार से राजस्थान को आगे बढ़ाया जाये और देश के आर्थिक तंत्र को किस तरह से ऊंचा उठाया जाये इस संबन्ध में राज्यपाल महोदय और वित्त मन्त्री महोदय दोनों ही ने कोई बात नहीं कही जिससे जनता को इसके प्रति आशान्वित होना पड़े।

अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है उस बजट को

(श्री रामकिशन)

बारीकियों के सम्बन्ध में मैं थोड़े समय बाद जिक्र करूंगा। जैसा उन्होंने खुद कहा है कि मैं आंकड़ों के चक्कर में सदन को नहीं उलझाना चाहता हूं तो मेरी इच्छा भी हुई कि मैं भी आंकड़ों के चक्कर में वित्त मन्त्रीजी को नहीं उलझाऊं लेकिन बगैर उलझाये काम नहीं चलेगा। बजट में कहीं ऊपर जाना, कहीं नीचे जाना, कहीं योजनाओं को छोटा बताना फिर सदन में तालियां पिटवाने के लिये आकार बड़ा कर देना यह सारे काम ऐसे हैं कि साधारण तौर पर हम इस बजट को समझने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बजट इस प्रकार का पेश किया है, कि उसमें राजस्थान के भविष्य की न तो कल्पना ही की है और न भविष्य में उससे कोई आशा ही बंधती है। माननीय वित्त मन्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राज्य का बजट और केन्द्रीय सरकार का बजट निरन्तर बढ़ता रहा है। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई उस समय केन्द्रीय सरकार का बजट ५ अरब का था। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर वह १ हजार करोड़ का हो गया। इधर जिस प्रकार से केन्द्रीय सरकार का बजट बढ़ा उसी प्रकार सारे राज्यों का बजट भी बढ़ता रहा है। १४ करोड़ वाला बजट राजस्थान निर्माण के समय जिस राजस्थान की आमदनी और खर्चा केवल १४ करोड़ रुपया था वह १ अरब ७७ करोड़ के आस-पास पहुंचा दिया है। उसके खर्चे का हिस्सा १ अरब ४४ करोड़ रुपये के करीब है। उसकी आमदनी का हिसाब आपने बैठा दिया है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सारे खर्चों को दिया क्यों? बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने इस प्रकार का काम किया जिससे साधारण माननीय सदस्य और विचारवान माननीय सदस्य चक्कर में पड़े बिना नहीं रह सकते। पहले जितने भी बजट पेश किये गये उसमें स्थिर कीमतों के आधार पर और चल कीमतों के आधार पर प्रति व्यक्ति आमदनी का संकेत दिया गया। इस बात की स्थिर कीमतों के आधार पर सदन को सूचना दी जानी चाहिये ताकि वास्तविक तसवीर सामने आ जाय। लेकिन इस बात को इस बार छुपा कर आपने चालू कीमतों के आधार पर सूचना दी है, प्रति व्यक्ति ४९९ रुपया आमदनी बताई है जो एक प्रकार से केन्द्रीय सरकार के बजट में बताई प्रति व्यक्ति की आमदनी से ऊंचा बताने की कोशिश की है। आज असलियत में प्रति व्यक्ति आमदनी ६९ में थी ६४ में थी वह आमदनी करीब-करीब वहीं पर पड़ी हुई है। मैं उसकी चर्चा यहां नहीं करूंगा किन्तु आज प्रति व्यक्ति योजना के बाद आमदनी देखी जाय स्थिर कीमतों के आधार पर तो प्रति व्यक्ति आमदनी २४३ रुपया है। ४९९ रु० बताकर आपने सदन को भ्रम में डालने की कोशिश की है। इससे आप यह चाहते हैं कि सदन में भ्रम पैदा हो जाय। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूंगा कि जहां हम यहां सब बैठे हुए माननीय सदस्य सारे राजस्थान के कल्याण की कल्पना करते हैं वहां तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर कोई बात छिपानी नहीं चाहिये। जो भी कार्य-कलाप हों वह सदन के सामने आयें। उसको छिपाने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिये। इसमें कोई तथ्य नहीं कि आप तथ्यों को हमसे छिपाएं और दूसरी ही प्रकार की तसवीर पेश करने का कष्ट करें।

जैसा कि माननीय वित्त मन्त्रीजी ने स्वीकार किया है हमारा योजना व्यय निरन्तर

(श्री रामकिशन)

घटता जा रहा है। जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है उसके अनुसार न तो हमारे पास वित्तीय साधन हैं और न इस प्रकार के हालात पैदा करने जा रहे हैं जिससे बढ़िया तसवीर राजस्थान की हो सके। इस सारे बजट में जो खर्चे का बजट है वह १ अरब ७४ करोड़ का है उसमें योजना व्यय के लिये केवल १६ करोड़ रुपया रखा गया है। जहां राजस्थान का खर्चे का बजट १ अरब ७४ करोड़ है वहां नये निर्माण कार्यों के लिये केवल १६ करोड़ रुपया रखा है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं हमारा योजना व्यय किस कदर बढ़ता जा रहा है। योजना का आकार योजना की निवृत्तियों का नियोजन किस प्रकार कम होता जा रहा है यह इससे स्पष्ट है। इस बारे में जो आप जवाब देंगे वह भी कह देता हूं एक वर्ष की योजना का जो व्यय होता है वह अगले वर्ष योजना व्यय बन जाता है इस क्रम को तो रखना ही पड़ेगा। राजस्थान की जिस प्रकार की हालात है, देश की जिस प्रकार की हालत है उसके अन्दर हम यह अनुभव करते हैं कि सारे देश का विकास दो तरह के कार्यक्रमों के कारण होता है और उसमें जो कार्य अपूर्ण रह जाते हैं वह अर्थतन्त्र को समाप्त कर देते हैं। लेकिन उसकी भी वास्तविक उपलब्धियां होती हैं उसकी जानकारी आगे आने वाले लोगों से छिपाना मैं समझता हूं उचित नहीं है। उनको भी इस बात की जानकारी रह सके कि राजस्थान में किस प्रकार के कार्य-कलाप चले थे। आप योजना व्यय को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सरकार का सारा तन्त्र समाप्त होता जायगा।

दूसरा जो संकट है उसके बारे में मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा आपने राजस्थान की तसवीर हिन्दुस्तान की सरकार के सामने ठीक प्रकार से नहीं रखी....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): योजना के लिये १६ करोड़ ही रखे हैं आप इसको किस प्रकार से मानकर चलते हैं ?

श्री रामकिशन : मैंने राजस्व व्यय में से बताया है जो योजना पर खर्च करेंगे। मैं आपको सीधा ले आऊंगा माथुर साहब के बहकावे में मत आइये।

मैं निवेदन कर रहा था राजस्व खाते के १६ करोड़ बताये थे। मेरा निवेदन करना यह था कि आपने राजस्थान की तसवीर केन्द्र के सामने अच्छे ढंग से पेश नहीं की। सरकार के मन में शंका हो सकती है आप कमजोर हैं लेकिन मेरी जानकारी इस बारे में नहीं है इसलिये मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता आप कैसे मुख्यमंत्री हैं कमजोर हैं या मजबूत इस बारे में मैं नहीं जानता लेकिन यह बात तथ्यपूर्ण है कि आपने राजस्थान का मामला केन्द्र के सामने ठीक प्रकार से नहीं रखा। आखिर हमें सब राज्यों से केन्द्रीय कर से जो रकम मिली है वह सबसे कम क्यों मिली। आप जब अगली बार दिल्ली में इस बारे में केन्द्र से मिलें तो उस समय के लिए मै आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं उत्तरी भारत की राजनीति और दक्षिणी भारत की राजनीति। मै उत्तर और दक्षिण को अलग-अलग नहीं सोचता। लेकिन मैं अवश्य निवेदन करूंगा कि जितने भी उत्तरी भारत के राज्य हैं या हिन्दी भाषी राज्य हैं उनमें और दक्षिणी राज्यों में इस मायने में बड़ा असन्तुलन पैदा किया जा रहा है विकास के प्रति सारे हिन्दी वाले राज्य हैं राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश— इन प्रांतों

(श्री रामकिशन)

की योजनाओं में निरन्तर कमी होती चली जा रही है और दूसरी तरफ गैर हिन्दी भाषी प्रान्तों में प्रति व्यक्ति योजना व्यय निरन्तर बढ़ता चला जा रहा है। इसके लिये उत्तरी भारत की सरकारें जिम्मेदार हैं। इसके साथ-साथ एक कारण और भी हो सकता है। दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान के तीनों प्रधान मन्त्री उत्तरप्रदेश के रहे हैं श्री नेहरू, लालबहादुर शास्त्री और श्रीमती इन्दिरा गांधी तीनों उत्तर प्रदेश से आये हैं। इस कारण गैर हिन्दी भाषी प्रांत हैं वह निरन्तर सरकार पर यह दबाव डालते रहते हैं और इस तरह से योजना व्यय में ज्यादा पैसा उनको मिल जाता है। आप अब की बार यदि आ जायं तो आप सेन्टर पर इस बात का दबाव डालें कि प्रधान मन्त्री दक्षिण का हो ताकि राजनैतिक शक्ति उनको मिल जाय और आर्थिक शक्ति वे हमें दे दें। अगर राजस्थान का विकास चाहते हैं, उत्तरप्रदेश का विकास चाहते हैं, बिहार का विकास चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह हो जाना चाहिये कि प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति का पद किसी दक्षिण भारत के निवासी को दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अधिकार तो हमारा आपने मान लिया।

श्री रामकिशन : आपका अधिकार हम मानते हैं जहां हमने आपका अधिकार माना है वहां मैंने एक कर्त्तव्य को भी उसके साथ जोड़ा है वह यह कि आप इस प्रकार का प्रयास करें जिससे हिन्दी भाषी राज्यों के रहने वाले को प्रधान मन्त्री न बनाया जाकर किसी दक्षिणी प्रान्त के निवासी को बनावें। आप यह मानकर चलिये अगर कामराज या सुब्रह्मण्यम प्रधान मन्त्री होते तो हिन्दी भाषी राज्यों को प्रति व्यक्ति योजना व्यय का हिस्सा ज्यादा मिलता। इस प्रकार की मैं आपको राजनैतिक दिशा देना चाहता हूं ताकि उत्तरी भारत का प्रभुत्व इस पद के लिये समाप्त हो जाय और आर्थिक मदद हमको ज्यादा मिल सके। हमारी आबादी घनी है, अंग्रेजों के समय से हम पिछड़े हुए हैं, हमारे यहां के लिये प्रति व्यक्ति योजना व्यय अन्य राज्यों से ज्यादा दिया जाना चाहिये। आज यह स्थिति है कि प्रधान-मन्त्री उत्तर प्रदेश के होने के कारण उन पर जिम्मेवारी रहती है कि कहीं अन्य प्रांतों में यह भ्रम न पैदा हो जाय कि हिन्दी भाषी राज्य का प्रधान मन्त्री होने से हिन्दी भाषी राज्यों को ज्यादा मदद मिलती है इसलिये वे हमेशा दबे रहते हैं। और यही कारण है कि दक्षिणी राज्यों से हिन्दी भाषी राज्यों को सहायता कम मिल पायी है। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप यदि दक्षिणी भारत का प्रधान मन्त्री बना पाये तो हमारी यह समस्या हल हो सकती है अन्यथा आप कितना ही जोर लगा लें उत्तरी भारत के हिन्दी राज्यों की हालत निरन्तर गिरती जायगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा जिससे पता चल जायगा हिन्दी भाषी राज्यों को कितनी सहायता मिली है दक्षिणी राज्यों के मुकाबले....

उत्तरप्रदेश को	५४.१४
मध्यप्रदेश	७२.१६
बिहार	४३.२५
राजस्थान	७८.२०

Page No 55

(श्री रामकिशन)

अहिन्दी भाषी राज्यों को

तामिलनाड	८०. ३
केरल	६६.७६
बंगाल	६६.५४
महाराष्ट्र	६६.६२
गुजरात	६१.६१
उड़ीसा	७६.८०
मैसूर	६३.५८

उत्तरी भारत के जो राज्य हैं वहां प्रति व्यक्ति कम व्यय राशि मिली है और दक्षिणी राज्य गैर हिन्दी भाषी राज्य हैं उनको प्रति व्यक्ति ज्यादा मिला है। इसमें आसाम और जम्मू काश्मीर को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है, उनकी दोनों की स्थितियां भिन्न हैं। यह आप सुनेंगे। काश्मीर को १८३ रु० प्रति व्यक्ति खर्च दिया गया है। गुजरात में १२५ रु० खर्च दिया गया है। काश्मीर का विशेष दर्जा है जिसके लिए आपको विशेष खर्च करना पड़ता है। हमारा सबसे पहला सुझाव यह है कि राजस्थान में केन्द्रीय योजनाएं लायें। अगर केन्द्रीय योजनाओं को नहीं ला सकते हैं तो स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकता है। अन्य राज्यों में सबसे भारी हिस्सा केन्द्रीय योजनाओं का है। इसका एक ही रास्ता है कि उत्तर वाले राजनैतिक शक्ति को छोड़ें और दूसरा रास्ता निकालें। यह तो मैंने देश के एकीकरण की बात कही है। इसके अलावा मेरा निवेदन करना है, आसाम में १७७ रु० प्रति व्यक्ति खर्चा हो रहा है। उन्होंने अपना क्लेम रखा है कि आसाम एक पिछड़ा हुआ इलाका है, आदिवासियों का इलाका है, यहां केन्द्रीय सरकार का खर्चा करना परम धर्म है। आप भी ऐसा करें। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर ऐसे विशेष स्थानों का जरुरी प्रावधान करना चाहिए। अगर सामान्य बजट से करते हैं तो उससे वह बात नहीं हो पायेगी और जैसा आसाम के इलाकों में असन्तुलन फैला है वह यहां भी फैल सकता है। जब हम डूंगरपुर जाते हैं, बांसवाड़ा जाते हैं तो वह हमको कहते हैं हम अकाल पीड़ित हो रहे हैं, सरकार हमारी मदद करे। सरकार के आर्थिक स्रोत ऐसे नहीं हैं कि बजट को अतिरिक्त आमदनी को ऐसे इलाकों में डाइवर्ट कर दे। राजस्थान तीन इलाकों में है एक रेगिस्तान है, पिछड़ा हुआ इलाका है और पहाड़ी इलाका है। यह केवल राज्यों के हिसाब से कहा गया है। मैं आपको कहना चाहता हूं उड़ीसा और बिहार में बड़े-बड़े कारखाने लग सकते हैं तो राजस्थान की नहर और राजस्थान के विकास की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर है। लेकिन आप रखते नहीं हैं। मैं आपको कमजोर कह कर आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। यह अन्याय नहीं करूंगा। सबसे पहले जो मैंने निवेदन किया है, वह क्षेत्रीय असन्तोष का है। उसको दूर करने का नये ढंग से प्रयास करें। जो प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार से नहीं लड़ सकती है, जो सरकार लड़ नहीं सकती वह क्षेत्रीय असन्तोष का दूर नहीं कर सकती है। इसलिए आप राजस्थान के विकास के बजाय केवल अपनी हैसियत को मजबूत करिये। राजस्थान के विकास में यह दृष्टिकोण अपनाइये। आपके और वित्तमन्त्री के दिमाग में यही रहता है कि हमें किस तरह से राजस्थान विधान सभा में प्रवेश करना है। अगर राजस्थान के पूर्वी

(श्री रामकिशन)

इलाके बह जायें तो बह जायें। आज की विधान सभा में इतनी गंदी चर्चा होती है। कहीं बिजली की, नल की, कहीं मोरियों की चर्चा होती है। आप क्षेत्र में जाते हैं तो यही बातें करते हैं, हमें वोट दोगे तो हम बिजली लगवा देंगे। आपने यह नहीं सोचा, राजस्थान में बिजली लगेगी, सड़क बनेगी। जो सरकार आयेगी वह यही करेगी। बिजली लगायेगी, सड़क बनावेगी। राजस्थान का एक हिस्सा रेगिस्तानी है। दूसरा हिस्सा पहाड़ी है। तीसरा घनी आबादी वाला है। घनी आबादी वाले हिस्से में बेरोजगारी है। रेगिस्तान में पानी की समस्या है। पहाड़ी हिस्से में कटाव की समस्या है। सरकार यह करने की नहीं है। २० साल आपको होने को आये हैं। इन तीनों इलाकों की सही स्थिति को आप ध्यान में रखते तो राजस्थान की आय बढ़ती और बेरोजगारी की समस्या घट जाती। इस सरकार ने स्थानीय असन्तुलन केन्द्र का बर्दाश्त किया है। इसलिए केवल आपने काम किया है, गद्दी पाने का। राजस्थान के तीन जिले भरतपुर, अलवर और सवाई माधोपुर घनी आबादी वाले हैं। इन तीनों जिलों की आबादी सबसे ज्यादा घनी है। प्रति एकड़, एक एकड़ जमीन पर अनेक लोग हैं। यहां बेरोजगारी की समस्या है। यहां पर अगर कोई उद्योग लगे, कोई अन्य रोजगार मिलता है तो प्राथमिकता इन तीन जिलों को देनी चाहिए। इनकी आबादी ३२-३३ लाख पहुँच जाती है। आबादी इतनी अधिक हो गई है कि विकास की कोई और गुंजाइश नहीं है। लेकिन आपने दूसरा ही तरीका अपनाया है। बजाय इसके कि आप राजस्थान के मुख्य मन्त्री की हैसियत से बर्ताव करते, वित्तमन्त्री की हैसियत से बर्ताव करते आपने जो खर्चा किया है, वह यह है अलवर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में २४। भरतपुर में २९। सवाई माधोपुर में २९.९१। तीसरी पंचवर्षीय योजना में अलवर में ३३.७। भरतपुर में ४४.४१। सवाई माधोपुर में २७.२५ खर्चा किया है। इसके अलावा उदयपुर, भीलवाड़ा बढ़ गया है। मैं उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के लोगों का कल्याण चाहता हूं लेकिन जो कह रहा हूं उसकी भावना दूसरी है। हमारे क्षेत्र में जो योजनाएं बनें उनमें भी सन्तुलन होना चाहिए। किसी भी वित्तमन्त्री के दिमाग में यह पहले होना चाहिए कि वह योजना का समीकरण करें। योजनाओं का मतलब यह कहा गया है कि वह विकास का ख्याल रखें। हमने तीन जिलों का हिसाब बताया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उदयपुर में एक व्यक्ति पर ४३। भीलवाड़ा में ३७। चित्तौड़ में ३२। तीसरी पंचवर्षीय योजना में उदयपुर में ६२। भीलवाड़ा में ४०.७५। चित्तौड़ में ५१.६३ खर्च किया गया है। लेकिन समस्या और बड़ी हो गई है। आप बेरोजगारी मिटाना चाहते थे। आपने तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या लक्ष्य रखा था। जबकि आपने जो क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा किया है, उसी का यह नतीजा हुआ है। माननीय गोयल साहब बता रहे थे कि १० लाख बेरोजगार हो जाएंगे। आज राजस्थान में पढ़े-लिखे लोगों की बेरोजगारी की संख्या १२ लाख पहुँच गई है। मतलब इन १२ लाख को रोजगार क्या-क्या देंगे। पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया वह पीछे हो गया है। जितना रोजगार देना चाहिए था वह नहीं दे सके हैं। आज सारे राजस्थान में ३०-४० लाख लोग बेरोजगार हैं। पूरे हिन्दुस्तान

(श्री रामकिशन)

में ३० करोड़ हो गये हैं। पढ़े-लिखे लोग बेरोजगार न हों इसके लिये आपने भरतपुर पोलीटेक्निक को खत्म कर दिया। अलवर पोलीटेक्निक को खत्म कर दिया। आप जरा सही दृष्टिकोण बनायें, आप जरा सही दृष्टिकोण से सोचें। अभी राजस्थान में हुआ क्या है ? अभी राजस्थान में पूरी सड़कें बनी नहीं हैं, न पूरी तरह सिंचाई की सुविधा दी गई है। राजस्थान में केवल सिंचित क्षेत्र पन्द्रह पर्सेन्ट है और राजस्थान में तीसरी पंचवर्षीय योजना तक कुल इकत्तीस हजार किलोमीटर सड़कें बनी हैं। तो न तो सड़कें ज्यादा बनी है और न सिचाई की सुविधा उत्पन्न हुई है और न बिजली को हर जगह तक आप पहुँचा पाये हैं। फिर आप स्कूलों को क्यों बन्द करते जा रहे हैं। स्कूल आप इस कारण बन्द कर रहे हैं कि बहुत से लोग और बेकार हो जायेंगे। लेकिन आप इन स्कूलों को बन्द कर दें तो विद्यार्थी आर्ट स्कूलों में जायेंगे और उसके बाद भी वे बेरोजगार ही रहेंगे। तो यह सही तरीका नहीं है। आप यह कह सकते हैं कि अभी रोजगार की सम्भावनायें ज्यादा नहीं है इसलिये एडमीशन लेते वक्त हर विद्यार्थी यह सोचें की उसे एडमीशन लेना है या नहीं लेना है। लेकिन आप ऐसा न करके स्कूलों को बन्द कर रहे हैं। स्कूलों को बन्द करके आपके तीन तरह के नुकसान कर रहे हैं। एक तो यह कि आगामी दस साल में केन्द्र में बढ़िया सरकार आ गई और राजस्थान में जो आर्थिक स्थिति आज है उसमें दूसरी सरकार ने आकर परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया और किसी तरह आगामी दस साल के अन्दर एक भयंकर तब्दीली राजस्थान में आ गई तो उस समय अच्छे-अच्छे टेक्निशियनों की जरूरत पड़ेगी, ओवरसियर और इन्जिनीयरों की जरूरत पड़ेगी और हो सकता है कि उस समय राजस्थान के अन्दर आर्थिक स्थिति और आर्थिक साधन ठीक हों तो उस समय अच्छे-अच्छे लोग उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। दूसरे एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों को छोड़ कर हम भी अकेले नहीं हैं जो आजाद हुए हैं और देश का विकास करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एशिया के बहुतसे देश आजाद हुए हैं, अफ्रिका के बहुत से देश आजाद हुए हैं। अगर हमारे देश में या हमारे प्रान्त में बहुत टेक्निशियन हो जायेंगे तो वे लोग अफ्रीका चले जायेंगे, वे लोग एशिया के दूसरे देशों में चले जायेंगे। इससे एक तो जहां जातियों का मिश्रण होगा वहां दूसरी ओर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर ये दोनों बातें नहीं हुई तो तीसरा फायदा जो हो जायगा, वह यह होगा कि आज जो बिना पढ़े-लिखे राजनीतिज्ञ शासन की गद्दी पर बैठे हैं, इनके शासन में अगर लोग बेरोजगार रहते हैं और बेरोजगारी की समस्या के कारण वे लोग जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं और सड़कों पर इधर-उधर घूमते हैं तो हो सकता है कि जो पढ़े-लिखे बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार टेक्निशियन हैं वह इस गद्दी के मालिक बन जायं। लेकिन आप यह सब नहीं करते हैं। आप बेरोजगारी को मिटा नहीं सकते हैं। लोगों को रोजगार दे नहीं सकते हैं। आपके पास बेरोजगारी को मिटाने का इलाज नहीं है। जो इलाज थे उनको आपने बन्द कर दिया है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, वह मैं आपको भरतपुर की दृष्टि से या कि उदयपुर की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो भी शिक्षा प्राप्त करना चा ते हैं, वे जिस प्रकार की भी शिक्षा प्राप्त करना

(श्री रामकिशन)

चाहें उनको शिक्षा प्राप्त करने की छूट होनी चाहिये और आपको भविष्य की इन सम्भावनाओं पर एक दम पर्दा नहीं डालना चाहिये। लेकिन आपकी दृष्टि में गहराई में जाने की क्षमता नहीं है, आप यह नहीं देख सकते कि आगे क्या स्थिति बनने वाली है। अगर आप योजना के आकार के अन्दर और इन्वेस्टमेन्ट के तरीके के अन्दर परिवर्तन कर देंगे तो लोगों को रोजगार के अन्दर खपाने के साधन आपके पास हो जायेंगे। लेकिन इस सम्बन्ध में जो आपकी मौजूदा रफ्तार है उससे बेरोजगारी मिटने वाली नहीं है। आपकी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्दर पहली पंचवर्षीय योजना में छः हजार रुपया खर्च करने के बाद में एक आदमी को रोजगार मिला। दूसरी पंचवर्षीय योजना में छः हजार रुपया खर्च करने के बाद एक आदमी को रोजगार मिला लेकिन तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर सात हजार रुपया खर्च करने के बाद में एक आदमी को रोजगार मिला और अब जो चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप है, जो खर्च का अनुमान है उसके अनुसार तेरह हजार रुपया खर्च करने के बाद में एक आदमी को रोजगार मिलेगा। अब योजना कितनी बड़ी बन रही है, इस सम्बन्ध में जो आपने संकेत किया है, इंगित किया है उससे मालूम होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना राजस्थान की तीन अरब से ज्यादा की बनने वाली नहीं है, जिसमें दो अरब और इकत्तीस करोड़ रुपया तो केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली मदद और वित्तीय साधन के रूप में मिलेगा और आपके साधन से पचीस करोड़ से ज्यादा नहीं होने वाला है। इससे स्पष्ट है कि आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना पौने तीन अरब से ज्यादा की नहीं बनने वाली है। ऐसी स्थिति में पौने तीन अरब की योजना से आप क्या बारह लाख बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दे सकेंगे ? जब आप तेरह हजार रुपया खर्च करके एक आदमी को रोजगार दे सकते हैं तो इस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा ढ़ाई लाख व्यक्तियों को आप रोजगार दे पायेंगे। बाकी के बेरोजगार के लिये आप क्या करेंगे ? उनके लिये आपने क्या सोचा है ? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में जिन तरीकों को अपनाना चाहिये था उनको नहीं अपनाया है। दिल्ली की सरकार थी, उस केन्द्रीय सरकार ने भी उस तरीके को नहीं अपनाया। वह यह था कि हमारे देश में खेती सबसे बड़ा उद्योग है। खेती में ही लोगों को खपाने की ताकत है। वित्त मन्त्रीजी ने इस सम्बन्ध में एक बात कह दी कि हमने जो पांच अरब सात करोड़ रुपया खर्च किया है उसमें से तीन अरब रुपया खेती पर खर्च कर दिया है इसलिये ही हमने खेती के ऊपर टैक्स लगाया है। आपको किसने बहका दिया है ? आपने हिसाब कैसे लगाया है ? आप सो गये हैं या ध्यानमग्न हो रहे हैं ? मेरी दिक्कत यह है कि आप बात सुनते नहीं और सो जाते हैं। मेरा निवेदन है कि आपको बहकाया किसने है, आखिर इतना कैसे खर्च हो गया ? आपने मल्टी पर्पज रिवर पर हुआ खर्चा भी खेतीहर के हिसाब में जोड़ दिया है। जो आपने बिजली पर खर्चा किया है उसको भी आपने इस हिसाब में जोड़ दिया है। आप दुबारा हिसाब लगायें। चूंकि आप बड़े हैं, इसलिये आप मेरे पास नहीं आना चाहेंगे, इसलिये मैं आपके चेम्बर में आकर इन आंकड़ों को दुरुस्त करूंगा कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुधारने पर और खेती को सुधारने पर आपने तीन अरब का खर्चा नहीं किया है। अगर इतना खर्चा किया होता तो आज राजस्थान की

(श्री रामकिशन)

तस्वीर दूसरी होती। आपने बिजली का पैसा भी खेती के हिसाब में जोड़ दिया है, और दूसरे तरीके के जो उद्योग चलाये हैं उनका हिसाब भी इसमें जोड़ दिया है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि खेती में सुधार करना हिन्दुस्तान में बेरोजगारी को मिटाने का इलाज है। पिछली योजनाओं में जो हम रोजगार दे सके हैं, वहां उत्तर-प्रदेश, बिहार में सौ आदमियों में से ५६ आदमियों को रोजगार मिला है जब कि राजस्थान के अन्दर सौ में से चालीस आदमियों को रोजगार मिला है खेती के द्वारा। इसका मतलब यह है कि आपकी खेती आज भी अविकसित है, आज भी कमजोर है। आज इसकी अवस्था को सुधारने की जरूरत है। हमें खेती की ओर ध्यान देने की जरूरत है। उसके लिए आपने तरीके अपनाये हैं, उन्नत बीज और बढ़िया खाद। मैं स्वीकार करता हूं कि सरकार ने सही दिशा में चलना शुरू किया है। लेकिन आज हालत यह है, आप स्वीकार करेंगे कि केवल २५ पर्सेन्ट इलाके में जितना इलाका हमारे यहां खेती योग्य है, उसमें से २५ पर्सेन्ट में सिंचाई हो रही है। जब पचीस पर्सेन्ट इलाके में सिंचाई हो रही है इसका मतलब यह है कि आपको खेती को प्राथमिकता देनी चाहिये क्योंकि यह रोजगार देने का साधन है और यह बेरोजगारी मिटाने का साधन है, यह लोगों को रोटी देने का साधन है। इसलिये इस पर डिटेल में जब आप बहस करें तब आप इन और आंकड़ों को अपनी नजर में रखें, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी बात जो बजट पेश किया है और इस बजट के अन्दर जिन योजनाओं का जिक्र किया है, उन पर आप चर्चा करेंगे, और मैं भी चर्चा करूंगा। लेकिन मैं आपको एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान का विकास आप नहीं कर पाये हैं। राजस्थान की माली हालत गिर गई है। केन्द्रीय सरकार की भी माली हालत डगमगा रही है, केन्द्रीय सरकार के आर्थिक स्रोत सूख रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने विदेशों से मिलने वाली मदद की ओर नजर लगा रखी है। लेकिन अगर विदेशों से मदद नहीं मिली तो, या यदि कम मिली तो? आपने भी आशा की है वित्त आयोग की सिफारिश से केन्द्र से मदद मिलेगी। इस बजट के घाटे को पूरा करने के लिए आपने यह रास्ता निकाला है। आपने दूसरी यह आशा की है कि सेन्ट्रल असिस्टेन्स इस प्रकार से मिलेगा जिस प्रकार से आप आशा कर रहे हैं। उसी तरह दूसरे प्रान्तों की सरकारें भी यह आशा लेकर बैठी है कि केन्द्र से सहायता मिलेगी। इसी प्रकार दिल्ली की सरकार भी आशा कर रही है कि अमेरिका से सहायता मिल जायेगी। लेकिन अमेरिका की नीति में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे मुझे कम से कम आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको उन सारे मामलों की जानकारी है। लेकिन आप कब तक मदद की आशा करेंगे? क्या आप आन्तरिक स्रोतों के ऊपर हाथ नहीं रख सकते हैं? आप सतयुग का जिक्र करते हैं, आप द्वापर का जिक्र करते हैं, त्रेता का जिक्र आपने किया। कहीं आपको सुरसा याद आ गई, और कहीं आपको कामधेनु याद आ गई। मेरा निवेदन है कि आप सतयुग, द्वापर और त्रेता के चक्कर में मत फंसियेगा क्योंकि जो इनके चक्कर में फंस जाता है, उसके दिमाग में कल्पना की शक्ति नहीं रहती है, उसके दिमाग में विचारों का प्रवाह

(श्री रामकिशन)

नहीं रहता है। आपने घाटे का बजट पेश किया है, जितने भी देश के अन्दर प्रान्तों की सरकारें हैं उन्होंने घाटे का बजट पेश किया है। कल कृष्णकुमार गोयल कह रहे थे कि राजस्थान की सरकार ने घाटे का बजट पेश किया, हिन्दुस्तान की सरकार ने, केन्द्रीय सरकार ने घाटे का बजट पेश किया और दूसरे प्रान्तों की राज्य सरकारों ने घाटे का बजट पेश किया है। केन्द्रीय सरकार ने ढाई अरब के घाटे का बजट पेश किया, राजस्थान सरकार ने आपके हिसाब से मानें तो बीस करोड़ का घाटे का बजट पेश किया। केन्द्रीय सरकार से मिलने वाली सहायता से बीस करोड़ का घाटा है वह तो पूरा हो जायगा लेकिन आपको जो चवालीस करोड़ चुकाने थे, उसमें से आप केवल चौबीस करोड़ दे रहे हैं और अपना पूंजी खाता है उसको बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह गलत है कि आप कर्जा लें और दें मत और यह कहें कि हमारी आर्थिक हालत सुधर गई है। केन्द्रीय सरकार अपनी है, उसको पूरा कर्जा नहीं चुकायेंगे तो वह क्षमा कर देगी। लेकिन यदि अमेरिका ने केन्द्रीय सरकार को क्षमा नहीं किया तो केन्द्रीय सरकार भी यहां की सरकार को क्षमा करने वाली नहीं है। इसलिए पूंजी खाते में, राजस्व खाते में चालीस करोड़ का घाटा है चूंकि जो कर्जा आपको देना था वह आपने नहीं दिया। आपने यह संतोष कर लिया कि बोहरे के पास में आपकी दरख्वास्त पड़ी है वह उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर, लेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश की केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें जो घाटे वाला बजट बना रही हैं–यह एक खतरनाक दिशा है। केवल केन्द्र और राजस्थान की सरकार ही घाटे का बजट पेश करती तो इस बात को मैं आकस्मिक समझता लेकिन हर सरकार घाटे का बजट पेश कर रही है। इसका मतलब है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था में बुनियादी दोष हैं, मौलिक कमी है। गुजरात ने बीस करोड़ छासठ लाख का घाटे का बजट पेश किया है, मैसूर ने जो बजट पेश किया है वह उन्होंने इकतीस करोड़ उनचास लाख का घाटे का बजट पेश किया है, मध्य प्रदेश ने तीस करोड़ का घाटे का बजट पेश किया है और केरल की क्रांतिकारी सरकार ने बीस करोड़ के घाटे का बजट पेश किया हैं, हरियाणा की सरकार ने ६ करोड़ के घाटे का बजट पेश किया है और आन्ध्र की सरकार ने आठ करोड़ के घाटे का बजट पेश किया है। केन्द्रीय सरकार का घाटे का बजट, राज्य सरकारों का घाटे का बजट–इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आन्तरिक स्रोतों को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। आपने कामधेनु को य.द करके बिक्रि कर की रेट बढ़ा दी। मैं समझता हूं कि कामधेनु जिसके पास है उसको भी वह दुहता जाय तो उसकी भी एक सीमा है। आप जानते हैं कामधेनु और ऋषि का किस्सा, मैं उसको सदन में दोहराऊंगा नहीं लेकिन अगर कामधेनु दूधविहीन हो जाय तो आगे रास्ता नहीं। इसलिए मैं एक आखिरी निवेदन करूंगा और वह निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजनाओं में केवल बारह तेरह लाख ऐसे हैं जिनका जीवन स्तर ऊंचा चला गया है। आप मोटर, रेडियो, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर रखने वालों की संख्या देखें और मकान बनाने वाले कितने हैं उनकी संख्या देखें यह करीब १२ लाख लोगों के पास गया है जो सरकार के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, बड़े-बड़े आफीसर्स हैं, आप जैसे बड़े-बड़े पदधारी

(श्री रामकिशन)

हैं उनके पास गया है। ५ अरब ७ करोड़ रुपये का जो नियोजन किया गया है उसमें से १/४ रुपये का नियोजन इन १२-१३ लाख आदमियों में हुआ है, पर इन लोगों की तरफ आपकी नजर नहीं गई, आपकी नजर किसान पर चली गई और कह दिया कि मूंगफली पर, सरसों पर टैक्स लगायेंगे। सेस लगायेंगे। जिन लोगों के पास टेलीफोन बढ़े हैं, कारें बढ़ी हैं, टेलीविजन बढ़े हैं, ऐसे लोगों की तरफ आपकी नजर नहीं जाती है। फिर आपकी थोड़ी सी नजर इन लोगों की तरफ गई इसलिए आपने कहा कि कोई यह नहीं समझे कि मुझे रेशमपोशों से मुहब्बत है इसलिए आपने रेशमी चीजों पर टैक्स लगाया। आज कौन रेशम पहनता है ? हिन्दुस्तान में रहने वालों की आज दो क्लासें पैदा हो गई हैं, एक तो वे लोग जो फटे कपड़े पहनते थे उन लोगों को तो आपने अकाल के नाम पर सड़कों पर डाल दिया है और दूसरी वह क्लास जो बढ़िया कपड़े पहनती थी, उनको आपने नाय लोन पहना दिया है। आज आप टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं पर आप आज फिजूल खर्चियों को नहीं रोकते, विकास कार्यों के नाम पर पैसा मांगते वक्त आप यह नहीं सोचते आपका खयाल इस तरफ नहीं जाता कि फिजूल खर्ची को कैसे रोकें। जब तक आप इस फिजूल खर्ची को नहीं रोकेंगे तब तक देश में समाजवाद नहीं आ सकता। आज हम कमजोर हैं, हमारी पार्टी में ताकत नहीं है, अगर हमारी पार्टी में ताकत होती तो आपको समाजवाद पर ले आते। कल लक्ष्मीकुमारीजी मीठी शिकायत कर रही थीं कि इस बजट में समाजवाद का नाम नहीं है। जब आप पर कटु से कटु शिकायतों का भी असर नहीं होता तो इस मीठी शिकायत का क्या असर होगा। तो आप समाजवाद के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं चलते, न पूंजीवादी ढंग से चलते हैं, अगर आज आप पूंजीवादी ढंग से भी राजस्थान बनाते तो राजस्थान में पूंजी ज्यादा हाथों में केन्द्रित होती तो उत्पादन तो बढ़ता। पर आपकी गलत नीतियों के कारण, गलत नियोजनों के कारण उत्पादन भी गिर गया है।

आपने टैक्स बढ़ाये हैं, वहां बड़ा अहसान कर के एक बात कही, अब आपको २० साल में गांधीजी याद आये। २० साल बाद आपको गांधी जी का नाम याद आया इसके लिये आपको धन्यवाद। गांधीजी का नाम ले कर आपने कहा कि आज भी हरिजन सिर पर मैला ढोते हैं, यह हमारे लिये बड़ी बुरी बात है, इसको बन्द किया जायगा। जब आपने यह कहा तो ऐसा मालूम हुआ कि शायद १५ बीस दिन पहले ही माथुर साहब का जन्म हुआ है मगर ५०-५५ वर्ष के होंगे, आपके चेहरे से तो ४० के ही लगते हैं पर ५० वर्ष से कम के नहीं हैं, फिर यह गांधी शताब्दी के वर्ष में मैले वाली बात आपको कैसे याद आई जैसे यह १५-२० दिन पहले से ही सिर पर मैला ढो रहे हों, २० साल के बाद आपको यह बात ध्यान में आई है। गांधीजी के केवल प्रतीक को मत पकड़ो सदन के लोगों की यह सहानुभूति प्राप्त करने के लिये कांग्रेस के लोगों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिये दो-तीन जगह गांधी जी का नाम ले लिया कि हम मैला सिर पर ढोना बन्द करेंगे, हाथ ठेले देंगे, फ्लश लगवायेंगे इनकी बस्तियों के लिये ज्यादा पैसा देंगे। अगर यही गांधीजी का अर्थ लगाते हैं तो वह गलत है गांधीजी का यह अर्थ नहीं है। गांधीजी का संदर्भ यहां आ ही गया तो गांधीजी के सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री रामकिशन)

गांधीजी को केवल समाज सुधारक के तौर पर ही मानेंगे तो कल, अध्यक्ष महोदय, आप भी उद्घाटन समारोह से गये थे मैं भी गया था। वहां शिक्षा मंत्री जी ने गांधीजी को राजनैतिक पुरुष बताया, धार्मिक पुरुषों में राम, ईसामसीह आदि को बताया, धर्म और राजनीति इनको अलग-अलग करते हैं यह गलत है। धर्म और राजनीति अलग नहीं है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। धर्म का काम अच्छाइयों को बढ़ाना है और राजनीति का मतलब है बुराइयों को मिटाना। दो तरह के लोगों को गांधीजी ने खत्म किया सत्ताधारी लोगों को जिनमें आप हैं और दूसरे गरीब लोगों को उनको गरीबी मिटाने के नाम पर। आज जमीन के बंटवारे का आन्दोलन चला कर सर्वोदयी नेता क्रान्ति को खत्म कर रहे है। आप जहां गांधीवादी किताबें लिखवाने के लिये १० लाख रुपया देने जा रहे हैं, उन किताबों में यह मत लिखवा देना, वे किताबें ऐसे गांधीवादियों से मत लिखवा लेना। आप उन किताबों में लिखवाएं कि हिंदुस्तान के हर आदमी का कर्त्तव्य है कि बुराइयों को मिटावे और हिंसा को काम में नहीं लेवे। उन किताबों से आप इस बात को सारे देश में फैलावें। यह नहीं कर के कुछ सिर पर मैला ढोना बन्द करने के लिये कुछ पैसा दे दिया, फ्लश बनवा दी, कुछ बस्तियों में रोशनी पर ज्यादा खर्च कर दिया, इससे कुछ नहीं होने वाला है। इससे तो जैसे रूस ने चैकोस्लोवाकिया को खत्म किया है वैसा ही होगा। आप ने २० साल में गांधीजी को याद कर के गांधीजी पर अहसान किया है। गांधीजी को याद किया इसके लिये धन्यवाद और १५ लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं, उसके लिये धन्यवाद, इससे बढ़ कर गांधीजी की सेवा और नहीं होती।

हम यह देख रहे हैं कि वित्त मंत्रीजी की टैक्स बढ़ाने में रसिकता बढ़ती जा रही है। तीन दफा आपने टैक्स बढ़ाये है। अबकी टैक्स बढ़ाते हुए आपने बड़ी अजीब बात कही कि शराब जितनी ज्यादा महंगी सरूर उतना ही ज्यादा। मैं तो शराब पीता नहीं इसलिये नहीं कह सकता कि महंगी शराब से कितना सरूर ज्यादा आयेगा पर मैं यह कह सकता हूं कि जितना बड़ा बजट उतना ही बड़ा वित्त मंत्रीजी का सरूर। वित्त मंत्रीजी ने ५ करोड़ के टैक्स लगाये हैं, इनके पीछे आधार क्या हैं? एक तरफ कहते हैं कि राजस्व देने वाले किसी काश्तकार पर टैक्स नहीं लगायेंगे पर यह सरसों और मूंगफली पर टैक्स लगाया है वह किस पर लगाया है, इसका असर किस पर पड़ेगा? यह सब किसानों पर भार पड़ेगा। भरतपुर और अलवर में चले जाइये, वहा जमीन ऐसी है कि उसमें सरसों और मूंगफली के सिवाय और कोई चीज बोई नहीं जा सकती क्योंकि रेतीली जमीन है, गेंहूं और चने कि फसल भी होती है पर ज्यादा जमीन ऐसी है जहां सरसों और मूंगफली बोई जाती है इस पर आपने टैक्स लगाया है, बिजली पर बढ़ाया है, रासायनिक खाद पर बढ़ाया है, अधिभार बढाया है, सैस लगाने की बात कही है, क्योंकि आपके दिमाग में यह बात थी कि आपने कृषि पर ३ अरब रुपया खर्च कर दिया, यह पैसा इन लोगों से वसूल किया जाय। पर आपने अपने नियोजन में ग्रामवासियों के लिये कितना खर्च किया है इस सम्बन्ध में मैं बिजली मंत्रीजी से गवाही दिलाना चाहूंगा वे साहस से कह दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के लिये कितना नियोजन दिया गया है केवल ८ करोड़

(श्री रामकिशन)

रूपया ग्रामों में विद्युती करण पर आपने दिया है आप हिसाब लगायेगें तो आपको पता चलेगा कि २० वर्ष में केवल ८ करौड़ रुपया ग्रामीण क्षेत्रो में बिजली देने के लिये खर्च किया है। जनरेटिंग कोस्ट को भी यदि मान लें तो २० २२ करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता।

वित्त मंत्रीजी ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा कि कहीं कोई यह नही समझ लें कि मुझे बड़े लोंगो से मोहब्बत है, यह कह कर आपने रेशम सर टैक्स लगाया। यह सब बड़े लोंगों के उपर की लड़ाई है। रेशम आज कौन पहनता है? आपने रेशम पर हाथ डाला, शराब पर हाथ डाला और यह कह कर कि लोग यह नहीं कहें कि आपको मिठाई खाने वालों से सहानुभूति है इसलिये आपने मिठाई पर भी हाथ डाला। मैं यह मानता हूं कि विकास के लिये टैक्स लगाने चाहिये पर टैक्स लगाने के साथ साथ दो शर्तें लगाना चाहता हूँ। शर्त यह है कि जो पैसा विकास के नाम पर टैक्स लगा कर वसूल किया जाय, उस पैसे को उत्पादन पर लगायें, उस पैसे को विलासिता पर खर्च मत करो। आप पैसा हम से लेते हैं, जो टैक्सेज से पैसा लेते हैं, गरीबों से पैसा लेते हैं और इसलिये लोगों से पैसा लेते हैं कि फिजुल खर्च में उस पैसे को खर्च करें, इसलिये हमारा आपसे विरोध है। आज मंत्रीयों की भीड़ बढ़ती जा रही है। चीनी मोर्चे पर यदि मंत्रीयों की फौज जाती है तो मैं कहूंगा कि इस फौज को बढ़ावें, पर आज इनके पास कोई काम नहीं है और आप फिजूल खर्च को बढ़ा रहे हैं। कई मंत्रीयों के पास तो केवल यह काम है कि किसी ने आकर कह दिया कि फला पटवारी का ट्रान्स्फर कर दो नहीं तो कांग्रेस खत्म हो जायगी और वे पटवारियों को ट्रान्स्फर का काम करते हे और कोई काम उनके पास नहीं है। तो में यह कहना चाहूंगा कि सबसे पहले इस फिजूल खर्ची को बन्द करें, विकास के नाम पर जो टैक्सेज से पैसा लोगों से लेते हैं उस पैसे को उत्पादन बढ़ाने के कामों पर खर्च करें।

आज आप राजस्थान के विकास की लम्बी चर्चाएं करते रहते हैं, पर राजस्थान में विकास है कहां? सिंचित क्षेत्र में हम अन्य राज्यों से पिछे हैं हिन्दुस्तान में एक लाख आदमियों के पिछे १०८ मील सड़क है, राजस्थान में एक लाख आदमियों के पीछे ५४ मील सड़क है, राजस्थान सड़क के मामले में भी पीछे है। बिजली के कन्जम्पशन को ले लिजिये हिन्दुस्तान में बिजली का कन्ज-म्पशन ५५ किलोवाट प्रति घण्टा है तो राजस्थान में ३२ किलोवाट प्रतिघण्टा। साक्षरता की बात आप करते हैं कि शिक्षा पर अधिक खर्च किया है में मानता हूं कि शिक्षा के मामले में पिछली दशा में सुधार हुआ है। इतना पैसा लगा है तो कुछ सुधार होना ही चाहिये लेकिन शिक्षा के मामले में भी बहुत पिछड़े हुए हैं, १४ का औसत हमारे यहां है और हिन्दुस्तान में २९

(१ म.प.)

का अनुपात है। जहां तक करों का वजन है आपने राजस्थान में कई राज्यों से ज्यादा डाल रखा है और आप कहते हैं कि राजाओं के समय जो राज था उस समय वाला राज नहीं रखना चाहते हैं। मैं ठीक मानता हूं, हमने भी संघर्ष में हिस्सा लिया है। जिस समय हमने राजाओं से राज लिया उस समय वो

(श्री रामकिशन)

चीजें थी जमीन ज्यादा थी और आदमी कम थे। अगर सही नियोजन करते तो परिणाम अच्छा होता। उत्तर प्रदेश और बिहार में विकास की संभावनायें कम थी क्योंकि एक वर्गमील की आबादी उत्तर प्रदेश में पौने पांच सौ तक पहुँच गई है जब राजस्थान में १२० है राजस्थान को फायदा भी मिला था। आप नुकसान की बात बताते हो और सदन भ्रांति में डालते हो। आपने विकास की सारी बातें समाप्त कर दी। बजट के हिसाब से, केन्द्रीय अनुदानों के हिसाब से आपने निवेदन किया है। मेरी चिंता सबसे बड़ी यह है कि योजनाओं का आकार निरन्तर घटता चला जा रहा है, तो राजस्थान का विकास अवरूद्ध हो जायगा। आपने इस साल ४९ करोड़ की योजना पेश की है। प्रति व्यक्ति व्यय घट रहा है। १९६२ के चीनी हमले के बाद हिन्दुस्तान की अर्थ व्यवस्था जिस तरह से लड़खड़ाई, किसी देश की नहीं लड़खड़ाई होगी। चीन अमरीका से लड़ रहा है, रूस से लड़ रहा है, तिब्बत से लड़ रहा है, हिन्दुस्तान को फटकार रहा है और योजनाओं को भी चला रहा है। उसका तरीका गलत हो सकता है। कल गोयल साहब ने कहा कि चीन की प्रति व्यक्ति आमदनी हम से ज्यादा है, लेकिन हमारी ज्यादा है, पाकिस्तान की हमसे ज्यादा है, चीन की हमसे कम है। सारी उपलब्धियों के बारे इस समय जिक्र नहीं करूंगा। मेरी चिंता यह है कि आपकी योजना का आकार घटता जा रहा है। आबादी ढाई प्रतिशत के हिसाब से बढ़ती जा रही है। इस सदन में भी कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको २० संतान होने का सौभाग्य प्राप्त है। मेरे दल के श्री नत्थीसिंह को कल परसों ही दो बच्चे पैदा हुए हैं.......

श्री भैरोंसिंह : अफसोस है कि नत्थीसिंह को मिठाई खरीदने के लिए लेगए, कहा माथुर साहब ने टैक्स लगा दिया।

श्री रामकिशन : स्थिति क्या है ? जब पंचवर्षीय योजना तीसरी समाप्त हुई १९६५-६६ की उस समय हमारी योजना का आकार ५३ करोड़ था। इसके बाद १९-६-६७ में ४८.८७ करोड़। आबादी बढ़ रही है योजना घट रही है। १९६७-६८ की योजना ३१ करोड़ रुपए की थी १९६८-६९ में ४८.४९ करोड़ और १९६९-७० में ४९.६० करोड़ का प्रस्ताव है। आप राजस्थान को कहां ले जाना चाहते हैं ? केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालने की क्षमता आपमें नहीं। जैसे दूसरी सरकारों ने योजनायें तैयार की हैं वैसी नहीं। केवल आप टैक्स लगा कर सदर की चर्चा करते हैं, रेशम की चर्चा करते हैं। इसमें विशेष प्रकार से उन लोगों की जो पिछड़े वर्गों के हैं उनकी हालत ज्यादा खराब होने वाली है। प्रति व्यक्ति खर्चे की सीमा घटती जा ही है उनकी स्थिति में निरंतर ह्रास होता रजा रहा है। इन सारी बातों पर आप क्या कहना चाहते हैं ? अगर कहें तो पाजिटिव ढ़ंग से कहें केवल टालमटोल कर पिछले २० सालों के भाषणों में जो बातें कहते आये हैं, ऐसा न करें मैं मानता हूं कि २० सालों में विकास हुआ है सिंचित क्षेत्र बढ़ा है लेकिन सारी बातों की चर्चा न करके इस समस्या के संदर्भ में आपको क्या कहना है, नहीं तो सारा मामला गिरा जायगा। यह तो आपने कर लगाए हैं उनका जिक्र मैंने किया।

(श्री रामकिशन)

आपने आबादी की जमीन के परिवर्तन की बात कही है। शहरों की आबादी बढ़ रही है यह दो कारणों से बढ़ रही है। एक तो शहरों की खुद आबादी बढ़ रही है और दूसरे हिन्दुस्तान में शहरीकरण की प्रक्रिया चल रही है। ग्राम का आदमी शहर में आता है, इस संदर्भ में जमीन परिवर्तन करने के लिए उनको छूट दें, एतराज नहीं। इससे राजस्व बढ़ेगा और आवास की समस्या हल होगी। लेकिन जो रेट्स रखे हैं उनका नतीजा क्या निकलेगा? जयपुर में आवास की रेट १२ रु० प्रति गज, व्यापार के लिए ५०), कन्वर्ट कराने के लिए १२, आपको देगा, जिसकी जमीन है उससे खरीदेगा, उसका नतीजा यह होगा कि हिन्दुस्तान में आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से मकान नहीं बढ़ रहे हैं और योजना आयोग के वैन्कटारामन, जो आवास व रोजगार सलाहकार हैं, न डिटेल में लेख पेश किया है।

इतनी बड़ी रेट के कारण मकानों का किराया बढ़ेगा। अगर आप मकान बनायें तो किरायेदारों के लिये मकानों की जरूरत ज्यादा है। जयपुर शहर में मेरे ख्याल से ५० प्रतिशत से ज्यादा लोग किरायेदार हैं। जब रेट इतनी ऊंची रखेंगे तो किरायेदारी बढ़ेगी। इसलिये इस प्रस्ताव पर इस दृष्टि से विचार करें कि इससे कहीं इतना किराया तो नहीं बढ़ जायगा कि गरीबों के लिये शहर में रहना मुश्किल हो जाय? सब जगह आपने रेट एक ही रखी १२) रु० की। जयपुर में भी अलग-अलग स्थान हैं। जैसे एम. आई. रोड पर १२) रु० में नुकसान नहीं, लेकिन झोटवाड़ा में ५) रु० भी ठीक नहीं इसलिये वर्गीकरण करें, जरूरत कहां है। म्युनिसिपल एरिया के नजदीक और दूर का अलग-अलग हिसाब नहीं रखेंगे तो दिक्कत होगी। बीच के लोगों को फायदा होगा और आवास की समस्या जो सुलझनी चाहिये वह नहीं सुलझ पाएगी।

इसी प्रकार आपने सिंचाई पर कर बढ़ाया है, बेटरमेन्ट लेवी बढ़ाई है। एक तरफ राजस्थान में अकाल मानते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि किसान की हालत खराब है। आप इसी साल पैसा लेना चाहते हैं। आपने इस साल खेती पर टैक्स लगाया है, यह अव्यवहारिक है। अकाल की स्थिति के कारण इन टैक्सेज पर आपको पुनः विचार करना चाहिये। बड़े किसानों पर टैक्सेज लगाये लेकिन कॉमर्शियल क्रॉप्स पर जितने कर लगाये हैं उन पर आप पुनः विचार करें। इसी प्रकार जो दूसरे टैक्सेज हैं, छोटे लोगों के लिये करों में ज्यादा छूट देने की कोशिश करें और इधर सरकार खर्च घटाने की कोशिश करे।

अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी की तरफ से मुझको ही बोलना है। तो सरकार इन सारी बातों पर सोचे और इस बजट का नया रूप लाने की कोशिश करे अन्यथा हम आज राजस्थान में बिल्कुल निराशा के वातावरण में बैठे हैं उससे बुरी स्थिति में चले जायेंगे। आपने किसानों की तारीफ करते हुए कहा है कि किसानों के लिये बड़े-बड़े आयोजन किए हैं। राजस्थान में उद्योगपतियों के लिए, व्यापारियों के लिए कॉमर्शियल बैंक्स ने ३० करोड़ रुपये का कर्जा दिया है और बजट भाषण में आपने कहा है। जबकि किसानों के लिये केवल एक करोड़ रुपये का कर्जा दिया है। राजस्थान में ८४ प्रतिशत आबादी किसानों की है उनको केवल एक करोड़ कर्जा और जो ७ प्रतिशत हैं उद्योगपति और

Page No 66

(श्री रामकिशन)

व्यापारी उनको ३० करोड़ कॉमर्शियल बैंक्स व सहकारी बैंक १२ करोड़ रुपये देंगे। राजस्थान के लोगों को कितनी जरूरत है, कितनी क्षमता है, किनको बढ़ावा देना है उस दृष्टि से योजना है। कॉमर्शियल बैंक्स पर दबाव के कारण आपने ऐसा किया है कि अगली बार तीन करोड़ का कर्जा देंगे। लेकिन आबादी कितनी है किसानों की और आवश्यकतायें कितनी हैं ? किसान चाहे कहीं से भी कर्जा लें। यहां भी धनी किसान हैं जिनके पास ५ बीघा जमीन और १० बीघा जमीन है, कॉमर्शियल बैंक्स से कर्जा नहीं ले सके तो राज्य सरकार योजना लाए कि कर्जा देने में प्राथमिकता कुएं बनाने के लिए और बीज-खाद के लिये, छोटे किसानों को दी जायगी। उनकी अगर आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो राजस्थान की भी सुधरेगी और ट्रैक्टर्स के लिये कर्जा दे दे लेकिन जो कर्जे से खरीद सकता है वह अपने पैसे से भी खरीद सकता है। किसान भी दो श्रेणियों के हैं—एक धनी किसान और दूसरे गरीब। राजस्थान में ९८ प्रतिशत वे किसान हैं जो १० एकड़ के नीचे हैं वे निर्धन हैं। तो कर्जे का वर्गीकरण करें तो अलग-अलग हिसाब से करें। आपने इन चीजों को नहीं देखा तो राजस्थान विशेष प्रकार के आर्थिक संकट में फंसेगा।

अध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्थान की खेती, राजस्थान के उद्योग, राजस्थान के कारखाने और रोजगार के सम्बन्ध में एक बात कहनी है। आज खेती नहीं सुधर रही है। यह ठीक है कि राजस्थान बना तब ३९ पर्सेन्ट रुपया खेती से आता था। अब के साल ६६-६७ में ४३ पर्सेन्ट बताया। मैं मानता हूं खेती में कुछ सुधार हुआ है। यह मत मानें कि जैसा सुखाड़ियाजी प्रचार करते हैं कि खाद-बीज के कारण हुआ है, उसमें एक हिस्सा उसका भी है लेकिन हमारी खेती का एरिया निरन्तर बढ़ा है। जहां वह १ करोड़ १९ लाख था वहां अब वह ३.८० करोड़ हो गया है। इस सारे सन्दर्भ में आप देखेंगे तो हमारी खेती बड़ी पिछड़ी हुई है। जहां अन्य जगह एक एकड़ में ४१४ रुपये की पैदावार ली जाती है वहां राजस्थान में २१४ रुपये की पैदावार ली जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी खेती में काफी तरक्की की जरूरत है। बुवाई के लिये आपने ए. ई. ओज. लगा रखे हैं। यदि रोजगार के लिये उनको रखते हैं तो रखें वरना वे कुछ भी नहीं करते हैं। पंचायत समितियों के लोग बुलाते हैं तो वे खुद कहते हैं कि कोई काम नहीं है। लोन वापिस ले लिया, ग्रान्ट मिलती नही। केवल उनको तनख्वाह मिलती है। विकास अधिकारी के पास जीप है और बढ़िया बीबी हो तो सिनेमा में चले जायं। जो धन है उसको खेती में लगाइये, कारखानों में लगाइये। पंचायत राज्य चलाया और केवल पद्मश्री दिला दिया। आपने प्रयोग किया। आप का प्रयोग असफल हो गया। रूस में भी प्रयोग किये गये और असफल हो गये तो उनमें परिवर्तन कर दिया गया। तो मेरा सुझाव है कि पंचायतों को मजबूत बनाइये और इन पंचायत समितियों को समाप्त कर दीजिये। ८ करोड़ का इनमें अपव्यय होता है तो उसको देश के दूसरे निर्माण के कामों में लगाइये। वरना तो हर साल टैक्स लगाने की बात रहेगी। बिक्री टैक्स कामधेनु की आपने वित्त मन्त्रीजी पूंछ पकड़ रखी है और उससे स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग तो नहीं जावेंगे वह आपको नरक में जरूर ले जावेगी।

राजस्थान के राजा-महाराजाओं के संबंध में सुखाड़ियाजी बोल रहे थे तो कह रहे थे कि

(श्री रामकिशन)

मेरा लड़ने का स्वभाव नहीं है, वे रामानंदजी से उलझ रहे थे। आपका स्वभाव मधुर है। हम भी कोई लड़ने वाले स्वभाव के नहीं हैं। हमारा आपसे अधिक स्वभाव मधुर है। राजा-महाराजाओं से हम नहीं लड़ते। न राजाओं से, न महाराजाओं से और न सेठ और सेठानी से हम लड़ते हैं। आकर्षक चेहरे होते हैं उनके प्रति हमारी सहानुभूति है।

आपके राज्य की व्यवस्था का सवाल है। राजा-महाराजाओं से विरोध का सवाल नहीं है। हमारे पास आर्थिक साधन नहीं हैं। राजस्थान भूखों मरने जा रहा है, देश भूखा मरने जा रहा है, प्लानिंग कमीशन में जाओ और खर्चा बांधने का करो। चाहे × × × हो और चाहे × × × हो किसी के लिये पन्द्रह सौ से अधिक खर्च करने की छूट न हो। वरना कितने ही टैक्स बढ़ाओ, वह सुरसा के मुंह की तरह से बढ़ते ही जावेंगे। इसलिये खर्चे पर सीमा लगाओ। पार्लियामेन्ट में बिड़ला को क्रिटिसाइज करते हो लेकिन जब काम पड़ता है तो चरतराम भरतराम को याद करते हो। उनसे दोस्ती करोगे, फिर दोस्ती किससे करोगे और लड़ोगे किससे ?

राजस्थान में बिजली की खूब चर्चा की जाती है। भरतपुर में शिवचरणजी कहते हैं कि बिजली की खपत कहां होगी, इसकी उनको चिन्ता है। आप की चिन्ता दूर हो इसका कारण बता देता हूं। आप चिन्ता मत करो और रात भर अपनी नींद खराब मत करो। सुखाड़ियाजी ने बिजली देने का तरीका निकाला, अच्छा है। भरतराम चरतराम रहते हैं तो राजस्थान की बिजली की खपत बढ़ती जावेगी और किसान बिजली के बिना ही रह जावेगा। मैं स्वर्गीय केरो साहब की तारीफ करता हूं। उन्होंने कहा कि पंजाब में १ करोड़ से अधिक की लागत के कारखाने प्राइवेट सैक्टर में नहीं लगेंगे, लगेंगे तो पब्लिक सैक्टर में लगेंगे। आप समाजवाद नहीं ला सकते। यह काम तो आप हम पर ही छोड़ दीजिये, हम इसको देख लेंगे। हम पूंजी को डिसेन्ट्रलाइज करके ऐसे उद्योग चाहते हैं जिससे आदमी ज्यादा रोजगार में रहें। बिजली ज्यादा लग जाय। लेकिन आप चरतराम भरतराम की दोस्ती छोड़ कैसे सकते हैं ? सेठों से दोस्ती होती हैं तो गहन और गम्भीर होती है। राजस्थान का निर्माण करना चाहते हो तो नयी दिशायें नये तरीके पकड़ो वरना राजस्थान बनने वाला नहीं।

आपने कुछ संशोधनों की सूचना दी। आपने गांधीजी की बातें कहीं। मैं इसमें एक दो बातें जोड़ना चाहता हूं। मुझे आशा नहीं है कि वे जुड़ पायेंगी। किस तरह से काम करेंगे वह आपका काम है। सामाजिक तौर पर राजस्थान में और देश में क्रान्ति लानी चाहिये थी। हिन्दुस्तान के रोग दो हैं। योरोप में आर्थिक असमानता का रोग है। पैदावार है उसके बंटवारे का सवाल है। किन्तु यहां पर पैदावार और असमानता दोनों रोग हैं। इस देश की प्रगति रुकी हुई है तो जाति-पांति के कारण रुकी हुई है। जाति को तोड़ने की कोशिश नहीं की। मेहतर रहेगा लेकिन सिर पर मैला नहीं ढोयेगा। क्यों नहीं ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, बनिये-हरिजन लड़की का पालन पोषण करें तो ५० रुपया माहवार उनको इनाम दें। हरिजन का सम्मान बढ़ेगा और ब्राह्मण का मान टूटेगा। लेकिन आप जातियों

×अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

(श्री रामकिशन)

को तोड़ना कहां चाहते हैं ? ऊपरी तौर पर हाथ फेरना चाहते हैं जिससे आप पीछे बैठने वालों का समर्थन प्राप्त करते रहें। सरकारी सेवाओं में उनको भरती करो जो जाति-पांति तोड़ कर शादी करेगा। यह नहीं कि ब्राह्मण और सनाढ्य में शादी हो गयी। मैं संविधान की भावनाओं को समझ रहा हूं। जो हरिजन, आदिवासी मुसलमान से शादी करेगा उसको पैन्शन में फायदा देंगे इस प्रकार का कोई आप प्रयोग करें तो गांधीजी की आत्मा को शान्ति मिल सकती है। केवल नल-बिजली लगा दोगे इससे कुछ होने जाना नहीं। × × × ने भी खूब लगाये लेकिन उनसे जाति-पांति टूटी नहीं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य व्यक्तिगत और सदन की माननीय सदस्या हैं उनके लिये इस प्रकार न कहें। नाम को इसमें से निकाल दिया जाय।

श्री रामकिशन : मैं व्यक्तिगत तौर से नहीं कह रहा था। खैर। यह माथुर साहब से कह रहा था कि इस प्रकार की व्यवस्था करें।

मुझे अन्तिम बात कहनी थी। योजना के आकार प्रकार और सबका जिक्र किया और यह भी जिक्र किया कि सामाजिक क्रान्ति लाओ। अन्त में मैं बेरोजगारी के लिये दो शब्द कहना चाहता हूं। बेरोजगारी का एक व्यापक प्रश्न बन गया है। राजस्थान को अगर कोई खायगी तो यह बेरोजगारी ही खायगी। जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार नही दे सकें तब तक उनको भत्ता दें! आप पर इस प्रकार का वजन पड़ेगा तो उसके लिये रास्ता भी निकलेगा। आप अपना दूसरा व्यय भी कम कर सकेंगे। यह जो बजट वित्त मंत्री महोदय ने रखा है उससे मुझे निराशा ही होती है। इससे मुझे कोई आशा नहीं और मेरी संतान को भी इस बजट से कोई आशा नहीं।

श्री अध्यक्ष : डॉ० अम्बालाल !

डा० श्री अम्बालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट का मैंने अध्ययन किया है और ऐसा दिखाई देता है और मालूम होता है

(१.२० म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

कि यह बजट बड़े गर्म वातावरण में पेश किया गया है। राजस्थान में जैसा अकाल पड़ा हुआ है, सदियों से ऐसा अकाल नहीं पड़ा है। यह बजट उससे प्रभावित हुआ है। माननीय वित्त मन्त्रीजी ने इसको छिपाकर यह दुःखद बजट आपके सामने रखा है। मैं नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह संकट आये दिन बढ़ता आ रहा है। इस पर शुद्ध विचार नहीं किया गया है। इसमें संदेह नहीं कि मन्त्रीजी, मुख्य मन्त्रीजी व्यक्तिगत रूप से इसके लिये सहायता लाये हैं। कई दानवीरों ने रुपया दिया है। फिर भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का जो भार है वह एक प्राकृतिक कारण तो है ही, इसका तात्कालिक कारण भी है। आप देखेंगे कि किस प्रकार से लाखों आदमी इससे प्रभावित हुए हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने कहा है, बार-बार कहा है कि एक आदमी को नहीं मरने देंगे। मैं यह बात मान सकता हूं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(डा० श्री अम्बालाल)

चाहता हूं कि एक नहीं, हजारों आदमी, इसमें कोई सन्देह नहीं है, इस प्रकार के कई लोगों को मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, मारवाड़ से चलकर आये हैं। उनकी बड़ी दयनीय दशा है। उनकी हालत बड़ी खराब है। हालांकि वे मरे नहीं हैं परन्तु उनकी हालत दयनीय होती जा रही है। यह विकट बात है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस अकाल के लिये जो आपने शार्ट रास्ता अपनाया है, उसके लिये मुझे दुःख है। आप कहते हैं कि हमने परमानेंट काम किया है। मैं निवेदन कर दूं कि ऐसा कोई काम नहीं किया है। सीमा पर जो गांव पड़ते हैं, उन स्थानों को लोग छोड़ कर जा रहे हैं। कई सौ आदमी पाकिस्तान में चले गये हैं। वे वहां अरक्षित हैं। इस समस्या को हल करने के लिये राजनैतिक दृष्टि से, राज्य के हित की दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से, सब दृष्टियों से इस समस्या का हल निकालना चाहिये। अगर हल नहीं निकालते हैं तो क्या परिणाम होगा ? मैंने निवेदन किया कि लाखों लोग अकाल के शिकार हो रहे हैं सीमा पर, उनकी भावनाएं किस प्रकार की हैं, उनको आप जानिये।

इसके अलावा एक बात और बताऊं। कई जगह राजस्थान के दूसरे भागों में इस अकाल के कारण कन्वर्शन हो रहा है। मैं इस कन्वर्शन को बुरा नहीं मानता हूं। कोई भी आदमी सिद्धान्त का रास्ता अपना कर, विचार की पद्धति अपना कर कन्वर्ट होता है, तो बुरा नहीं है। परन्तु आदमी अकाल की भूख से, पेट की ज्वाला से अपने आपको बचाने के लिये वहां चले जाते हैं। यह बड़ी शर्म की बात है। इस सम्बन्ध में जो काम करते हैं मि० भारती वे बांसवाड़ा से आये थे, उन्होंने मुझे कहा कि कई जगह आदिवासी लोग बड़े दुःखी हैं और वे ईसाई बन रहे हैं। हमने उनसे पूछा कि कौन हो ? हम ईसाई हैं। तुम ईसा बाईबिल जानते हो ? उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर पूछा तुम महात्मा ईसा का नाम जानते हो, उनका नाम जानते हो ? हम कुछ नहीं जानते हैं। हमें अन्न देकर बनाया है। यह बड़ी शर्म की बात है। मनुष्य को इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करना पड़े, पेट की ज्वाला के कारण परिवर्तन करना पड़े, यह हमारा दुर्भाग्य है। इस पर आपको ध्यान देना है। इसका वही परिणाम होगा, जो नागालैंड में हो रहा है। इस सम्बन्धी रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी तो आपको मालूम होगा कि हजारों, लाखों आदमी अज्ञान के कारण, पेट की ज्वाला के कारण, अन्न के कारण धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं। मैं इसे कम साम्प्रदायिक नहीं मानता हूं। इस तरह जनता अपने पेट को बेचकर, आत्मा को बेचकर, धर्म परिवर्तन करे, यह आपके दुष्काल के कारण बड़ा भारी फल मिल रहा है। यह कई जगह हो रहा है, अजमेर के टाडगढ़ में, पहाड़ी इलाकों में और उन इलाकों में जहां आदिवासी लोग रहते हैं, सब जगह पर मिशनरी लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। इन मिशनरियों के लिये लाखों रुपया विदेशों से आता है और सिर्फ इसीलिये आता है। इस काम के लिये वे तैयार किये जा रहे हैं। मेरे मित्र ने भी कहा, क्या करें ? इन मिशनरियों का सिद्धांत है ध्येय है कि आगामी ३० वर्षों में बहुत बड़ा क्रिश्चिनिस्तान इस हिन्दुस्तान में बनाना चाहते हैं। और जो शार्ट रास्ता आप अपना रहे हैं इस अकाल के लिये, उसमें यही

(डा० श्री अम्बालाल)

हो जायेगा। इसके लिये आप शीघ्र नहरें खुदवावें। मैं कहना चाहता हूं कि अकाल पीड़ितों के लिये जो कुए आप खुदवावें, उसमें ढिलाई न करें। जो कुए खुदवाएं वे कान्ट्रेक्टरों से खुदवावें। तकावी के रूप में पैसा न दे। तकावी लोग खा जाते हैं। वह तकावी किसानों को पूरी नहीं मिलती इसलिये कुए खुदवावें, मशीनें वगैरह और साधन लगाकर दें। राजस्थान में बड़े-बड़े टीबे हैं उनको आप साफ करें और उस जमीन को आप आबाद करें और वहां लोगों को बसाने की व्यवस्था करें। इस सम्बन्ध में आपको परमानेन्टली व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप इसके लिये, सारे देश के विद्वानों को, इस विषय के एक्सपर्ट को इकट्ठा करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा देश जिसकी २५ लाख की आबादी है, जो एक छोटे से स्थान पर है और चारों ओर से अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है, उसका नाम इजरायल है, उसकी फारेन पॉलिसी क्या है, उसको आप छोड़ दें, उस छोटे से देश ने जिसकी आबादी २५ लाख है, विज्ञान के द्वारा अपने देश को सर-सब्ज कर लिया है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सब खुशहाली ईश्वर प्रदत्त नहीं है। हां भगवान की भेजी हुई है किन्तु भगवान का नाम ज्ञान भी है, प्रकृति भी है। आज विज्ञान के द्वारा प्रकृति के ऊपर चन्द्रलोक में जा रहे हैं। मंगल पर जाने के उपाय सोचे जा रहे हैं। समुद्र का मन्थन कर रहे हैं, उसमें से रस निकाल रहे हैं, जिसकी कि कल्पना भी नहीं की गई थी, वह कार्य आज आप कर रहे हैं। तो क्या दुष्काल को आप दूर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यदि सारी शक्ति आप इसमें लगा दें तो यह कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब हम पार्टी के ऊपर उठकर, बढ़कर इस देश की समस्या को हल करने की सोचेंगे। मुझे विश्वास है जो आवाज संकट के समय शास्त्रीजी ने उठायी थी, सारा देश हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक एक हो गया था। सुखाड़िया साहब, मन्त्री महोदय या आपकी सरकार सचमुच यह कार्य करना चाहती है, यह समस्या हल करना चाहती है, तो सबका सहयोग आपको मिल सकता है।

दूसरी बात इसी सिलसिले में राजस्थान नहर के लिये कही गई है। मुझे इसका विशेष अध्ययन नहीं है। उधर से आने वाले माननीय सदस्यों से मैं मिल नहीं सका हूं। मुझे मालूम नहीं कि राजस्थान नहर से कम से कम ६७ प्रतिशत इस समस्या का हल किया जा सकता है। अगर हल कर सकते हैं, तो जरूर करना चाहिये। परन्तु जिस रफ्तार से राजस्थान नहर पर काम चलाया जा रहा है वह द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ता ही जायेगा। उसका कोई अन्त नहीं होगा। दस साल तक इसका अन्त नहीं होगा। लेकिन इसका एक ही उपाय है। सुखाड़िया साहब और सारी केबिनेट जितना भी उसका प्रभाव है, उसका उपयोग करके केन्द्र से इस समस्या के लिये, राजस्थान को सचमुच बढ़ाना है, राजस्थान को जीवित रखना है तो केन्द्र से सहयोग ले, रुपया ले और इसको पूरा करे। दूसरा कोई हल मेरे सामने नहीं है। अगर तीन वर्षों में हम इसको पूरा न कर सके, केन्द्र से रुपया न खीच सके तो इसके पानी का उपयोग दूसरी स्टेट्स कर लेंगी। हरियाणा, पंजाब ले लेंगे, अगर इसी रफ्तार से यह नहर बढ़ती

(डा० श्री अम्बालाल)

रहीं तो यह नहर पूरी बनने वाली नहीं है। आपको तीन वर्ष का समय है इसलिये मेरा निवेदन है कि सारी शक्ति लगाकर कहें, केन्द्र से कहें तो इस नहर को पूरा कर सकेंगे। आदरणीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा के ऊपर भी कहना चाहता हूं। आज हमारा देश, प्रान्त शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गया है। एकमत होकर मान रहे हैं, कह रहे हैं, इसकी कल्पना नहीं थी। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। हमारी शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हमें करना होगा। बेकारी बढ़ती जा रही है, श्रम प्रधान और श्रम उन्मुख हमें अपनी शिक्षा का ढांचा खड़ा करना होगा। शिक्षा का अर्थ केवल नौकरी करना ही नहीं रहेगा। इस शिक्षा के उसी पुराने टूटे-फूटे ढर्रे के कारण आज छात्र में निराशा व्याप्त है। अगर यही शिक्षा दो-चार वर्ष और कायम रही, इसको आमूलचूल बदलने का प्रयत्न ईमानदारी से आपने नहीं किया तो मैं निश्चय रूप से यह कहता हूं कि छात्रों में जैसी निराशा घर करती जा रही है वह एक दिन रंग लावेगी। आज तो यह हालत है बहुत से छात्र मेरे पास आते हैं कहते हैं, मेरी सिफारिश कर दीजिये नौकरी के लिये। उनको तो आज चपरासी की जगह नहीं मिलती। वे लेकिन कहते हैं We are not shaking. आप हमारा थोड़ा सहारा लगा दीजिये। हम बढ़ जायेंगे। जो रोग हमारे समाज में आज लग गया है, उससे निराशा है। छात्रों की निराशा विद्रोह की जननी होती है, क्रान्ति की जननी होती है। यह निश्चयपूर्वक बात मैं आपको बता रहा हूं। आज फ्रांस का और पाकिस्तान का हाल देख लीजिये। आपके सामने है। आज जो हम कर रहे हैं उसका पांच वर्ष बाद क्या फल आवेगा और देश को आज की यह छात्रों की अशांति कहां ले जावेगी, उसके परिणामों की मैं कल्पना करता हूं तो बड़ी निराशा हाथ लगती है। आज छात्रों में ब्रेन ड्रेन हो रहा है।

डॉ० खुराणा को नोबल प्राइज मिला। वह अमेरिका चला गया तो मिल गया। अगर हिन्दुस्तान में रहता तो कहां रहता ? कहां होता आज ? वह आज हमारे नेताओं की दया का पात्र होकर घर-घर की भीख मांगता फिरता होता। सिफारिशें कराता फिरता। हमारे यहां का एक पी. एचडी. किया हुआ विद्वान, जिसने वैज्ञानिक रिसर्च किया, आया था चार-पांच वर्ष पहले, मिला था मुझसे। मैंने कहा भारत में क्यों नहीं आ जाते। उत्तर दिया कि क्या मैं यहां वहां फिरता रहता और उन लोगों से भीख मांगता। एक इसी तरह के विद्वान थे। डाक्टरेट किया था उन्होंने। ११ वर्ष तक पूल में रहे। कहीं जगह नहीं मिली। नौकरशाही के चक्कर में पड़े रहे। एक बार हिम्मत करके जवाहरलालजी से मिले। तब कहीं जाकर उनको कहीं जगह मिली। तो यह ऐसा रोग हमें लग गया है भ्रष्टाचार का जो हमें लील लेगा किसी दिन। इस रोग का निवारण अगर नहीं हुआ तो देश का क्या भविष्य होगा, भगवान ही जाने।

छात्रों में आज निराशा व्याप्त है। मैं निवेदन करूं कि आज भ्रष्टाचार का चारों ओर बोलबाला हो रहा है। समझ में नहीं आता कि क्या भ्रष्टाचार है और क्या नहीं है। मैं तो समझता हूं कि किसी प्रकार से भी अपने उत्तरदायित्व का, कर्त्तव्य का न पालन करना यह सब भी भ्रष्टाचार है।

(डा० श्री अम्बालाल)

आज तो यह इतना बढ़ गया है, मेरा तो यह नम्र निवेदन है कि, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस सन्देश को अगर आप पहुँचा सकें तो सब जगह दूर-दूर तक पहुँचा दीजिये कि इस सारे भ्रष्टाचार को सरकार लीगेलाइज कर दे। इसे कानूनी अधिकार दे दीजिये। एक्ट पास कर दीजिये जो कमा सके कमावे। आधे में देवी-देवता और आधे में खेतरपाल।

तो इस प्रकार से हम आज जो इस भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन और बढ़ावा दे रहे हैं हर क्षेत्र में यह हमारी पूरी तरह से राजनैतिक बेईमानी है जो इस भ्रष्टाचार को सर्वत्र प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप इसे लीगेलाईज भी कर सकते हैं। आप देख लीजिये विचारधारा क्या है आपकी और दूसरों की, इसको ताक में रख कर आप किस तरह दबाव से और प्रलोभनों से इधर से उधर लोगों को ले जाते हैं, लोग भी चले जाते हैं। यह डेमोक्रेसी को कितना घातक रोग लग गया है। हरियाणा में तो एक सज्जन इस भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर प्रलोभनों में फंस कर तीन-चार बार अपना पक्ष बदल चुके हैं। डेमोक्रेसी को कितना खराब रोग लग गया है? अभी थोड़े दिन पहले कामाख्या नारायणसिंह के लिये कहा गया कि वे कितने आचरण भ्रष्ट आदमी हैं। आज जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है राजनैतिक जिसमें गांधी, तिलक, लाजपतराय सरीखी हस्तियां हुई, आज उसका कितना बड़ा नैतिक अधः-पतन हो गया है कि यह इस तरह के इतने निम्न स्तर पर भी पहुँच गई है और इतनी जल्दी। निजलिंगप्पा सेक्रेटरी हैं उसके, वे कहते हैं....

श्री रघुनाथ विश्नोई : सेक्रेटरी नहीं, अध्यक्ष।

डा० अम्बालाल : क्षमा करिये। करीब-करीब ८० वर्ष का हो गया हूं। गलतियां हो जाती हैं। तो कांग्रेस के अध्यक्ष यह कह देते हैं कोई आपत्ति नहीं है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सब क्षम्य है। तो यह देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसको तुरन्त किस तरह से बन्द किया जा सकता है, देश का दर्द जिनके दिल में है, देश का भविष्य जो सुन्दर देखना चाहते हैं उन दार्शनिकों को चिन्तकों को, देश प्रेमियों को चाहिये कि वे इसके लिये कोई रास्ता निकालें। आज कोड ऑफ कन्डक्ट की बात की जाती है। इससे कुछ नहीं होने वाला है अब तो यह रोग कैंसर का रूप धारण कर गया है। हमारे स्वार्थ और सत्ता की बेशुमार भूख बहुत बड़ी बाधा बन कर खड़ी है। यह रोग सभी पार्टियों में करीब-करीब लग गया है। मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। एम. पी. में आज हालत यह है कि चालीस लोग फिर स्वार्थवश इधर से उधर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आप मानें या न मानें, पसन्द करें या न करें मैं एक अपील आपसे करना चाहता हूं यह सब हमारी आंखें खोलने के लिये काफी होना चाहिये। नहीं तो पता नहीं देश कहां जावेगा। यह आप देख लीजिये।

मैं निवेदन कर रहा हूं आप इस दृष्टि से देखें। अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो जल्दी ही कुछ करना होगा। नहीं तो बड़ी निराशा ही निराशा नजर आ रही है। लोग निराश हो रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी फेल हो रही है। मैं एक बहुत बड़े कांग्रेसी की यह बात कह रहा हूं। मेरे पुराने मित्र हैं। आज भी बहुत से मेरे कांग्रेसी मित्र हैं। आज भी उनके साथ मेरे वैसे ही सम्बन्ध हैं। अगर यह डेमोक्रेसी

(डा० श्री अम्बालाल)

फेल हो गई तो टोटेलिटेरियन शासन यहां आवेगा। इसका उपाय यही है कि हम इसे हर सूरत में बचाने की कोशिश करें। इसका एक उपाय मुझे यह सूझ रहा है आप उस पर विचार करें। अमेरिका के पेटर्न पर राष्ट्रपति का शासन यहां कर दीजिये। यह विचारणीय बात है। अभी हमारे केन्द्र के नेता, जिनके हाथ में सत्ता है, यह मानने वाले नहीं हैं। चार आना भी सत्ता उनके हाथ में रहेगी, तब तक मानने वाले नहीं हैं। अगर आप देश का हित चाहते हैं तो ईमानदारी से देश हित की बात को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर चलें। प्रान्तवाद और भाषावाद के नारे लगाना और उस दिशा से सोचना छोड़ दीजिये। हमारा राष्ट्र एक है, राष्ट्रवाद की भाषा में सोचना शुरू करिये। प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या समझ कर भाषावार प्रान्तों के निर्माण की बात मानी। मैं इसे दुर्भाग्य की बात मानता हूं। भाषा के नाम पर, प्रान्त के नाम पर खून-खच्चर हो रहा है। शिव सेना और कई सेनाओं का हाल देखिये। देश में विघटन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। यह भाषावाद और प्रान्तवाद की बातें समाप्त कर दीजिये। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेन्ट बनाइये। लेकिन आप सेन्टर को कमजोर मत बनाइये। यह आज नहीं तो कल आपको बनानी पड़ेगी। इसके सिवाय देश के सामने कोई चारा नहीं है।

जहां से मैं आया हूं मेरे क्षेत्र अजमेर में कुछ स्थानीय समस्याएं हैं। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व का है। चित्तौड़ के बाद ऐतिहासिक दृष्टि से अजमेर का नम्बर आता है। अजमेर का स्वाधीनता में बहुत योगदान था, पथिकजी थे, अर्जुनलालजी सेठी थे ये सब मध्य भारत और राजस्थान में काम करने वाले थे, माणिक्यलालजी ये हमारे सबसे पुराने साथी थे। दूसरे मैं निवेदन करता हूं राजधानी के नाते जयपुर का स्थान तो है ही उसके बाद अजमेर पर ध्यान देना चाहिये। तारागढ़ को पर्यटकों का केन्द्र बनाना चाहिये, वहां पर सड़क का विस्तार करना चाहिये। उसके बाद आनासागर है। बड़ी सुन्दर जगह है इसको पर्यटकों का केन्द्र बनाना चाहिये। अजमेर से इसको रेल्वे लाइन से जोड़ना चाहिये। दूसरे, मैं कारखानों के बारे में निवेदन करूंगा। वहां केवल अभी एक एच. एम. टी. का कारखाना है, अभी मेडिकल कॉलेज भी आया है कोई व्यापार वहां नहीं है। सबसे ज्यादा वहां व्यापार को प्रोत्साहन देना चाहिये। ख्वाजा साहब की दरगाह वहां मुसलमानों का बड़ा तीर्थ स्थान है, दुनियां भर के मुसलमानों का आवागमन रहता है। पुष्कर के कारण सारे भारत के हिन्दू वहां पहुँचते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि अजमेर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

अब मैं शिक्षा के बारे में निवेदन कर दूं। शिक्षा के सम्बन्ध में अजमेर में एक भी गवर्नमेन्ट का गर्ल्स कॉलेज नहीं है, हायर सैकेण्डरी स्कूल गर्ल्स का नहीं है। जितने प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स हैं वे बहुत फीस लेते हैं। वहां छात्र बड़ी मजबूरी में जाते हैं, यह बड़े दुःख की बात है और जो भी एडमीशन के टाइम बड़ी भयंकर स्थिति होती है। बड़े अच्छे नम्बरों से पास विद्यार्थी रह जाते हैं उनको एडमीशन नहीं मिल पाता है। अजमेर में कॉलेज खोलिये, गर्ल्स हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलिये। शिक्षा के बारे में मैंने यह निवेदन किया। दूसरे शिक्षितों में भयंकर बेकारी की समस्या बढ़ रही है। आप बड़ी-बड़ी

(डा० श्री अम्बालाल)

मिलें खोलना चाहते हैं लेकिन मैं कहता हूं आपको छोटे उद्योग-धन्धे भी खोलने चाहिये। कॉटेज इण्डस्ट्रीज की चीजें खोलनी चाहियें। जापान में जिस तरह घर-घर के अन्दर चीजें बनाई जाती हैं, वहां का यह काफी बड़ा उद्योग है। अगर आप इसमें मूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो समस्या का कोई हल नहीं होगा।

आज सबसे बड़ी बात हरिजन और गरीब वर्गों के उद्धार की बात है, अगर आपने इनका उद्धार नहीं किया तो आपका बजट केवल दिखावा रह जायगा। पुष्कर का क्षेत्र बड़े महत्व का है। श्रीमती प्रभा मिश्रा हैं, वे पुष्कर से आई हैं। मैं निवेदन करूंगा पुष्कर को सुन्दर बना दें। गर्मियों में पानी सूख जाता है। मैं निवेदन करूंगा आपको फेमीन की समस्या को हल करना होगा।

आज से हजार वर्ष पहले एक महापुरुष हुये थे। उनका नाम विष्णुगुप्त चाणक्य था। उन्होंने फेमीन के बारे में एक शब्द कहा है बड़ा सुन्दर श्लोक है—किसी कारण से अति वृष्टि से, अना-वृष्टि से मरण हो तो बड़ा दुःख होता है। राजस्थान पर उनका उत्तरदायित्व है अर्थात् उस जमाने में चाणक्य के जमाने में अति-वृष्टि, अना-वृष्टि होती थी लेकिन उनका कहना था कोई आदमी इससे न मरे। आज से हजारों वर्ष के पहले के शासन में—चन्द्रगुप्त के शासन में यह व्यवस्था की थी। ऐसे क्षेत्रों में हजारों ऊंट जाते थे, बैल जाते थे जहां फेमीन होता था और उनके लिये सामान पहुंचाया जाता था। आज मैं हजार वर्ष पुरानी बात कह रहा हूं आज तो यह होना ही नहीं चाहिये जहां इतने तीव्रगामी संचार के साधन हैं। इतने आदमी मर रहे हैं, इतने जानवर मर रहे हैं। हजारों की तादाद में जानवर बाहर जा रहे हैं। अब कोई लौटकर वे आने वाले नहीं हैं। इसका इन्तजाम नहीं कर सकें तो फिर आपने अपने शासन में क्या किया ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : लिखने वाले को सुनाई ही नहीं पड़ रहा है....

श्री मनोहरसिंह मेहता : बाद में देख लेंगे। सुनने से क्या होता है ?

डा० श्री अम्बालाल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी एक विचारक हुये थे। वे महात्मा थे, राजनीतिज्ञ थे, धर्मात्मा थे। इतने वर्ष हो गये अभी तक आप लोगों में कोई वैराग्य नहीं आया। क्या गान्धीजी की दृष्टि थी ? गान्धीजी के स्वप्न आंशिक रूप में भी पूरे नहीं हुये हैं। शराब बन्द करना चाहते हैं, शराब बन्द कर दीजिये। शराब जब तक बन्द नहीं होगा, समाज का कल्याण होने वाला नहीं है लेकिन इसके साथ-साथ दूसरे साधन उपलब्ध करायें। मजदूर आदमी जिनके जीवन में कोई चीज है तो शराब। शाम को जाकर वह शराब पीयेगा। मैं आपको बम्बई की बात बता रहा हूं—मैं शराब का दुश्मन हूं लेकिन इसके साथ दूसरा उपाय करना होगा। बम्बई में जहां मैं ठहरा था वहां यह कहा जाता था चाहे जितनी शराब ले लीजिये, वहां कोठियों में शराब बनती है। वहां जमीनों के अन्दर शराब खूब बनाई जाती है। मजदूर लोग रात में जाते हैं और शराब पीते हैं। शराब पर आपको टैक्सेशन बढ़ाना चाहिये। शराब बन्द हो जायगी लेकिन शराब बन्द करने के साथ-साथ गरीब लोगों को कुछ न कुछ साधन अवश्य दीजिये,

(डा० श्री अम्बालाल)

जिससे उनकी नैतिकता बढ़े, सदाचार बढ़े, आर्थिक वृद्धि हो। अगर आपने यह नहीं किया तो गरीबों का विकास नहीं होगा। इस आन्दोलन को तीन तरह से कीजिये–शराब बन्द कीजिये, लोगों को तैयार कीजिये और लोगों को एम्यूजमेंट के साधन दीजिये।

गान्धीजी हमारे पिछड़े हुये वर्ग के लिये जाने क्या-क्या कहते थे। उन्होंने उनके लिये जीवन की बाजी लगा दी थी। वे उनका पूर्ण उद्धार करना चाहते थे। डॉ० अम्बेदकर एक महा पुरुष हुये हैं, महात्माजी से वे मिले थे–बड़े अच्छे विचार थे उनके। लेकिन आज तो इन पिछड़े हुये वर्गों पर भयंकर अत्याचार हो रहा है। गान्धीजी ने अपने जीवन की बाजी लगा दी, किसके लिये लगा दी? हरिजनों के उत्थान के लिये, परिगणित जाति के उत्थान के लिये, गरीबों के लिये। क्या आप आज कह सकते हैं महात्मा गान्धीजी का स्वप्न आंशिक भी पूर्ण हुआ है? उनके दिल में उनके लिये हमदर्दी थी मैं इस बात को बहुत अनुभव कर रहा हूं। उनको आप समकक्ष नहीं बनायेंगे तब तक गान्धीजी का स्वप्न पूरा होने वाला नहीं है। अम्बेदकर जैसे आदमी हमारे देश में हुये हैं। वे बड़े महापुरुष थे उन्होंने हरिजनों के उत्थान के लिये बहुत काम किया है। इसलिए मैं कहता हूं इस रोग की जड़ का निराकरण कीजिये। इनको आगे आने दीजिये। भगवान बुद्ध भी इसी भूमि पर हुये थे, भगवान महावीर भी हुये थे वे इस बात के घोर विरोधी थे। रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है कि परमात्मा कहाँ रहता है? परमात्मा कोई जगलों में नही रहता है गरीबों की आत्मा में रहता है। भगवान का निवास वहीं होता है जैसा स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि भगवान का निवास मनुष्य के मन में ही है। अगर आप देश को ऊंचा उठाना चाहते हैं और सोशियलिस्टक पैटर्न के ऊपर देश को बनाना चाहते हैं और सचमुच गांधीजी के सिद्धान्तों को मानना है, उनकी आत्मा को शांति देना है तो जो समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग है, दुःखी वर्ग है और जो वर्ग आज भी उपेक्षित है उसे समाज में ऊपर लाइये और इसकी ओर विशेष चेष्टा कीजिये। यह सब करेंगे तो आपके प्रयत्न सफल होंगे अन्यथा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, लोकराज्य के बजट के आय-व्ययक का सही विवरण वह होता है, जिसके लिये राज्य की आम जनता टकटकी लगाये रहती है, बजट के द्वारा उस राज्य की आर्थिक विकास की आवश्कताओं की पूर्ति होती है और उसकी नीतियों का भी प्रतिपादन होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बजट के विषय में मेरे विचार हैं कुछ माने में कुछ क्षेत्रों में उन्होंने बड़ी चतुराई से विकास की बातें बताई हैं और कुछ आशा की किरणों की झलक बताई है। लेकिन मैं इसको समाजवादी बजट नहीं मान सकता। मैं इस बजट को कांग्रेस की नीतियों को प्रतिपादित करने वाला बजट नहीं मान सकता। उपाध्यक्ष महोदय, इसका कारण यह है कि एक-एक क्षेत्र के विषय में मैं कुछ बातें कहूंगा।

कृषि के क्षेत्र में माना कि हमने आशातीत सफलता प्राप्त की है। मैं मानता हूं कि हमारा उत्पादन बढ़ा है लेकिन इसका

(श्री शंकरलाल)

तात्पर्य यह तो नहीं होता कि आप उस उत्पादन को रोकने के लिये इस प्रकार के टैक्सेज लगायें जिनका सीधा असर आम गरीब किसानों के ऊपर पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात कही गई कि दो प्रकार के टैक्सेज सीधे काश्तकारों के ऊपर लगाये। एक बात यह कही गई कि आम गरीबों पर टैक्स नहीं लगेगा और इसका खयाल रखा गया है—ऐसी बात माननीय वित्त मन्त्रीजी ने अपने भाषण में कही है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कपास जो कि आवश्यकता की चीज है, जिससे कि कपड़ा बनता है, जिसका प्रयोग आम जनता करती है उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। उसके ऊपर वित्त मन्त्रीजी ने सैस लगाने की तजवीज रखी है। ६ रुपये प्रति एकड़ जो सिंचित क्षेत्र है उस पर और जो गैर-सिंचित क्षेत्र है उस पर २ रुपये प्रति एकड़ टैक्स लगेगा। वह क्षेत्र कितना है जिसके ऊपर यह सैस लगेगा इसकी कोई सीमा भी नहीं रखी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसका तात्पर्य यह है, आज मेरी आंखों में चित्र घूमता है मेरी रायपुर तहसील का। उस तहसील के पहाड़ी इलाके में किसान ऐसे हैं जो कि आधा बीघा या एक बीघा के टुकड़े में मिर्च की खेती करते हैं। इस मिर्च बोने वाले को भी सैस देना पड़ेगा चाहे वह कितने ही क्षेत्र में खेती करे। इसी प्रकार से कपास के लिये भी टैक्स देना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं वित्त मन्त्रीजी ने आॅइल सीड्स के ऊपर भी टैक्स लगाया है। यह जो उत्पादन के आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किये गये हैं इससे मालूम होता है कि उत्पादन एक तरह से घट रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान जो आय व्ययक के बजट का टेबुल दिया गया है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर जो आॅइल सीड्स हैं वह भी एक आम जनता की आवश्यकता की वस्तु है। यह गरीब मजदूरों और किसानों के उपयोग की चीज है। आज हम देखते हैं कि घी को उपयोग करने की क्षमता आम जनता में नहीं रही और दूसरी तरफ उद्योगों में काम करने वाले मजदूर और गरीब लोग तेल का उपयोग करने वाले हैं। आॅइल सीड्स के ऊपर भी आप टैक्स लगाते हैं तो निश्चित रूप से वह कन्जूमर के ऊपर पड़ेगा जो कि तेल का उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि जरूरत की चीजें चाहे वह तेल हो, मिर्च हो, कपास हो उसके ऊपर यह सैस लगाया गया है और यह सैस इस प्रकार से लगाया है कि चाहे जितनी भी जमीन के ऊपर काश्त करें उसको टैक्स देना ही पड़ेगा—यह उपयुक्त नहीं है। जैसा यह बताया गया है आॅइल सीड्स के अन्दर १९६६-६७ के अन्दर ११९.२० का आंकड़ा है वह आंकड़ा १९६८-६९ के अन्दर जाकर १७९.३७ हो गया है। विविध के अन्दर जिसमें मिर्च भी आती है उसका आंकड़ा जहां पहले ९२.८५ था वह १९६७-६८ के अन्दर ८७.९२ हो गया। तो इसका मतलब यह है कि विविध प्रकार के अन्दर जो मिर्च वगैरह आती है और इसके अन्दर इन दो पर सैस लगाना, जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनके ऊपर टैक्स लगाना अच्छे बजट का द्योतक होता है ? आप कम्फर्ट्स की चीजों पर टैक्स लगायें और शो की चीजों पर टैक्स लगायें और आप उन वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगायें जिनका उपयोग धनी लोग करते हैं जिससे कि आम लोगों के ऊपर असर नहीं

(श्री शंकरलाल)

पड़े लेकिन आवश्यकता की वस्तुओं पर टैक्स लगाने से, कपास, मिर्च और ऑइल सीड्स के ऊपर टैक्स लगाने से निश्चित रूप से आम कन्ज्यूमर के ऊपर भी टैक्स का भार पड़ेगा। गरीब लोगों के ऊपर पड़ेगा। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि यह टैक्स नहीं लगाये जायें और अगर किसी हालत में वित्त मन्त्रीजी अड़े रहें कि नहीं मैं तो यह टैक्स लगाऊंगा ही तो उस हालत में जिस प्रकार से सरचार्ज में डिफरेन्स किया गया है, कम से कम मिकदार फिक्स कर दें कि एक एकड़ या ५ एकड़ या १० एकड़ में नहीं लगेगा। जिस प्रकार कि सरचार्ज पर कहा गया है लेकिन इस तरह छोटे या बड़े काश्तकार सब प्रकार के लोगों पर जो टैक्स लगाया गया है वह सर्वथा अनुचित है और किसी भी सोशियलिस्टिक पैटर्न बजट के लिए उपयुक्त नहीं है। जहां सरचार्ज की बात आती है उसके विषय में निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात ठीक है कि १० एकड़ तक आपने सरचार्ज लगाने की बात नहीं कही। यह भी ठीक है कि ५० रुपये से कम लगान होगा उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब यह कहा जाता है कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ या उससे ऊपर जमीन वाले हैं उन पर १५० पर्सेन्ट के हिसाब से सरचार्ज लगाया जायेगा–इसका तात्पर्य यह हुआ कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ सीलिंग के ऊपर जो जमीनें हैं उनको अवाप्त करके भूमिहीनों में भूमि देने का विचार है या नहीं यह संदेहास्पद

(२ म, प.)

बात है और संदेह ही नहीं इससे इरादा मालूम होता है कि सीलिंग को लेकर नहीं जाना चाहते और यह भी ३० स्टेन्डर्ड एकड़ के ऊपर चाहे जितनी भी जमीन हो उस सबके ऊपर १५० प्रतिशत के हिसाब से भू-राजस्व चाहे ३० स्टेन्डर्ड एकड़ हो, चाहे ४० स्टेन्डर्ड एकड़ हो, चाहे ५० स्टेन्डर्ड एकड़ हो, चाहे ६० स्टेन्डर्ड एकड़ हो, चाहे कितनी ही जमीन हो उस सब पर १५० प्रतिशत लगेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बात की घोषणा को जा चुकी है कि राजस्थान अपनी नीतियों का प्रतिपादन करके सीलिंग के कानून को लागू करना चाहता है, और जब इस बात की घोषणा ७ जून, ६८ की विज्ञप्ति के द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, की गई कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ की जगह ६० स्टैन्डर्ड एकड़ बढ़ाया जाय तो हमको निराशा हुई लेकिन सोचा कि फिलहाल इतनी जमीन का अधिकरण हो जायगा। जो विज्ञप्ति सरकार की है उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं...

"राजस्व विभाग के आदेश संख्या एफ. ६ (६) रेव/बी/६४ दिनांक ११-२-६६ तथा दिनांक २६-१-६६ जिसके द्वारा यह विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी कि १ अप्रेल, १६६६ से भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक जिनके पास भूमि है, वह नियमानुसार सीलिंग से अधिक भूमि अपने कब्जे में नहीं रखेंगे, के संदर्भ में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि फिलहाल जिन किसानों के कब्जे में ६० स्टैन्डर्ड एकड़ से अधिक भूमि निर्धारित तिथि को है उस भूमि का तत्काल अधिग्रहण किया जावे।"

उपाध्यक्ष महोदय, शब्द "तत्काल" और विज्ञप्ति का मतलब क्या है ? ११-२-६६ और २६-४-६६ को जो विज्ञप्तियां जारी की गई थीं उनके अन्दर एक अप्रेल, ६६ की तारीख मुकर्रर की गई थी। एक अप्रेल, ६६ के बाद ३० स्टैन्डर्ड एकड़ से

(श्री शंकरलाल)

ज्यादा जिन लोगों के पास में जमीनें हैं वे यह समझी जायंगी कि वे जमीनें सरकार के कब्जे में आ गई हैं और उसके बाद के अन्दर भी अगर वे उनको अपने कब्जे में रखते हैं तो उनको ट्रेसपासर माना जायगा, क्योंकि राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा ३०–ई है उसके अन्दर यह स्पष्ट है कि यह कानून लागू होने के पश्चात् यदि किसी भूमिपति के पास ज्यादा जमीन होती है और वह रिपोर्ट नहीं करता है तो उस पर एक हजार रुपया जुर्माना होता है और वह उस पर ट्रेसपासर माना जायगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो सरकार ने ११-२-६६ का विज्ञप्ति निकाली थी उसके बाद में जिन लोगों के पास ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन थी उनको उन्होंने सरकार के कब्जे में नहीं दिया और उनके ऊपर कब्जा कर रखा है तो वे सब ट्रेसपासर्स माने जायेंगे। उसके लिए यह नहीं करके उसके बाद में जो ७, जुन ६८ को विज्ञप्ति जारी की गई है उसके संदर्भ में उसमें यह कहा जा रहा है कि फिलहाल ६० एकड़ से ऊपर जो जमीन होगी उसको तत्काल ले लिया जायगा। कोई बात नहीं "फिलहाल' शब्द उसमें लगा है और "तत्काल" लिखा है तो ६० एकड़ से ऊपर तो फिलहाल तत्काल लेने को था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस 'तत्काल" शब्द के बाद में, यह विज्ञप्ति जारी होने के बाद में राजस्थान के अन्दर कितनी जमीन तत्काल आपने ली, और नहीं ली तो क्यों नहीं ली। ली? सीलिंग के कानून के तहत जिस कानून के तहत ५२ के अन्दर इन्हीं मुख्य मन्त्रीजी के तहत में जो कमेटी बनाई गई थी और जिसने ५७ में रिपोर्ट दी और ६० में कानून पास किया गया जिसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली उसके बाद रूल्स नहीं थे तो रूल्स बनाये गये। उसके अन्दर बहुत से लोगों ने रिटें हाई कोर्ट में कीं और ६५ में वे सारी रिटें खत्म हो गईं। हाई कोर्ट में रिटें खारिज कर दी गईं तो १-४-६५ को जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके अन्दर १-४-६६ की तिथि मुकर्रर की गई थी लेकिन उसका इम्प्लीमेन्टेशन रोका गया तो क्यों रोका गया? कैसे रोका गया? यह मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि कांग्रेस की नीतियों का प्रतिपादन क्यों नहीं हुआ? उसके बाद में कहते हैं कि ६० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा होंगी तो तत्काल लेंगे। आंदोलन की बात हुई है, लोग आपस में बातें करते हैं और सीलिंग की बात करते हैं और बाद में चुप हो गये। हम चुप इसलिए हो गये कि मुख्य मन्त्रीजी ने इस बात की घोषणा की थी और यह विज्ञप्ति जारी की थी कि फिलहाल ६० स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा जमीन को तत्काल ले लिया जायगा। कोई बात नहीं। कोई काम एकदम होने वाला नहीं है, धीरे-धीरे हो सकता है, लेकिन सिद्धान्तों और नीतियों का प्रतिपादन तो होता। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का बड़ा दुःख है जो सीलिंग में विश्वास रखने वाले लोग हैं, चाहे इधर बैठे हों चाहे उधर बैठे हों, सब लोगों को इस बात का खेद है कि उसका प्रतिपादन नहीं हुआ, इम्प्लीमेन्टेशन नहीं हुआ अभी तक।

अब जब यह बजट सामने आया तो उसमें आप कहते हैं कि ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से ऊपर वाली जमीन पर १५० प्रतिशत सरचार्ज लग जायगा। यह क्यों नहीं कहा जाता है कि ६० स्टेन्डर्ड एकड़ के ऊपर लिया जायगा और उसके ऊपर जितनी जमीन

(श्री शंकरलाल)

है वह तत्काल जब्त नहीं की गई वह अब कर ली जायगी ? क्यों नहीं कहा जाता है कि सरचार्ज उस पर ज्यादा लगेगा ? जो ३० स्टेन्ड एकड़ है उस पर १५० प्रतिशत है जो ४० एकड़ है उस पर ज्यादा लगेगा, ५० पर ज्यादा लगेगा और ६० एकड़ पर उससे ज्यादा लगेगा। तो समझ में नहीं आता है कि यह क्यों होना चाहिए इसका वित्त मन्त्रीजी जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ इसी कृषि क्षेत्र में वित्त मन्त्रीजी का इरादा यह है कि भू-राजस्व जो है, वह गरीब किसानों पर ज्यादा न पड़े। लेकिन मैं एक बात कहता हूं उसका उन्हें स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। कई किसानों के खेत ऐसे हैं जिन पर चार भाई अलग-अलग खेती करते हैं लेकिन खेत एक ही के नाम चला आ रहा है तो उनको अलग-अलग माना जायगा या एक ही ? इसका उनको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा कि जो किसान अलग-अलग काम करते हैं और जिनका अलग-अलग खेतों पर कब्जा है लेकिन भू-राजस्व उनसे एक साथ एक नाम पर लिया जाता है तो सरचार्ज जो है उसके अन्दर दिक्कत पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक तरफ देखा है, इस बजट के पेज ४९ के ऊपर वित्त मन्त्री महोदय ने बड़ी उदारता पूर्वक यह कहा है कि हम व्यापारियों को छूट देते हैं। २० हजार के टर्न ओवर के ३० हजार टर्न ओवर पर सैल्स टैक्स की घोषणा करते हैं। व्यापारियों को उन्होंने छूट दी है बड़ी उदारता दिखाई। छोटे-छोटे व्यापारियों की कोई बात नहीं लेकिन व्यापारियों का ध्यान करते हुए उन्हें किसानों का ध्यान करना चाहिए था। व्यापारी भी हमारे भाई हैं, लेकिन इस प्रकार का यह भेद-भाव रखा गया है जो लोगों में सन्देह पैदा करता है। इस प्रकार भेद-भाव क्यों रखा गया ? आपको व्यापारियों को छूट देनी चाहिये।

साथ ही एक तरफ हमें इस बात की जानकारी देते हुए खुशी जरूर होती है कि जो काश्तकार शिड्यूल्ड बैंक से कर्जा लेंगे उन पर रहन-नामा पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। बहुत अच्छी बात है। आज भी जो काश्तकार को-ऑपरेटिव बैंक से कर्जा लेते हैं उनको पैसा नहीं लगता है, लेकिन जिन बैंकों ने राष्ट्रीयकरण की चीज को नहीं मान कर समाजीकरण की घोषणा की है वे काश्तकारों को ऋण देंगे तो उन लोगों पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह देखने में बहुत अच्छी बात लगती है। कुछ काश्तकारों को इससे फायदा होगा यह मैं मानता हूं लेकिन वह बड़े-बड़े काश्तकारों को फायदा होगा जो कि बैंकों से ऋण लेने की क्षमता रखते हैं, जिन्हें बैंकों से ऋण मिल सकेगा। जो बड़े-बड़े पूंजीपति, बड़े-बड़े बिरला हैं जो फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन पर कब्जा जमाये हुए हैं, जो फर्टीलाइजर की प्रोडक्शन को तय करते हैं उन्होंने कहा है कि हम सोशियलिज्म की नीति को अपनाते हैं और काश्तकारों को ऋण देंगे। वे काश्तकारों को ऋण इसलिये देंगे कि काश्तकार उनके फर्टिलाइजर खरीदेंगे, क्योंकि काश्तकारों को खरीदने में दिक्कत है इसलिये स्टाम्प ड्यूटी का वह कर देते हैं।

शिड्यूल्ड बैंक्स ने यह नीति अपनाई है उसके बाद के अन्दर किन-किन काश्तकारों को शिड्यूल्ड बैंक्स से ऋण मिला है उसके आंकड़ों को देखेंगे तो बड़े-बड़े आदमियों ने जिनकी यहां सर्विस है उन्होंने जमीनें ले रखी

(श्री शंकरलाल)

हैं, और व्यापार भो करते हैं उन्होंने जमीनें ले रखी हैं, उन लोगों ने सेन्ट्रल बैंक से ऋण लिया है। आप इसके बारे में बतायेंगे तो मैं सन्तुष्ट होने वाला नहीं हूं। आप यह नहीं कह सकते हैं कि काश्तकारों का खास ध्यान रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, असली और नकली गहनों में जो आपसी भेद-भाव था उसको मिटाने के लिये वित्त मन्त्रीजी ने नकली गहनों के ऊपर कर लगाया। भेद-भाव की बात पूछना चाहते हैं तो भेद-भाव असमानता से समानता के ऊपर मिटाया जाय। नकली-असली का भेद-भाव मिटाने के लिये नकली गहनों पर कर लगाते हैं जो कि गरीब आदमी पहनते हैं। जो ज्यादा कीमती होते हैं वे अमीर पहनते हैं उन पर तो टैक्स नहीं लगाया लेकिन जो बहुत ज्यादा गरीब लोग पहनते हैं उन पर लगाया। अगर उन पर लगाया होता तो भेद-भाव मिट सकता था। अगर भेद-भाव की भावना को मिटाने की बात कहते हैं और असली-नकली गहनों की बात करते हैं तो नकली गहने तो गरीब पहनते हैं और असली गहनें पूंजीपति पहनते हैं। उन पर टैक्स नहीं लगाया तो समझ में नहीं आता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि यह बजट समाजवादी बजट कैसे है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जैसा कह रहा था यदि कृषि क्षेत्र में समाजवाद की बात को लाना चाहते हैं तो जो बड़े-बड़े व्यापार करते हैं और पूंजीपति होते हुए खेती के क्षेत्र में आने लगे हैं, जिन्होंने अनाप-शनाप जमीन खरीदना शुरू कर दिया है उन पर आप ऐसे कर लगाते जो राज्य के खजाने में आते। जब सीलिंग करने का देखा, जागीरदारों ने अनुभव किया कि अब हमारे कब्जे से जमीन जाने वाली है तो उन्होंने अपनी जमीन पूंजीपतियों को बेचना शुरू कर दिया और पूंजीपतियों ने अपने ब्लेक मनी को वाइट बनाने के लिये जमीन खरीदना शुरू कर दिया। काश्तकारों से जमीन लेना शुरू कर दिया। बाली तहसील में गुजरात से सेठिये लोग आकर बड़े ऊंचे भावों पर जमीन खरीद रहे हैं। जिस जमीन की कीमत हमारी समझ से २० हजार होनी चाहिये उसके वे लाख रुपये दे देते हैं। इस तरह से ब्लेक मनी को वाइट में कनवर्ट करते जा रहे हैं जिससे इन्कम टैक्स से भी बच जाते हैं और इस तरह से सरकार को धोखा देते हैं। जो जमीन सीलिंग होने पर काश्तकार के पास जाने वाली थी उस पर इन पूंजीपतियों ने कब्जा कर लिया ? क्या आपकी यही समाजवादी व्यवस्था है ? आप इन बातों को रोक नहीं सकते ? आप पूंजीपतियों को जमीन पर आने से रोक नहीं सकते, आप भूमिहीन किसानों के शोषण को रोक नहीं सकते फिर वह किस प्रकार का समाजवाद हुआ ? आप उन पर टैक्स लगाते। जो व्यापारी इस तरह से जमीनें ले रहे हैं उन पर टैक्स लगाते तो कुछ समझ में भी आ सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप इन जमीनों के मामले को देखेंगे तो धारा ९१ के तहत जो केसेज हैं उसके अन्दर आप क्या देखते हैं जिसके बारे में विज्ञप्ति भी जारी कर चुके हैं ? भूमिहीन किसानों का जिन भूमि पर कब्जा है क्या उनका नियमन करके आप उनको खातेदारी देंगे ? कितने अर्से से इस प्रकार के मामले पेण्डिग हैं ? तहसीलदार पटवारी को पैसा देकर के जो नियमन हो रहा है उसको आप कैसे रोक पायेंगे क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है ?

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी के बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं आप जल्दी समाप्त करिये।

श्री शंकरलाल : जितना समय हमारी पार्टी को दिया गया है उसमें मेरा भी समय है वह उसमें आ जायगा। यह जो इल्लीगल इन्कम ६१ के तहत तहसीलदार और पटवारी कर रहे हैं वह इन्कम किस प्रकार से राज्य के खजाने में आ सकती है इसका आपने कोई रास्ता निकाला है ? किसान के पास से तो वैसे ही पैसा जाता है लेकिन वह पटवारी या तहसीलदार की जेब में न जाकर राज्य के खजाने में आये कभी इस बारे में सोचने का प्रयास किया है ?

म्यूटेशन केसेज के अन्दर ८०९-६०० रु० एक-एक किसान से रिश्वत के रूप में लिया जाता है। क्या आपने इसके अन्दर किसी प्रकार की तब्दीली का सोचा है ? इससे तो आप म्यूटेशन फीस भी बढ़ा कर लेते तो कोई बात नहीं थी। भ्रष्टाचार मिटाकर राज्य कोष में तो वह पैसा आता। इसका तरीका नहीं निकाला। वह तरीका निकालते तो ज्यादा फीस देना भी बुरा नहीं लगता।

इसी प्रकार इस खेती के मामले में लोगों ने बड़े-बड़े बान्ध, तालाब, बड़ी-बड़ी सड़कें और पेड़ों पर निजी सम्पत्ति के नाम से कब्जा कर रखा है। सरकार छोटे-छोटे मामलों को लेकर ऑर्डिनेन्स निकालती है लेकिन जिन जागीरदारों ने तालाबों और बान्धों पर पर्सनल प्रोपर्टी के नाम से कब्जा कर रखा है उनको सार्वजनिक सम्पत्ति बनाने के लिये कानून बनाने का सोचा है ? मैं गत दो सालों से कहता आ रहा हूं निमाज के ठाकुर ने छतर सागर के बान्ध की पर्सनल प्रोपर्टी के अन्दर ले लिया है उस पर कलेक्टर ने उसको जब्त भी कर लिया था लेकिन उसके बाद गवर्नमेन्ट से स्टे ऑर्डर आ गया। आज वह मामला रेवेन्यू बोर्ड में चल रहा है उसकी क्या पैरवी हो रही है ?

सड़कों की दोनों तरफ जो बेर के वृक्ष लगे हुए हैं उनको भी पर्सनल प्रोपर्टी में ले लिया गया है। पी० डब्ल्यू० डी० की जमीन किस प्रकार पर्सनल प्रोपर्टी में आ सकती है समझ में नहीं आता। तालाब बान्ध जोधपुर के इलाके में बोरून्दा, रायपुर भूंठा के अन्दर हैं जिन पर विकास के नाम पर लाखों रुपया लिया जाता है। वहां के किसानों से दूसरे हिस्से का बांटा लिया जाता है, तीसरे हिस्से का बांटा लिया जाता है। ऐसे कुएं, तालाब पर निजी सम्पत्ति के नाम से कब्जा कर रखा है जो सार्वजनिक हैं। आप उनकी आमदनी अपने कब्जे में लें। उसके कारण पूंजीवाद पनप रहा है। आपने इस ओर ध्यान तक नहीं दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा १४० ए के अन्तर्गत जो जोड़ बीड़ है जहां घास पैदा होता है, उस धारा में संशोधन करके बिल रखा गया उसके अनुसार जिन बीड़ों के अन्दर खेती नहीं होती उनको पर्सनल प्रोपर्टी नहीं माना जायगा। इस धारा के अन्तर्गत सरकार ने कितने बीड़ों पर कब्जा लिया ? बाली जिले की साण्डेराव वगैरह जगहों पर ६००-१२०० एकड़ के बीड़ पड़े हैं जिनको बेचा जा रहा है। बड़े-बड़े ऑफिसर बड़े बड़े पूंजीपति उन पर कब्जा करते चले जा रहे हैं ? क्या आप वह जमीन लेकर भूमिहीन और बेरोजगारों को नहीं दे सकते ? अगर नहीं दे सकते तो यह कानून में संशोधन किया ही क्यों ? आप तो इस तरह

(श्री शंकरलाल)

लम्बी छूट देते जा रहे हो जिससे जिनके पास भी जमीन अधिक है वे उसको खत्म करते जा रहे हैं। सन् ५३ में सीलिंग लागू हुआ आज सोलह साल होने आये जिन लोगों ने जितनी जमीन पर कब्जा करना था कर लिया फिर भी आप इसको लागू करने में देर कर रहे हो समझ में नहीं आता।

इसी तरह से गांवों में जो मनी लैण्डर्स हैं, जो काश्तकारों को ब्याज पर रुपया उधार देते हैं, उसके लिये क्या किया ? मण्डी कमेटी कानून का क्या हुआ ? कहीं भी समाजवाद की पिक्चर नहीं है। शहरी भूमि में कनवर्शन के लिये फीस रखी है वह भी स्पष्ट नहीं है। वह म्युनिसिपैलिटी की मार्फत होगा या डाइरेक्ट गवर्नमेन्ट करेगी। अगर गवर्नमेन्ट करती है तो यह स्वायत्त शासन संस्थाओं के हाथ से गया। होना तो यह चाहिये था कि इसको स्पष्ट करते।

उपाध्यक्ष महोदय, १ सितम्बर से सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने में ५ करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर आयेगा। इसको सरकार कुछ अर्से तक रोक भी सकती थी। कर्मचारी, भी मैं समझता हूं, आन्दोलन नहीं उठाते। इससे बड़े-बड़े आदमियों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं इसमें इकोनोमी कट किया जा सकता था। इस बजट में प्रशासनिक मितव्ययता की ओर कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। आज सेक्रेटेरिएट में जाकर देखा जाय, सेक्रेटरी के अलावा डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी इतना भारी भरकम स्टाफ रख रखा है जिससे रेड टेम्पीज्म ज्यादा बढ़ता है। आखिर आपने जांच भी की है उनके पास क्या काम रहता है ? कई ऐसे अधिकारी हैं जो फालतू तनख्वाह लेते हैं। दूसरी तरफ बेकार इन्जीनियर रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं। आप इस तरह से इकोनोमी कट कर सकते थे जो आपने नहीं बताई है।

उपाध्यक्ष महोदय, चुंगी हटाने की बात आपने की है। विधेयक के अन्दर यह कहा गया है कि इसको हटाया जाय। लेकिन एक बात है इन चौकी चुंगी के कारण तस्कर व्यापार पर रोक थी। आपने इस प्रकार के व्यापार के रोक के लिये आल्टरनेटिव क्या इन्तजाम किया है ? जिस समय पाली के अन्दर चने का स्केन्डल हुआ उस समय चौकी चुंगी के कारण चने बाहर नहीं जा सके थे। यह स्मगलिंग को रोकने का जरिया था इसके बजाय सरकार ने क्या प्रबन्ध किया, कुछ कर भी रहे हैं या नहीं यह हमारे सामने नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्रीजी को धन्यवाद दूंगा उन्होंने गांधी शताब्दी वर्ष में जितना करना चाहिये कुछ करके दिखाया है। पांच लाख रुपया मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये रखा गया है और २० लाख रुपये हरिजनों के मकान के लिये रखे गये हैं। जो स्वागत योग्य हैं।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपने ६९-७० की योजना के लिये ४८ करोड़ का प्रावधान रखा है वहां आपने यह भी कहा है कि पांचवें वित्त कमीशन की रिपोर्ट जुलाई में आयगी उससे पता चलेगा वित्त कमीशन कितना देने वाला है। आपने अपना केस वित्त कमीशन के साथ किस प्रकार से रखा है यह बात हम जानते हैं। लेकिन ६९-७० की जो सालाना योजना है वह ५८ करोड़ रु० की बनाई है। समझ में

(श्री शंकरलाल)

नहीं आता है कि ४० करोड़ ४८ में कैसे बदल गये हैं? उपाध्यक्ष महोदय, ६६ करोड़ का प्रोवीजन जो ट्यूब-वैल्स के लिये किया गया है उसके लिये हम धन्यवाद देंगे। ५० लाख रु० जो पाइप लाइन के लिये रखा गया है, उसके लिये भी धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कमीशन मुरारजी देसाई के अण्डर में कायम हुआ था और उसके तहत में राजस्थान में भी एक बनाया जा रहा है, ऐसा पिछले दिनों से कहा जाता रहा है। आपने होटल कार्पोरेशन और इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन बनाये हैं, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में जो पानी की समस्या है, जैसा कि पहले एक माननीय सदस्य ने कहा था, इसके लिये इस प्रकार के एक बोर्ड का गठन होना चाहिये। इससे गांवों में पीने के पानी की समस्या का हल किसी प्रकार निकाला जाये। उन लोगों को पीने के पानी के लिये बड़ी दिक्कत है। आज २० साल बाद भी हम गांवों में जाते हैं तो सुनने को मिलता है कि पांच कोस से पानी लाते हैं। तीन कोस से पानी लाते हैं। उसमें हमें पब्लिक से भी को-ऑपरेशन लेकर एक बोर्ड को फिक्स करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो फोडर बैंक के लिये प्रावधान रखा है, उसके लिये भी मैं धन्यवाद देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, टैक्सों के बारे में जो पर कैपिटा टैक्स लगाये हैं और जो पर केपिटा एक्सपेंडीचर है इन दोनों की तुलना में थोड़ा डिफरेन्स आता है। तो मतलब यह है कि एक्सपेंडीचर की तुलना में टैक्स कम लगाया जाता है। टैक्स जो लगाया जाता है मैं उसके कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा। पंजाब में प्रति व्यक्ति ११४.२० रु० खर्चा और टैक्स प्रति व्यक्ति ५४ रु० यानी ६०.२० का ज्यादा खर्चा किया जाता है। जितना टैक्स लगाया जाता है उससे अधिक खर्चा किया जाता है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति खर्चा ६५.४० और जो टैक्स वसूल किया जाता है वह ४५.८० है और डिफरेन्स है ४६.६०। राजस्थान में प्रति व्यक्ति ७१.९६ रु० खर्चा और टैक्स ३४.६७/३६.६२रु० डिफरेन्स है। इससे मालूम होता है कि प्रति व्यक्ति जो खर्चा होता है वह हम कम करते हैं। जो आसपास की स्टेट्स हैं उनकी तुलना में जो टैक्स की नीति बनाई गई है, उसमें हमें देखना पड़ेगा। उसके अन्दर हमें इस प्रकार की बातें रखनी होंगी जिससे यह बजट वास्तव में समाजवादी बजट हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पाली डिस्ट्रिक्ट के बारे में निवेदन करूंगा। अकाल के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि औरतों को पुरुषों के समान मजदूरी मिलनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि हमारे विधान में यह प्रावधान है कि औरत और पुरुष को समान माना जाये। उसका मतलब यह है कि अगर बराबर काम करते हैं, जो फैमीन में काम करते हैं, जो काम होता है, आदमियों को दूसरा काम दिया जाता है और औरतों को दूसरा काम दिया जाता है। अगर वह समान काम करते हैं तो उनको समान मजदूरी दी जानी चाहिये। अगर वह काम करने को तैयार हों तो औरत होने के नाते ही उसके साथ दूसरा व्यवहार नहीं होना चाहिये। उनको काम दिया जाना चाहिये। उनको एक मजदूरी देनी चाहिये। विधान के अन्दर ऐसा प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले के अन्दर सघन खेती योजना उठाई गई। अब पाली जिले में जो एग्रो-इण्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन है उसका

(श्री शंकरलाल)

भी कार्य चलता है। उनको पाली जिले में कॉर्पोरेशन और सघन खेती कार्यक्रम को अलग-अलग न रख कर एक ही जगह होने चाहिये। वित्त मन्त्रीजी ने टैक्सेबल और नॉन-टैक्सेबिल दोनों का जो भार रखा है, मैंने टोटल लगाया है, २८० लाख टैक्स होता है। नॉन-टैक्स भी २८० लाख है। उसका मतलब है कि प्रोडक्शन के साधन नहीं बढ़ा सके हैं। इसीलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं ये सारी बातें सदन के सामने रखकर यह निवेदन करता हूं कि इस अवस्था पर पुनर्विचार करें। सीलिंग कानून के जरिये लैंड की व्यवस्था के बारे में सरकार व्यवस्था करे जिससे कि इस बजट में समाजवादी व्यवस्था का प्रतिपादन हो सके। उसका संशोधन रख कर उसका प्रावधान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई!

(अनुपस्थित)

श्री गोकुल प्रसाद!

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम!

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, एक जिलेके दो बोल जायें...

श्री मनोहरसिंह महता : तो भूल जायेंगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज!

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार समाजवाद का नारा लगाती है, लेकिन यह बजट समाजवादी नहीं है। हमारी २० वर्ष की आजादी में सरकार ने जो-जो योजनाएं बनाई हैं, मैं मानता हूं कि लाखों रुपया खर्च हो गया है। प्रशासन का ढांचा खराब होता जा रहा है। आज पूंजीपति की पूंजी और अधिक बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है। हमारे कहने का मतलब यह है कि पूंजीपति और गरीब के बीच में खाई चौड़ी होती जा रही है। सरकार ने कुछ कानून जैसे भूमि सुधार सीलिंग कानून, और सागड़ी प्रथा कानून बनाये हैं। लेकिन उन कानूनों का पालन नहीं हो रहा है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि जो सीलिंग का कानून बनाया है, दस वर्ष हो गये हैं उसका पालन नहीं हुआ है। इसलिये जमीन पड़ी हुई जो है, बड़े-बड़े लोगों ने कब्जे में की है। गरीबों के पास भूमि नहीं है। गरीबों के पास भूमि नहीं गई है। लाखों भूमिहीन हैं वे देख रहे थे कि हमारे पास भूमि आयेगी। हम खेती करेंगे। लेकिन सरकार ने इस कानून का पालन नहीं किया है। जो बड़े-बड़े जमीदार हैं, सरकार उनसे डरती है। इसी लिये मैं कहूंगा कि सरकार को सीलिंग कानून लागू करना चाहिये ताकि जो भूमिहीन हैं उनको भूमि मिले और उससे उत्पादन होवे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल और वित्त मंत्री महोदय ने अपने अभिभाषण में हमको संकेत दिया है कि फेमीन को रोकने के लिए कोई ऐसी योजना बनाई जायगी। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि भाषण दे देना ठीक है लेकिन आपको वास्तव में अच्छी योजना बना कर फेमीन को रोकने के

(श्री नाथूराम)

लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च किया बीस साल के दौरान में, लेकिन फेमीन का अभी कोई स्थाई हल नहीं निकला है। राजस्थान नहर पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ है। अब राजस्थान सरकार को भारत सरकार पर जोर देकर राजस्थान नहर को पूरा करके राजस्थान के रेगिस्तानी गांवों में पानी पहुँचाना चाहिए।

इसके अलावा मैं निवेदन करता हूं कि छोटे बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको पूरा बना कर जहां पर कृषि योग्य भूमि है वहां पानी पहुँचाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां योजनायें अच्छी हैं लेकिन प्रशासन पर लाखों करोड़ों रुपयों का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इस प्रशासन को नहीं सुधार सकी है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जब तक सरकार प्रशासन को नहीं सुधारेगी, जो सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, जो रिश्वत खाते हैं, जो काम नहीं करते हैं-ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमे बनाकर जब तक सरकार कड़ी से कड़ी सजा नहीं देगी तब तक प्रशासन सुधरने वाला नहीं है और तब तक हमारी योजनायें असफल होती जायेंगी। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देवें।

बांसवाड़ा में माही डेम बनाने की योजना थी। ७ मई, १९६० में भारत सरकार के वित्त मंत्री मुरारजी भाई देसाई के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ। उस बात को दस साल हुए, इन पर दो करोड़ रुपया खर्च भी हुआ लेकिन सिवाय बंगले बनाने के उस डेम की नींव तक नहीं खुदी है और कोई काम नहीं हुआ है। गत वर्ष पच्चीस लाख का खर्च का प्रोवीजन था तो उसमें से पांच लाख खर्च कर दिया तनख्वाह पर, टी. ए., डी. ए. पर और बाकी बीस लाख रुपये लेप्स हो गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करता हूं कि जहां दो करोड़ का खर्चा हुआ है वहां पर कुछ डेम का काम होता, और डेम से सिचाई का काम शुरू होता तो हजारों एकड़ जमीन में सिचाई होती। इससे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, उन लोगों को सिचाई के द्वारा कुछ पानी मिलता तो उत्पादन पर असर होता। उपाध्यक्ष महोदय, आज क्षेत्रीय भावना की आलोचना करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भावना अपना हित करने के लिए उभारी जाती है। आज बड़े-बड़े नेताओं के अन्दर भी क्षेत्रीय भावना पैदा होने लगी है। जब मुरारजी देसाई सेन्टर में बैठे हैं तो जो माही योजना तेतीस करोड़ की थी, वह माही योजना ठप्प कर दी और कडाना डेम बनाने के लिए स्वीकृति दी गई। कडाना डेम के बारे में १९६६ में राजस्थान और गुजरात सरकार में शर्तनामा हुआ था और यह हुआ था कि नर्मदा घाटी योजना दो जगह बांध कर पानी कडाना में डाला जायगा लेकिन गुजरात ने इसके विरोध में काम किया है। वह नर्मदा घाटी योजना नहीं बनाई गई है और कडाना डेम के लिए सत्रह करोड़ ९० लाख की धनराशि की स्वीकृति दी है। यह मैं जानना चाहता हूं कि यह क्षेत्रीय भावना हुई या नहीं। माही योजना बांसवाड़ा के क्षेत्र में बन जाती तो हजारों एकड़ जमीन की सिचाई होती। उससे गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश को बिजली मिलती। लेकिन जो कडाना डेम बनाया जा रहा है उसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा की

(श्री नाथूराम)

हजारों एकड़ जीमन डूब में आ रही है। बांसवाड़ा-डूंगरपुर की सोना उगलने वाली भूमि है लेकिन उस भूमि को डुबाया जा रहा है। यह वह भूमि है जहां पर गेहूं, चना, चावल, गन्ना, मक्का पैदा होता है, धान पैदा होता है, कपास पैदा होता है। ऐसी सोना उगलने वाली भूमि को गुजरात वाले डुबा रहे हैं और राजस्थान सरकार चुपचाप बैठी है। यह साधारण प्रश्न नहीं है, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसके लिए गये साल एक शोर्ट नोटिस क्वैश्चन द्वारा जानकारी चाही गई थी। उसमें बताया कि १९६६ में एक शर्तनामा हुआ था। मेरा निवेदन है कि वह शर्तनामा कैंसिल करने के लायक है, जबकि आज नर्मदा घाटी योजना को नहीं बना रहे हैं तो गुजरात और राजस्थान के बीच में हुआ शर्तनामा बेकार सा है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस कडाना डेम से राजस्थान की हजारों एकड़ जमीन डूबेगी, इसको आदिवासी लोग एवं आम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके लिए वे लोग आंदोलन करेंगे। इस अन्याय को वे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जो १९६६ में शर्तनामा हुआ है, उसके अनुसार आपने अभी तक इसकी सर्वे नहीं की, गुजरात वाले सर्वे कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि गलियाकोट में मुसलमानों की दरगाह है, जहां पर बाहर के मिश्र से, अफ्रीका आदि से मुसलमान-बोहरे आदि दर्शन करने के लिए आते हैं। हजारों मुसलमान वहां दर्शन के लिये जाते हैं। उसके लिए भारत के भी आम लोग हैं वे कहते हैं कि इस दरगाह को मत डुबाओ। इसी तरह से हिन्दुओं का एक माताजी का मन्दिर है। वह भी एक ऐतिहासिक मन्दिर है। तो उसे भी मत डुबाओ। डेम का हिन्दू और मुसलमान दोनों के द्वारा विरोध है और उनका कहना है कि इन तीर्थ स्थानों को मत डुबाओ, यहां की उपजाऊ जमीन भी मत डुबाओ। लेकिन राजस्थान सरकार चुपचाप बैठी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विरोध को देखते हुए इस कडाना डेम को रोका जाय और इस आदिवासी क्षेत्र की जमीन को नहीं डुबाया जाय। आदिवासियों के उत्थान के लिए राजस्थान व भारत सरकार ने लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किये हैं यह मैं मानता हूं कि आदिवासियों को ऊंचा उठाया है। और आदिवासियों के हित के लिए जो कानून है, उसमें यह प्रॉवीजन है, सेन्टर के कानून अथवा प्रान्त के जो कानून हैं उनमें से किसी से जनता का अहित होता है तो उस कानून के अन्दर सुधार हो सकता है। सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कानून के अन्दर संशोधन हो सकता है तो आप इस कडाना डेम को रोक क्यों नहीं देते क्योंकि इसके द्वारा उपजाऊ क्षेत्र को डुबाया जायगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि जो काम इस सम्बन्ध में चल रहा है उसको रुकवाया जाय और ऊंचाई कम कर राजस्थान के उपजाऊ क्षेत्र को डुबाया नहीं जाय। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह मांग करता हूं। क्योंकि आज वहां पर बड़ी खराब स्थिति हो रही है। जो उस क्षेत्र में हजारों लोग रह रहे हैं, पंचायत समिति, गढ़ो, पंचायत समिति भूंखिया हैं, बागीडोरा, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा आदि वहां पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगज हैं, बड़े-बड़े स्थान हैं लेकिन लोग आज इतने भयभीत हो गये हैं कि वे अपने मकानों तक

(श्री नाथूराम)

की मरम्मत नहीं करा रहे हैं, खेतों को सुधार नहीं रहे हैं। मुझे अफसोस है कि सरकार इस ओर कोई तवज्जह नहीं दे रही है। इसलिए बार-बार मेरी यह मांग है कि कडाना डेम को रोका जाय और इस उपजाऊ क्षेत्र को नहीं डुबाया जाय सरकार के द्वारा यह एलान किया जाय कि इस कडाना डेम को कम किया जायगा और इस प्रकार उपजाऊ क्षेत्र को नहीं डूबने दिया जायगा। यह मैं मांग करता हूं।

इसके साथ साथ वनों की सुरक्षा के बारे में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। आजादी के बाद हुआ क्या कि बड़े-बड़े ठेकेदार, पूंजीपति वनों का ठेका लेकर वनों को खत्म करने लगे हैं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिवीजन में इतने घने जंगल थे कि वहां पर कभी दुष्काल नहीं होता था। लेकिन अब हुआ क्या कि बड़े-बड़े ठेकेदारों को वनों का ठेका देकर उन वनों को खत्म करा दिया इस कारण से हर साल वहां पर दुष्काल आता है और उसके लिए सरकार को लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि जंगलों की सुरक्षा के लिए तुरन्त व्यवस्था करनी चाहिए। जहां पर आदिवासी रहते हैं वहां पर तो वन सुरक्षित रहते हैं लेकिन जहां पर आदिवासियों के मकान नहीं हैं वहां पर जंगल साफ हो गये हैं। फोरेस्ट विभाग के नक्शों में जो कई जंगलों को रिजर्व जंगल बताया जाता है लेकिन यदि मौके पर देखा जाय तो वहां पर जंगल नहीं मिलेंगे। बांसवाड़ा में जंगल ऐसे थे जिनमें सूर्य की रोशनी भी नहीं दिखती थीं लेकिन आजादी के बाद हम देखते हैं कि पहाड़ों पर जंगलों में केवल ठूंठ खड़े हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जब आदिवासियों में मेट्रिक, इन्टर, बी. ए. एम० ए०, एलएल. बी लड़के पास मिल जाते हैं तो उन लोगों को राज्य सरकार की तरफ से, रेंजर और डी. एफ. ओ. की ट्रेनिंग देकर, उनको वन विभाग के कर्मचारी बना कर इन जंगलों को नष्ट होने से क्यों नहीं रोका जाता हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के हजारों लड़के मेट्रिक, बी. ए., एम. ए. तक बेकार बैठे हुए हैं, लेकिन आप का यह समाज कल्याण विभाग इतना निकम्मा है कि उनको नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं वन विभाग को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि इन लोगों को वन विभाग में नौकरी दी जायगी, और ये लोग वन विभाग में काम करेंगे तो वनों की सुरक्षा हो सकेगी क्योंकि आदिवासी इस काम में दिलचस्पी लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन वनों की रक्षा की जाय ताकि उस क्षेत्र में दुष्काल मिटे। जंगल होने से वहां की जमीन को पानी, खाद मिलेगा और उससे अच्छी लकड़ी और अनाज भी पैदा हो सकेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में, कृषि के बारे में सरकार का लाखों रुपया खर्च होता है। मैं यह मानता हूं कि सरकार कोशिश कर रही है, अच्छे-अच्छे छोटे-मोटे तालाब और नदी नाले वगैरह बांधे हैं। मैं इस सम्बन्ध में आंकड़े बताना चाहता था लेकिन समय कम है। सरकार के १९६२ से लेकर आंकड़े देखे जायं तो कृषि के उत्पादन में आंकड़े गिरते जा रहे हैं, उसका कारण क्या है, पंचायत समितियों

(श्री नाथूराम)

की मीटिंगों में हम आये दिन देखते हैं जो कृषि कार्य ठीक नहीं हैं, मैंने पंचायत समिति की मीटिंग में एक बार देखा कि जो पंचायत समितियों में ए. ई. ओ. रहता है, उसको प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता। अनपढ़ काश्तकार को प्रेक्टिकल ज्ञान होता है पर कालिजों से निकले हुये ए. ई. ओ. को कोई प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी लोग जहां रहते हैं, उन आदिवासी इलाकों में अच्छे अनुभवी आदमियों को भेजिये। इसके साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि ए. ई. ओ. को बी. डी. ओ. का काम दिया है, इससे वे लोग कृषि का काम नहीं कर सकते और कृषि के काम में बड़ा नुकसान होता है इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ए. ई. ओ. को बी. डी. ओ. का काम मत दीजिये। आप जब तक प्रशासन की व्यवस्था नहीं सुधारेंगे तब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा। आज उत्पादन के आंकड़े दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं। १० सालों के आंकड़े रख कर मैं बताना चाहता था कि राजस्थान में किस तरह दिन ब दिन उत्पादन गिरता जा रहा है पर इतना समय नहीं है। इसलिये मेरी सरकार से मांग है कि केवल उत्पादन का नारा ही मत लगाओ, समय पर किसानों को जो सुविधायें उत्पादन बढ़ाने के लिये मिलनी चाहियें वे सुविधायें उनको नहीं मिलती हैं इसलिये उत्पादन दिन ब दिन गिरता जा रहा है प्रशासन में सुधार कर के किसानों को समय पर अधिकाधिक सुविधायें दीजिये जिससे कि उत्पादन बढ़े।

आज आप सहकारिता से ऋण की बात करते हैं पर आज सहकारिता केवल कागजों में नाम मात्र की चल रही है। सहकारी समितियां अधिक संख्या में बन गई, अधिक संख्या में मेम्बर बन गये, पर काम कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारी शुरू से मांग रही है कि सहकारी समितियों में ट्रेन्ड सेक्रेटरी रखें, पर इस सम्बन्ध में सरकार ने आज तक व्यवस्था नहीं की है। सरकार केवल अल्पकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण और भूमि बन्धक ऋण देना जानती है और उन ऋणों को प्राप्त करने का प्रोसीजर, तरीका इतना लम्बा है कि समय पर ऋण नहीं मिलते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि लाखों करोड़ों रुपया सहकारिता के नाम से बांटा जाता है पर समय पर ऋण नहीं मिलता है। जब तक समय पर ऋण दिये जाने की व्यवस्था नहीं होगी तब तक सहकारिता से उत्पादन पर कोई प्रभाव नही पड़ने वाला है।

शिक्षा के बारे में मैं निवेदन करूंगा, मैं मानता हूं कि हमारी राजस्थान सरकार ने शिक्षा की अच्छी तरक्की की है। गांवों में जहां मिडिल स्कूल थे वहां हायर सैकेन्ड्री स्कूल खोले हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था वहां कॉलेज हैं। जब से मैं विधान सभा में आया हूं, हमारे दूसरे आदिवासी भाई आये हैं, तब से हमारी आदिवासियों की मांग रही है कि आदिवासी बच्चों को लिखा-पढा दो, टेक्निकल शिक्षा दिला दो, धंधे की शिक्षा दे दो, और उनको धंधों पर लगा दो। गये साल का किस्सा बताऊं, समाज कल्याण मन्त्रीजी यहां बैठे हैं, कल भी मेरा यह विषय था, पर चेअर से इजाजत नहीं मिली इसलिये मैं वह प्रश्न नहीं रख सका। केबिनेट ने यह फैसला किया है कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी में जो

(श्री नाथूराम)

लड़के आते हैं, उन्हीं को छात्रवृत्ति दी जाय। मैं यह कहना चाहूंगा कि आदिवासी लड़कों को खाने पीने की अच्छी चीजें नहीं मिलती हैं, उनको सुविधायें नहीं मिलती हैं, इसलिये वे प्रथम और द्वितीय श्रेणी में बहुत कम आते हैं अधिकतर तृतीय श्रेणी में ही आते हैं। केबिनेट ने यह फैसला लिया है कि तीसरी श्रेणी वाले छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाय, जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी में आते हैं उन्हीं लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाय। मैं समाज कल्याण मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या समाज कल्याण विभाग से इन पिछड़ी जाति के लड़कों का भला करेंगे। आज उनकी आर्थिक स्थिति इतनी गिरी हुई है कि न वे होस्टलों में रह कर पढ़ सकते हैं, न कॉलेजों में रह कर पढ़ सकते हैं। २५ आदिवासी सदस्यों ने मिलकर समाज कल्याण मन्त्रीजी को, वित्त मन्त्रीजी को और मुख्य मन्त्रीजी को प्रार्थना-पत्र दिया है पर वित्त मन्त्रीजी ने फरमाया कि अगले साल देंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कॉलेजों में पढ़ने वाले कम लड़के हैं पर दूसरी जगह कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के ज्यादा हैं, उदयपुर क्षेत्र में अधिक हैं। मैं तो छब्बीसों जिलों के लिये निवेदन करता हूं जहां पर कॉलेजों में पढ़ने वाले पिछड़े वर्गों के लड़के है, उनकी छात्रवृत्ति बन्द कर दी गई है। इससे उनकी शिक्षा पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो गरीब लड़के हैं, उनकी छात्रवृत्ति बन्द कर दी है, उस छात्रवृत्ति बन्द करने के केबिनेट निर्णय को सरकार वापिस लेकर सबके लिये छात्रवृत्ति की व्यवस्था करें, नहीं तो मैं यह कहूंगा कि यह समाज कल्याण विभाग बिल्कुल निकम्मा है। केबिनेट के निर्णय में संशोधन करना (हंसी) नियमों में संशोधन करना चाहिये और टेलिग्राम द्वारा, रेडियो द्वारा सरकार ऐलान कराये कि तीसरी श्रेणी वाले छात्रों को भी छात्रवृत्तियां इस वर्ष दी जायंगी .....

श्री जयनारायण सालोदिया : कोई शेर भी है, सारे गीदड़ नहीं हैं।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्यों ने इस बजट के बारे में काफी प्रकाश डाला है, फिर भी मैं कुछ इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। आंकड़े बड़े लम्बे-चौड़े बताये हैं, इतना समय नहीं है कि मैं आंकड़े बताऊं। सरकार एक तरफ कहती है कि अधिक अनाज पैदा करो, दूसरी तरफ किसानों पर कर लगा रही है। सरसों, मिर्ची, धनिया, कपास, गन्ना, राई, अलसी, तिल, अरंड इन तमाम चीजों पर टैक्स लगाया है.......

श्री मनोहरसिंह मेहता : अंगूर पर नहीं लगाया।

श्री नाथूराम : जिस किसान के पास अधिक जमीन नहीं है तो वह खुद के खर्च के लिए व लगान चुकाने के लिये इन चीजों को बोता है ...

एक माननीय सदस्य : अंगूर पर भी लगा लेवें।

श्री नाथूराम : ये सब चीजें आ जाती हैं। फाइनेन्स मंत्री महोदय ने एक तरफ खुश कर के दूसरी तरफ किसानों पर यह टैक्स लगाया है, इसका मैं घोर विरोध करता हूं। यह टैक्स हटा देने चाहिये ताकि गरीबों को फायदा हो।

(श्री नाथूराम)

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पिछड़े हुए आदिवासी क्षेत्र में शराब बन्दी का कानून लागू किया, इसकी में सराहना करता हूं पर इसका पालन नहीं हो रहा है। हमारे समाज सुधारकों ने इस सम्बन्ध में काम किया है, लोगों ने शराब पीना बन्द कर दिया है पर जो लोग पैसे वाले हैं वे मध्य प्रदेश से ला कर पीते हैं पर सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है कि मुकदमें बना कर इस प्रवृत्ति को बन्द किया जाय। यह सरकार का ढीलापन है। जो सरकार ने कानून बनाया है, उस कानून का पालन कराने के लिये बराबर सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था होनी चाहिये। शराब पर टैक्स बढ़ाया उसका मैं स्वागत करता हूं पर आपके द्वारा मैं यह मांग करता हूं कि शराब सारे राजस्थान में बन्द कर देना चाहिये और फिजूलखर्ची को बन्द करना चाहिये।

जैसा कि अभी पहले माननीय सदस्य ने बताया कि प्रशासन में अलग-अलग विभाग हैं उनमें सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरी और अन्य अफसरों को लगा रखा है, उनको हटा कर प्रशासन का खर्चा मिटाना चाहिये। राणावत कमीशन की रिपोर्ट मंहगाई वगैरह, तरक्की दी है, उसमें हुआ क्या है कि जो एल. डी. सी., यू. डी. सी. पुराने हैं उनको कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि जो यू. डी. सी., एल. डी. सी. वगैरह टेबल वर्क करने वाले हैं उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह सरचार्ज लगाया है, इसमें यह होना चाहिये कि छोटों को तो छोड़ देना चाहिये, बड़े-बड़ों पर ज्यादा लगाना चाहिये। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जहां सैटलमेंट नहीं हुआ है वहां बड़ी आपत्ति है। जहां २०-बीस साल से सैटलमेंट नहीं हुआ है, वहां वहां बाप के नाम से ही खाता है, पिता और उसके पुत्र १०-१५ साल से अलग अलग रहते हैं पर खाता एक होने से उन लोगों के ऊपर सरचार्ज का भार पड़ेगा। इसलिए जहां सैटलमेंट नहीं हुआ है, वहां सरकार को खातों के तब्दीली की व्यवस्था करनी चाहिये, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उन पर सरचार्ज का भार नहीं पड़े। इससे भूमिहीन को जमीनें भी मिलेंगी। भूमिहीन किसानों के लिये सरकार कोशिश कर रही है पर बाप के नाम से १०-१५ बीघा का एक खाता है एक बाप के नाम से अधिक आदमियों का खाता है, लड़के अलग रहते हैं वे भूमिहीन की श्रेणी में नहीं रहते हैं, उनका फार्म रिजेक्ट हो जाता है अधिकतर भूमिहीन किसानों को भूमि आप नहीं दे पाते हैं। इसलिए इसकी व्यवस्था जल्दी हो जानी चाहिए।

यातायात के बारे में माननीय सदस्यों ने कुछ प्रकाश डाला है जैसे बसों में इतनी भीड़ हो रही है। यही नहीं, मैंने गत वर्ष भी प्रकाश डाला था, एक दर्ख्वास्त भी दी थी और इस साल भी दी लेकिन उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। उसमें यह है कि परमिट जो दिये जाते हैं पैसों वालों को मिलते हैं। वहां भी भ्रष्टाचार चल रहा है, पैसे वाले को ही परमिट देते हैं। दूसरी बात है कि १० किलो मीटर का टिकट निकाला है। जो प्राइवेट बसें चलती हैं डूंगरपुर—बांसवाड़ा में एक दो किलो मीटर भी यात्रा करे तो भी १० किलो मीटर का पैसा देना पड़ता है। १५ पैसे के बजाय ६०-६०

(श्री नाथूराम)

पैसे देने पड़ते हैं। यातायात मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह इस कानून में संशोधन करके लोगों को राहत पहुंचाए। हमारे यहां गढ़ी के आस-पास के क्षेत्र में जो परीक्षा देने के लिये आजकल विद्यार्थी जाते हैं वे पैदल जाते हैं क्योंकि उनको १० पैसे के बजाय ६० पैसे देने पड़ते हैं। मैं कोई बुरे शब्द नहीं कहना चाहता लेकिन आपको अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह संभालनी चाहिए।

और भी कई बातें हैं जैसे नौतोड़ की जमीन है। डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा आदिवासी हैं जिनकी नौतोड़ जमीन है। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए कि उनको नौतोड़ भूमि पर भी भूमि बन्धक ऋण मिले।

इस साल बजट में सैकेन्डरी और हायर सैकेण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान नहीं रखा। आदिवासी क्षेत्र के लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के इच्छुक हैं वहां तो पढ़ने की व्यवस्था करें। मैं निवेदन करता हूं सरकार को कि सैकेन्डरी और हायर सैकेन्डरी स्कूल खुलवाने का प्रावधान रखें। सरकार के करोड़ों रुपये लोगों में बकाया हैं अगर वे वसूल करें तो टैक्स लगाने की जरूरत न पड़े। करों की जो बकाया है सरकार वसूल नहीं कर पाती। पिछले साल की २१ करोड़ की बकाया बताई थी, बड़े-बड़े पूंजीपतियों से सरकार करों की वसूली नहीं करती। सरकार को उसके लिये सख्ती से व्यवस्था करनी चाहिये ताकि छोटे किसानों पर भार न पड़े।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक स्थिति के बारे में उस राज्य के वित्त-मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट एक दर्पण का कार्य करता है। एक बुद्धिमान वित्त मन्त्री का कर्त्तव्य यह होता है कि भूतकाल की उपलब्धियों के विषय में तथा विफलताओं के विषय में विचार करते हुए बजट के बारे में सतर्क रहने की चेष्टा करते हुए वर्त्तमान का निरूपण करना चाहिये और यदि इन तीन आधारभूतों को लेकर राज्य का वित्त मन्त्री विचार नहीं करता तो वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता। सन् १६६६-७० के बजट के आंकड़े इस सदन के सामने विचार का विषय बने हुए हैं। इस पर विचार करने से पूर्व जो पृष्ठभूमि है उसको इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाय, उसी दृष्टि से यदि अवलोकन किया जाता है तो राजस्थान के वित्त मन्त्री ने जो इस बात का दावा किया है, दंभ किया है कि वह राज्य में प्रगति लाना चाहते हैं, प्रगतिशील राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, समाजवाद की सही व्यवस्था करना चाहते हैं, उसके बारे में आपको स्पष्ट हो जायगा कि यह बिल्कुल दुनियां को धोखा देने का तरीका है। जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं इस राज्य के मुख्य मन्त्री आंकड़ों के बाजीगर हैं। वह हमेशा आंकड़ों पर कमांड रखते हैं और उसी आधार पर कोरे शब्दों में कागजों का पेटा भरते जाते हैं। गलत आंकड़ों को जनता के सामने रखते हैं। आप जो कुछ व्यय करते हैं, उत्पादन करते हैं, जो उपलब्धियां होती हैं उनका किसी प्रकार वर्णन कर दिया जाता है और दुनिया को अंधा बनाते हैं। जो वर्तमान बजट है उससे भी यह दृष्टिगोचर होता है। राज्यपाल ने जब अपना भाषण दिया तो सर्व प्रथम उन्होंने भी यही व्यक्त

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

किया हमारे राज्य पर अकाल की विभीषिका है। राज्यपाल महोदय स्वयं चिन्ता व्यक्त करते चले आ रहे हैं। जब बजट पर भाषण हो रहा था तो वित्त मन्त्री गंभीरता के साथ अपने भावों को व्यक्त कर रहे थे कि गत वर्ष हमारे लिये खुशहाली का दौर था और जब हम इस वर्ष के अन्दर आशा लगाए बैठे थे कि राज्य की वितीय स्थिति ऊंची हो जायगी, उपलब्धियां प्राप्त हो जायेंगी तो प्रकृति का प्रकोप हो गया, उसके कारण हमारे राज्य को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है लेकिन मैं वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं और मन्त्री मण्डल के सब सदस्यों से भी पूछना चाहता हूं कि आपके इतने लम्बे चौड़े प्रशासन काल में राजस्थान में क्या आप दावा कर सकते हैं कि राज्य का ऐसा कोई वर्ष निकला हो जिसमें राज्य के किसी न किसी हिस्से में आपने अकाल की घोषणा नहीं की हो ? आपने किसी न किसी हिस्से में जरूर अकाल बताया होगा, कई छूटें दी होंगी। जितने रुपये का आप प्रावधान कर सकते हैं अकाल सहायता के नाम पर रुपया व्यय कर सकते हैं, आपने सब चेष्टायें की होंगी। मैं मानता कि हूं हमारे राज्य पर अकाल एक भयंकर रूप लेकर आया है और इसका मुकाबला भी राजस्थान का प्रत्येक नागरिक करने के लिये तैयार है लेकिन क्या सरकार का कर्त्तव्य नहीं हो जाता ? लेकिन २० साल से इन्होंने इस राज्य की भौगोलिक, आर्थिक और दूसरी व्यवस्थाओं पर विचार करते हुए इन अकाल राहत कार्यों के लिये कोई ठोस कदम उठाने को कोशिश नहीं की। अकाल क्यों पड़ता है, कभी जानकारी करने की कोशिश की ? इस बात का अंदाजा नहीं लगाया कि इसके क्या कारण हैं ? अतिवृष्टि और अनावृष्टि, इस प्रकार के कारण बताए हैं। इनको रोकने के लिये तुलनात्मक अध्ययन करने की दृष्टि से पड़ौसी राज्यों का अध्ययन किया जाय। पंजाब को देखिये। मेरा वहां कई बार जाना हुआ है, उन राज्यों को हमारे साथ स्वतन्त्रता मिली लेकिन सिंचाई के साधनों के बारे में उन्होंने इतनी सतर्कता से काम लिया कि बाढ़ आती थी तो उसका नियंत्रण करने की कोशिश की गई। इस प्रकार जल के साधन उपलब्ध कराये जायं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस राजस्थान में यह राज्य की सरकार उन सारे साधनों के ऊपर पूर्ण रूप से विचार नहीं कर सकती और यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष चाहे राज्य का छोटा सा कोना हो, चाहे छोटा ही हिस्सा हो उसके अन्दर अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। अकाल को स्थिति प्रति वर्ष हर रूप से तैयार होती रहती है और यह भयंकर रूप इसने अबकी बार धारण कर लिया।

(३ म० प०)

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं आधारभूत तथ्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में योजनाओं का जो राज्य सरकार ने स्तर दिखाया है उनमें से लघु सिंचन कार्य के लिये राज्य में अब तक क्या किया ? जो सिंचाई के साधनों मे रुपया व्यय किया गया उसको देख लीजिये, उत्पादन की दृष्टि से जो अर्थ यह राज्य सरकार लेकर व्यय करना चाहती है वास्तव में उसका प्रोपर युटिलाइजेशन कितने अंश में होता है और कितना अंश उस रकम का व्यर्थ में व्यय कर दिया जाता है। उत्पादन में जो रुपया व्यय करना चाहिये था वह रुपया प्रशासन में,

Page No 93

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज के रूप में व्यय कर दिया जाता है। राज्य की इन नीतियों के कारण इस कदर प्रशासनिक खर्च बढ़ गया है कि जो वास्तव में उपादेयता के लिये रकम खर्च की जानी चाहिये वह रकम उपादेयता के लिये खर्च न होकर प्रशासन पर खर्च हो जाती है। राज्य सरकार के जमाने मे बने हुए जितने बांध हैं या तो उनमें से सीरें निकलने लगी हैं या तो वे टूट गये हैं या उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि गहरी बाढ़ आ जाने के कारण, प्रवाह को न रोकने के कारण आगे की नहरें टूटती चली जाती हैं, आस-पास के गांव बहते हुए चले जाते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह अकाल राहत के लिये काम करते हैं। प्रकृति के साधनों को नियन्त्रण की दृष्टि से यह उपकरण राज्य सरकार जनता के सामने ले जाना चाहती है, विकास के साधनों के द्वारा। वे विकास के साधन नहीं रह कर जनता के लिये विनाश के साधन बन जाते हैं। उन सब का दोष अगर किसी पर आकर पड़ता है तो राज्य सरकार की दूषित नीतियों के कारण आकर पड़ता है। आज जनता के सामने आप यह ढिंढोरा पीटना चाहते हैं कि हमारे देश में अकाल है और जनता दूसरी मांगों को लेकर आती है तो राज्य सरकार मीट अाउट करने के लिये तैयार नहीं। अर्थाभाव है, रुपया अकाल पर खर्च करना है। मैं आपको यही भावना व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इस निश्चित धारणा का हो गया हूं कि चला कर यह मन्त्री मण्डल अकाल को आमन्त्रित करता है। जो केन्द्र से अनुदान मिलता है और राज्य सरकार सहायता देती है, पूंजीपतियों से रुपया मिलता है और जगह से रुपया मिलता है अकाल के बहाने पर यह राज्य सरकार उसको किस प्रकार खर्च करती है। वास्तव में, उपाध्यक्ष महोदय, होता यह है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों से जो लोग दौरा करके आये हैं जिनके टेलीग्राम रात दिन आपके पास आते हैं और सदन के माननीय सदस्यों के पास आते हैं, बहुतसी सदन की कमेटियों ने उन क्षेत्रों का दौरा भी किया है और गण्यमान्य, प्रतिष्ठित नेता भी उन क्षेत्रों का दौरा करके आये हैं, वे इस बात को जानते हैं कि किस प्रकार अकाल सहायता का कार्य वहां हो रहा है। जो रुपया राज्य सरकार टैक्स लगा कर वसूल करती है उसको सही माने में अकाल पीड़ितों पर खर्च किया जाता है या उन रुपयों को इस प्रकार खर्च किया जाता है कि अपने अधिकारियों को पलने के लिये वहां लगा रखा है, वहां पर अपने सम्बन्धियों को इसलिये लगा रखा हैं कि उनका पालन-पोषण करते रहें। अकाल पीड़ितों के महकमें को एक पालन-पोषण का महकमा बना रखा है। निश्चित रूप से यह सरकार अकाल को मिटाना नहीं चाहती है बल्कि आह्वान करती है रुपया आता है और उसका दुरुपयोग करने की चेष्टा करती है। वर्तमान बजट में करोड़ों रुपयों की इमदाद केन्द्र से और अन्य जगहों से मिलने वाली है लेकिन भविष्य में अकाल न हो उसके लिये कोई प्रावधान नहीं रखा है बल्कि प्रावधान यह रखा है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में योगदान के लिये व्यवस्था की जावेगी। मैं राज्य सरकार से यह चाहता हूं कि निश्चित रूप से योजनाबद्ध रूप से व्यवस्था करनी चाहिये जिससे प्रकृति का भयंकर प्रकोप देश पर आ जाता है और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कम से कम यहां के उन प्रकृति के प्रकोप से लड़ने के

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लिये सक्षम होना चाहिये और उसका मुकाबला करना चाहिये लेकिन उन सिद्धान्तों पर राज्य सरकार विश्वास करने वाली नहीं है। यह सरकार तो केवल स्वार्थ और स्वार्थी तत्वों को अपने पास रखना चाहती है उनके प्रतिपालन की दृष्टि से यह सारे कार्य करती है। इस सिद्धान्तहीन सरकार के सामने प्राचीन सिद्धान्त का निरूपण करूंगा तो कोई असर नहीं होगा। भगवान् कृष्ण ने गीता के अन्दर कहा है।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः।
यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञकर्म समुद् भवः॥

इसका अर्थ यह होता है कि प्राणी मात्र की उत्पति, प्राणी मात्र जिस प्रकार से होते हैं, उसका उत्पन्न अन्न के द्वारा होता है। अन्न कहां से उत्पन्न होता है? अन्न परजन्य से उत्पन्न होता है, अर्थात् बादल, इन्द्र से जल उत्पन्न होता है। इन्द्र के द्वारा प्रदत्त जल शक्ति का उसके द्वारा उत्पादन होता है। और जल शक्ति किससे उत्पन्न होती है? यह यज्ञ के द्वारा होती है। अो XXX यज्ञ का मतलब समझो।

श्री उपाध्यक्ष : यह शब्द एक्सपन्ज किया जाय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जो किसी सत्यवादी को नही देख सकता उसको XXX कहा जाता है और जो XXX होता है उसको प्रज्ञाचक्षु कहते हैं। काव्य में भी XXX शब्द प्रयोग किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : यहां XXX शब्द अपने आप में उपयुक्त नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अनपार्लियामेन्टरी नहीं है। आपको अधिकार है। सब कुछ है मैंने इस शब्द का प्रयोग किया है इस दृष्टि से कि सत्य बात पर पर्दा डालने वाला, अवलोकन नहीं करने वाला प्रत्येक व्यक्ति XXX कहा जा सकता है।

इसका वर्णन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि यज्ञ किसको कहते हैं? रोज कोई व्यक्ति सुचारु रूप से अपने कर्तव्य का पालन करता है उसको यज्ञ रूप में कहा गया है। गृहस्थी अपने गृहस्थ धर्म का पालन करे, तपस्वी तपस्या करे, विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे, इसको यज्ञ कहा गया है। यज्ञ को समझने की चेष्टा करें। यज्ञ का मतलब कर्तव्य का पालन करना है। मैं निश्चयात्मक रूप से कह सकता हूं और दावा करता हूं कि यदि आप अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभायेंगे और अकाल का जोर शोर से मुकाबला करने के लिये साधनों को जुटायेंगे तो सक्षम तरीके से अकाल का मुकाबला हो सकता है। लेकिन आपके दिमाग में ये बातें नहीं बैठती हैं और न ही प्रावधान रखते हैं। आप अच्छी भावना के साथ, मैं निश्चयात्मक रूप से कहता हूं कि वित्त मन्त्रीजी आप सदन में ये आंकड़े प्रस्तुत नहीं करते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में यह समाजवाद की व्यवस्था कायम करने वाली सरकार, जो इस बात का दम भरती है कि यह वह सरकार है जिसने राजस्थान में सब पहले विकेन्द्रीकरण को महत्त्व दिया, जिसने सारे देश के अन्दर सब से पहले राजस्थान में डिसेन्ट्रेलाइजेशन को परिचालित किया।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द कार्यवाही से निकाला गया।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

विकेन्द्रीकरण की भावना का दावा करने वाली यह सरकार यह दावा करती है कि हम सारी शक्ति, राज्य के प्रशासन की सारी शक्ति अपने ही हाथ में नहीं लेना चाहते, बल्कि जिलों और दूसरे यूनिट्स को शक्ति देने का विचार रखते हैं। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि ये हाथी के दांत दिखाने के एक और खाने के दूसरे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार की नीतियों को आप देखिये। विकेन्द्रीकरण का दम्भ करने वाली इस सरकार ने जब देखा कि राजस्थान की बहुत सारी पंचायतें इस राज्य सरकार के हाथ से निकलती हुई चली जा रही हैं, बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज इस सरकार के और इस कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकलती जा रही हैं, और जनता ने इस राज्य सरकार पर अविश्वास दिखा दिया है, तो ऐसी अवस्था में इस डिसेंट्रलाइजेशन का दम भरने वाली सरकार ने क्या किया ? एक तरफ तो घोषणा कर चुके हैं विकेन्द्रीकरण की...

उपाध्यक्ष : मंत्रिमंडल भी तो विकेन्द्रीकरण का सूचक है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उस दृष्टिकोण से ही निवेदन कर रहा हूं। तो जब सरकार ने देखा कि इन संस्थाओं से वापिस पावर्स तो छीन नहीं सकते, तो सरकार ने इन संस्थाओं पर नियन्त्रण करने के लिए बजट में प्रावधान रखे। और वे क्या रखे, उपाध्यक्ष महोदय ? इन्होंने देखा कि ये म्युनिसिपैलिटीज चुंगी लगाती हैं और उस चुंगी से उनको लाखों रुपयों की आय होती है, जिससे वे आत्म निर्भर हो जाती हैं, और सरकार अगर उनकी चोटी पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाती। तो सरकार ने क्या किया कि चुंगी को हटा दिया। और सदन में उस पर क्राकोडाइल्स टीयर्स बहा दिये जैसे क्राकोडाइल्स अपने शिकार को खाने के बाद अपनी आंखों से आंसू बहाता है, उसी प्रकार सरकार ने झूठे आंसू बहा दिये। इसके पीछे गन्दी भावना छुपी हुई है और वह गन्दी भावना क्या है, वह यह है कि इससे हमेशा म्युनिसिपैलिटीज पर सरकार का हाथ रहेगा।

दूसरी पॉलिसी जो इन्होंने डिक्लेयर की है वह यह है कि जहां तक हाउस टैक्स की वसूली का सवाल है, वह भी अब म्युनिसिपैलिटीज द्वारा न हो कर राज्य सरकार करेगी। तो एक तरफ तो चुंगी को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और दूसरी तरफ हाउस टैक्स भी म्युनिसिपैलिटीज से छीन लिया ताकि लोकल बॉडीज आत्म निर्भर नहीं रह सकें। यदि कहीं विरोधी पार्टी शक्ति में आ जाती है हमेशा तो राज्य सरकार का यह रवैया रहता है कि व्यवस्था के नाम से उसको हटाया जाये। यह राज्य सरकार हमेशा करती रही है। जहां-जहां भी विरोधी पार्टी मैजोरिटी में आई उसी म्युनिसिपैलिटी में ऐडमिनिस्ट्रेटर कायम करती रही है यह सरकार। तो इस प्रकार की सरकार के बारे में जो समाजवाद का दम भरती है और काम इस प्रकार के करती है जो समाजवाद के विपरीत हों, मैं तो क्या कहूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप जैसा निष्पक्ष व्यक्ति भी कहेगा कि यह गलत पॉलिसी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि जो अव्यवस्थाएं प्रशासन में होती हैं, उनको दूर करने के लिये देश के अन्दर जगह-जगह ज्यादा से ज्यादा आटोनामस बॉडीज का

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

निर्माण करने की कोशिश की जाये और इसी दृष्टिकोण से इन्होंने वूल बोर्ड की स्थापना करने की योजना बनाई है, ऐग्रीकल्चर क्रेडिट कार्पोरेशन बनाने की स्कीम भी अंकित कर दी है, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कभी भी इस राज्य सरकार के सामने ऐसी समस्यायें आती हैं जहां उनका कोई आदमी किसी पद पर नहीं आ सकता, वैसे मंत्री मंडल की संख्या वे ३७ तक तो ले आये ही हैं, लेकिन फिर भी कई रह जाते हैं, तो उन लोगों को सरकार किसी बोर्ड का चेयरमैन, किसी कार्पोरेशन का चेयरमैन बना देती है जनता को गुमराह करने के लिए कह देते हैं कि हम आटोनामस बोर्ड और कार्पोरेशन बनाकर प्रशासन में सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में किसी अपने वरिष्ठ नेता को उन पर एब्सार्ब करना चाहते हैं और उनके लिये ये नई पोस्टें क्रीएट हो रही हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने यह स्पष्टीकरण नहीं किया कि आज की स्थिति में जब कि हमारे वित्त की भयंकर संकटपूर्ण स्थिति दृष्टिगोचर होती है, जब कि जनता के प्रतिनिधि, जो इस सदन में बैठते हैं, वे कभी भी कोई अपने क्षेत्र का मसला सामने लाते हैं तो उनको यह कह कर टाल दिया जाता है कि वित्तीय साधन नहीं हैं इसलिये समस्या का समाधान नहीं हो सकता, इस वक्त मैं पूछना चाहूंगा कि इस तरह के आटोनामस बॉडिज बनाकर, उनके लिए चेयरमैन और सेक्रेटरी और दूसरे स्टाफ का खर्चा बढ़ाकर राजस्थान की जनता, जो पहले ही करों के भार से दबी हुई है, उसके ऊपर और प्रशासनिक खर्चा क्यों लाद रहे हैं? लेकिन इस बात का जवाब नहीं है। बाहर से प्रशासन सुधारने का कारण बताते हैं, लेकिन वास्तव में इनको तो कुर्सियों पर चिपके रहना है। और प्रजातन्त्र में अगर आपने किसी को भी खुश नहीं किया तो आपकी कुर्सियां हिलने की बात आ जाती है, आपके कुर्सियों से हटने का सवाल पैदा हो जाता है, और आपका तो एक ही लक्ष्य है कि कुर्सियों पर चिपके रहो। आपके सामने यह नहीं है कि राजस्थान की दो करोड़ जनता किस प्रकार कष्ट का सामना कर रही है उसके उद्धार के लिये आपके पास कोई योजना बद्ध स्कीम नहीं है और न आप बनाना चाहते हैं। आपने बीस साल के प्रशासन में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई जिसके लिये कहा जा सके कि वह आपने जनता के भले के लिये बनाई।

आप कहते हैं कि हमने जगह-जगह सड़कों का जाल बिछा दिया, नगर-नगर में बिजली दे दी, कुए खुदवाये। तो इसमें कौनसा अहसान किया? यह तो प्रत्येक प्रशासन का कर्तव्य है। आपकी जगह कोई अन्य प्रशासन होता तो वह भी यही करता। अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती, और वैसे आप अब ज्यादा दिन भी सरकार में रहने वाले नहीं हो, और विरोधियों की सरकार होती, तो वे भी यही करते। तो यह तो सिद्धांत रूप से हर सरकार का कर्त्तव्य है कि सड़कें बनवाए और बिजली दें। इसमें आपने जनता पर कोई अहसान नहीं किया। अगर आप कहते हैं कि हमने विकास को बढ़ाया है, तो यह आपका अहं भाव है केवल। अपने कर्त्तव्य पालन करने के लिये हर सरकार को अपने साधन जुटाने पड़ेंगे। हम विरोधियों का भी यह कर्त्तव्य है कि आपकी हर योजना को देखें कि उसमें किस

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जगह खामी है, और वास्तव में जहां विकास कार्य होना चाहिये वहां हो रहा है या किसी दूसरी जगह हो रहा है, यह आपको बतायें। आपके विकास कार्य राज्य के हित में न होकर आपके निजी हित में होते हैं। जहां आपको वोट मिलने की आशा होती है, जहां के लोग आपको वोट देते हैं वहां पर आप विकास कार्य चलाते हैं चाहे उनकी वहां पर जरूरत हो या न हो, जबकि उस कार्य की दूसरी जगह ज्यादा जरूरत है और जहां राज्य के हित के लिये भी ज्यादा जरूरत है। ये सब आप इसलिये करतें हैं क्योंकि आपको कुर्सियों से मोह है, आप कुर्सियां छोड़ना नहीं चाहते।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में इस प्रकार की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है। मैं निवेदन करनाचाहूंगा कि जो तथ्य हैं उनके बारे में एक बात तो मानकर चलना होगा...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य समय काफी हो गया, और आपकी तरफ के बहुत से और माननीय सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : हमारी पार्टी को दो तीन घंटे मिले हैं, और मैं थोड़ा सा ही टाइम और लूंगा।

शिक्षा संस्थाओं में जहां तक वृद्धि का प्रश्न है, इस प्रश्न के लिये तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जरूर कहूंगा, इस राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थाओं के अन्दर बहुत ज्यादा वृद्धि की है, उनको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है लेकिन शिक्षा का स्तर कितना गिरा दिया है। इन शिक्षा संस्थाओं से निकलने वाले विद्यार्थी, हमारे देश के गौरव को बढ़ा सकते हैं? क्या इन शिक्षण संस्थाओं से निकले विद्यार्थी राज्य की, देश की, हमारे भारतवर्ष की संस्कृति को बढ़ाने वाले होते हैं? बल्कि मैं कहूंगा स्तर इतना गिर चुका है, जिन अध्यापकों को हम इन शिक्षण संस्थाओं में नियुक्त करते हैं, वे अध्यापक वर्ग शुद्ध हिन्दी और शुद्ध अंग्रेजी लिखना-पढ़ना, पठन-पाठन का कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार से निकले हुए विद्यार्थी इस देश की प्रगति कैसे कर सकते हैं? कैसे देश को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की चेष्टा कीजिये। लेकिन पढ़े-लिखे लोगों की संख्या से ही आप देश की प्रगति नहीं कर सकते। इसका दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। इसकी तरफ आप ध्यान दीजिये। आज की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार गिरती हुई चली जा रही है। जो भौतिक साधन, संसार के अन्दर जो सुख-समृद्धि के साधन हैं, उनकी और मानवता आकृष्ट होती है और आकृष्ट होने के कारण जो व्यक्ति थोड़ा भी पढ़ जाता है, उसके हृदय में यह भावना उत्पन्न होती हैं, कि अच्छे से अच्छे साधनों का वह उपयोग करे, जो विज्ञान की उपलब्धियां प्राप्त हो गई हैं, उनको प्राप्त करने का, उनका उपभोग करने का वह यत्न करता है। सबसे पहले उसको पेंट चाहिये, कोट चाहिये, टाई चाहिये। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार के साधन वह चाहने लगता है। मैं मानता हूं ये साधन उनको मिलने भी चाहिये। प्रत्येक मानव को मिलने चाहिये। यह वैज्ञानिक उपलब्धि प्रत्येक मानव को उपलब्ध है। लेकिन इस भावना से जो व्यक्ति, इस शिक्षा से ऊपर आते हैं, इस शिक्षा प्रणाली

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

के बाद निकल कर आते हैं और जब वे इन उपलब्धियों को प्राप्त करने का यत्न करते हैं, उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये साधन राज्य सरकार द्वारा उनको नहीं मिलते हैं, इसके कारण यह होता है कि मनुष्य जो चाहता है, उसे प्राप्त करने का यत्न करता है, और उस यत्न में वह विफल होता है तो वह कुमार्ग पर चला जाता है। बदमाशियां करने लगता है और इस प्रकार से वह एक गलत वातावरण में चला जाता है। वह ऐसे दूषित वातावरण की ओर बढ़ता जा रहा है। इसका मूल कारण क्या है ? राज्य में फैली हुई दूषित शिक्षा व्यवस्था का यह कारण है। बेकारी इसका मूल कारण है। मानव को खाने को अन्न और पहिनने को वस्त्र मिल जाता है तो वह साहस करता है अच्छी वृत्ति करने का। इसके अभाव में अपराध बढ़ रहे हैं, चरित्र गिर रहा है, इसका उत्तरदायित्व किस पर है ? मैं नहीं कहता, मन्त्रिमण्डल के व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होना चाहिये, लेकिन यह जरूरी हो गया है। सारे व्यक्ति जिस उत्तरदायित्व को निभाना चाहते हैं, उसके लिये राज्य का कर्तव्य है और राज्य उस कर्तव्य का पालन नहीं करता है और यही कारण है कि हमारे देश का मोरल स्टेन्डर्ड गिरता जा रहा है। उत्पात फैलते जा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा जहां तक शिक्षा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको विकास करना चाहिये। इस प्रकार के छात्रों को शिक्षण संस्थाओं से निकालना चाहिये जिससे कि वे देश का कल्याण कर सकें। कहा भी है:—

एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारा गणैरपि,
वरमे को गुणी पुत्रो: न च मुर्खः शतान्यपि।

एक हजार तारे अन्धकार को दूर नहीं कर सकते। अकेला चन्द्रमा अन्धकार को दूर कर सकता है। देश में फैले हुए अज्ञान के अन्धकार को दूर करने के लिये लिखे-पढ़ों की जरूरत नहीं है बल्कि चन्द्रमा के समान प्रकाश करने वाले अच्छे योग्य विद्वान की जरूरत है। लेकिन हर विद्वान का सम्मान यहां नहीं होता है। विद्वानों का अनादर होता है और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वे बेचारे विलायत में जाकर अच्छी नौकरी करते हैं। यह हमारे दुर्भाग्य की बात है। हमारे राज्य में हम उनको सम्मानित नहीं कर सकते। यहां सम्मान किनका होता है ? जो मन्त्री, उप-मन्त्री के भाई हैं, भतीजे हैं, या उनके दामाद हैं। वे चाहे योग्य हों या अयोग्य हों, उनके लिये पोस्ट क्रियेट की जाती है। उनको इन कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है। उनका इन कुर्सियों पर बैठना आवश्यक है। इस प्रकार की भावना को लेकर समाजवाद की स्थापना आप क्या कर सकते हैं ? देश का उद्धार किस प्रकार कर सकते हैं। इसके लिये मैं सुझाव दूंगा और अपेक्षा करूंगा कि मन्त्रीजी आप इस प्रकार की प्रवृत्तियों को दूर करेंगे और शिक्षा में सुधार करने का कष्ट करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, चिकित्सा के बारे में और बताना चाहता हूं। जहां तक चिकित्सा का सम्बन्ध है, आज हमारे राज्य में जो वर्तमान में बजट रखा गया है, उस बजट में चिकित्सा से संबन्धित कितने रुपयों का प्रावधान रखा गया है। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय में चिकित्सालयों में वृद्धि के साथ-साथ रोगों की वृद्धि भी हुई है। रोगों की वृद्धि के साथ-साथ यह आवश्यक हो गया है कि चिकित्सालय में अधिक से अधिक उपकरणों को राज्य सरकार उपलब्ध करावे।

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

उसके साथ ही औषधियों का वितरण होना चाहिये। आपके बजट में भी इसका विस्तार होना आवश्यक है। आज सारे चिकित्सालयों का आप मुलाहिजा फर्मा लीजिये। एक बार जाकर देखने का कष्ट कीजिये। एक चिकित्सालय को मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर नगर के शफाखाने में एक मरीज को डेढ़ छटांक दूध दिया जाता है। औषधियों की व्यवस्था कम कर दी गई है। डेढ़-दो छटांक दूध दिया जाता है, तो राज्य के चिकित्सालयों की स्थिति की आप कल्पना कर सकते हैं। मैंने पूछा तो बताया कि हमारे बजट में गुंजाइश नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बजट की गुंजाइश कहां चली गयी? वहां यह बात होती है, जहां तक प्रशासन के व्यय का सवाल है, वह दो करोड़ होता है। जो औषधालय की योजना राज्य सरकार की है उस योजना का डेढ़, पौने दो करोड़ तो प्रशासन खा जाता है और जो २५ लाख बचेगा उससे आप मरीजों का इलाज करना चाहते हैं। यह दूषित नीति है। इस दूषित नीति को दूर करना चाहिये। प्रशासन में फैले हुए इस भ्रष्ट वातावरण को दूर हटाने की चेष्टा आपको करनी चाहिये। आप कहते हैं हम प्रगति कर रहे हैं। क्या यही आपका प्रगतिवाद है। आप यहां दावा करते हैं, हामी भरते हैं कि हमारे राज्य में प्रगति हुई है। हमने इतने पढ़े-लिखे सपूत निकाल दिये हैं। पढ़े-लिखे होने का अर्थ प्रगति नहीं है। मैं तो कम पढ़ा-लिखा हुआ हूं। इस शब्द का अर्थ यह जानता हूं कि प्रगति का अर्थ है बढ़ना। मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं हम बराबर बढ़ रहे हैं। मैंने इतनी प्रगति कर दी है, तो मुझे भी मजबूर होकर कहना पड़ता है, इस राज्य के मुख्य मन्त्री प्रगतिशील व्यक्ति हैं। राज्य प्रगति करता है। परन्तु वह प्रगति है क्या? वह मैं आपको बताना चाहता हूं।

प्रगति हो रही है, दिन प्रतिदिन हो रही है।

प्रगति का अर्थ है बढ़ना।

दिन प्रतिदिन बाजार में भाव बढ़ रहे हैं।

खर्च बढ़ रहा है, टैक्स बढ़ रहे हैं।

इस प्रकार का समाज कल्याण हमारी राज्य सरकार करती है। इसलिये इस भावना को यहां व्यक्त किया है। मुख्य मन्त्रीजी अपने भाषण में कहते फिरते हैं कि हम राज्य को प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। तो इस प्रकार की प्रगति इस राज्य में हो रही है।

अन्त में मैं एक छोटी सी बात और बता देना चाहता हूं। वह यह है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि गांधी शताब्दी को लेकर हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अछूतोद्धार के लिये थोड़ी अपनी भावना को व्यक्त किया है। और उसके अन्तर्गत आप कहते हैं कि मैंने शराब पर टैक्स लगाया है। यह बहुत अच्छी बात है। यह सबको कहना चाहिये था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप वित्त मन्त्रीजी मुश्किल से कबूल करेंगे कि खुद ने कितनी शराब छोड़ी है? आप तो महंगी शराब भी पीयेंगे। आपने कह दिया शराब जितनी महंगी, सरूर उतना ही ज्यादा। परन्तु गरीब आदमी कैसे महंगी शराब पी सकेगा। हमारे वित्त मन्त्रीजी तो सरूर में रहना चाहते हैं, इस-

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

लिये वे महंगी शराब पीना चाहते हैं। यह उनकी स्थिति है, परन्तु गरीबों की स्थिति क्या होगी ? कहा है :

महल कुछ अनगिनत ऐसे, जहां अनजाने नहीं जाते
कि जैसे शेख घर पीते हों मैखाने नहीं जाते
जनाबे पारसा हैं मौलवी पंडत हैं जाहिद हैं
अगर ये पी भी लेते हैं तो पहचाने नहीं जाते

तो यह मिसाल है। यहां हमारे मन्त्रि-मण्डल के सदस्य सद्भावना इस तरह को व्यक्त करते हैं कि हमने राज्य में सुव्यवस्था कायम करने की चेष्टा की है। एक बात की अपेक्षा करके चलता हूं कि आपके उद्देश्य का प्रभाव तभी हो सकता है, उसका प्रभाव तभी हो सकता है, जब आपके स्वयं के आचरण इस प्रकार के हों, जिसका कि अनुकरण करने की प्रवृत्ति दूसरे लोगों में हो। आप अपना स्वयं का आचरण समाज के सामने एक आदर्श के रूप में उपस्थित नहीं कर सकते तो आपको यह कहने का भी अधिकार नहीं है कि हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। आपने अपने प्रशासन काल में बहुत कुछ किया है। इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिस प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति आप में है, उस प्रवृत्ति के दृष्टिकोण का अवलोकन आप करें तो निश्चयात्मक रूप से कहा जा सकता है कि जो प्रगति, व बजट के आंकड़े राज्य के प्रस्तुत किये हैं, वे दिवालिया सरकार के उस थोथी कल्पना के आधार पर चलने वाली सरकार के बजट के आंकड़े हैं, इससे राजस्थान का विकास नहीं हो सकता।

राजस्थान सरकार ने घाटे का बजट पेश किया, दूसरी स्टेटों ने घाटे का बजट पेश किया, केन्द्र ने भी घाटे का बजट पेश किया। सेन्टर कहता है हम तो खुद दिवालिया बने बैठे हैं दूसरों को हम क्या मदद दे सकते हैं। तो आपने तो लोगों को समझाने के लिये कह दिया कि इतने करोड़ का घाटा हमें सेन्टर से मिलने वाले अनुदान से बराबर हो जावेगा और यह कहकर हमें सन्तुष्ट कर देते हैं। पर इस तरह से विकास के कामों को आप कहां तक टालते जावेंगे।

अब मैं थोड़ी अपनी स्थानीय समस्याओं के बारे में निवेदन करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, बीस सालों के बजट में मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जहां तक जयपुर नगर के विकास का सवाल है, परकोटे में कोई विकास कार्य करने का जहां तक सम्बन्ध है न आपने वहां एक सड़क अब तक बनाई, न लाइन डाली, न कोई स्वच्छता की व्यवस्था की। सरकार नगरपालिका पर अपना उत्तरदायित्व डालकर अलग हो जाती है जिसकी आर्थिक स्थिति इस सरकार ने बड़ी दयनीय बना रखी है। आज तो स्थिति यह है, मैं यह दावे से कह सकता हूं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हैं कि जयपुर का नागरिक आज जीवित नर्क में रह रहा है। जयपुर की तमाम गलियां आज गन्दगी का ढेर बनकर रह गई हैं। आप लोग सिविल लाइन्स में रहने वाले हैं। आपको इसका अनुभव करना हो तो आप एक घंटे के लिये मेरे साथ चल लीजिये इन गलियों में। स्थिति यह है कि आप पांच मिनिट इन गलियों में खड़े नहीं रह सकते जहां लाखों इन्सान अपनी जिन्दगी गुजार रहे हैं। इस कदर बदबू आती है और मैला सड़ता रहता है गलियों में। मैं तो एक दिन मुख्य मन्त्रीजी को पकड़ कर

(श्री दुर्गालाल बाड़दार)

उधर ले गया था। जब तक रहे वे अपने खादी के रूमाल को नाक पर लगाये रहे। वे सहन नहीं कर सके उस गन्दगी को।

विकास कार्यों के लिये योजना आयोग से रुपया मिल सकता है, दूसरे आयोग से मिल सकता है और इसके द्वारा वहां सब जगह गटर की लाइनें बिछाई जा सकती हैं। करोड़ों रुपया आप और कामों के लिये ला रहे हैं, तो राजधानी में रहने वाले नागरिकों के कल्याण के लिये भी सरकार कुछ करे। आज नहीं कर रही है इसका राजनैतिक कारण है। इस सरकार में बैठे लोगों को जयपुर से कोई उत्साहवर्द्धक सहयोग नहीं मिला। पर इसका भी कारण आप ही हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यदि निष्पक्षता का आप दावा करते हैं तो राजस्थान के मुख्य मन्त्रीजी यहां अपनी निष्पक्षता का परिचय दें। आप स्वयं अपनी आंखों से यहां का हाल देख चुके हैं। गर्मियों के दिन आ रहे हैं, कूड़े-करकट का ढेर बढ़ता जा रहा है, गन्दगी बढ़ती जा रही है, रोग फैलने का डर है, महामारी भी फैल सकती है, भयंकर रोग फैल सकते हैं। कर्जा लेकर भी आप इसकी व्यवस्था करने का प्रयत्न करें। रोग का निदान हो गया, कारणों की तलाश कर ली, तो चिकित्सा करने की आप व्यवस्था करें। आपका उत्तरदायित्व है। आप सक्षम हैं। थोड़ा सा रुपया इधर भी खर्च कर सकते हैं। मैं भगवान और इन्सानियत के नाम पर आपसे कहना चाहता हूं कि जहां करोड़ों रुपया आप खर्च करते हैं तो वहां क्या थोड़ा रुपया जयपुर नगर के नागरिकों के भले के लिये नहीं कर सकते ? उम्मीद है मुझे कुछ उत्तर मिलेगा इस बार और कुछ रुपया जयपुर शहर पर भी खर्च करने की कोशिश करेंगे। यह अपेक्षा करते हुये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल। समय सीमा ३० मिनिट।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो बजट इस सत्र के लिये प्रस्तुत किया है जो समस्याएं इस प्रदेश में हमारे सामने थीं, उन समस्याओं को देखते हुए, इस बजट में कोई नई दिशा मैं नहीं देख पाता। वही यथावत् स्थिति वही यथावत नीतियां एक अन्धेरे में चलने जैसी दशा इस बजट से प्रतीत होती है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या स्वरूप है इस बजट का। मुख्य तौर से वही निरन्तर राजस्व में घाटा। और उस घाटे की पूर्ति केन्द्र से कर्ज लेकर पूरा करना। इस बजट का स्वरूप है कि लगातार विकास कार्यों में साधनों का संकुचित होते जाना और राज्य सरकार की शक्ति विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में समाप्त हो जाना। इस बजट का स्वरूप इस रूप में दिखाई देता है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस प्रकार पांच सौ करोड़ रुपयों का जो कर्जा आज हमारे राजस्थान पर हो गया है, खुद बजट में वित्त मन्त्रीजी ने स्वीकार किया कि इसमें १०८ करोड़ रुपया तो वह कर्जा है जो हमने बजट के घाटे या अकाल पर ज्यादा खर्च करने के कारण केन्द्र से अनुदान के अलावा लिया है। ४३२ करोड़ के केन्द्रीय सरकार के कर्जे में १०८ करोड़ यानि २४ पर्सेन्ट कर्जा तो केवल मात्र हम अपने प्रशासन के सामान्य तौर से चलने वाले व्यय में ले पाये हैं और इस तरीके से हम कर्जा लेकर अपनी पूंजी को लगाकर और सामान्य प्रशासन को चला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि वित मन्त्रीजी ने आखिर मजबूर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होकर चाहे केन्द्र में कांग्रेस की सरकार हो लेकिन फिर भी उनको कुछ साफ-साफ बातें कहने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जिस बात को जिस तथ्य को आज तक इससे पहले वे कहने की हिम्मत नहीं करते थे आज जिन्दगी की वास्तविकताओं से उन बातों को उन्हें कहने को मजबूर होना पड़ा है। वे क्या तथ्य हैं, उपाध्यक्ष महोदय। वह आपसी सम्बन्धों में केन्द्र और राज्य सरकार के अन्दर आर्थिक सम्बन्धों पर पुनर्विचार का प्रश्न है जो कि पहले केरल सरकार ने प्रस्तुत किया।

(३.३१ म० प०)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

वैस्ट बंगाल ने प्रस्तुत किया और आज मुझे खुशी है कि वास्तविकता को राजस्थान सरकार ने भी महसूस करते हुए इस बात को कहा है कि जो फाइनेन्शियल रिलेशन्स हैं, जो आज हमारे लोन्स हैं, जो इन्ट्रेस्ट लिया जाता है जिस तरह से जो हमें ग्रान्ट्स दी जाती हैं उनके ऊपर जो प्लान्स के अन्दर जिस तरह से फण्डस एलोकेट करते हैं उनमें बुनियादी तब्दीलियां होनी चाहियें।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह सवाल बहुत अहमियत का है और आज चाहे आप एक इधर का टैक्स और थोड़ा उधर का टैक्स लगा लो, जब तक इन बुनियादी सवालों को हल नहीं किया जावेगा यह आर्थिक समस्या, यह घाटे के बजट की समस्या हल हो नहीं सकती। आखिर इस वर्ष जो बजट आपने तैयार किया है मैं यदि वास्तव में कहूं तो बजट की वस्तुस्थिति वास्तविक रूप में रखी नहीं गई। एक कोरे रस्मी तौर पर बजट पेश करने के रुप में पेश किया गया है और दिखाने के लिये यह बताया गया है कि २० करोड़ रुपये का आपका राजस्व में घाटा है। जैसे और माननीय सदस्यों ने कहा स्ट्रिक्टली आपकी लायबिलिटीज हैं उनको सबको आप बजट के अन्दर इन्क्लूड करके चलें तो जो केन्द्रीय सरकार को आपको पैसा देना है उसको अगर ४३ करोड़ रुपयों को आप पूरे को शामिल करके चलते तो आप का यह घाटा पचास करोड़ रुपयों से आगे चला जाता।

आपने कल्पनाओं के आधार पर कहा जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा, उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि आपको फाइनेन्स कमीशन से असिस्टेन्स मिलेगी। आपने केन्द्रीय सरकार के सामने प्रश्न उठा रखा है इस बुनियाद पर आपने २० करोड़ का घाटा दिखाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन से और इस सरकार से कि आपको यह तमाम असिस्टेन्स मिलने के बाद आपको फाइनेन्स कमीशन से मदद मिल जाय और केन्द्रीय सरकार से मिल जाय उसको भी मान लिया फिर भी आपका यह घाटा लगातार रहेगा और जैसा वित्त मंत्रीजी ने स्पष्ट तौर से स्वीकार किया है कि दरअसल योजना पर आगे खर्च करने के लिये कुछ है नहीं, विकास के लिये कुछ पैसा नहीं है, यथावत स्थिति जो मौजूदा चल रही है, जो काम ले रखा है वह बहुत होगा। बहुत इतमिनान से कह दिया स्कूल और शिक्षा को सुदृढ़ करने में हम अपना समय लगायेंगे। पिछले वर्ष सड़कों के बारे में यही कहा था, आगे भी यही कहने वाले हैं कि इतने स्कूल और कॉलेज हैं कि जो समाज के लिये ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुए इसलिये हम इनको कम करने की सोच रहे हैं। और इसीलिये आपने कदम उठाने शुरू

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कर दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह एक बुनियादी सवाल है, एक भयंकर आर्थिक संकट है जिसमें यह सरकार फंसी हुई है।

आपके सामने यह प्रश्न है कि बजट के अन्दर यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि महंगाई बढ़ती है और महंगाई की वजह से महंगाई भत्ता देना पड़ता है। इस महंगाई भत्ता देने की वजह से एक भारी असन्तुलन बजट के अन्दर पड़ जाता है। यह सवाल आपके सामने है, केन्द्र सरकार के सामने है। प्रश्न यह है यह सवाल जिस तरह से पैदा होता है इसका इलाज क्या है, इसका इलाज था क्या और क्या सोच रहे हैं? क्या इस दिशा में इन सवालों को हल करने की तरफ इस बजट में रोशनी डाली गई है? क्या केन्द्रीय सरकार सोच रही है? जब तक इन सवालों पर बुनियादी तौर से विचार नहीं करेंगे तो इस समस्या का बुनियादी हल नहीं होगा— आप इसमें उसी तरह उलझे रहेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आप केन्द्र से मदद मांगे और जैसा और माननीय सदस्यों ने कहा, केन्द्र भी भारी आर्थिक संकट में है उसको अपने रुपये को डीवेल्यूएट करना पड़ा है इसलिये नहीं कि कोई कानूनी अड़चन थी इसलिये कि जिन लोगों से कर्जा लेना है उन लोगों को अपनी करेन्सी बेचने के लिये रुपये का डीवेल्यूएशन करना पड़ा। फिर भी आज हमारी समस्या हल नहीं हुई क्योंकि केन्द्रीय सरकार भी विदेशों पर निर्भर करती है, डालर पर निर्भर करती है, पाउन्ड पर निर्भर करती है, फ्रेन्क पर निर्भर करती है। आज तो, अध्यक्ष महोदय, हमारा रुपया फ्रेन्क से भी भारी आर्थिक संकट में पड़ गया है, पाउन्ड से भी भारी आर्थिक संकट में पड़ गया है। जो डालर बहुत गरूर से अपनी शान रखे हुए था आज उसको भी अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो रहा है। जहां इतना बड़ा भारी आर्थिक भार लिया है कि अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था चरमरा उठी है। आज वह दूसरे देश की मदद करने में सक्षम नहीं रहा, उसके लिये मुश्किल हो रहा है। इसलिये मैं अन्तर्राष्ट्रीय पूंजीवाद के ऊपर कहता हूं कि आज कांग्रेस को हिन्दुस्तान की इकोनॉमी बनानी है तो हिन्दुस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा, पूंजी से नाता तोड़ना पड़ेगा ताकि उसकी छूत की बीमारी हमें जर्जरित न करे। इस बुनियादी सवाल को जब तक कांग्रेसी नेता नहीं सोचेंगे श्री सुखाड़िया साहब इन नीतियों में तब्दीली नहीं ला सकेंगे, वे अपनी पार्टी में इसको नहीं रख सकेंगे तब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा जब तक भारत सरकार इन बुनियादी नीतियों में परिवर्तन नहीं करेगी, राजस्थान सरकार भी आर्थिक संकट से नहीं निकल सकती है। महंगाई राजस्थान सरकार पैदा नहीं करती है। मैं मानता हूं राजस्थान सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं है। भयंकर महंगाई है, महंगाई की वजह से कीमतों का बढ़ना, खर्चों का बढ़ना और खर्च करने की शक्ति का घटाना, अनएम्पलॉयमेन्ट को घटाना यह है हिन्दुस्तान के सामने बुनियादी सवाल। जिन पूंजीवाद नीतियों के जरिये आज आप विकास कर रहे हैं चाहे केन्द्र में कर रहे हों, चाहे प्रान्तों में कर रहे हों—ये नीतियां आपको गलत नतीजे पर ले जाने वाली हैं। जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके आगे के रास्ते बन्द हैं, आप आगे के रास्ते

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पर चल नहीं सकते इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस के नेताओं का यह कहने से काम नहीं चलेगा कि क्या करें ? मजबूरी में जो कुछ कर सकते हैं बजट पेश कर दिया। इसमें कोई वर्षा का कारण नहीं है, प्रकृति का प्रकोप कह कर निकल नहीं सकते। यह आपकी नीतियों का नतीजा है और इन नीतियों में बुनियादी परिवर्तन किये बगैर समस्याओं का हल नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदम, मैं यह निवेदन करूंगा कि आज जो बड़ा फाइनेन्स का क्वेश्चन है चाहे वह इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि जो फाइनेन्स कमीशन टेम्प्रेरी तौर पर मुकर्रर किया जाता है इस फाइनेन्स कमीशन को एक परमानेन्ट स्वरूप दिया जाय। चाहे यह प्रश्न हो, फाइनेन्स कमीशन जो केवल रेवेन्यू खर्च और आमदनी को देखकर ग्रान्ट-इन-एड देता है इसके बजाय प्लान एलोकेशन होता है, उस प्लान एलोकेशन का काम भी इस फाइनेन्स कमीशन को सुपुर्द किया जाय ताकि स्टेट की रिक्वायरमेन्ट को देखकर, विकास की रिक्वायरमेन्ट को देखकर, खर्च की रिक्वायरमेन्ट को देखकर एलोकेशन हो सके। इसको किये बगैर आज बुनियादी हल नहीं कर सकते। फाइनेन्स एलोकेशन के बारे चिन्तन नहीं करता हैं तब तक प्रान्त के लोग, प्रान्त की सरकारें अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति जो आज हमारे देश में चल रही है हर एक प्रान्त केन्द्र पर निर्भर होता जा रहा है। यह डेमोक्रेसी के विकास के लिये अच्छी स्थिति नहीं है। फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेन्ट में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों के पास अपने-अपने अधिकार हैं और दोनों के पास अपने-अपने फाइनेन्स के रिसोर्सेज हैं। दोनों के पास अपनी-अपनी रेस्पान्सिबिलिटी है। अनफार्चुनेटली आज हमारे देश में जिस प्रकार का विधान है उसमें राज्यों के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, जिसमें ज्यादा ऐक्सपेन्डीचर होता है और तमाम फाइनेन्स रिसोर्सेज केन्द्र के पास है इसलिये केन्द्र उन साधनों को पैदा कर सकता है। जैसे और जगह इस बात का सजेशन दिया गया है केन्द्र और राज्य सरकारों के फाइनेन्स अधिकारों के बारे में अगर आज हमको कॉन्स्टीट्यूशन में तब्दीली करनी पड़े, जो लिस्ट है, उसको तब्दीली की जरूरत है, तो उसको तब्दील करना चाहिये। मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार को बोल्डली उस बात को मनानी चाहिये। इस स्प्रिट में मैं समझता हूं वित्त मन्त्रीजी ने जितना कहा है वह एक दिशा है और साफ तौर पर उनको कहना चाहिये। इस चेन्ज के बगैर हिन्दुस्तान का फेडरल टाइप ऑफ कान्स्टीट्यूशन चल नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : मैं समय की सीमा की ओर संकेत करना चाहूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय !

श्री मूलचन्द डागा : यही शोषण है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस तरह से जहां तक अपने अन्दर के सवाल हैं राज्य सरकार की प्रान्त के अन्दर अपनी नीतियों का सवाल है एक प्रश्न की तरफ मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस करते समय इस सरकार का ध्यान आकर्षित किया था, और यह कहा था कि जिस तरह की प्लान के अन्दर नीतियां चलाई हैं इस प्रान्त की आवश्यकताओं को देखते हुए उन नीतियों के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जरिये जो इम्बेलेन्स था वह दुरुस्त होना चाहिए था उसके बजाय वह इम्बेलेन्स बढ़ा है, असन्तुलन बढ़ा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने उत्तर में इस बात से इन्कार किया था, लेकिन मैं समझता हूं कि केवल इस ओर से ही नहीं आपके दल की ओर से भी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने और माननीय सदस्यों ने भी, मंडावर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उन्होंने भी इस बात की ओर संकेत किया था कि यह पार्टियों का सवाल नहीं है।

मैं समझता हूं कि अगर आप आंकड़े लेकर देखें तो माननीय रामकिशन जी ने सवाई माधोपुर, अलवर, और भरतपुर के आंकड़े दिये। मैं कहता हूं कि आप जोधपुर के आंकड़े देखिये, आप जालौर के आंकड़े देखिये, आप सीकर के आंकड़े देखिये, आप चूरू के आंकड़े देखिये, यह तमाम के तमाम राजस्थान के मरुक्षेत्र कहलाते हैं उनमें कितने पर्सेन्ट आपने पर-कैपिटा एक्सपेन्डीचर इन तीनों प्लान में किया है? जहां पर ज्यादा खर्च करने का था उसको नहीं करके उल्टे जो न्यायिक दृष्टि से प्रपोर्शनेट पर-कैपिटा इन्कम मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं दी गई। जिन चीजों की वहां उपलब्धि है,- पलाना का लिगनाइट थर्मल पावर स्टेशन क्या आप पहले नहीं लगा सकते थे ? या इसकी तरफ तेजी से ध्यान नहीं दिया जा सकता था ताकि इस एरिया के अन्दर उद्योगीकरण ज्यादा हो सके। अगर यह दृष्टिकोण होता तो क्या राजस्थान कैनाल के लिए ज्यादा फण्ड का एलोकेशन नहीं कराया जा सकता था ? केन्द्रीय सरकार को क्या इसके लिए नहीं कहा जा सकता था ? मैं समझता हूं कि इस दृष्टिकोण की ओवरआल राजस्थान के दृष्टिकोण में हमारे नियोजन में कमी है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि हम राजस्थान के अन्दर किसी प्रकार के इवेलुएशन कमीशन को मुकर्रर करें जो कि वास्तविकता की जांच करे कि १५ वर्ष के नियोजन में हमारा सन्तुलन दुरुस्त हुआ है या बिगड़ा है। मैं समझता हूं कि दूसरे प्रान्तों में इस प्रकार के कमीशन बने हैं, इवेलुएशन कमेटी बनी हैं। राजस्थान में जब कि अपोजीशन की तरफ से भी और कांग्रेस बैन्चेज की तरफ से इस प्रकार के प्रश्न उठाये गये हैं तो एक एक्सपर्ट कमेटी की राय आ जाये तो हमें आगे इस दिशा में सुधार करने में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी हमारे पास साधन हैं उनका जिस तरह से आप उपयोग कर रहे हैं, उनको जिस तरह से काम में ले रहे हैं उस कारण उन रिसोर्सेस से ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ा पाते हैं बल्कि एक तबके को ज्यादा बल दे रहे हैं और मध्यम वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक रूप से दबा रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर भी और जो राज्यपाल महोदय का भाषण हुआ उसमें भी कृषि के उत्पादन के ऊपर बहुत जोर दिया । यह वास्तविकता नहीं है। आपके पास राजस्थान में जितनी भूमि बंटवारे के लिए है प्रोजेक्ट एरिया में और नॉन-प्रोजेक्ट एरिया में और आप कोशिश करके एक वर्ष में युद्ध-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

स्तर पर उसी जमीन को बांट देते तो दो बड़ी समस्यायें एक तरफ बेकारी और दूसरी तरफ उत्पादन की समस्या आपकी हल हो जाती। उसमें आपको केपिटल इनवेस्टमेन्ट नहीं करना पड़ता है और लोगों को बंटवारा करने में और थोड़ा बहुत मदद करने में जो टार्गेट आप आज इतनी बड़ी योजनाओं के जरिये प्राप्त करना चाहते हैं वह टार्गेट्स जमीन के बंटवारे के एक काम को बड़े पैमाने पर, ह्यूमन रिसोर्सेज का सही तौर से उपयोग करके आप प्राप्त कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। आज भी जो टेक्नीकल तरीके एग्रीकल्चर में डेवलपमेन्ट करने के लिए अपनाये हैं उनका मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन दूसरे कामों के कारण केवल धनी लोगों, जिनके पास ट्रेक्टर्स हैं, जमीन है, जो महंगे बीज खरीद सकते हैं, जो पम्प लगा सकते हैं, को इससे उत्साह हो सकता है। दूसरी तरफ जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए बिजली की योजना, आपके उन्नत बीज, आपकी यह खाद बेकार है। जमीन नहीं है तो वह कहां बीज डालेगा, कहां बिजली लगायेगा, कहां नहर लायेगा ? तो इस सवाल पर इस दृष्टिकोण से सोचा नहीं है। इसके विपरीत, अध्यक्ष महोदय, जो रास्ता आपने अपनाया है उस रास्ते पर बड़े-बड़े लोग जमीनों पर हावी हो गए। छोटे लोगों को जमीनें नहीं मिलीं। उनके लिए अलाटमेंट नहीं हो रहा है। आप राजस्थान कैनाल को ही ले लें। अभी तक उसमें टेम्प्रेरी एलाटमेन्ट ही हुए हैं। पुराने-पुराने लोग जो कितने ही वर्षों से काश्त कर रहे हैं उनको बेदखल किया जा रहा है और बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े ऑफिसर्स, बड़े-बड़े लोग नाजायज तरीके से उन जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जमीनों को हड़प रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिसाल इसके बारे में देकर अपने इस पॉइन्ट को आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन चौधरी श्री रामचन्द्र। अध्यक्ष महोदय, चौधरी रामचन्द्रजी ने गांव तलवाड़ा, तहसील हनुमानगढ़ के अन्दर ३ टुकड़े जमीन के ले रखे हैं। खसरा नम्बर १०५१/२४८ जिसमें २२ बीघा ६ बिस्वा जमीन हैं, खसरा नम्बर ११५'/७६ जिसमें २८ बीघा ७ बिस्वा जमीन है और खसरा नम्बर ११४५/४०५ जिसमें ७ बीघा और १३ बिस्वा है। यह जमीन ५८ बीघा ६ बिस्वा बंजर चली आ रही थी १९५८-५९ से। जब १५ दिसम्बर, १९५९ में बिस्वेदारी एबॉलीशन हुआ उस समय यह बन्जर जमीन थी और किसी ने इसको क़ाश्त नहीं किया था और यह आगे भी बंजर चलती रही, लेकिन चौधरी रामचन्द्रजी ने इस जमीन को अपनी बनाने के लिए सन् ६५-६६ के करीब इस जमीन का जो रेवेन्यू रेकार्ड था उसमें फोर्जरी कराके उसका कटवाकर उसमें अपनी काश्त दिखा दी। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास नकल मौजूद है-वहां की तहसील की सर्टीफाइड नकल उन नम्बरों की नकल मौजूद है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। ऐसे एलीगेशन्स लगाने में पहले अध्यक्ष को सूचना देना जरूरी है। क्या आपको इस संबंध में कोई पूर्व सूचना भेजी है ?

श्री अध्यक्ष : सूचना आई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सूचना दे दी गई है, माननीय सदस्य।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह जमीन संवत २०१३ तक बंजर पड़ी थी। संवत् २०१४ में खाना नम्बर ३५ में नालो, चना इसमें लिखाया है और खाना नम्बर ४० में रामचन्द्र वगैरह हैं। इस एन्ट्री के बारे में तहसीलदार का नोट है कि खाना नम्बर ४० में सफेद चिट चिपकाकर उस पर खसरा नम्बर १०९१/२४८ लिखा हुआ है यानी इस खाने में कुछ नहीं था। सफेद चिट चिपका कर फिर उसमें लिखा हुआ है। नीचे जो और एन्ट्रीज हैं उनके बारे में लिखा है कि खसरा नं० ११४५ के खाता नम्बर ३९ पर चिप्पी चिपकी हुई है, खसरा नं० ११५१ ७६ के खाते में ३९ को रबड़ाकर लिखा हुआ है. ऐसा प्रतीत होता है

श्री **रामकिशोर व्यास** (राजस्व मन्त्री) : कौन से सन् का है ? कृपा करके बता दें।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : २०१४ का है यानी जो क्रूशियल ईयर था जब कि जैसे ही बिस्वेदारी एबॉलिश हुई है उस ईअर के अन्दर इस तरह की ये चेन्जेज बाद में चौधरी रामचन्द्रजी ने करवाई हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस जमीन का कोई लगान नहीं लिया गया है। इस जमीन को सरकारी खाते के अन्दर लिखा हुआ है। इसका कोई लगान नहीं लिया गया है। मेरे पास ढाल-बांछ की प्रतिलिपि भी है उस ढाल-बांछ के अन्दर इस जमीन को पहले दूसरी होते हुए बाद में शामिल किया गया है। इस जमीन का लगान कोई बकाया का नहीं निकाला गया है। ५८-५९ में वे काश्त करते थे तो उनको लगान की पर्ची मिलनी चाहिये थी, उनसे लगान वसूल होना चाहिये था, या वसूल नहीं हुआ हो अगर तो बकाया उनके अन्दर आना चाहिये था। इस तरीके का कोई बकाया भी नहीं आया अध्यक्ष महोदय, इनके एक रिश्तेदार हैं श्री मंगलसिंह उस साल में, ५८-५९ में उस गांव में जहां पर ये कागजात हैं वहां न तो पटवारी था, न कानूनगो था, उन्होंने इसके अन्दर काटकर यह इन्द्राज किये हैं। उनके ये दस्तखत हैं इनको देख लिया जाय ५८ के। जब यह तब्दीली की हुई बताई गई है उस वक्त यह शख्स वहां पर मुलाजिम भी नहीं था।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरीके से इस ढाल-बांछ के अन्दर टोटल में गलती करके इन्होंने ५८ बीघा ९ बिस्वा के बजाय ६८ बीघा ९ बिस्वा लिख दिया और १० बीघा का खसरा नम्बर जो पहले उनकी काश्त में था उसको उसके अंदर शामिल कर दिया है। यह नया जोड़ कन्ट्राडिक्टरी टू देट एन्ट्री से साफ तौर से पता लगता है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से चौधरी रामचन्द्र ने यह तिलवाड़ा गांव की जमीन पर कब्जा किया है जो कि सरकारी जमीन है, जो कि बिस्वेदारी एक्ट के एबॉलिशन के समय बिस्वेदार के खाते में बंजर नहीं थी, वह जमीन सरकारी बंजर थी और सरकार के अन्दर होने से सरकारी हुई है। पहले कोई बिस्वेदार था उसके नाम के अन्दर थी, अभी तक जो हनुमानगढ़, तलवाड़े में जो कोलोनाइजेशन विभाग है उसके कागजात हैं, अध्यक्ष महोदय, उसकी कॉपीज भी मेरे पास मौजूद हैं...

श्री **अध्यक्ष** : सर्टिफाइड कॉपीज हैं ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : सर्टिफाइड कॉपीज है मेरे पास।

यह तीसरे महीने की है यह नकल तारीख ११-३-६९ की है, अध्यक्ष महोदय,

Page No 108

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसके अन्दर भी ४ टी० एल० डब्ल्यू० १०६१/२४८ यह सरकारी आज भी लिखी हुई है। जो अभी-अभी नकल मिली है उसमें चौधरी रामचन्द्र ने इस जमीन का तलवाड़ा से तबादला हनुमानगढ़ में करा लिया है। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, हनुमानगढ़ टाउन में इसका तबादला करा लिया जहां की जमीन की कीमत ८ हजार रुपया फी बीघा है और इस तरीके से ५८ बीघा जमीन की कीमत आज करीब चार लाख रुपया है।

तो चौधरी रामचन्द्रजी ने यह काम उस दौरान में किया है जब कि आप पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमेन हैं, और ये तमाम एन्ट्रीज इस दौरान की हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करूंगा मुख्य मन्त्रीजी से कि वे इन तमाम कागजात को एकदम से जब्त करें ताकि इसमें और कोई तब्दीलियां न हो सकें, और इसकी पूरे तरीके से एन्क्वायरी कराई जाय। जब इस तरह से बड़े-बड़े हाइली प्लेस्ड ऑफिसर्स की तरफ से अगर इस प्रकार की कार्यवाही हो तो फिर आम जनता कैसे राहत की उम्मीद कर सकती है ?

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान कैनाल एरिया में प्रोजेक्ट एरिया में इस तरीके से बड़े-बड़े लोग जमीनें दबाये हुए बैठे हैं। अनूपगढ़ के अंदर कुछ दिन हुए एक बहुत बड़ा किसान सम्मेलन हुआ था तो उसमें बताया गया था कि ५ हजार बीघा जमीन इस तरह से बड़े-बड़े लोगों ने अपने कब्जे में कर ली है ..

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बीच में कि आपका नोटिस मुझे १२ बजे मिलता है तो उससे जो जानकारी मैंने हासिल की है उस आधार पर आपने जो बातें फरमाई हैं वे तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उत्तर बाद में दे दें।

श्री अध्यक्ष : यह आप सदन की मेज पर रखेंगे। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह मैं रख दूंगा। मैं कुछ टैक्सों के बारे में कहकर समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं ५ मिनिट और दे सकूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने कुछ टैक्स प्रपोजल्स रखे हैं। इसमें एक डिसीजन जो राज्य सरकार ने लिया है ऑक्ट्राय को एबॉलिश करने का, मैं इस डिसीजन से सहमत हूं। मैं समझता हूं कि ऑक्ट्राय का आम लोगों पर, आम कन्जूमर पर बर्डन है और आम लोगों को हरेसमेन्ट भी होता है। सरकार ने यह जो निर्णय लिया है मैं इसको सही दिशा में मानता हूं, और इसके मुकाबले में जो टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का प्रपोजल है, मैं समझता हूं कि जब मन्त्रीजी उसका बिल हाउस के सामने रखेंगे तो पूरे प्रावधान सामने आयेंगे, लेकिन अगर उनकी मान्यता इस तरह की है कि जो सैल्स टैक्स के रिटर्न्स दिये जाते हैं उन रिटर्न्स की बुनियाद पर टैक्स लगाया जाय और वह कन्जूमर्स पर ट्रान्सफरेबल नहीं हो जैसा कि नहीं होना चाहिये और नहीं हो सकता है, उसका मैं स्वागत करता हूं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह भी मैं कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ म्युनिसिपैलिटीज के सोर्सेज का भी सवाल उठता है। एक तरफ तो ऑक्ट्राय इसके अन्दर आ गई, और हाउस टैक्स भी सरकार के हाथ में आने की बात है तो मैं अर्ज करूंगा कि जिस तरह से सेन्ट्रल और स्टेट के रिसोर्सेज के एलोकेशन के बारे में फाइनेन्स कमीशन है इसी तरह से स्वायत्त शासन संस्थाओं और स्टेट के फण्ड्स के एलोकेशन के बारे में भी इसी प्रकार की कोई निष्पक्ष बॉडी बनाई जानी चाहिये जो कि स्वायत्त शासन संस्थाओं की वहां की हालत देखकर उनके फण्ड्स को देखकर फिर फण्ड्स का एलोकेशन करें। मैं साथ में यह भी कहूंगा कि....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : एक प्रश्न पर जानकारी करना चाहता हूं कि टर्न-ओवर पर टैक्स तो हर पाइंट पर कन्ज्यूमर पर पड़ेगा और वह ४-५ पॉइंट पर पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बिल आयेगा उस समय देखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो खास तौर से म्युनिसिपैलिटीज का काम है, जो कि टैक्स म्युनिसिपैलिटीज वसूल करती हैं, जैसे कि एन्टरटेनमेन्ट टैक्स है तो उसके सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेन्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये और एन्टरटेनमेंट टैक्स बिल्कुल म्युनिसिपैलिटीज को वापस दे देना चाहिये। गवर्नमेन्ट ने जो बेसिस रखा है ६७-६८ के टैक्सेज का वह मैं समझता हूं कि साइन्टिफिक नहीं है। उसमें वक्त की नीड्स को देखना पड़ेगा और वक्त की नीड्स के अनुसार करना पड़ेगा। कई जगह पिछले साल म्युनिसिपैलिटीज ने आक्ट्राय बढ़ाया है और इस साल उनकी आमदनी बढ़ी है, तो इस तरह से केवल यह कहकर कि पहले की ड्यूटी को मानकर ऐसा करें तो यह उचित नहीं है।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने कार्मशियल क्राप्स पर जो सेस लगाया है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। यह टैक्स आपने आम किसानों पर लगाया है, यह टैक्स आम जमीन पर लगाया है। जो सरचार्ज आपने लगाया है उसके प्रिन्सिपल से मैं सहमत हूं, लेकिन और जो मालियाने पर सीलिंग के ऊपर आपने १५० प्रतिशत लगाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। आपके इस प्रिन्सिपल से जो कि आपने काश्त के ऊपर लागू किया है कि वह खुद ग्रेडेड होना चाहिये कि जिसकी जितनी कैश क्राप हो उसके अनुसार होना चाहिये, इस प्रिन्सिपल से मैं सहमत हूं। लेकिन आपने जो एक्जेम्पशन के अन्दर १० एकड़ रखा है और सरचार्ज के अन्दर स्टेण्डर्ड एकड़ रखा है तो चूरू में १० एकड़ की क्या वेल्यू ? बाड़मेर में क्या वेल्यू है। यहां पर १० स्टेण्डर्ड एकड़ कायम करना चाहिये और इस तरह से मिनिमम जो होल्डिंग है उसको एक्जेम्प्ट करना चाहिये। जो रेट ऑफ टैक्सेज नये सैटलमेन्ट के अंदर बढ़ाये गये हैं वह कई इलाकों में तो आठ-आठ गुना कर दिये गये हैं। इसलिये इन पर आपको पुनर्विचार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह केवल दस मिनिट।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक बजट का प्रश्न है बड़ा गम्भीर मसला है। उस बजट पर दस मिनिट में बता देना किसी भी अर्थ विशेषज्ञ के लिये बड़ा मुश्किल है। बजट पर दस मिनट में डिसकशन नहीं हो सकता। मैं असेम्बली में बराबर आठ साल से और बाहर १०-१२ साल से यह देखता आ रहा हूं कि बजट का डिसकशन एक ही प्रकार से होता आ रहा है। एक ही तरह के आर्गुमेन्ट्स रखे जाते हैं और एक ही तरह के जवाब दिये जाते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी चीज यह हो गई है कि आज बजट को देखना नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि आज जिस बजट के आधार पर राज्य सरकार अपना शासन चलाती है उससे और कोई दूसरे आर्थिक ढंग से न एज्यूकेशन के अन्दर किसी प्रकार की तरक्की कर सकी है, न राजस्थान को उच्च एज्यूकेशन की दृष्टि से और न राजनैतिक दृष्टि से ही आगे बढ़ा सकी है। इस बारे में, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जन नेताओं का और राजस्थान सरकार का यही हाल है। बीस साल से बजट का एक ही तरीका अपनाया जाता रहा है। प्रकृति का प्रकोप, अनावृष्टि, अतिवृष्टि ये ही प्रकोप बताये गये हैं। जब हमेशा यही बातें सुनते हैं तो लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। जब तक बजट में नया मोड़, नया दृष्टिकोण नहीं आयगा तब तक बजट इसी प्रकार से पेश होते रहेंगे और इसी तरह वाद-विवाद होता रहेगा और इसी प्रकार का जवाब होता रहेगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव यह है कि जब भी बजट सेशन होता है तीन प्रकार के भाषण यहां होते हैं। तीन प्रकार के दिमाग इस बजट के बारे में लगते हैं। एक तो विधायक ऐसे हैं जो रोज बजट यहां से ले जाते हैं जिनको इतना सा ज्ञान होता है इसका कागज किस प्रकार का है वे केवल रंग बता सकते हैं। फलां रंग की किताब है उसके अन्दर सफेद कागज है और उस पर काले अक्षर हैं......

श्री अध्यक्ष : यह आपका कहना उचित नहीं है।

श्री मदनसिंह : इसको गवर्नमेन्ट क्यों नहीं मानती यह बात सही है जब लोग पढ़ नहीं सकते.......

श्री अध्यक्ष : विधायक सभी सक्षम हैं, पठित है, ज्ञानवान हैं। इस पर प्रकाश नहीं डालें।

श्री मदनसिंह : दूसरे वे सदस्य हैं जो अपनी कॉन्स्टीट्यूएन्सी के लिये देखते हैं कितना खर्चा अपने क्षेत्र में होगा। ४४ करोड़ का जो बजट है उसमें मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में कितना खर्चा हुआ है। दांता रामगढ़ में सड़कें नहीं बनीं, किसानों को राहत नहीं मिली, वहां के हरिजनों को सहायता नहीं दी है, सिपाहियों को जमीन नहीं दी जा रही है। अपनी

(४.१४ म. प.)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

कॉन्स्टीट्यूएन्सी को लेकर उसी को आधार रखकर वे इस बजट को देखते हैं। हमारे यहां काम नहीं होता है। आंकड़े जो आय-व्यय के दिये हैं वे सही ढंग से नियमानुसार बिल्कुल नहीं दिये जाते। उदयपुर शहर जो पहले ही खूब चमक रहा है उसको और किस तरह से चमकीला बनाया जाय, जहां दस सड़कें हैं वहां और सड़कें

(श्री मदनसिंह)

किस तरह से बढ़ाई जायं, तालाब हैं उनकी संख्या किस प्रकार बढ़ायी जायं। आज बजट के अन्दर यह हो रहा है। जब गवर्नमेन्ट केवल एक जगह को ही सुन्दर से ज्यादा सुन्दर बनाने की सोचती है वहां दूसरी जगहों की उन्नति के लिये कहां प्रावधान हो सकता है? २० साल हो गये कांग्रेसी शासन को आये जैसलमेर में रुपया खर्च न हो आज बीस वर्ष पहले जैसा जैसलमेर था उसी प्रकार का आज भी पड़ा हुआ है। राजस्थान की सरकार विकास की शुरुआत जैसलमेर, बाड़मेर आदि इलाकों से करती तो आज जो जैसलमेर की स्थिति है वह नहीं होती। आप उसके बारे में कितनी ही बात बजट पर कह दीजिये उसको गवर्नमेन्ट कतई मानने को तैयार नहीं।

तीसरे ढंग के सदस्य हैं श्री रामानन्दजी जो बजट का सांगोपांग रूप से विवेचन करते हैं। आंकड़ों द्वारा यह बताते हैं कि मजदूरों के लिये क्या होना चाहिये, पर-कैपिटा इन्कम किस प्रकार से बढ़ सकती है। आपकी जो अन्य योजनायें हैं वे फेल क्यों होती हैं इसका भी वे कारण अपने दृष्टिकोण के अनुसार बताते हैं। इस तरह से बजट के बारे में सब तरह से बातें कहते हैं। बीस साल से कहते आ रहे हैं लेकिन उनकी भी सरकार नहीं मानती।

आखिर विधान सभा में बजट पर बहस करने से क्या पर्पज हल होता है? विरोधी दल को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं बीस साल से जिस ढर्रे में आप और हम पड़ते जा रहे हैं वह ढर्रा बदलना होगा। इस बजट को नया मोड़ देना होगा। जब तक नये मोड़ को नहीं अपनायेंगे इसमें सुधार नहीं हो पायेगा।

मैं सरकार को एक बात और बता देना चाहता हूं। आपके राज्यपाल महोदय से लेकर वित्त मन्त्री महोदय का भाषण पढ़ डालिये सब में यह कहा गया राजस्थान में जैसा अकाल पड़ा है वैसा सौ सालों में भी नहीं पड़ा है। लेकिन आपने इसके लिये उपाय क्या किये हैं जिससे भविष्य में अकाल का सामना करने के लिये दूसरों के सामने हाथ न पसारना पड़े। आपने इस अकाल के लिये २१ करोड़ रुपया नये ढंग से खर्च करने को कहा है। मैं यह मानकर चलता हूं आप यह २१ करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं क्या इससे वहां की पानी की समस्या का समाधान हो जायगा ताकि भविष्य में पानी की कमी न रहे, न बीमारी आये? मैं इसके लिये आपको सुझाव देता हूं। आपने जो ७० करोड़ का बजट बताया है उसमें से वन-थर्ड बजट आप बैंक में रख दीजिये। जो रुपया कभी कम नहीं होगा वहां रहते हुये बढ़ेगा ही। चाहे बैंक पर बिजली पड़ जाय लेकिन आपका २१ करोड़ रुपया जाने वाला नहीं। फिर यदि इस प्रकार का अकाल पड़ जाय तो आप जौहरी बाजार की चौपड़ पर छाती ठोक कर कह सकते हैं अकाल आवे उसके मुकाबले के लिये हमारे पास २१ करोड़ रुपया जमा है। यही सही हल है।

बीस साल में आप देखेंगे प्रशासन पर कितना व्यय बढ़ता जा रहा है, पुलिस पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं लेकिन इतना खर्च पुलिस पर करने के बावजूद क्या चोरियों में डकैतियों में कमी हुई? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पुलिस में जो एन्टी-करप्शन

(श्री मदनसिंह)

विभाग है उसको खत्म कीजिये। आज पुलिस बढ़ाने की क्या जरूरत है? क्या बीस साल पहले इतनी पुलिस थी? उस समय भी आपके बाप-दादा आराम से रहते थे। पंचायत समिति का दफ्तर खत्म कीजिये उसका क्या काम है? वह विकास नहीं कर सकता। तकावी जो पंचायत समितियों द्वारा वितरित की गई है वह भी सही ढंग से नहीं हो पाई है। जो आप कहा करते हैं, उन सिद्धान्तों को मान लें। वित्त मन्त्रीजी ने भाषण में कहा पंचायत समितियों का तकावी का तरीका गलत था, इसलिए भूमि बन्धक बैंक की तैयारी हो रही है। तो मैं आप को सजेशन देना चाहता हूं कि पंचायत समितियों का खर्चा तोड़ दिया जाये। और भूमि बन्धक बैंकों को तोड़ दिया जाये। और कलेक्टर के लेविल के जो लोग हैं, उनको आप अधिकारी बना दें ताकि तकावी और डवलपमेंट का अलग-अलग काम हो सके। और भी महकमें हो सकते हैं, जैसे कि खेती का महकमा है। वित्तमन्त्री या अकाल मन्त्री बात कर रहे थे कि अब की बार टिड्डियां उड़ाने का अच्छा प्रबन्ध किया था। जब अनाज ही नहीं था तो टिड्डियां उड़ाने के प्रबन्ध की क्या जरूरत थी।

श्री परसराम मदेरणा: (अकाल राहत मंत्री): आप बात तो सुनते ही नहीं हैं। फेमीन के प्वांइट ऑफ व्यू से फसल अच्छी हो गई है। टिड्डियां मारने का आर्गेनाइजेशन नहीं है। टिड्डियां अकाल डाल सकती हैं। आपकी मेमोरी में यह बात नहीं रही। मैं जो बात कह रहा था, कुछ बातें आप भूल सकते हैं।

श्री मदनसिंह: हो सकता है, कुछ बातें मैं भूल सकता हूं। लेकिन वित्त मन्त्रीजी ने यह फरमाया है कि बैंकों की व्यवस्था ठीक हो गई है। २१ करोड़ जो हमने बताये हैं, आप भी उनको सजेस्ट करें कि जो पुलिस के खर्चे हैं या और खर्चे है, उनको कम करके आप यह रख लें। राजस्थान में २० वर्षों में यह अनुभव हुआ कि २१ करोड़ खर्चा करना पड़ा। १ करोड़ ३२ लाख आदमी अभी तक अकालग्रस्त हैं। आप बजट को बचाकर चलें तो मैं कहता हूं कि आप एक ही बात मान लें। २१ करोड़ को रिजर्व में रख दें। अगर २१ करोड़ रहेगा तो ठीक रहेगा नहीं तो ईश्वर का कोप आयेगा चाहे वह महामारी हो या अकाल हो। उससे हम संतोष चाहते हैं। उससे अगर संतोष लेते हैं तो ठीक है नहीं तो गलत है। जब तक रिजर्व धन आपके पास नहीं होगा तब तक इस पर आप काबू नहीं पा सकते। जो बेरी रिपोर्ट में ६ लाख रुपया खर्च हुआ है। गवर्नमेंट उस बेरी रिपोर्ट का कोई जवाब नहीं दे सकी है। वह ६ लाख रुपया मन्त्रियों की पे में से काटना चाहिये।

श्री भगवानदास शास्त्री: ६ लाख तो मुकुटजी के घर में पहुँच गया है।

श्री सभापति: समय समाप्त हो रहा है।

श्री मदनसिंह: अगर रिजर्व फण्ड कर लिया जाये तो उससे अकाल का सामना कर सकते हैं। यह एक ही बात मान लें।

श्री सभापति: श्री रामसिंह!

श्री प्रेमसिंह सिघवी (छबड़ा): हमारे दल को समय मिलेगा या नहीं?

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : राजस्थान के वित्त मन्त्री ने जो बजट प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बजट वित्तमन्त्री ने तैयार किया है, वह बजट प्रजातान्त्रिक सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। यह सरकार काश्तकारों की हमदर्द होने का दावा करती है। काश्तकारों के साथ सरकार ने जो आज तक अच्छी कार्यवाहियां की हैं, उन सबका एक ही बार में सारा बदला चुका लिया है। इस बजट में सरकार ने किसानों पर सरचार्ज टैक्स लगाया है। सिंचाई की दरों को बढ़ाकर कृषि औजारों पर बिक्रीकर लगा कर, बिक्री कर का भार बढ़ा कर जो ७ करोड़ के कर लिये हैं वह कतई वाजिब नहीं हैं। काश्तकारी का धन्धा लाभ का धन्धा नहीं है। वह समाज सेवा है। खेती धन्धा नहीं है। किसान अपने परिश्रम से जो पैदा करता है, उसके परिश्रम का फल सारी जनता को मिलता है। सबसे अधिक फल समाज को मिलता है एवं कम फल परिश्रम करने वाले किसान को मिलता है। इसलिए कृषि को कर से मुक्त रखना चाहिए। लेकिन यह सरकार किसानों पर नये-नये करों का बोझ बढ़ाती है, इसलिए मैं कृषि पर लगाये गये सब करों का विरोध करता हूं। इसके साथ ही मैं इस सरकार का जो यह बजट वह पुरानी परम्पराएं जो चली आ रही हैं उसी तरह की सामंतशाही परम्पराओं का द्योतक है। दो-तीन मदों पर विचार करना आवश्यक है। काश्तकारों को आप भूल सकते हैं। पर मैं मरीजों के साथ सहानुभूति रखने को चाहता हूं। मरीजों से यह प्रजातांत्रिक सरकार आमदनी की उम्मीद रखे यह सहन होने लायक नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मन्त्री) : जो बड़े कोटेज वार्ड हैं, जो खर्च कर सकते हैं। लखपति हैं। वह आकर इलाज कराते हैं। वह इसमें है।

श्री रामसिंह कुड़ी : सरकार के साधारण अधिकारी और कर्मचारी भी इसमें आते हैं। वह भी रहते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उनसे आमदनी नहीं होती है। सरकार उनको मेडिकल एड देती है।

श्री भगवानदास शास्त्री : पलंग बढ़ने से आमदनी होती है।

श्री मथुरादास माथुर : एग्जामिनेशन फीस आदि पर....

श्री रामसिंह कुड़ी : यदि प्रजातांत्रिक सरकार ऐसा काम करे, तो उससे भी अधिक शर्म की बात क्या होगी ?

श्री मथुरादास माथुर : आप चाहते हैं ये मेडिकल कॉलेज में फ्री पढ़ें।

श्री रामसिंह कुड़ी : मैं चाहता हूं शिक्षा फ्री होनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे वह साम्यवादी देश हो या समाजवादी देश हो, आप मिसाल दे दें, मैं फ्री कर दूंगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : आप यह गलत कहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह आपकी राय है। आप अपनी राय रखिये।

श्री रामसिंह कुंडी : आपकी राय तो मांग नहीं रहा हूं। मैं तो जिन बातों की जानकारी नहीं है सारे साधारण लोगों को वह बता रहा हूं कि आपकी प्रजातांत्रिक सरकार किस तरह की सरकार है। आप अपने के जन-प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं और इस सरकार को जन-हित की सरकार होने का कहते हैं उसके बारे में बता रहा हूं कि इस सरकार ने जो विकास की योजनायें हैं उनको अपनी आमदनी का मद बनाया है, पंचायत को अपनी आमदनी का मद बनाया है, यही नहीं लघु उद्योगों से आमदनी अधिक होती है लेकिन बड़े उद्योगों से कम होती है। यहां तक कि सहकारिता को आपने आमदनी का मद बनाया है, साहूकारी अधिनियम से जो आमदनी होनी चाहिये वह घट रही है। बोहरों को लाभ पहुँचा रहे हैं। आपको आशंका है कि कहीं सहकारिता आगे बढ़ न जाय जिससे गरीबों का कहीं भला न हो जाय। आपने जनस्वास्थ्य विभाग से आमदनी करने का तरीका अख्तियार किया है। इस प्रकार जितनी भी मद हैं, वो ऐसी मदें हैं उनमें आपको परिवर्तन करना चाहिये। ये प्रजातांत्रिक सरकार की आमदनी की मद नहीं होनी चाहिये। इसी तरह की आपकी आमदनी की मद है पशु-पालन विभाग जिससे आप आमदनी चाहते हैं। आप सहकारिता से आमदनी चाहते हैं। योजनाओं से आमदनी चाहते हैं। जुर्मानों से आमदनी चाहते हैं। वाह! वाह!! प्रजातांत्रिक सरकार! आमदनी के जो मद होने चाहियें उनमें से मुद्रणालय से आपकी आमदनी घट रही है। वनों से आमदनी घटना बताया है लेकिन बजट में जो लेखा-जोखा है, उसमें इस साल आमदनी कम बताई हैं, लेकिन वह १९६६-६७ के लेखे से आमदनी अधिक कूंती गई है।

अब मैं खर्च के बारे में निवेदन करूंगा। इस साल खर्च की मद बढ़ाई है उनमें किसानों से वसूली में कुर्कियां करने की व्यवस्था में नौ गुना खर्च अधिक बढ़ाया गया है पहले के बजाय। किसानों के ऊपर ही इतना पहाड़ क्यों टूटा है, वित्त मन्त्रीजी? किसानों पर आपने टैक्स लगाया, किसानों से कुर्कियां करने की व्यवस्था के ऊपर नौ गुना अधिक खर्च बढ़ा दिया। आप उद्योगपतियों से वसूलियां क्यों नहीं लेते? किसानों से आप पहले ही जो ब्याज ले रहे हैं वह नौ व बारह पर्सेंट है, जबकि उद्योगपतियों पर कइयों पर तो ब्याज है ही नहीं और कइयों पर है तो केवल एक दो पर्सेन्ट ब्याज है। फिर भी वसूलियों की सख्ती किसानों पर कर रहे हैं। किसानों को ऋण दिया गया है और जो उद्योगपतियों को ऋण दिया गया है उसमें भी दोनों वर्गों को दिये गये ऋणों के अनुपात में बड़ा भारी अन्तर है। आपने मनोहरसिंहजी को खुश करने के लिये मद्य निषेध पर जोर देने के लिये कह दिया है कि इसमें बीस पर्सेन्ट आमदनी कम कर ली है। लेकिन मैं बताऊं आप आंकड़ों को उठा कर देखें, इनमें जो लेखे हैं १९६६-६७ उनमें जितनी आमदनी थी उतनी की उतनी आमदनी इस साल भी है, अगर फर्क पड़ा है तो मामूली फर्क पड़ा है। जो गत साल बढ़ा-चढ़ा कर आंकड़े दिये थे उनके लेखे अभी नहीं आये हैं इसलिये उसके बारे में अभी भी नहीं कह सकता। दूसरी बात यह है कि इस बजट से आबकारी विभाग में खर्च बढ़ाया है। उसको देखते हुये स्पष्ट है कि आबकारी से इतनी आमदनी करेंगे जितनी कि गत सालों में की है। इसलिये सरकार ने अपने कथन में और घोषणाओं में जो बात कही है वह मिथ्या है। यह इस बात से स्पष्ट है। ट्रेक्टर जो किसान कृषि

(श्री रामसिंह कुड़ी)

सुविधा के लिये लेते हैं उन पर कर का भार बढ़ा है। उल्टी आपको यह घोषणा करनी चाहिये थी कि जो ट्रैक्टर कृषि के काम में आता है उस पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स हटाया जायगा, लेकिन वह पहले से बढ़ाया गया है। सेल्स-टैक्स पर व्यय बढ़ा है पहले की बजाय। अन्य करों में व बिजली की दर में बढ़ोतरी है। सबसे अचम्भे की बात है कि इस विधान सभा के ऊपर होने वाला व्यय घटा दिया है। आपके जादू से मन्त्रियों पर होने वाला व्यय बढ़ा दिया है और विधान सभा पर व्यय जो १९६६-६७ में हुआ उससे व्यय गत साल व इस बजट से घटाया गया है।

श्री मथुरादास माथुर : वह अपने आप हो गया।

श्री रामसिंह कुड़ी : वह ३९ लाख से २९ लाख का हो गया है और मन्त्रियों पर होने वाला व्यय अब १८ लाख से ३१ लाख हो गया है।

श्री मथुरादास माथुर : वह तो विधान सभा में जो इधर मेम्बर थे वह इधर चले गये तो अपने आप हुआ है।

श्री रामसिंह कुड़ी : विधान सभा पर होने वाला व्यय घटाया है और मन्त्रियों पर होने वाला खर्चा बढ़ाया है जो प्रजातन्त्र के उसूलों के खिलाफ है।

श्री परसराम मदेरणा : घटाया नहीं है. यह तो आंकड़ों का जाल है।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह प्रजातांत्रिक सरकार का तौर-तरीका नहीं है। आप तो सामन्तशाही से भी आगे बढ़ गये हो। आपने राज्यपाल पर होने वाले सभी आइटमों का खर्च बढ़ाया है। प्रशासन पर खर्च बढ़ाया है। एस. डी. ओ. पर होने वाला खर्च बढ़ाया है। निर्माण कार्यों पर खर्च घटाया है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तनख्वाह है।

श्री रामसिंह कुड़ी : यह तनख्वाह में ही नहीं हैं। दूसरी व्यवस्थाओं में भी अनाप-शनाप बढ़ाया है।

श्री रामनारायण चौधरी : तनख्वाहें हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी ; तनख्वाह में पांच करोड़ बढ़ाया है उसमें आधे में छोटे कर्मचारियों को रखा है और आधे में बाकी की। आधा ऑफिसरों का खर्चा है। कमिश्नर बढ़ा दिये हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी है, एलाउन्स बढ़ा दिया है। सेक्रेट्री, डिप्टी सेक्रेट्री, असिस्टेन्ट सेक्रेट्री यह सब की फौज बढ़ा दी। उन पर खर्च बढ़ाया है। निर्माण कार्यों पर खर्च घटा रहे हैं। लोकल डवेलपमेंट वर्क्स पर पैसा देने के लिए आपने मना कर दिया है। लेकिन मंत्रियों की इच्छा से जो खर्च होता है उसको बढ़ा दिया है। मेरा यहां तक आरोप है कि मंत्रियों की इच्छा से जो अनुदान के रूप में दी जाने वाली रकम हैं उसका सदुपयोग नहीं होता है, उसका दुरुपयोग होता है। उसको मंत्री निजी काम में लेते हैं। मंत्री अपनी पार्टी के काम में लगा देते हैं। फिर भी उसको बढ़ाया गया है उसका ब्योरा नहीं देना पड़ता है, उसकी जांच नहीं होती है। लोकल डवेलपमेंट वर्क्स को कतई बन्द करके गांवों की आपने उपेक्षा की है, उसकी तो विरा मंत्री जी, कोई आपकी इन बातों को गांवों में

(श्री रामसिंह कुड़ी)

सुनेगा तब पता चलेगा, आप जब अगले चुनाव में गांवों में जायेंगे तब पता चलेगा। आपने कन्सोलिडेशन आँफ होल्डिंग का काम था, उसको समाप्त कर दिया है। फिर आपने इसका एक्ट क्यों नहीं समाप्त कर दिया ? वह जो आपकी लिस्ट है कि किसानों के हित में आपने इतने कानून बनाये हैं उसमें एक कानून कम हो जाता। मुख्य मंत्रीजी जिस दिन निन्दा प्रस्ताव का जवाब दे रहे थे उस दिन इस तरह के कानूनों की बात कर रहे थे और इस कानून को भी गिना रहे थे। उसको आपने इन बजट प्रावधानों में कम कर दिया कन्सोलिडेशन आँफ होल्डिंग के काम को। पंचायत और पंचायत समितियों को भी आपने समाप्त कर दिया है। ऐसी ही दुश्मनी थी इन संस्थाओं से तो आपको ऐसी संस्थाओं के बनाने की घोषणायें नहीं करनी चाहिए थीं। आप संविधान का आदर नहीं कर सकते। आप प्रजातंत्र में विश्वास नहीं कर सकते। आप दुश्मनी रखते हैं पंच और सरपंचों से तो आपको यह भी घोषणा कर देनी चाहिए कि यह पंचायत समिति और जिला परिषद् कानून है इसको उठा दिया जायगा। इससे यह तो होगा कि कोई कानून ही नहीं है, जिससे इन व्यवस्थाओं के बारे में सोचें नहीं, विचारें भी नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की डिमाण्ड के दिन सजेशन देना।

श्री रामसिंह कुड़ी : आपने सहकारी संस्थाओं का अनुदान कम कर दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : यह मदद है।

श्री रामसिंह कुड़ी : शोभाराम जी सीधे हैं, भोले हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप उनको भूल जायं। परसराम जी आप बोलते हैं, इसलिए आपके विभाग को छूते नहीं है और इनके...

श्री परसराम मदेरणा : कमजोर आदमी हूं, आप सब जानते हैं। आपकी मेरे ऊपर दया आ रही है, आपका मैं शुक्रगुजार हूं।

श्री रामसिंह कुड़ी : आपने आठ कमिश्नरों के पद बढ़ा दिये और इस अपव्यय को और बढ़ा दिया। (व्यवधान) मैंने जो बजट देखा है उस बजट के बारे में जो सोचा है वह कह रहा हूं।

पशुओं के ईलाज की बात आपके ध्यान में है नहीं। आपकी नीति भी स्पष्ट नहीं है कि पशुओं का इलाज कौन करेगा, पशुओं के इलाज के बारे में व्यवस्था कौन करेगा, योजना कौन बनायेगा...

श्री परसराम मदेरणा : पशुओं का इलाज होता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : पशु किस तरह से मर गये, इसके बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। इसकी व्यवस्था के बारे में व्यय करते हैं, और इसके कारण ही मनफूलसिंह जी को केबिनेट में रखा है, केबिनेट रेंक इसी बात पर दिया है। तो कम से कम एक रजिस्टर तो बने कि यह पशु कैसे मर रहे हैं यह किस बीमारी से मर रहे हैं, रोग से मरे हैं या भूख से मरे हैं। मेन कारण, परसरामजी, अकाल और भूख है ! आप उसके मंत्री नहीं है, इसके लिए मनफूलसिंहजी को बना दिया है लेकिन हम कहां जायं, किस सरकार के पास जायं इन पशुओं की रक्षा कराने को ?

Page No 117

श्री परसराम मदेरणा : मुझे पूछा कि पशु मरे हैं या नहीं खाने से या बीमारी से ? लेकिन वह प्रश्न दूसरा था। आप मुझे माफ करना रामसिंह जी,...

श्री रामसिंह कुड़ी : मैंने अखबार में आपका स्टेटमेंट पढ़ा था।

श्री परसराम मदेरणा : पशुओं का इलाज कौन करेगा, आप खुद समझ सकते हैं कि कौन करेगा इलाज ? इलाज डाक्टर करेगा। आप प्रधान हैं, आप रोज इलाज करवाते हैं पशुओं का फिर भी पता नहीं है कि कौन करेगा ? समाज-कल्याण वाले इलाज नहीं करेंगे, पशुओं का डॉक्टर है वही करेगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : वे मना कर गये और परसरामजी ने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि अकाल की वजह से या भूख की वजह से पशुओं को नहीं मरने दिया, तो किसको कहें, कैसे साबित करें ?

श्री परसराम मदेरणा : मेरा स्टेटमेंट कहां है लाइये, ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट मैंने दिया है तो कौनसे अखबार में किस तारीख को दिया है, किसके सामने दिया है, यह बताइये ?

श्री रामसिंह कुड़ी : मैं बताऊंगा, बालसिंहजी ने स्टेटमेंट दिया, उसके कन्ट्राडिक्शन में आपने स्टेटमेंट दिया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने सदन में कहा था, मैं कोई अफीम के डोडे नहीं पीता हूं, इसलिये समझदारी से स्टेटमेंट देता हूं। मैंने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया नहीं है, या तो आप बता दीजिये नहीं तो मैं यही कहूंगा कि आपने किसी अखबार वाले से मिल कर स्टेटमेंट लिखवाया है।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप तो धर्म की सौगन्ध जल्दी खा बैठते हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी : आप अकाल में व्यय करते हैं, बजट में इसके लिये प्रावधान रखा है पर एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर एक सप्ताह में एक काम के लिये १००० रु० मांगता है, हमारे सुनने में आया है कि उस एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर के अन्दर में ८७ काम चल रहे हैं। वह एक सप्ताह में ८७ कामों से ८७,००० रुपया लेता है, वह ४०,००० रु० एक मन्त्री को देता है और बाकी ४७,००० रुपये अपने अधिकारियों को देता है, अपने पास रखता है, यह सूचना है मेरे पास जिसके लिये सदन में भी मैंने सूचना दी है।

श्री माधोसिंह (उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण) : एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का नाम ?

श्री रामसिंह कुड़ी : श्री कल्ला हैं एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, जोधपुर के। ओवरसीयरों को कहा जाता है कि १००० रुपया एक सप्ताह में एक काम से नहीं देते हो तो जाओ कम्प्यूटर बन जाओ, और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ने उसको कम्प्यूटर बनाया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं एक बात जानना चाहता हूं, जो आप बोलते हैं तो ओवरसीयर का नाम ले रहे हैं कि ओवरसीयर ने मुझे बताया। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर का नाम तो आपने बता दिया, उस ओवरसीयर का नाम बता दें तो हमें कार्यवाही करने में सुविधा हो।

श्री रामसिंह कुड़ी : श्री परसरामजी बता दूंगा, जिसका पूछोगे, उसीका साबित कर दूंगा। सड़कों का काम बन्द हुआ, शिकायतें की गईं, आपके पास भी शिकायतें की गईं, नागौर पंचायत समिति के प्रधान ने लिखकर यह सारी बातें आपको भेजी हैं, ओवरसीयर का नाम भी बता दूंगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : छुपके से क्यों, सदन में ही बता दें।

श्री रामसिंह कुड़ी : उसकी सुरक्षा की गारण्टी आप दे सकते हैं ? श्री शंकरलालजी सुरक्षा की हां भरते हो, तो मैं नाम बता दूंगा। आपके उधर बैठे हुए सदस्य ही बता देंगे, उसका नाम। मैं जांच के समय सब बता दूंगा।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मुख्य मन्त्री ने नागौर में कॉलेज भवन का शिलान्यास किया था शिलान्यास करते समय और पब्लिक मीटिंग में उन्होने बहुत सी बातें अपने दल के बारे में कहीं कि कांग्रेस दल की मदद करो, यह करो, वह करो। पर यह क्या इस बजट में उस कॉलेज के बारे में मजाक कर दिया। परसरामजी, आप जोधपुर के हो आप तो कम से कम इस बारे में बोलो, माथुर साहब तो सारे राजस्थान के बन गये।

श्री सभापति : आप भाषण दें। १५ मिनिट तो हो गये।

श्री रामसिंह कुड़ी : जायल में हाईस्कूल है और जायल पशु-प्रधान क्षेत्र है, जायल हाई स्कूल में वेटरनरी क्लासेज चलाने के लिये राज्य सरकार को बार-बार कहा गया है और पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास कर के भी भेजा है कि वेटरनरी विभाग स्कूल में चालू करने के लिये जो व्यय होगा, एक साल के लिये वह पंचायत समिति देने को तैयार है, अन्य शर्तें भी होंगी। उन्हें भी मानेंगे पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार ने अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

किसानों की माली हालत के बारे में मैं फिर सदन को जानकारी दूं कि मैंने पंचायत समिति, जायल के ४ गांवों में १३२७ परिवारों का १९६३ में सर्वेक्षण करवाया, उन १३२७ परिवारों में से ११३२ परिवार कर्जदार थे, कुल औसतन १००० का कर्जा प्रत्येक परिवार पर था, १००० से ऊपर भी कर्जा कई परिवारों पर था। इस प्रकार ८५ पर्सेंट किसानों के कर्जदार होते हुए भी राज्य सरकार किसानों पर टैक्स लगा रही है, इस पर उस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य और इस ओर बैठने वाले माननीय सदस्य विचार करें कि किसानों पर जो यह टैक्स लगाया जा रहा है क्या यह अन्याय नहीं है ?

यह कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री सभापति : श्री नाथूलालजी करोल !

श्री नाथूलाल करोल (जमवारामगढ़) : माननीय सभापती महोदय, कल से १९६९-७० के बजट पर सदन में बहस चल रही है। माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो यह बजट पेश किया है वह घाटे का बजट पेश किया है और उन्होने यह

(श्री नाथूलाल करौल)

घाटा २०.४५ करोड़ का बताया है मैं वित्त मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह असली घाटा २९.८१ करोड़ का है न कि २०.४५ करोड़ का ; उन्होंने आगे जाकर यह दिया है कि अकाल सहायता के लिये १२.७ करोड़ रुपया भारत सरकार से मिल रहा है, उसमें से योजना के लिये अनुदान ३.९८ करोड़ का देना है....

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस बजट के ऊपर वाद-विवाद हो रहा है दो माननीय सदस्य उधर के और फिर दो माननीय सदस्य कांग्रेस के बोलने चाहियें, ऐसा निर्धारित किया है, कांग्रेस साइड के दो सदस्य बोले हैं और अपोजिशन के ५ सदस्य बोल चुके हैं, इसलिये हमें समय मिलना चाहिये।

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री सभापति : बात ठीक है, यही व्यवस्था है।

श्री नाथूलाल करौल : केन्द्र से मिलने वाली रकम की आशा में वित्त मंत्रीजी ने मूल घाटे की रकम में से वह रकम निकाल दी है। इसके साथ ही वित्त मंत्रीजी ने क्या किया है कि जो सेंटर ने टैक्स लगाये हैं २७ करोड़ के, उनके लिये कहा है कि उन २७ करोड़ में से जो हिस्सा हमें मिलेगा, उसको उसमें से निकाल दिया जाय तो २०.४५ करोड़ का घाटा रहता है, इस तरह से यह खयालों को आधार बतलाया है कि अपने पास २०.४५ करोड़ का घाटा है, वास्तव में २९.८१ करोड़ का असली घाटा है। क्या से क्या हो सकता है। किसी को मालूम नहीं है कि क्या होगा ? किसी को मालूम था कि इस साल अकाल पड़ेगा, सभी यह जानते थे कि बड़ी अच्छी फसल होगी, पर भयंकर अकाल राजस्थान में आया और इस अकाल का समय काटने के लिये राजस्थान के लोग बुरी तरह जमा रहे हैं। राजस्थान सरकार उसका मुकाबला करने में असमर्थ रही है।

एक माननीय सदस्य : वाह वाह !!

श्री नाथूलाल करौल : इसलिये मैं तो इस बजट में २९.८७ करोड़ का घाटा मानूंगा। जो राज्य सरकार ने घाटा बताया है, इसके लिये सहारा लिया है अकाल का, पंचायत समितियों का बकाया है उसका सहारा लिया है और इसी तरह खेती का सहारा लिया है, खेती में उन्नत बीज तैयार किया, इसका सहारा लिया है, बीजों का डेवलपमेंट किया इसका सहारा लिया है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह सहारा ले कर घाटे का बजट पेश करते हैं, यह कहां तक उचित है ? राज्य सरकार को चाहिये कि डेवलपमेंट करना है, तो पैसे को बचत में रखें, हिसाब रखें, कोई बनियां कारोबार करता है, कोई सेठ व्यापार चलाता है तो अपने पास में एडवान्स रख कर लाता है न कि घाटा दिखा कर–घाटा दिखाकर जो सरकारें काम करती हैं वह दिवालिया सरकारे हैं। अगर वह दिवालिया सरकार इसी तरह घाटा लाती रही तो मैं कह देना चाहता हूं कि यहां सचिवालय के सचिव महोदय बैठे हुए हैं, उनकी भी तनख्वाह बन्द हो जायगी। इस बात को गम्भीरतापूर्वक सोचना होगा कि

(श्री नाथूलाल करौल)

इसका क्या कारण है जो इतना घाटा हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि आज एडमिनिस्ट्रेशन लूज हो गया है, इससे घाटा हो रहा है। क्योंकि राज्य सरकार ने पैसे को पानी की तरह बहाया है। १३ साल से मैं इस सदन का सदस्य हूं, जो राज्य सरकार ने पैसे को पानी की तरह बहाया है, उस पैसे को राज्य सरकार वसूल नहीं कर सकी है।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो हमारी उदारता है।

श्री नाथूलाल करौल : ऐसी उदारता किस काम की कि लोग तरसते रहें? यह जनता का पैसा है या उदारता है? जो पंचायत समितियों के अन्दर कर्जा बांटा गया, खाद, बीज बांटा है, उसका पैसा आज तक वसूल नहीं हुआ। इस प्रकार पैसा बरबाद हुआ है, पोलिटिकल पार्टीज यानी कांग्रेस पार्टी ने अपने-अपने आदमियों को इस तरह से बीज बांटे। जो वास्तव में काश्तकार हैं ही नहीं। कागज दबे हुए हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं शाहपुरा पंचायत समिति का जो वहां पर बीज की बोरियां बांटीं उनका पैसा आज तक वसूल नहीं हुआ। हजारों रुपया राज्य सरकार का बकाया पड़ा हुआ है। यह सरकार आज तक दिवालिया नहीं बनी तो एक दिन बनेगी। राज्य सरकार ने पैसा खाद का, बीज का, तकावी लोन का, सहकारिता का अपने-अपने आदमियों को इस तरह से दिया है, जो आज तक वसूल नहीं हुआ ऑफिशियल बॉडीज और नान-ऑफिशियल बॉडीज ने सत्यानाश कर दिया इसमें दो राय नहीं। अगर इस तरह की हालत रही तो वित्त विभाग आज माइनस में चल रहा है और वह माइनस में चलता रहेगा और एक दिन कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिये भी तरसना पड़ेगा।

राज्य सरकार ने जो कृषि उपज बढ़ाने के लिये कार्य किया है, पंचायत समितियों के अन्दर ग्राम सेवक, विलेज लेवल वर्कर्स और एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन ऑफिसर्स रहते हैं, उनका फिजूल खर्चा है प्रोडक्शन बढ़ाने में यह लोग मदद नहीं करते, क्योंकि मैं एक काश्तकार हूं और उस नाते कहता हूं। फिजूल खर्ची को रोकना चाहिये।

डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन से पहले तहसील डेवलपमेन्ट कमेटी थी और जिलाधीश के तहत जिला विकास समिति थी, उस समय अच्छा विकास का काम होता था और पंचायत समितियां बनने के बाद, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के बाद पैसे का दुरुपयोग हुआ और सरकार ने पानी की तरह पैसा बहाया उसका रिटर्न आज तक नहीं मिला, न जनता को ही कुछ मिला। गांव-गांव में पार्टियां बनीं लोग बरबाद हो गये।

समय कम है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। अब करों पर बोलूंगा। जो कर वित्त-मंत्रीजी ने लगाये हैं, सरचार्ज लगाया, कॉमर्शियल क्रॉप्स पर सेस लगाया जैसे जीरा, धनिया, रुई इत्यादि पर और टर्नओवर टैक्स लगाया है, नगरपालिकाओं की चुंगी खत्म की है। जो टर्नओवर टैक्स लगाया है उसका सीधा असर कन्ज्यूमर पर पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं। इधर से खतम किया, उधर से लगाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा निवेदन है कि टर्नओवर टैक्स खत्म किया जाय।

(श्री नाथूलाल करौल)

भू-राजस्व पर अधिभार लगाया है जिसका मैं घोर विरोध करता हूं। इस टैक्स को बरदाश्त करने की क्षमता नहीं है। उधर बैठने वाले माननीय सदस्य जो काश्तकार वर्ग के हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं और करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि अगर आप लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज को चलने देंगे तो काश्तकार बुरी तरह से पिसेगा। आपने ५० रुपये से कम वालों को तो छूट दी है। भू-राजस्व ५० रुपये से १०० रुपये तक पर ५० पैसा प्रति रुपये लगाया। यह सरचार्ज पहले १९६० में लगाया गया था और ७५) पर एक अन्नी ली जाती थी उसके बाद जब १९६२ में नई विधान सभा बनी और मुख्य मन्त्री राजस्व मन्त्री बने और लड्ढा साहब उप-मन्त्री थे तो उन्होंने संशोधन किया और उन्होंने ७५) से ज्यादा पर ४ आने लगाये और इरिगेटेड लैण्ड पर १/३ हिस्सा रखा।

जब मुख्य मन्त्री राजस्व मंत्री थे तब यह अधिभार लगाया है अब इसको आगे न बढ़ायें और जो कॉमर्शियल क्रॉप्स पर सेस लगाया है, वह बिलकुल गलत काम किया है। कितनी जमीनें ऐसी हैं जिनके अन्दर अनाज पैदा न होकर जीरा और धनिया या मूंगफली पैदा होती है। उसमें गेहूं की काश्त नहीं हो सकती, तो उन काश्तकारों पर डबल टैक्स लगा। एक भू-राजस्व अधिभार और दूसरा कॉमर्शियल क्रॉप्स पर सेस वसूल करेंगे। केन्द्रीय सरकार कहती है कि जो काश्त करता है, उसकी कृषि-सम्पदा पर टैक्स लगाना चाहिये। इस तरह से काश्तकार पिस गया। हम मानते हैं जो १५०) रुपये भू-राजस्व देता है उसको उतना ही अधिभार देना पड़ेगा, आप भले ही बड़े काश्तकारों पर लगायें, मैं स्वागत करूंगा, इसमें दो राय नहीं लेकिन छोटे काश्तकार जो मामूली १००) एक सौ रुपये का लगान देता है, उसको इस भार से मुक्त करना चाहिये। वित्तमंत्री मौजूद नहीं हैं, मैं राजस्व मंत्री और राज्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप काश्तकार वर्ग के वोटों से आये हो। इसलिये आपसे नम्र निवेदन है कि आप भू-राजस्व अधिभार को अवश्य खत्म करें।

मैं समाज कल्याण मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आप पिछड़े वर्ग के कल्याण करने में आज कल बिल्कुल असमर्थ प्रकट हो रहे हैं। हम सोचते थे कि जोशीजी आ गये पिछड़े वर्गों का कल्याण होगा लेकिन आज जयपुर जिले की कालोनियां अधूरी पड़ी हुई हैं। १९५५-५६ के अन्दर कुंदनपुरा कॉलोनी बनी, तो न तो उसमें पूरे मकान बने, तमाम पैसा जो विभाग से मिला सारा खर्चा नहीं हुआ। उस पैसे में समाज-कल्याण इन्सपेक्टर ने न मालूम क्या-क्या घोटाले किये, आज तक हिसाब किताब नहीं। हमने काफी कोशिश की कि कुए पर हवाई पंखा लगे लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। इसलिये आप उस कॉलोनी का हिसाब बतायें कि कितना पैसा अनुदान का आया और कैसे खर्च हुआ।

अंत में यही निवेदन करूंगा कि यह घाटे का बजट है, इसको आप और प्रकार से पूरा करें। काश्तकारों पर टैक्स लगा कर पूरा न करें।

श्री सभापति : श्री मोहनलाल मोदी। सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ाया गया।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय...

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मेरा तो आपने नाम लिया था।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, यह बजट सदन में पेश किया गया है और जो आंकड़े पेश किये गये हैं, काफी अन्तर रहा है। अकाल राहत पर काफी खर्च हो जाने से इन आंकड़ों में बहुत बड़ा अन्तर पड़ गया है।

राज्य सरकार ने शिक्षा पर काफी खर्चा किया है और इसके लिये वित्त मन्त्रीजी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने शिक्षा में काफी बढ़ोतरी की है।

अब कुछ वित्त मन्त्रीजी ने इस वर्ष टैक्स लगाये हैं उनके बारे में मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूं। वित्त मन्त्रीजी ने चुंगी कर हटा कर राहत दी है और इसके हट जाने से कुछ फायदा हुआ है ऐसा कहा गया है। मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चुंगी के बजाय टर्न ओवर टैक्स रखा है वह कितना बड़ा घातक सिद्ध होगा, इस पर वित्त मन्त्रीजी का ध्यान नहीं गया है। जो व्यापारी ३० हजार के टर्न ओवर पर बिक्री-कर देने वाले हैं उन पर इसका असर होगा। एक म्युनिसिपल बोर्ड में दो सौ व्यापारी हैं उनमें से बीस पर इसका असर होगा। बाकी पर इसका असर नहीं होगा। वे टर्नओवर पर टैक्स से मुक्त होंगे। सारा भार इसका बीस-पच्चीस आदमियों पर पड़ेगा। एक नुकसान इससे यह होगा कि अब जो व्यापारी कपड़ा वगैरह लाता है उनसे चुंगी ली जाती है और म्युनिसिपैलिटी को इससे आमद होती है। वह सारी की सारी उसकी आमद खत्म हो जाती है क्योंकि कपड़े पर सेल्स टैक्स नहीं है। टर्नओवर टैक्स का असर खरीददार पर पड़ेगा।

गारन्टी सिस्टम से सरकार को फायदा नहीं। चुंगी कर हटा कर थोथी वाहवाही लेना चाहते हैं। मेरी राय में चुंगी कर समाप्त नहीं होना चाहिये और म्युनिसिपैलिटी जिस प्रकार से ले रही है उसको वसूल करते रहने देना चाहिये। इससे म्युनिसिपैलिटी को रोजाना सौ-पचास रुपये की आमद हो जाती है जिससे उनका खर्चा चलता है सफाई इत्यादि का। उनके सामने ऐसी स्थिति आ जावेगी कि राज्य सरकार से पैसा मिलेगा तब ही वे काम कर सकेंगे अन्यथा नहीं। टर्नओवर टैक्स क्वार्टर्ली होता है। उनको भी क्वार्टर्ली मिलेगा। इसलिये चुंगी कर समाप्त नहीं होना चाहिये।

इसके साथ-साथ कन्वर्शन का टैक्स लगाया है वह भी सरकार ने अपने पास ले लिया है। फिर स्वायत्त शासन संस्थाओं के पास क्या रहेगा? हाउस टैक्स रेवेन्यू अधिकारी वसूल करेंगे और इससे तो म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी ही बेकार हो जावेंगे सरकार को इससे कोई फायदा भी नहीं होने वाला है और जबरदस्ती ऐसी चीजें पैदा करते हैं जो नहीं करनी चाहिये।

किसानों पर सेस चार्ज बढ़ाया गया, किसानों पर सरचार्ज बढ़ा दिया। तम्बाकू पर टैक्स है उससे किसानों की कितनी बुरी हालत है जो किसान तम्बाकू बोता है उसको

(श्री मोहनलाल मोदी)

कितनी तकलीफ है जैसे एक बीघा में तम्बाकू बोई जाती है और उसके साथ हरी मिर्च भी बोई जाती है। हमारे इस इलाके में तम्बाकू के साथ हरी मिर्च बोई जाती है। पटवारी सारी की सारी तम्बाकू लिख देता है। चार-छः महीने के बाद तम्बाकू का टैक्स लिख कर आ जाता है जो किसान को देना ही पड़ता है। गाजर और ऐसी कई चीजें भी साथ-साथ बोई जाती हैं। यह जितना टैक्स गवर्नमेन्ट के खजाने में आने वाला है उससे अधिक रेवेन्यू अधिकारियों की जेब में जावेगी। आज गिरदावरी का कोई महत्त्व नहीं रहा है। पहले किसान गिरदावरी के लिये बड़ी रकम देता था। गिरदावरी के आधार पर आप सेस चार्ज वसूल करेंगे तो पटवारियों का बड़ा मजा होगा। काफी गड़बड़ियां होंगी। सरकार को पचास पर्सेन्ट भी रुपया न मिले और दूसरों की जेब में दुगुना चला जाय यह इससे होगा। इसलिये वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि यह टैक्स न लगायें।

सर चार्ज पहले से ही लगा रखा है। उसमें भी बढ़ोतरी कर दी है। हर एक चीज के लिये यदि मैं कहूंगा तो वे कहेंगे कि काम कैसे चले। मैं कहता हूं कि किसानों पर टैक्स न लगा कर गवर्नमेन्ट की बकाया पड़ी है उसको ही वसूल कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा।

शराब पर टैक्स लगाने की बात आयी। मैं निवेदन करूं कि शराब बन्दी की जब-जब भी बात आयी तो दोनों तरफ के माननीय सदस्य कहते हैं कि शराब बन्दी होनी चाहिये। यदि सदन के सब ही माननीय सदस्य यह प्रतिज्ञा कर लें कि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो कितना बड़ा उदाहरण हो। जब-जब शराब बन्दी का सवाल आता है, सरकार यह कहती है कि इतनी आमदनी होती है और टैक्स बढ़ा कर और आमदनी बढ़ाने की बात कही जाती है। आगे चल कर शराब बन्दी में यह बात आवेगी कि इतनी टैक्स की इन्कम के दूसरे क्या साधन जुटाये जायं ज्यों-ज्यों अधिक टैक्स लगायेंगे शराब अवैध रूप से बनेगी और आपकी आमदनी गिरेगी और आपको फिर टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे।

मिठाई पर टैक्स लगाया यह बड़े जुल्म की बात की है। २ पर्सेन्ट मिठाई पर टैक्स लगा कर आप कितना रुपया ले लेंगे? एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जो ढाबा चलाने वाला है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा यह कितने अन्याय की बात है। लम्बी-चौड़ी रकम इससे आने वाली नहीं है इसलिये मिठाई पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मुझे मिठाई से कोई मोह नहीं है लेकिन इसकी आड़ में इतने लोग आवेंगे कि सेल्स टैक्स डिपार्टमेन्ट वाले लोगों को तंग करेंगे और फायदा उठायेंगे। ऐसे टैक्स लगाओ जिससे गवर्नमेन्ट को आमदनी अधिक हो। यह क्या मिठाई पर दो पर्सेन्ट टैक्स लगा दिया? बड़े बड़े होटलों से आप टैक्स लेते हैं, फिर छोटों से दो पर्सेन्ट टैक्स लगा कर क्या रकम ले लोगे? बिजली पर टैक्स लगाने की बात आपने यहां करदी है। रेट बढ़ा दी गयी है। मैं समझता हूं राज्य के किसानों को इस बढ़ोतरी से सबसे बड़ा नुकसान होगा। राजस्थान में अधिक बिजली मिलेगी, यह आश्वासन हमको बराबर मिल रहे हैं। इस साल ज्यादा बिजली देंगे। ज्यादा बिजली हो जायेगी तो इसकी खपत कैसे होगी? यह बात कही जाती है। खेतड़ी में २२०

(श्री मोहनलाल मोदी)

के० वी० लाइन का उद्घाटन हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने अभी किया है। बिजली की रेट बढ़ने से मैं समझता हूं बिजली की खपत किस प्रकार होगी। मैं यह मान कर नहीं चलता कि किसानों को बिजली नहीं चाहिये। किसान बिजली के लिये बहुत ही उत्सुक हैं। इन्डस्ट्री वाले भी बिजली चाहते हैं किन्तु उनको बिजली नहीं मिलती है। उद्योग धन्धे वालों को बिजली नहीं मिलती है और आप कहते हैं कि बिजली सरप्लस है। फिर क्यों नहीं मिलती है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जितना अधिक से अधिक रुपया विद्युत् में लगा सकें और सस्ती से सस्ती बिजली दे सकें, दें इन्डस्ट्रीज को और किसानों को यह सस्ती बिजली इनको देना चाहिये और बिजली पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिये। आप कहेंगे कि फिर साधन किस प्रकार पूरे होंगे। हमारी तरक्की में रुकावट होगी। मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे भारत सरकार से निवेदन करें कि भारत सरकार तम्बाकू, चीनी, कपड़े पर जो एक्साइज ड्यूटी लेती है, वह बन्द करें? और इस पर सैल्स टैक्स लगाने को इजाजत हमको दे। हम क्यों नहीं इसकी मांग करें? सैल्स टैक्स लेना राज्य सरकार के अधिकार की बात हैं। मैं समझता हूं कि सैल्स टैक्स लगाने के लिये ये चीजें हमको मिल जाती हैं तो राज्य सरकार का पर्पज सर्व हो जाता है और टैक्स हमको बढ़ाने नहीं पड़ेंगे। जनता भी परेशान नहीं होगी। जो लोग हमें चुनकर भेजते हैं, वे हमारे से कुछ उम्मीद करते हैं, ५ वर्ष बाद हमें उस इलाके में ब्योरा देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा कि इन पांच वर्षों के अन्दर क्या काम हमने किया है, क्या फायदा किया है उन लोगों के लिये? क्या यह कहेंगे कि इतना टैक्स बढ़ा दिया, इतना सरचार्ज बढ़ा दिया और नया टैक्स लगा दिया? यह मौका हमें कहने का मिलना चाहिये कि इतनी बिजली, सड़कें गांव के लिये हमने बना दी हैं। मैं समझता हूं टैक्स की बात कहना अनुचित होगा। इसलिये वित्त मन्त्रीजी ध्यान देकर सोचकर इस टैक्स को बढ़ायें और इसके बजाय तम्बाकू, शक्कर और कपड़े पर एक्साइज ड्यूटी जो भारत सरकार लेती है, उनको हटाकर सैल्स टैक्स राज्य सरकार लगाये, तो यह ज्यादा अच्छा होगा।

मैंने पहले भी लॉटरी के बारे में जब मन्त्रीजी ने कहा था तो विरोध किया था और मैं आज भी इस लॉटरी की इन्कम को अच्छा नहीं मानता हूं। हम लोगों को जुआ खिलाने की आदत शुरू कर रहे हैं। मैं इसे अच्छा नहीं समझता हूं। मेरी राय है कि इस लॉटरी को, जिससे इस साल ६० लाख की इन्कम करने का टार्गेट है, बंद कर देना चाहिये। इससे आपकी इन्कम जरूर डबल हो जायेगी किन्तु लोगों की आदतें बहुत खराब हो जायेंगी। बाजार में आप देखेंगे सैंकड़ों दुकानें लाटरी की खुली हुई हैं। दिन प्रति दिन लोग भूखे रह कर भी लॉटरी खरीदने की कोशिश करेंगे। और इस तरह हम लोगों को बिल्कुल निकम्मे और बेकार कर देंगे। वे लॉटरी के भरोसे पड़े रहेंगे, और यह उम्मीद करेंगे कि शायद अब लॉटरी खुलेगी, अब लॉटरी खुलेगी। इसलिये मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं।

(श्री मोहनलाल मोदी)

अब मैं, सभापति महोदय, वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अकाल में उन्होंने जो रुपया लगाया है, वह बड़ी अच्छी बात है। अकाल के लिये जो काम किया गया है, उसके लिये राज्य सरकार धन्यवाद की पात्र है। उसने अच्छा इन्तजाम किया है। परन्तु अकाल के लिये एक ठोस कदम उठाना चाहिये जिससे इस राजस्थान में अकाल का हमेशा मुकाबला नहीं करना पड़े। और जो धनराशि हमेशा खर्च होती है वह बच सके।

मैं वित्त मन्त्रीजी का इन सारे टैक्सों के बारे में ध्यान आकर्षित कर निवेदन करूंगा कि किसानों पर बिजली सैस चार्ज व सरचार्ज का जो टैक्स लगाया है वह हटायेंगे और कम से कम हमको किसानों से यह कहने का मौका देंगे कि हमारी राजस्थान सरकार टैक्स लगाने की आदी नहीं है।

श्री सभापति : मैं सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तदनतर सदन की कार्यवाही ५ बजकर १६ मिनिट पर शुक्रवार दिनांक १४ मार्च, १९६९ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

Page No 126

परिशिष्ट—१

(तारांकित प्रश्न संख्या २५६ की सूची)

कृषि उपज मण्डी समिति, आगरा की स्थापना (१९६४) के बाद अब तक बिजली, पानी, छाया, सुरक्षा पर मदवार निम्न प्रकार व्यय हुआ है :—

१.	बिजली व्यवस्था	५३०७-५५
२.	पानी व्यवस्था	४२८५५-०६
३.	छाया व्यवस्था	३१४८५-००
४.	सुरक्षा व्यवस्था	२८१४९-६४
	योग ...	१,०७,७९७-२५

———

परिशिष्ट—२

(तारांकित प्रश्न संख्या २५७ की सूची)

COPY OF SECTION 29 OF THE MOTOR VEHICLES ACT, 1939

(Central Act 4 of 1939)

29. Assignment of fresh registration mark on removal to another State—(1) (When a motor vehicle—

(a) registered in one State has been kept in another State, or ;

(b) registered in the State of Jammu and Kashmir has been kept in India.

for a period exceeding twelve months) the owner of the vehicle shall apply to the registering authority, within whose jurisdiction the vehicle then is, for the assignment of a new registration mark and shall present the certificate of registration to that registering authority.

(2) The registering authority, to which application is made under sub-section (1), shall assign the vehicle a registration mark in accordance with the Sixth Schedule to be carried thenceforth on the vehicle and shall enter the mark upon the certificate of registration before returning it to the applicant and shall, in communication with the registering authority by whom the vehicle was previously registered, arrange for the transfer of the registration of the vehicle from the records of that registering authority to its own records.

(3) A (State) Government may make rules under section 41 requiring the owner of a motor vehicle not registered within the (State), which is brought into or is for the time being in the (State) to furnish to a prescribed authority in the (State) such information with respect to the motor vehicle and its registration as may be prescribed.

परिशिष्ट...३

(तारांकित प्रश्न संख्या २५६ की सूची)

गत दस वर्षों (वर्ष १९५८-५९ से १९६७-६८ तक) में बाड़मेर जिले में खोले गये औषधालयों की श्रेणी अनुसार सूची :—

क्र० सं०	नाम स्थान	श्रेणी
१	२	३
१.	पारलू	स
२.	पाढोदी	ब
३.	गडरा रोड	स
४.	हरसानी	,,
५.	खंडप	,,
६.	राखी	,,
७.	धोरीमन्ना	,,
८.	बिसाला	,,
९.	रावतसर	,,
१०.	नोखडा	,,
११.	बायतू	,,
१२.	कवास	,,
१३.	बालोतरा	,,
१४.	बाड़मेर	,,
१५.	दाखा	,,
१६.	भूणिया	,,
१७.	दूदू	,,
१८.	बामडला	,,
१९.	साजयालो	,,
२०.	गैराप	,,
२१.	सेतराउ	,,
२२.	बीसासर	,,

Page No 129

१	२	३
२३.	जयसिंहदर	स
२४.	सज्जन का पार	,,
२५.	सुन्दरा	,,
२६.	केलनार	,,
२७.	मेहलू	,,
२८.	सवाई पदमसिंह	,,
२९.	पादरू	,,
३०.	करमावास	,,
३१.	निमला	,,
३२.	अरणियाली	,,
३३.	बाछराऊ	,,
३४.	रमजान की गफन	,,
३५.	कापराउ	,,
३६.	जेठन्तरी	,,
३७.	सिवाना	,,

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न संख्या २७१ की सूची)

जिन गाड़ियों के चालान हुए उनकी सूची

१.	आर० जे० वाई०	१३४०
२.	„	११९१
३.	„	१८५९
४.	„	१३४३
५.	„	१०२८
६.	„	१७३६
७.	„	११११
८.	„	१९११
९.	„	२१३१
१०.	„	२५००
११.	आर० जे० क्यू०	३५९१
१२.	आर० जे० एल०	८८७५
१३.	„	१७३७
१४.	आर० एस० एल०	३२५

जिनकी गाड़ियों का चालान किया गया है उनकी सूची

१.	सर्व श्री वर्मा ट्रान्सपोर्ट	आर० जे० वाई०	१३४०
२.	श्री देवीचन्द टांक	„	११९१
३.	श्री मुखी गोवर्धनदास	„	१०२८
४.	श्री ग्रीन बस (राजस्थान) प्रा. लि. १	„	१८५९
		२ आर० एस० एल०	३२५
५.	श्री प्रभात बस सर्विस	आर० जे० वाई०	१३४३
६.	श्री पुरुषोत्तम पालीवाल	„	१३४६
७.	श्री अरावली रोडवेज	आर० जे० क्यू	३५९१
८.	श्री कन्हैयालाल शर्मा	आर० जे० एल०	८८७५
९.	श्री उदयलाल भोई	आर० जे० वाई०	२१३१
१०.	श्री रिफ्यु बस	„	२५००
११.	श्री बसन्तकुमार	„	१७३६
१२.	श्री बॉम्बे ट्रान्सपोर्ट	१ „	१३११
		२ „	१३९१

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न सं० ९५ की सूची)

मुख्य मंत्री अकाल सहायता कोष

I कोटा नगर में प्राप्त धनराशि

(अ) कलेक्टरी, कोटा में चैक व ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त राशि

(१)	एसोसियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज, रामगंजमंडी	रु० ५,०००-००	
(२)	जे० के० सिन्थेटिक्स	रु० ४,१०५-००	
(३)	नटराज सिनेमा, कोटा	रु० ८९४-८३	मुख्य मंत्री जी को भेजे जा चुके है
(४)	रोटरी क्लब कोटा	रु० १,०००-००	
	योगः—	रु० १०,९९९-८३	

(ब) कलेक्टरी, कोटा में नकद धनराशि प्राप्त

(१)	प्रेसीडेंट दिव्य भारती, कोटा	रु० ५०१-००
(२)	प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय, पाटनपोल, कोटा	रु० ५१-००
(३)	पंचायत समिति, इटावा	रु० १,००१-००
(४)	बुनियादी प्राइमरी स्कूल, लाडपुरा	रु० १२-५०
(५)	रसद अधिकारी, कोटा	रु० ४७९-००
(६)	पंचायत समिति (शिक्षा), लाडपुरा	रु० १९-००
(७)	राज्य प्राथमिक शाला, लाडपुरा	रु० ५१-००
(८)	अध्यक्ष, दिव्य भारती, गुमानपुरा, कोटा	रु० ५००-००
(९)	श्री एम० एल० गुप्ता, मैनेजर, सिनेमा	रु० ३१-०
(१०)	मजदूर सेवा संघ, कोटा	रु० २०१-००
(११)	श्री ओमप्रकाश जलवानिया, संयुक्त मजदूर सेवा संघ, कोटा	रु० ५१-००
(१२)	श्री भंवरसिंह अध्यक्ष, मजदूर संघ, कोटा	रु० १०१-००
(१३)	श्री कन्हैयालाल व्यास, मंत्री, मजदूर सेवा संघ, कोटा	रु० १५१-००
(१४)	श्री धन्नालाल ठेकेदार	रु० १०१-००
(१५)	श्री जिला रसद अधिकारी, कोटा	रु० ५०-००
(१६)	श्री कन्या विद्यालय निरीक्षिका	रु० १,०००-००
	"	रु० १,५००-००

Page No 132

	कन्याविद्यालय निरीक्षिका, कोटा	रु० २,०००-००
	”	रु० १,०००-००
(१७)	रविन्द्र बाल मन्दिर	रु० ११-००
(१८)	केन्द्रीय सुधार गृह	रु० २०९-००
	योग....	रु० ९,२०८-५०

(स) मुख्य मंत्री महोदय के कोटा आगमन के समय भेंट

(१)	खाद्यान्न व्यापार संघ, कोटा	रु० ११,१५१-००
(२)	नगरपालिका, कोटा	रु० ५,०००-००
(३)	गवर्नमेंट कॉलेज, कोटा	रु० १,८८०-५१
(४)	अध्यक्ष नागरिक सहायता समिति	रु० १२,००१-००
	योग....	रु० ३०,०३२५१
	कुल...	रु० ५०,२१०-८४

II कोटा जिले के परगना विकास अधिकारी एवं तहसीलदारों के माध्यम से प्राप्त धन राशि

(१)	तहसील पीपल्दा	रु० २०६८-००
(२)	” मांगरोल	रु० १४९६-००
(३)	” बारां	रु० १०९७-००
(४)	” शाहबाद	रु० ९१४-००
(५)	” किशनगंज	रु० ४५७५-५७
(६)	” अटरू	रु० २६५-००
(७)	” छाबड़ा	रु० २२१-००
(८)	” छीपाबड़ौद	रु० १५५६-००
(९)	” सांगोद	रु० ७३२१-७५
(१०)	” रामगंजमंडी	रु० १८०३-१०
(११)	परगना अधिकारी, बारां	रु० २३२-१८
(१२)	परगना अधिकारी, रामगंज मंडी	रु० ७००१-००
(१३)	विकास अधिकारी, सांगोद	रु० ५०१-००
	योग रु०...	२८,८५२-१५
	कुल राशि.... रु०	७९,०६२-९९

परिशिष्ट–६

(तारांकित प्रश्न संख्या २७५ की सूची)

दिनांक ५-४-६८ को प्रोंसिंग टावर, श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स, कोटा में हुई दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की नामवार सूची ।

		मृत्यु दिनांक
१.	श्री के० एस० श्रीनिवासन	५-४-६८
२.	श्रीमती मरसम स्त्री श्री महादेव अप्पा	,,
३.	श्रीमती इमामयी पत्नि श्री हुसैन शाह	,,
४.	श्री ओंकार	६-४-६८
५.	श्री तनगप्पन	,,
६.	श्री वी० वी० नारायणन	७-४-६८ अस्पताल में
७.	श्री नारायण	५-४-६८
८.	श्री एम० एम० माहजनी	,,
९.	श्री एम० नागिया	,,
१०.	श्री एफ० सी० खन्डूआ	,,
११.	श्री प्रहलादसिंह	,,
१२.	श्री राम राज्या	८-४-६८
१३.	श्री सुखदेव अलिया सप्रू	१५-४-६८

Page No 134

परिशिष्ट–७

समयाभाव के कारण समय में न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर दुग्ध वितरण योजना

२७६. श्री दुर्गालाल बाढ़वार (हवामहल) : क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार जयपुर दुग्ध वितरण योजना को आत्म-निर्भर बनाने के लिये स्वयं डेयरी खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? जब कि दुग्ध योजना कार्यालय ऐसे स्थान पर स्थित है जहां एक बड़ी डेयरी के लिये सभी साधन सुलभ हैं ?

उत्तर

इस समय राज्य सरकार के समक्ष स्वयं डेयरी खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार की नीति जयपुर के आस-पास के गांवों से दुग्ध प्राप्त करके जयपुर शहर में वितरित करने की रही है जिससे शहर में दूध की कमी को पूरा किया जा सके और गांवों के पशु-पालकों को दूध का बाजार मिलने से उनकी पशु-पालन में रुचि बढ़े व उन्हें आर्थिक लाभ हो। डेयरी जहां पर स्थित है वह स्थान स्वयं की डेयरी खोलने हेतु उपयुक्त नहीं है।

नगर विकास न्यास के चेयरमैन की नियुक्ति

२७७. राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में कहां-कहां कौन-कौन नगर विकास न्यास के चेयरमैन हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(ख) क्या सरकार ने नगर विकास न्यास के चेयरमैन व मेम्बर्स की नियुक्ति की बाबत कोई रूल्स बनाए हैं ? यदि हां, तो कृपया उनकी कॉपी सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों नहीं और अब आरबीट्रेरी ढंग से जो चेयरमैनों की नियुक्ति होती है उसे रोकने के लिये कब तक रूल्स बना दिये जावेंगे ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। नियुक्ति कतिपय बातों को ध्यान में रखकर की जाती है।

नाम नगर सुधार न्यास	नाम अध्यक्ष
(१) जयपुर	श्री सरदारमल
(२) जोधपुर	श्री तारक प्रसाद
(३) बीकानेर	जिलाधीश श्री सतीशचन्द्र
(४) उदयपुर	श्री गिरधारी लाल
(५) अजमेर	जिलाधीश श्री जोसफ
(६) अलवर	श्री छोटूसिंह
(७) भरतपुर	श्री राम स्वरूप
(८) भीलवाड़ा	श्री ज्ञानमल कोठारी
(९) चित्तौड़गढ़	श्री पंकज पंचोली
(१०) गंगापुर सिटी	श्री गुलाबचन्द पालीवाल
(११) हिण्डौन	श्री गजानन्द डारोलिया

बसों में सामान चढ़ाने व उतारने की व्यवस्था

२७८. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बस स्टेशनों पर बसों में सामान चढ़ाने व उतारने का कॉरपोरेशन द्वारा क्या प्रबन्ध किया गया है ? क्या यह सही है कि फी आइटम सामान चढ़ाने व उतारने के १० पै. लिये जाते हैं चाहे सामान को दस कदम भी नहीं ले जाया गया हो ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि जयपुर बस स्टेशन में रिक्शा या तांगा अन्दर ले जाने की मना होने के कारण पैसेन्जर को बस तक सामान पहुँचाने व बाहर लाने में दिक्कत आती है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए कॉरपोरेशन कोई व्यवस्था करवायेगी ?

उत्तर

(१) अभी तक निगम द्वारा बस स्टेशनों पर मुफ्त पोर्टर्स की सेवायें उपलब्ध की जाती रही हैं, लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रेल्वे के समान लाइसेन्सड कुलियों की व्यवस्था कर दी गई है जिसके अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित दरों पर यात्रियों का सामान बस स्टेशनों के बाहर लाया व ले जाया जाता है।

(२) जी हां, रिक्शा व तांगे आदि का बस स्टेशन के अन्दर प्रवेश निषेध कर रखा है। यह यात्रियों के हित में ही दुर्घटनाओं की रोक-थाम के लिये किया गया है। यात्रियों की सुविधा हेतु लाइसेन्सड कुलियों की व्यवस्था की गई है।

गौ निकासी पर रोक

२७९. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सन् १९६६ में राजस्थान से गाय की निकासी को रोकने के लिये एक अध्यादेश जारी किया था जो लैप्स हो गया ?

(२) सरकार की गौ निकासी को रोकने के संबन्ध में क्या नीति है ?

उत्तर

(१) जी, हां।

(२) सरकार गौ की निकासी को रोकने के संबंध में उसके द्वारा जारी किये गये नोटिफिकेशन दिनांक ३-९-५५ के अन्तर्गत कार्यवाही हो रही है। जिसके अनुसार सम्बन्धित जिले के जिलाधीश की अनुमति के बगैर गाय की निकासी राज्य के बाहर बन्द है।

Copy of letter No. 6 (15) Agri./IV/67, dated 19-9-67 from the Secretary to the Government, Agriculture Department, Rajasthan, Jaipur to the Collector, Jaipur.

Sub:—Permission for the Export of Animals.

I am directed to say that with the lapse of the Ordinance dated the 3rd December, 1966 regarding ban on the Export of Cows, the power to permit or to deny such export again vest with the Collector of the district concerned under Notification No. F. 20 (35) Agri./55, dated the 3rd September, 1955. Action may, therefore, be taken accordingly with regard to the attached application which is being returned in original.

(English Translation Authorised by His Highness the Rajpramukh)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

AGRICULTURE (IV) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Dated, Jaipur the 3rd September, 1955

No. F. 20 (33) Agri./55:—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Jaipur Customs Act, 1943

(Jaipur Act XLV of 1943), Section 10 of the Marwar Customs Act of 1938, Section 8 of the Matsya Customs Ordinance, 1948 (Matsya Ordinance No. 14 of 1948), Section 8 of the Mewar Customs Act, 1946 (Mewar Act XI of 1946) and Section 9 of the Sirohi Customs Act of 1944 and by the corresponding provisions of the Customs Act or Rules of the other covenanting States, the Government is hereby pleased to prohibit the export out of Rajasthan to any area outside the State, of the buffaloes and cows except in accordance with a permit in writing issued by the Collector of the district concerned.

This is in supersession of previous notification (if any) issued by the Governments of the covenanting States on the subject. For the avoidance of doubts it is hereby declared that those previous notifications continued in force even after the abolition of customs duties with effect from the 1st April, 1955.

By Order of
His Highness the Rajpramukh
Sd/- B. MEHTA,
Additional Chief Secretary.

नगर परिषद्, बीकानेर के कर्मचारियों द्वारा त्याग-पत्र

२८०. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर नगर परिषद् में कितने कर्मचारियों ने सन् १६६८ में परिषद् से त्याग-पत्र दे दिया है और क्यों ?

(२) परिषद् में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो अपना निजी व्यवसाय करते हैं ?

उत्तर

(१) स्वेच्छा से वृद्धावस्था व आगे कार्य करने में समर्थ न होने से ४६ कर्मचारियों ने सन् ६८ में त्याग-पत्र दिये थे।

(२) कोई नहीं है।

Page No 138

पुलिस एक्ट

२८१. श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ऐसी कितनी नगरपालिकाएं हैं, जिनमें पुलिस एक्ट लागू हो चुका है और ऐसी कितनी नगरपालिकाएं है जहां पुलिस एक्ट लागू नहीं हुआ है ? नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या राज्य सरकार मकराना में जल्द से जल्द पुलिस एक्ट लागू कर देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) ११२ नगरपालिकाओं में पुलिस एक्ट लागू किया जा चुका है। २८ नगरपालिकाओं में लागू नहीं है। यह सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सूची नगरपालिकायें जिलेवार जहां धारा ३४ पुलिस एक्ट लागू नहीं है।

जिला जयपुर

१. चौमू
२. कोटपुतली
३. जोबनेर
४. आमेर
५. चाकसू

जिला झुंझुनू

६. चिड़ावा
७. नवलगढ़
८. सूरतगढ़
९. मंडावा
१०. मुकन्दगढ़
११. बगड़
१२. बिसाऊ

जिला भरतपुर

१३. बयाना
१४. नदबई
१५. बैर

जिला बीकानेर

१६. गंगाशहर
१७. भीनासर
१८. देशनोक

जिला चूरू

१९. राजलदेसर
२०. छापर
२१. बीदासर

जिला गंगानगर

२२. गजसिंहपुरा
२३. सूरतगढ़
२४. अनूपगढ़

जिला नागौर

२५. मकराना

जिला पाली

२६. सादड़ी

जिला कोटा

२७. इन्द्रगढ़

जिला बूंदी

२८. केशोरायपाटन

दिल्ली स्थित जयपुर हाउस में केयर टेकर का मकान

२८२. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि दिल्ली स्थित जयपुर हाउस जिसमें अब नेशनल आर्ट म्यूजियम है, को जिस समय राज्य सरकार के सुपुर्द किया था उस समय केयर टेकर के लिए बनाया हुआ मकान खाली था ?

(२) क्या यह सही है कि इस मकान में अब कोई पंकज नाम का व्यक्ति रह रहा है ? यदि हां, तो क्यों और कब से ?

(३) इस मकान का अब तक कितना किराया वसूल किया गया, शेष कितना है और किराया किस हिसाब से तय किया गया था ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) इसका ज्ञान नहीं है। यह क्वार्टर श्री बंशीधर झा के नाम पर दिया हुआ है।

(३) श्री बंशीधर झा को यह क्वार्टर बिना किराये के दिया है, अत किराया वसूली का प्रश्न ही नहीं उठता।

जोधपुर में पानी के बकाया बिलों की वसूली

२३३. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जलप्रदाय विभाग, जोधपुर शहर में १९५९, ६०, ६१, ६२ व ६३ की बकाया रकम अब व गत वर्ष से उपभोक्ताओं से वसूल कर रहा है ?

(२) इस रकम को पहले वसूल न कर अब पिछले साल से वसूल करने का कारण क्या है ? ऐसी कुल रकम कितनी है तथा कितने उपभोक्ताओं में बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) जिन अधिकारियों की लापरवाही से यह बकाया रकम रही है, क्या सरकार ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की है या करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) १९५९-६० की नहीं वरन् ६१-६२ की बकाया रकम वसूल की जा रही है।

(२) अधिकांश वसूली समय पर कर ली गई थी किन्तु अभी भी बकाया रकम चल रही है। सूची संलग्न है।

(३) बकाया रकम को वसूल करने के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा उचित कार्यवाही समय-समय पर की जाती रही है, अतः अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

सीमा जिलों में पाकिस्तानियों द्वारा आदमी व पशु उड़ाने के मामले

२८४. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) १९६५ से अब तक सीमा जिलों में कितने पशु व आदमी पश्चिमी पाकिस्तानियों द्वारा उड़ाये गये ? जिलेवार वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या सरकार इनको वापिस मंगाने व इसकी रोकथाम के लिये कोई विशेष योजना बना रही है ? अगर हां, तो वह योजना क्या है ?

उत्तर

(१) सन् १९६५ से अब तक सीमा जिले में ८७ भारतीय नागरिक एवं १२,३०२ पशुधन पाकिस्तानियों द्वारा ले जाये गये। जिलेवार तथा वर्षवार सूची संलग्न है।

(२) ले जाये गये ८७ भारतीय नागरिकों में से ७३ भारतीय नागरिक एवं ७५८४ पशु वापिस आ गये हैं। शेष की वापसी के लिये विरोध-पत्र भेज दिये गये हैं व समय-समय पर सीमा अधिकारियों की बैठक में ले जाये गये व्यक्ति एवं पशुधन की वापसी के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

CATTLE HEADS TAKEN AWAY INTO PAKISTAN

Year	Taken away	Recovered	Still to be recovered
1	2	3	4
	GANGANAGAR		
1965	171	41	130
1966	136	51	85
1967	186	11	175
1968	207	63	144
1969 (15-2-69)	13	—	13
Total	713	166	547

1	2	3	4
	BIKANER		
1965	1248	420	828
1966	1945	1764	181
1967	59	25	34
1968	338	276	62
1969 (15-2-69)	5	—	5
Total	3595	2485	1110
	BARMER		
1965	225	131	94
1966	833	540	293
1967	827	734	93
1968	1324	1287	37
1969 (15-2-69)	12	11	1
Total	3221	2703	518
	JAISALMER		
1965	1040	541	499
1966	2754	1320	1434
1967	104	58	46
1968	374	11	363
1969 (15-2-69)	91	1	90
Total	4363	1931	2432
	JALORE		
1965	6	5	1
1966	12	9	3
1967	390	284	106
1968	2	1	1
1969 (15-2-69)	—	—	
Total	410	299	111
Grand Total ...	12302	7584	4718

PERSONS KIDNAPPED INTO PAKISTAN

Year	No. of persons kidnapped	Recovered	Still to be recovered
DISTRICT GANGANAGAR			
1965	—	—	—
1966	—	—	—
1967	2	2	—
1968	2	—	2
1969 (Upto 15-2-69)	—	—	—
Total	4	2	2
DISTRICT JAISALMER			
1965	41	34	
1966	5	5	—
1967	3	2	1
1968	—	—	—
1969 (Upto 15-2-69)	—	—	—
Total ...	49	41	8
DISTRICT BARMER			
1965	13	11	2
1966	6	5	1
1967	3	3	—
1968	2	2	
1969 (Upto 15-2-69)	—	—	—
Total	24	21	3
DISTRICT BIKANER			
1965 to 1969 (Upto 15-2-69)	10	9	1
Grand Total ...	87	73	14

जोधपुर में डाक बंगले का अभाव

285. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि जोधपुर का सहकारी बाजार का स्थान जोधपुर के डाक बंगले की इमारत में रखा गया है ?

(2) क्या यह सत्य नहीं कि सरकार ने जोधपुर में डाक बंगले की व्यवस्था अभी तक नहीं की ?

(3) क्या यह सत्य नहीं कि डाक बंगले के अभाव के कारण इसमें ठहरने वाले बहुत परेशान हैं ?

(4) क्या सरकार ने दूसरे डाक बंगले का प्रबन्ध कर दिया है ? अगर हां, तो कहां पर ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) डाक बंगले की व्यवस्था कर दी गई है।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) उत्तरी रेल्वे ऑडिट ऑफिस के निकट।

परिशिष्ट (८)

(तारांकित प्र० सं० २५८ की सूची)

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF LOAN ALLOTTED UNDER LOW INCOME GROUP HOUSING SCHEME DURING 1968-69.

S. No.	Name of Town	Amount allotted in lacs of Rupees
1.	Ajmer	0.20
2.	Alwar	0.50
3.	Banswara	0.50
4.	Barmer	0.04
5.	Bharatpur	0.30
6.	Bhilwara	0.35
7.	Bikaner	0.15
8.	Bundi	0.40
9.	Chittorgarh	0.30
10.	Churu	0.10
11.	Dungarpur	0.50
12.	Ganganagar	0.50
13.	Jaipur	8.00
14.	Jaisalmer	0.10
15.	Jalore	0.15
16.	Jhunjhunu	0.50
17.	Jhalawar	0.15
18.	Jodhpur	0.60
19.	Nagaur	0.10
20.	Kota	0.50
21.	Pali	0.20
22.	Swai-Madhopur	0.50
23.	Sikar	0.40
24.	Sirohi and Mt. Abu	0.40
25.	Tonk	2.06
26.	Udaipur	1.00
	Total	18.50 lacs

STATEMENT SHOWING THE AMOUNT OF LOAN ALLOTTED UNDER MIDDLE INCOME GROUP HOUSING SCHEME DURING 1968-69.

S. No.	Name of Town	Amount allotted (in lacs of Rupees)
1.	Alwar	1 00
2.	Ajmer	0.40
3.	Banswara	0.40
4.	Bharatpur	0.50
5-	Bhilwara	0.40
6.	Bikaner	0.05
7.	Bundi	0.05
8.	Chittorgarh	0.20
9.	Churu	0.05
10.	Dungarpur	0.40
11.	Ganganagar	0.20
12.	Jaipur	16.41
13.	Jhunjhunu	0.25
14.	Jhalawar	0.06
15.	Jodhpur	1.00
16.	Nagaur	0.35
17.	Kota	1.00
18.	Pali	0.11
19.	Swai-Madhopur	0.13
20.	Sikar	0.50
21.	Sirohi and Mt. Abu	0.50
22.	Tonk	0.04
23.	Udaipur	1.00
	Total Rs.	25.00

सूची (ख)

अजमेर ज़िले को अल्प/मध्य आय वर्ग ऋण योजनान्तर्गत दिये गये चार वर्षों की सूची:—

वर्ष	अल्प आय गृह निर्माण योजना	मध्य आय गृह निर्माण योजना
१९६५–६६	१,४६,०६२	२,००,८००-८०
१९६६–६७	१,२३,९००	३७,२००-००
१९६७–६८	५५,०००	५०,०००-००
१९६८–६९	२०,०००	४०,०००-००

परिशिष्ट

(अतारांकित प्र० सं० १८३ की सूची)

अप्रेल, १९६७ से जुलाई, १९६८ तक गैर-सरकारी निजी सचिवों द्वारा उठाये गये यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता व वेतन का विवरणः—

क्र० सं० १	नाम २	यात्रा भत्ता ३	दैनिक भत्ता ४	योग ५	वेतन ६
१.	श्री ए० पी० गोयल, निजी सचिव, वित्त मंत्री	१७६३-५१	४५३-५०	२२१७-०१	४१७६-००
२.	श्री रामगोपाल राजपुरोहित, निजी सचिव, उप-मंत्री (गृह)	२१०-२५	३१७-५०	५२७-७५	२२३८-५४
३.	श्री रामकिशोर माथुर, निजी सचिव, शिक्षा उप-मंत्री	१७३-०५	१३०-००	३०३-०५	६०८८-००
४.	श्री जगदीश प्रसाद, निजी सचिव	६-७९	५५-००	६१-७९	८४७-००
५.	श्री रवीन्द्रनाथ गोस्वामी, निजी सचिव, विधि-मंत्री	२७५-७६	३२-५०	३०८-२६	२६०८-००
६.	श्री घनश्यामचन्द्र माथुर, निजी सचिव, उप-मंत्री, खाद्य	६३-१३	११९-५०	१८२-६३	४५६४-००
	योग....	२४९२-४९	११०८-००	३६००-४९	२०,५२१-५४
				कुल योग....	२४,१२२-०३

नोटः— ३१-७-१९६८ के बाद दो गैर सरकारी निजी सचिव और नियुक्त किये गये हैं किन्तु उनका खर्चा उक्त तालिका में नहीं जोड़ा गया है क्योंकि प्रश्न में केवल ३१-७-१९६८ तक का ही खर्चा पूछा है।

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १३ मार्च, १९६९)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या		अशुद्धि	शुद्धि
१	२		३	४
४		६	श्री देवीदत्त गाडिया	श्री देवीदत्त गाड़िया
१२	अन्तिम से	८	गीपालपुरा	गोपालपुरा
१६		२	माटग	मीटिंग
२०		१५	तेन	तीन
२१	अन्तिम से	१५	प्रश्न सं० २२६	प्रश्न संख्या २६६
२७		३	२६८ (५६१कु. म.) रामसिंह कुड़ी	२६८, श्री रामसिंह कुड़ी (जायल)
३६		७	७४	२७४
५१	अन्तिम से	१३	कस-किस	किस-किस
५८		११	जानने के बारे कि	जानने के बारे में कि
७२	अन्तिम से	४	विभा ा	विभाग
७४		६	ओवर लें ग	ओवर लेपिंग
८१	अन्तिम से	११	मेंज	मेज
९८	अन्तिम से	५	श्री अघ्यक्ष	श्री अध्यक्ष
१०३		१७	बंधाती	बंधती
१०५		१०	बज १ अरब ७४ करोड़	बजट १ अरब ७४ करोड़
१०६		१४	६ करोड़	१६ करोड़
१०६		१२	आ ाने	आपने
१०७	अन्तिम से	११	ज ाय	जाय
११३		२०	का	को
११४	अन्तिम से	२	चा ते	चाहते
११५		१२	जा	जो
१२१		७	मूं ।फली	मूंगफली
१२१	अन्तिम		मीट्ठी	मीठी
१२२		१४	ढें ते	ढोते
१२२		१८	पहूले	पहले
१२२		१८	आ ा	आप
१२२	अन्तिम से	१२	गांध ज्री	गांधीजी
१२२	,,	८	गांधा	गांधी

१	२	३	४
१२२	अन्तिम से ७	ढाना	ढोना
१२३	,, १४	आ ा	आप
१२३	,, ४	आ ने	आपने
१२३	,, २	का	को
१२४	,, १४	रे ली	रेतीली
१२६	२	को	के
१२७	अन्तिम से ७	बारे इस	बारे में इस
१२८	७	तीमरी	तीसरी
१२८	अन्तिम से ११	रजा	जा
१२९	,, २	गर्वीकरण	वर्गीकरण
१३३	अन्तिम	कार्यवाहा	कार्यवाही
१३५	,,	निक ले	निकाले
१४५	५	सुभ	सूभ
१५२	अन्तिम	आ म	आम
१५४	१८	हौ	हो
१५४	अन्तिम से १६	२६- -६६	२६-४-६६
१५५	१९	जायेगें	जावेंगे
१५५	अन्तिम से ६	जम न	जमीन
१५५	,, ५	। ली ?	?
१६२	,, ११	अग्दर	अन्दर
१६५	,, १४	पा ो	पानी
१६७	अन्तिम	श्रा उपाध्यक्ष	श्री उपाध्यक्ष
१७०	१३	उापध्यक्ष	उपाध्यक्ष
१८७	अन्तिम से १२	ओ	और
२०३	१०	वे न्द्र	केन्द्र
२०७	११	अध्यक्ष महोदम	अध्यक्ष महोदय
२१०	अन्तिम से ६	मह दय	महोदय
२२९	१६	२९ ला	२९ लाख
२३१	८	आ ने	आपने
२३६	१९	स स्य	सदस्य
२४९	अन्तिम	टैंक्सों	टैक्सों
२५७	३	हु	हुये
२६७	अन्तिम से २	कपने	करने